लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

Preservation Unit
On 14-10-92
Parliament Library

6th Lok Sabha

(खंड 26 में अंक 41 से 50 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 49 गुरुवार, 3 मई, 1979/13 वैशाख, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या 969, 973 से 975, 977, 978 980, 987 और 984	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—180
तारांकित प्रश्न संख्या 970 से 972, 976, 979, 981 से 983, 985, 986 और 988	
अतारांकित प्रश्न संख्या 9401 से 9405, 9407 से 9437, 9439 से 9465, 9467 से 9522, 9524 से 9554, 9556 से 9564, 9566 से 9568, 9570 से 9574 और 9576 से 9600	
प्राक्कलन समिति की रक्षा संबंधी उप-समिति के प्रतिवेदनों के बारे में घोषणा	181
ध्यानाकर्षण के बारे में	181—184
सभा पटल पर रखे गए पत्र	184—185
वर्ष 1979-80 के लिए विदेशी व्यापार नीति के बारे में वक्तव्य श्री मोहन धारिया	186—190
डा० राममनोहर लोहिया के इलाज संबंधी जांच समिति के निष्कर्षों तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में वक्तव्य श्री रवि राय	191—194
नियम 377 के अधीन मामले	194—199
(एक) जम्मू-कश्मीर राज्य में संविधान के कतिपय अनुच्छेदों को लागू न करना श्री बलदेव सिंह जसरोटिया	194

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ संख्या
(दो) 27 अप्रैल, 1979 को बिहार में आये तूफान से पीड़ित लोगों को सहायता और मुआवजा देने की आवश्यकता	
श्री विनायक प्रसाद यादव	195
(तीन) पर्थ में विश्व कप प्रतियोगिता में भारतीय हाकी टीम का प्रदर्शन	
श्री सौगत राय	195
(चार) मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए आसाम के चाय बागानों को सीमेंट की सप्लाई	
श्री पूर्ण नारायण सिन्हा	196
(पांच) अगले गैर-स्पर्धा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन कलकत्ता के बजाय बंगलौर में करने का सरकार का कथित निर्णय	
श्री चित्त बसु	196—197
(छ) दुर्गापुर-कलकत्ता एक्सप्रैस राजपथ को तुरन्त पूरा करने की आवश्यकता	
श्री राज कृष्ण डान	197—199
सीमेंट उद्योग संबंधी उच्च समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णय के बारे में वक्तव्य	
श्री जार्ज फर्नाडिस	200—201
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	202
प्रों० पी०जी० मावलंकर	202—205
डा० रामजी सिंह	205—210
श्री० ए० सुन्ना साहिब	210—211
श्री सैयद लियाकत हुसैन	211—215
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	215—217
श्री चित्त बसु	217—219
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	219—222

विषय	पृष्ठ संख्या
खण्ड 2 से 24 तथा 1	
संशोधित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	222—226
श्री जी० एम० बनातवाला	227—229
विशेष न्यायालय विधेयक	
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव	
श्री एच०एम० पटेल	270—272
नई दिल्ली में 1 मई, 1979 को युवक कांग्रेस (आई) के जलूस के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसक घटनाओं पर चर्चा	272
श्री सौगत राय	272—275
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	275—277
डा० मुरली मनोहर जोशी	278—280
श्री विनायक प्रसाद यादव	280—282
श्री निर्मल चन्द्र जैन	282—285
श्री ज्योर्तिमय बसु	285—288
श्री के० लकप्पा	288—290
श्री सी०एम० स्टीफन	291—295
श्री के० मायातेवर	295—299
श्री सी०के० चन्द्रप्पन	299—304
श्री कंवर लाल गुप्त	305—308
श्री एच०एम० पटेल	308—313

लोक सभा

गुरूवार, 3 मई, 1979/ 13 वैशाख, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 6 मिनट पर समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बाल श्रम विषयक समिति

***969. डा० विजय मंडल :** क्या **संसदीय कार्य** तथा **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाल श्रम विषयक समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और इसके द्वारा अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : बाल श्रम विषयक समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। समिति से अपनी रिपोर्ट छः माह के अन्दर प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण

बाल श्रम विषयक समिति के सदस्य

1.	श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी	अध्यक्ष
2.	श्री एस० डब्ल्यू० धाबे, संसद सदस्य	सदस्य
3.	श्री मती कमला बहुगुणा, संसद सदस्या	सदस्य
4.	श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा, संसद सदस्या	सदस्य
5.	श्री मुसाफिर सिंह,	सदस्य
	उप-निदेशक राष्ट्रीय सार्वजनिक निगम और बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य

6	कुमारी एम० खाडेकर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, बम्बई.	सदस्य
7.	डा० राम के० वेपा, विकास आयुक्त, लघु उद्योग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली.	सदस्य
8.	श्री वी० एस० भाश्याम, संयुक्त सचिव, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग), नई दिल्ली.	सदस्य
9.	श्री एम० एम० राजेन्द्रन, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली.	सदस्य
10.	श्री जी० डी० बेलूर, संयुक्त सचिव, ग्राम विकास विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, नई दिल्ली.	सदस्य
11.	श्री एम० वी० एस० राव, रोजगार सलाहकार, योजना आयोग, नई दिल्ली.	सदस्य
12.	श्री के० श्री निवासन, श्रमायुक्त, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम.	सदस्य
13.	श्री पी० वी० भट्ट, सचिव, श्रम, समाज कल्याण और आदिवासी विभाग, गुजरात सरकार गांधी नगर.	सदस्य

14. श्री सरन प्रसाद, सदस्य
विशेष सचिव (श्रम),
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ

15. श्री माधव सिन्हा, सदस्य
श्रमायुक्त,
बिहार सरकार,
पटना.

16. श्री वी० पी० साहनी, सदस्य-सचिव
महानिदेशक (एल डब्ल्यू),
श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली.

डा० विजय मंडल : भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष मनाने जा रही है जिसके लिए सूर्य तथा स्लेट का चिन्ह रखा गया है। सूर्य सम्भवतः स्वास्थ्य का प्रतीक है और स्लेट शिक्षा की प्रतीक कही जाती है। भारत में बच्चों का शोषण बहुत अधिक हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में बाल श्रमिकों की सख्या कितनी है जो कि विभिन्न उद्योगों-कृषि तथा बागान आदि में लगे हुये है ? वास्तविकता तो यह है कि आज भी हमारे देश में बच्चो का शोषण बहुत अधिक किया जा रहा है और मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तत्कालीनता को दृष्टिगत रखते हुये बाल श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो एक साथ अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा दी है।

डा० विजय मंडल : इस अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के उपलक्ष में सरकार का विचार···

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष नहीं है।

डा० विजय मंडल : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस वर्ष इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है। बाल श्रमिकों के अनुचित अन्यायपूर्ण तथा अमानवीय शोषण को रोकने के लिए क्या अन्तरिम कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह बात सभी जानते है कि यह बच्चों का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष है। बच्चे या बच्चो से सम्बद्ध समस्यायें बहुत सी है । इनमें से कुछ समस्यायें मेरे मंत्रालय से सम्बद्ध है तो कुछ अन्य मंत्रालयों से सम्बद्ध है। सदस्य महोदय द्वारा पूछा गया मुख्य प्रश्न यही है कि कुल कितने बच्चे रोजगार में लगे हुये हैं। देश में 10.7 मिलियन बच्चे किसी न किसी काम में लगे हुये हैं। हमारे देश की जनसंख्या काफी अधिक है और इसलिए देश के विभिन्न वर्गों के लोगों

तथा विभिन्न आयु वाले लोगों की जनसंख्या में कुछ न कुछ अनुपात तो होना ही चाहिए सम्भवतः माननीय सदस्य महोदय इसे अनभिज्ञ नहीं। यदि मैंने यह कहा होता तो इसे किसी प्रकार से बुद्धिमततापूर्ण बात न कहा गया होता अपितु केवल उपहास मात्र समझा गया होता।

हमारे देश में 10.7 लाख बच्चे काम करते है जिनमें से 7.9 मिलियन लड़के है तथा 2.5 मिलियन लड़कियां है। इनमें से 78 प्रतिशत बच्चे ऐसे है जो ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि या कारीगिरी आदि के काम में लगे हुये है। 8.2 प्रतिशत बच्चे जंगलों, मत्स्य-पालन तथा चाय बागान आदि के कार्य में लने हुए है। लगभग 6 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्र में घरेलू काम तथा अन्य इसी प्रकार के कार्यों में लगे हुये है। शेष बच्चे शहरी तथा अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य इसी प्रकार के कार्यों में लगे हुये है।

जहां तक इस वर्ष के दौरान उठाये जाने वाले कदमो का सम्बन्ध है, यह बात इसी तथ्य से प्रतिपादित हो जाती है कि सरकार इसके बारे में कुछ करने के लिए चिंतित है और तभी समिति की नियुक्ति की गई है। जो इस पर विचार करेगी कि किस प्रकार के विधान द्वारा बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा कारगर ढंग से प्रदान की जा सकती है तथा इस प्रकार के विधान को किस प्रकार से प्रभावी तथा कारगर ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है तथा क्या कुछ उसके क्षेत्राधिकार में लाया जा सकता है।

डा० विजय मंडल : इस प्रकार के शोषण को रोकने के लिए क्या सरकार राज्यों में भी इसी प्रकार की समितियों का गठन करेगी ? पिछले वर्ष से अब तक यह पता लगाने के लिए कितने छापे मारे गये है कि बाल श्रमिक अधिनियम को सही ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा हैं ? इसका उलंघन करने वालों के खिलाफ कितने मामले दर्ज किये गये है ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप के प्रश्न का दूसरा भाग पहले भाग से भिन्न है तथा अब तक कितने छापे मारे गये है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

जहां तक इनके प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, उसके बारे में मैं इतना अवश्य कहूंगा कि वर्तमान विधान से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकारों को या सम्बद्ध प्राधिकरणों को यह पूरी छूट है कि वह जिस भी व्यवसाय को चाहें अधिनियम की अनुसूची में जोड़ सकते है।

श्री तेज प्रताप सिंह : क्या मंत्री महोदय इस सुझाव पर विचार करेंगे कि जिस समिति का गठन किया गया है उसमें सम्बद्ध संघों तथा सोसाईटियों के प्रतिनिधियों को नहीं जोड़ा गया है और उन्हें भी जोड़ा जाना चाहिये ? क्या मंत्री महोदय को इस सुझाव पर भी विचार करेंगे कि अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो कि विकलांग है तथा उनकी समस्याओं के बारे में भी समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिये ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे इस सम्बन्ध में सदस्य महोदय को यही निवेदन करना है कि उनकी जानकारी इस के बारे में सही नहीं है कि बाल श्रमिक संघों या संस्थानों से सम्बद्ध व्यक्तियों को समिति के साथ नहीं जोड़ा गया है। उनकी जानकारी इस मामले में ठीक नहीं है। समिति

का गठन इस प्रकार से किया गया है कि उस के साथ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, तथा बाल श्रमिक संगठनों तथा संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी समिति के कार्य के साथ जोड़ा गया है।

इसलिए यद्यपि समिति हर प्रकार से सुसंगठित समिति है, परन्तु फिर भी इस बात का उचित ध्यान रखा गया है कि बाल श्रमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को भी इसके साथ जोड़ा जाये ताकि उनके योगदान का लाभ उठाया जा सके।

श्री के० लकप्पा : यह अन्तराष्ट्रीय बाल वर्ष है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाल श्रमिक समिति की नियुक्ति के इलावा अन्य भी अनेक ऐसे उपाय हैं जिन्हें विधान द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है जैसे कि बच्चों को वस्त्र तथा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु तदर्थ वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था करना तथा बच्चों के शोषण को रोकने के लिए उपाय करना आदि। क्या रोजगार उपलब्ध करवाने, समाज द्वारा किये जा रहे शोषण को रोकने तथा बच्चों के विकास तथा प्रगति सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई और कार्यक्रम या विधान तैयार किया जा रहा है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अभी हम बड़ी आयु के बच्चों के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है तथा जो लोग इस वर्ष में बिगड़े हुये बच्चों तथा नौजवान बच्चों में रूचि रखते है आप उन्हें हर प्रकार के प्रश्न पूछने दीजिये। आप उन्हें पूरा प्रश्न पूछने से मत रोकिये। मेरा निवेदन यही है।

श्रीमान जी मेरे माननीय मित्र श्री लकप्पा ने कहा कि इस वर्ष के दौरान बच्चों से सम्बद्ध समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न व्यापक कार्यक्रम बनाये जाने चाहिये। जहां तक श्रम मंत्रालय का सम्बन्ध है, इसका कार्य मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करना है कि बाल श्रमिकों का शोषण न किया जाय तथा बच्चों को ऐसे व्यवसाओं में कार्य न करने दिया जाये जोकि उनके स्वस्थ्य के लिए हानिकारक हो तथा जिन बच्चों को बाध्य होकर काम करना पड़ता है तथा बच्चों को रोजगार करने के तुरन्त रोक पाना सम्भव नहीं है वहां उनकी व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विनियम बनाये जाने चाहिये। परन्तु इसके साथ ही अन्य ऐसे क्षेत्र भी है जहां कि यह कार्यक्रम चालू किये जा चुके हैं जैसे कि बच्चों की शिक्षा तथा उनके स्वास्थ्य आदि। इन क्षेत्रों में जो कार्यक्रम चालू किये जा चुके हैं, सम्भवतः उसकी रूपरेखा से सदस्य महोदय अवगत है। एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष भी सम्भवतः प्रधान मंत्री ही हैं और यह समिति बच्चों की शिक्षा, उनकी कठिनाईयों, तथा उनके स्कूल न जा पाने या स्कूल छोड़ देने सम्बन्धी उनकी समस्याओं, तथा उन्हे स्कूल की वर्दी, निशुल्क शिक्षा तथा निशुल्क पाठ्य पुस्तके आदि उपलब्ध करवाने के बारे में कार्यक्रम तैयार करेगे। अतः सरकार का प्रयास यही है इस वर्ष के दौरान बच्चों से सम्बद्ध समस्याओं से जूझने तथा हमारे समाज में बच्चों के विकास के लिए जो कुछ सम्भव हो सकता है, उसे जुटाने के लिए सरकार द्वारा व्यापक प्रयत्न किया जा रहा है··· **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि प्रायः

जब भी समितियों का गठन किया जाता है, तो प्रायः समिति ने जिस निर्धारित समय अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है, उस निर्धारित समय में वृद्धि की जाती है, परन्तु चूंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष है, अतः क्या यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समिति अपने छः महीने के निर्धारित समय में ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर हैं ? इसके साथ ही क्या वह हमें यह भी बतायेंगे कि इस समिति को दिये गये निदेश-पद क्या है और क्या उनको यह मालूम है कि यद्यपि वह समिति एक सुसंगठित समिति है तथा उसमें सभी राज्यों तथा केन्द्र के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया है परन्तु फिर भी उसमें सरकारी प्रतिनिधियों की तो भरमार है तथा उसकी तुलना में स्वेच्छिक संस्थाओं ने उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया है ? अतः क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह समिति के इस अभाव को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्रीमान् जी समिति को दिये गये निदेश इस प्रकार हैं :

(एक) वर्तमान कानूनों, उनकी पर्याप्तता तथा उनकी क्रियान्विति का अध्ययन तथा उनकी क्रियान्विति में सुधार करने तथा वर्तमान आभावों को दूर करने के बारे में सुझान देना ।

(दो) विभिन्न व्यवसाओं में लगे बाल श्रमिकों की संख्या आदि का पता लगाना, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना तथा रोजगार में लगे बच्चों को ऐसे रोजगार में शामिल होने से रोकने के बारे में सुझाव देना आदि ।

(तीन) रोजगार में लगे बच्चों के कल्याण के लिए उनके लिए प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना ।

श्रीमान् जी यह ठीक है कि कई बार समितियां निर्धारित समय से अधिक समय में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं चाहे वह समितियां संसदीय समितियां हों, या फिर अन्य समितियां । सरकार समिति के अध्यक्ष तथा समिति के सदस्यों का यह भरसक प्रयत्न रहेगा कि समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन निर्धारित समय में ही प्रस्तुत कर दिया जाये ।··· **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जी० मावलंकर : जहां तक सरकारी प्रतिनिधियों की तुलना में गैर-सरकारी प्रतिनिधियों के कम होने का सवाल है, उसके बारे में आपको क्या कहना है ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : श्रीमान् जी इस बात का अहसास तो हर कोई कर सकता है कि समिति में और अधिक सदस्यों को लिया जा सकता है । परन्तु इसके साथ ही हमें मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जहां समिति में सभी को प्रतिनिधित्व दिया जाये उसके साथ ही उसका आकार भी इतना वृहद ना हो तथा समिति सुगठित रहे और जहां तक हो सके इन तीनों का सही रूप से संतुलन बनाया जा सके ।

टर्मिनस स्टेशन के रूप में दम-दम जंक्शन

***973. श्री अमर राय प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दम-दम जंक्शन उत्तरी बंगाल, आसाम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से कलकत्ता की ओर आने वाली गाड़ियों के लिए टर्मिनस स्टेशन है और वहां लम्बी दूरी के यात्रियों को सुविधाएं प्रदान की जानी होती है ;

(ख) क्या सियालदह और हावड़ा स्टेशनों को स्थान की दृष्टि से पूर्ण घोषित किया गया है और वहां अधिक गाड़ियों को ठहराने के लिए स्थान नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो दम-दम जंक्शन पर जो सुविधाएं उपलब्ध की जानी हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जी नहीं ।

(ख) हावड़ा और सियालदह दोनों स्टेशनों से प्रारम्भ होने तथा वहां समाप्त होने वाली मेल/एक्सप्रेस, पैसेंजर तथा उपनगरीय गाड़ियों की भारी संख्या के कारण वर्तमान आदान तथा अनुरक्षण सुविधाओं पर भारी बोझ रहता है । फिर भी, सियालदह स्टेशन पर एक अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाने के प्रबन्ध किये गये हैं और हावड़ा पर गाड़ियों के समाप्त होने/प्रारम्भ होने के लिए टिकियापाड़ा और झील पर रेकों के अनुरक्षण को बढ़ाने से सम्बन्धित कुछ कार्यों के बारे मे योजना तैयार की जा रही है ।

(ग) दम-दम, दम-दम-टालीगंज मीटर रेल लाइन का उत्तरी टर्मिनल स्टेशन होगा । दम-दम स्टेशन के उपनगरीय प्लेटफार्मों और मेट्रो प्लेटफार्मों के बीच अदला-बदली सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री अमर राय प्रधान : श्रीमान् जी, जैसा कि आप जानते हैं, कलकत्ता भारत के उत्तरी भाग का एक प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र हैं । इतना ही नहीं यह पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में आता है और इसलिए पूर्वी बंगाल के लोग भी वहां प्रायः आते रहते हैं । परन्तु आसाम तथा पूर्वी बंगाल से कलकत्ता के बीच केवल तीन ही गाड़ियां चलती हैं जिनमें से एक गाड़ी सियालदह के लिए होती है तथा दूसरी हावड़ा के लिए । जब कभी भी हम अधिक गाड़ियों की मांग करते हैं तो मंत्री द्वारा यही उत्तर दिया जाता है कि सियालदाह तथा हावड़ा स्टेशनों पर यातायात पहले ही बहुत अधिक है तथा वहां और रेल गाड़ियां चलाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती । इतना ही नहीं उत्तर बंगाल तथा आसाम से आने वाले गाडियों को सियालदाह तथा हावड़ा स्टेशनों पर अपेक्षाकृत कम महत्व प्रदान किया जाता है ।

उपरोक्त परिस्थितियों के संदर्भ में मैं यह मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि :

(क) क्या सरकार सियालदाह तथा हावड़ा स्टेशनों के माडल नये सिरे से तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे कि उत्तर बंगाल तथा आसाम के यात्रियों के लिए और अधिक गाड़ियों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें ;

(ख) सियालदाह में नया प्लेटफार्म कब तक तैयार हो जाएगा ताकि उसका उपयोग वहां आने वाली गाड़ियों के लिए किया जा सके ?

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक इन दो स्टेशनों का संबंध है, उनके बारे में मूल प्रश्न यह था कि क्या हम दमदम स्टेशनों को एक अतिरिक्त टर्मिनल स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है। माननीय सदस्य महोदय का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि जहां तक सियालदाह तथा हावड़ा स्टेशनों का संबंध है वहां से चलने वाली तथा वहां समाप्त होने वाली गाड़ियों की संख्या दिनप्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप हम रेलवे स्टेशनों के दोनों ओर सांइडिग तथा प्लेटफार्म बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं तथा इसके लिए स्टेशन का माडल फिर से तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दमदम को मैट्रो का टर्मिनल बनाया जा रहा है और जब यह पूरा हो जायेगा तो हमारा विचार परम्पराखुर को अतिरिक्त टर्मिनल बनाने का है और जिसके परिणामस्वरूप हावड़ा तथा सियालदाह स्टेशनों की क्षमता बढ़ जायेगी और मैं समझता हूं कि ऐसा करने से समस्या का काफी हद तक समाधान हो जायेगा।

श्री अमर राय प्रधान : जहां तक मेरे प्रश्न के (क) भाग का संबंध है उसके बारे में मुझे यही कहना है कि यद्यपि मैंने स्वीकृति नहीं दी थी तो भी प्रश्न में सशोधन कर दिया गया। इस संबंध में मैं आपके 25 अप्रैल, 1979 के पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे ऐसा करते हुए खेद हो रहा है।

मैट्रो रेलवे 1984 तक चालू हो जायेगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि दमदम जंक्शन पर मैट्रो रेल यात्रियों तथा नगरीय क्षेत्रों के यात्रियों के अदला-बदली की सुविधाएं कब तक उपलब्ध करवा दी जायेंगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले भी अनेक बार दे चुका हूं परन्तु अब फिर दे देता हूं।

1984-85 में इसका प्रथम चरण पूरा हो जायेगा इसके दूसरे चरण के लिए भी हमें योजना आयोग द्वारा मंजूरी दे दी गई है और उसके लिए केवल एक वर्ष का समय अपेक्षित होगा तथा फिर दमदम स्टेशन मैट्रो रेलवे का टर्मिनल बन जायेगा। इसके साथ ही मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जहां तक सियालदाह प्लेटफार्म का संबंध है इसका कार्य लगभग पूरा होने वाला है और इसके फलस्वरूप यातायात में काफी सहायता मिल जायेगी।

कृष्णा नदी पर चार मार्गों वाले एक पुल के लिए आंध्र प्रदेश का प्रस्ताव

974. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(आंध्र प्रदेश सरकार ने विजयावाड़ा में कृष्णा नदी पर चार मार्गो वाले पुल के निर्माण की मंजूरी देने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी हां, राज्य सरकार के सुझाव की जांच करने के लिए आवश्यक आंकड़े हाल ही में प्राप्त हुए हैं। इन आंकड़ों से यानमार्ग की चौड़ाई निश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके निर्माण में पूंजी की रकम के बारे में वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं उन्हें सुन नहीं सका हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल लिखित उत्तर ही पढ़ा है जो कि आपको दिया जा चुका है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : परन्तु उनमें तो बहुत विलम्ब किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उसे कब तक कर दिया जायेगा।

श्री चांद राम : सबसे अन्तिम प्रस्ताव हमें आंध्र प्रदेश से 27 मार्च, 1979 को प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव विचाराधीन है। इसकी अनुमानित लागत 8 करोड़ रुपये से अधिक है। इसलिए इसमें कुछ समय का लगना स्वाभाविक ही है।

श्री० पी० राजगोपाल नायडू : इसमें किसी प्रकार की कोई तकनीकी कठिनाई नहीं है इसलिए आप इसे शीघ्र से शीघ्र क्यों नहीं करवा सकते ?

श्री चांद राम : जैसा कि मैंने उत्तर में बताया है, प्रश्न तो निर्माण कार्य के लिए अपक्षित संसाधन जुटाने का है। नये अतिरिक्त पुल के निर्माण की आवश्यकता को तो मैं स्वीकार करता हूं। परन्तु उसके लिए वित्तीय संसाधन भी तो आपेक्षित है।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : श्रीमान् जी, एक तटीय सड़क बनाने के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था...

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां कहां से आ गया?

श्री पी० वेंकटा सुब्बैया : यह पुल भुवनेश्वर से विजयवाड़ा तथा वहां से हैदराबाद तक बनाई जाने वाली प्रस्तावित सड़क का ही एक अभिन्न अंग होगा। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां बहुत अधिक भीड़-भाड़ रहती है तथा जिसके लिए ये योजना आंध्र-प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई है, यह पुल भी उसी योजना का ही एक अंग होगा या इस पुल के बारे में अलग से योजना तैयार की जायेगी?

श्री चांद राम : श्रीमान जी मुझे इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

जीवन की सम्भावित अवधि

*975. **श्री राम विलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय जीवन की सम्भावित अवधि कितनी है;

(ख) वर्ष 1950 के विभिन्न योजना अवधियों के दौरान जीवन की सम्भावित अवधि में क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार यह महसूस करती है कि विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और उन पर खर्च क गईराशि के परिणाम स्वरूप जीवन की सम्भावित अवधि में और वृद्धि होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जनसंख्या प्रोजेक्शन्स संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अनुमान लगाया है कि 1976-81 के पांच वर्षों में जन्म के समय जीवन की सम्भावित अवधि पुरुषों के लिए 52.6 वर्ष और महिलाओं के लिए 51.6 वर्ष आंकी गई थी ।

(ख) भारत में जीवन की सम्भावित अवधि का अनुमान पांच-पांच वर्ष के लिए लगाया जाता है न कि हर वर्ष के लिए । जनगणना के अनुसार जन्म के समय जीवन की सम्भावित अवधियों के जो अनुमान लगाए गए थे वे इस प्रकार हैं—

	1941-51	1951-61	1961-71
दशक का मध्य			
वर्ष	1946	1956	1966
पुरुष	32.5	41.9	46.4
महिला	31.7	40.6	44.7

(ग) जी हां। सरकार द्वारा चलाए गए ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, संचारी रोग नियंत्रण, टीका लगाने आदि जैसे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम जीवन की सम्भावित औसत अवधि को बढ़ाने में सहायक होंगे ।

श्री राम विलास पासवान : मैं मंत्री महोदय का ध्यान विश्व के चार पांच प्रमुख मुल्कों की ऐवेरेज उम्र के आंकड़ों की ओर दिलाना चाहता हूं । 1972 की गणना के मुताबिक इसरायल की ऐवेरेज उम्र 70 से 72 वर्ष, जापान की 70 से 75 वर्ष, चीन की 50 वर्ष ,श्री लंका की 64 से 66 वष, इटली की 73 वर्ष, यू० के० की 75 वर्ष और रूस की 74 वर्ष है । हमें खुशी है कि भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जहां 1941-51 की अवधि में हमारे देश की ऐवेरेज उम्र 32.5 वर्ष थी, वहां 1961-71 में वह बढ़कर 46.4 वर्ष हो गई है । लेकिन मैं मंत्रीं महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं वे किस आय वर्ग के लोगों के आंकड़े हैं । गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग तो बीस पच्चीस वर्ष की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं

और तीस साल के आते आते मर जाते हैं। क्या ये सब लोगों के मिले-जुले आंकड़े हैं, यदि हां, तो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की औसत उम्र क्या है ? बाल वर्ष की बहुत चर्चा की जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में बच्चों की औसत उम्र क्या है। उम्र का संबंध गरीबी से होता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के जीवन की अवधि को बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था करने जा रही है, या कर रही है।

श्री रवि राय : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के अन्तिम हिस्से को पहले लेता हूं। माननीय सदस्य ने हमारे देश की तुलना डेवेलप्ड कंट्रीज के साथ की है। अगर हम बंगलादेश, अफगानिस्तान और ईजप्ट जैसे डेवेलपिंग कंट्रीज के आंकड़े लें, तो बंगलादेश में जीवन की संभावित अवधि 35.8 वर्ष है, जबकि हमारी 51, 52 वर्ष है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जन-स्वास्थ्य मल्टी-परपज वर्कर्ज गांवों के गरीब तबके के लोगों के स्वास्थ्य की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग दारिद्रय की सीमा-रेखा के नीचे के लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल पर ज्यादा जोर दे रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि मंत्री महोदय किसी ठोस योजना के संबंध में बतलाते कि गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों के लिए क्या किया जा रहा है क्योंकि जितनी भी सुविधाएं आज उपलब्ध हैं चाहे डाक्टर की हों या और कोई हों, वह उन्हीं के लिए हैं जो बड़े लोग हैं, लेकिन खैर……

श्री मनीराम बागड़ी : खैर क्या मतलब है, पहला वाला ही लो। ये डा० लोहिया के शिष्य हैं, डा० लोहिया बतलाते थे कि बच्चों की मौत कम होने के कारण ऐसा हुआ है... **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो लाइफ इंश्योरेंस में जीवन आयु रखी गई है वह 1941 से 51 के बीच में जो लाइफ इक्सपेक्टेंसी थी उसके आधार पर रखी गई है और उसी के आधार पर प्रीमियम तय किया गया है, मंत्री महोदय ने कहा कि 1941-51 के बीच में जहाँ वह 30-35 थी वहां अब वह बढ़ कर के 46 हो गई है और यह कहते हैं कि प्रति व्यक्ति अब जोखिम कम हो गया है तो अब जो प्रीमियम है उसमें अन्तर पड़ना चाहिए, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या स्वस्थ्य मंत्रालय ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस संबंध में कोई वार्तालाप किया है जो जीवन-आयु में अन्तर पड़ा है उस को देखते हुए वह प्रीमियम जो निर्धारित करते हैं उसमें अन्तर लावें।

अध्यक्ष महोदय : वह वित्त मंत्री को सूचित कर रहे हैं। वह कुछ नहीं कर सकते।

श्री रविराय : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कोई वार्तालाप फाइनेंस मिनिस्टर के साथ नहीं हुआ है।

श्री बी० पी० मण्डल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में जीवन की सम्भावित अवधि कहीं अधिक होती है क्योंकि शहरों में

काफी मात्रा में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। जबकि ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में एक भी अस्पताल नहीं है। कृपया हमें इस बारे में आंकड़े दीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की संभावित अवधि क्या है तथा शहरों में कितनी है। क्या यह सही नहीं है कि जीवन की संभावित अवधि शहरों की तुलना में ग्रामों में बहुत कम है। और यदि हां तो सरकार इस मामले में सुधार करने के लिए क्या कदम उठा रही है।

श्री रविराय : मैं श्री पासवान द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। मैंने बता दिया है कि क्या-क्या कदम उठाये गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या शहरी क्षेत्रों में जीवन की सम्भावित अवधि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है ?

श्री रविराय : मैंने बता दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का संबंध है उनकी जीवन सम्भावित अवधि बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए हमने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना, प्रशिक्षण योजना तथा स्वास्थ्य शिक्षा योजना आदि चलाई हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कह दूं कि 5405 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई है और अभी हमें 115 ब्लाकों की स्थापना भी करनी है। हम 5405 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कर चुके हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन-स्वास्थ्य की देख-भाल करेंगे।

श्री बी० पी० मण्डल : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि आपको किसी के संरक्षण की जरूरत है। आप यह जानना चाहते थे कि क्या शहरी लोगों की जीवन सम्भावित अवधि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की तुलना में अधिक है।

श्री रविराय : मैंने कहा कि श्री मंडल यह बात जानते हैं। यह औसत है।

श्री विनोद भाई बी सेठ : उत्तर में उल्लेख किया गया है कि पुरुष की तुलना में नारी की जीवन सम्भावित अवधि एक वर्ष कम है। क्या यह भेदभाव ईश्वर का ही किया हुआ है या ऐसा किया गया है क्या आपने असली कारण का पता लगाया है ? क्या आपने राजनीतिज्ञों की जीवन अवधि का पता लगाया है ?

श्री रविराय : अध्यक्ष महोदय इसकी जांच करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें विशेष सर्वेक्षण करना पड़ेगा।

डा० सुशीला नायर : यह सही बात है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इंश्योरेंस पालिसी का है। मैं यह जानना चाहती हूं कि जब 1962 और 64 के बीच लाइफ

एक्सपैक्टेंसी मर्दों की 52 और स्त्रियों की करीब 51 इस देश में हो गई थी । अब 46 का आंकड़ा दिया गया है । तो क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन वर्षों में कम हो गई है और अगर कम हो गई है तो उसका क्या कारण है ? क्या इन्फेंट मार्टेलिटी बढ़ी है या कोई और कारण है, यह मैं जानना चाहती हू ।

श्री रवि राय : इंफेंट मार्टेलिटी के बारे में इतना ही कहता हूं कि इंफैन्ट मार्टेलिटी कई स्टेट्स में ज्यादा है—सुशीला जी भी इस बात को जानती हैं—और चूंकि यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय शिशु वर्ष है इसलिए हम इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि किस तरह से इंफैन्ट मार्टेलिटी को कम किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 9761 श्री आर० कोलन थाइवेलु उपास्थिति नहीं हैं, प्रश्न संख्या 977 ।

श्री वसंत साठे : क्या आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि श्रीमती सुशीला नायर चुपचाप हैं ? (**व्यवधान**) सम्भावित जीवन अवधि 61 से घटकर 41 हो गई है । उन्होंने इसका भी उत्तर नहीं दिया है और आप इस बारे में चुपचाप हैं ।

भागलपुर और दिल्ली के बीच नई रेल गाड़ी चलाना

***977. डा० रामजी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए भागलपुर और दिल्ली के बीच नई रेल गाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार कम से कम विक्रम शिला गाड़ी को प्रतिदिन चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) सप्ताह में दो बार चलने वाली 167/168 विक्रमशिला एक्सप्रेस में इस समय जितना स्थान उपलब्ध है, उसका पूरा उपयोग भागलपुर से नहीं हो रहा है । इसलिए, इस गाड़ी की बारम्बारता बढ़ाने अथवा दिल्ली और भागलपुर के बीच कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है

डा० रामजी सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकुशल मंत्री जी की हमारे उधर ऐसी इमेज बन गई है कि जब भी भागलपुर क्षेत्र के विषय में सवाल पूछा जाता है तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि यह नहीं होगा । एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था :

अतिरिक्त गाड़ियों की मांग की गई है, लेकिन अतिरिक्त गाड़ियों को चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । विद्यमान गाड़ियों को चलाने में सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास किए

जा रहे है । और जब मैंने रेग्युलैरिटी का समय पूछा तो उन्होंने जवाब दिया इस सेक्शन के बारे में—कि केवल 37 परसेंट गाड़ियां समय पर आती हैं जबकि दूसरी जगह 87 परसेंट् समय पर गाड़ियां आती हैं। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह क्षेत्र बड़ा पिछड़ा हुआ है, आपने सर्वोदय एक्सप्रेस चलाई है लेकिन सर्वोदय अंत्योदय से शुरू होता है । क्या में मन्त्री जी से जान सकता हूं कि इस क्षेत्र में जहां कोई गाड़ी नहीं है, तिनसुखिया में केवल 8 सीटें आपने दी हैं, 13 अप पसेंजर से भी वह रद्दी है और विक्रमशिला को सप्ताह में केवल दो दिन ही रखा है तो हमारी केवल इतनी मांग है क्या सप्ताह में सातो दिन इस गाड़ी को चलाने का आश्वासन आप देंगे ? यदि आप यह आश्वासन दे देंगे तो मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछकर आपको उत्तर देने का कष्ट नहीं दूंगा ।

प्रो० मधु दंडवतें : श्रीमान्, माननीय सदस्य की शिकायत यह है कि हर वक्त जो सवाल पूछते हैं उसका वही जवाब दिया जाता है, अगर सवाल वही रहता है तो जबाब भी वही रहेगा और इस समय भी वही जवाब दे रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : गल्ती मेरी है कि मैंने अनुमति दी है ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं अध्यक्ष पीठ पर छींटा कसी नहीं कर सकता ।

मान्यवर, मै माननीय सदस्य का ध्यान इस जानकारी की तरफ खींचना चाहता हूं कि दिल्ली भागलपुर मार्ग पर सप्ताह में दो बार चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस है दिल्ली मुजफ्फरपुर मार्ग पर सप्ताह में दो बार चलने वाली जयन्ती जनता एक्सप्रैस है, दिल्ली-पटना मुकामा के रास्ते पर चार गाड़ियां हैं और अन्य दो दिनों में हावड़ा न्यू डेलही ए सी एक्सप्रेस पटना से होकर चलती है । इस तरह से 6 दिन का इन्तजाम हैं । साथ ही साथ माननीय सदस्य का ध्यान इस जानकारी की तरफ भी में दिलाना चाहता हूं कि जहां तक अकूपेंसी का सवाल है, भागलपु र स्टेशन के सिलिसिले में 167 दिल्ली जाने वाली गाड़ी में भागलपुर में अकूपेंसी 37 परसेंट है और 168 में 22 परसेंट है। जब तक यह हालत है और अगर उसमें कोई गलती नहीं हैं तबतक कोई नयी गाड़ी शुरू करने का सवाल नहीं है । लेकिन आगे चलकर जैसे कि आबादी बढ़ती है, वहां भी अगर यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो हम विचार करेंगे ।

डा० रामजी सिंह : मुझे संतोष है कि मन्त्री जी विचार करेंगे । लेकिन उन्होंने जो फीगर्स दी हैं वह उस लाइन को छोड़कर दी है । क्यूल-बहरवा लाइन जो है, मंत्री जी को भी जानकारी है कि 15-10-1860 में यह लाईन बनी थी । उसके बाद 30 गुना आबादी बढ़ गई है और मैं तो आप से केवल एक छोटी सी विनती कर रहा हूं कि यह जो दो दिन हैं, इसको सब दिनों के लिए कर दीजिए । आप ने कहा है कि जनसंख्या बढ़ेगी, तो हम सोचेगें लेकिन वहां तो 110 वर्षों में 30 गुना आबादी बढ़ गई है ।

प्रो ० मधु दंडवते : माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने देश की जनसंख्या का जिक्र नहीं किया है, मैंने तो यात्रियों की जनसंख्या का जिक्र किया है और जो आंकड़े मैंने

दिये हैं, वे जो टिकट बेचे गये हैं और डिब्बों से जो यात्री आए हैं, उनकी तादाद मैं ने रखी है। मैं उन को यह आशवासन देना चाहता हूं कि यात्रियो की संख्या बढ़ने पर हम इस पर विचार कर सकते हैं लेकिन अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार को छोड़ कर अधिकांश राज्यों की राजधानियां दिल्ली से तेज सुधार फास्ट गाड़ियों द्वारा जोड़ी गई हैं। जब दिल्ली को दूसरे राज्यों की राजधानियों से जोड़ा गया है, तो फिर पटना को, जो बिहार की राजधानी है, रोज के लिए क्यों नहीं दिल्ली से तेज (सुपर फास्ट) गाड़ी द्वारा जोड़ा जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नहीं उठता

श्री आर० एन० राकेश : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इलाहाबाद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इलाहाबाद जंक्शन एक बहुत बड़ा जंक्शन है और 14 एम० पीज वहां से आते हैं लेकिन तिनसुखिया मेल में इलाहाबाद के लिए कोई कोटा मंत्री जी ने क्यों नहीं दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों पर श्रम उत्पादकता

978. श्री डी० डी० देसाई : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों पर श्रम उत्पादकता में कमी पत्तनों पर भीड़भाड़ का मुख्य कारण है,

(ख) यदि हां, तो श्रम उत्पादकता में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) गत 10 वर्षों में पत्तनों के श्रमिकों की उत्पादकता में सापेक्ष परिवर्तनों के मुकाबले में उनकी मंजूरी में कितनी सापेक्ष वृद्धि हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पत्तनों पर जमाव विभिन्न कारणों पर निर्भर है जैसे घाटों की संख्या, घाटों पर समुद्र की गहराई, माल को रखने उठाने की मशीनें जैसे क्रेन, फार्क लिफ्टें, भारी माल को रखने उठाने की सुविधाएं इत्यादि, मौसम, सामान की किस्म, जहाजों की किस्म, पोत वणिकों द्वारा माल की निकासी और श्रम उत्पादकता।

(ख) बंबई, मद्रास, विशाखापत्तनम, कोचीन मारमुगाओ और कांडला पत्तनों पर मौजूदा उजरत दर की योजनाओं में संशोधन कर अधिक अच्छे प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है। इस बारे में कलकत्ता पत्तन में बातचीत चल रही है। इसके अतिरिक्त पत्तनों पर माल को रखने उठाने के लिए अधिक मशीनें प्राप्त करने और उनके अनुरक्षण में सुधार लाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) बंबई, कलकत्ता और मद्रास जैसे बड़े बड़े पत्तनों पर पत्तन और गोदी कर्मचारियों की भत्तों सहित न्यूनतम आय जिसमें उजरत दर योजना के अधीन होने वाली आय और समयोपरि भत्ते से होने वाली आय शामिल नहीं है, पहली जनवरी, 1979 के 202.00 रु० प्रतिमास से बढ़कर पोर्ट ट्रस्ट वाले सभी बड़े पत्तनों पर पहली जनवरी, 1979 को 476.80 रुपये प्रतिमास हो गई। इस अवधि में पोर्ट ट्रस्ट वाले विभिन्न बड़े बड़े पत्तनों पर श्रम की उत्पादकता में अन्तर के संबंभ में आंकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

श्री डी० डी० देसाई : सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है, वह बिल्कुल असंगत है और जो प्रश्न पूछा गया है, उसका समुचित उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है कि क्या पत्तनों पर श्रमिकों की उत्पादिकता घट गई है जिसके फलस्वरूप देश के महत्वपूर्ण पत्तनों पर भीड़-भाड़ बढ़ गई है। उन्हें पता है, कि आयात तथा निर्यात व्यापार की हानि, अधिभार, ब्याज, बीमा, जहाज प्रतीक्षा प्रभार आदि के रूप में हमें करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है, मैं चाहता हूं कि वह इसका उत्तर दें। उसके बाद मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उसे भी पूछ लीजिए।

श्री डी० डी० देसाई : मंत्री जी कहते हैं कि प्रमुख पत्तनों पर भीड़-भाड़ का कारण मुख्यता उपकरणों या अन्य बातों के कारण नहीं है और उनका दावा है कि इन पत्तनों को आधुनिकी बनाया जा रहा है। क्या उत्पादिकता बढ़ाई जायेगी ताकि हम प्रतिदिन 10,000 टन या उससे अधिक माल को उतार या चढ़ा सकें। हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से पिछड़ क्यों रहे हैं। मंत्री जी ने कहा है कि प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त भुगतान करने से उत्पादिकता बढ़ेगी अर्थात माल उतारने-चढ़ाने का काम अधिक तेजी से होगा। क्या वह इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं ?

श्री चांदराम : गत 10 वर्षों में बड़े-बड़े पत्तनों पर श्रम-उत्पादिकता में परिवर्तन का कोई विधिपूर्वक तथा वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन नहीं हुआ है। किन्तु इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि कुछ पत्तनों पर श्रम उत्पादिकता में गिरावट आई है। मैंने अपने उत्तर में भीड़भाड़ होने का कारण बता दिया है। मैंने अपने उत्तर में यह भी बता दिया है कि हमने श्रमिकों की मजूरी बढ़ाई है। उत्पादिकता बढ़ाने के लिए हम प्रोत्साहन के रूप में उन्हे भुगतान कर रहे हैं। किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा हैं कि मेरी आम धारणा यह है कि श्रम उत्पादिकता नहीं बढ़ी है। माल ढोने का कार्य कई बातों पर निर्भर करता है। इसके लिए आधुनिक उपकरण जैसे कि आधुनिक क्रेनें आदि चाहिएं। इस मामले में हम पिछे हैं। हाल ही में मंत्रि-मंडल ने मंत्री-मंडल के कुछ सदस्यों की एक उप-समिति बनाई है, और उस समिति को इस मामले का पता है। हमने

मेहता समिति के कतिपय सुझावों को ध्यान में रखा है और यदि उन सुझावों को कार्यान्वित किया जाये तो हमें आशा है कि हम उत्पादिकता बढ़ा सकते हैं ।

श्री डी० डी० देसाई : श्रीमान यह सर्वविदित है कि विश्व में अन्य देशों की तुलना में भारतीय पत्तनों पर जलयानों को लाना-ले जाने की समस्या सबसे विकट है । हम विश्व में पत्तन कार्यों के संचालन में सबसे पीछे हैं । अब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने श्रमिकों को प्रोत्साहन दिया है । किन्तु उत्पादिकता में गिरावट आई है । अन्य शब्दों में वह तथाकथित प्रोत्साहनों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं । क्या यह सुनिश्चित करने के लिए उनके पास कोई तंत्र है जो प्रोत्साहन के रूप में उन्हे जो पैसा दिया जाये वह ढोए गए माल की मात्रा के अनुसार हो । ऐसा करने में समय का भी ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि इस उद्योग के लिए समय एक महत्वपूर्ण बात है । एक बात तो यह है, और दूसरी बात यह है कि वह स्वयं कह रहे हैं कि पत्तनों को सुधारा जा रहा है । हमारा समूचा आयात-निर्यात व्यापार गंभीर कठिनाइ में है क्योंकि पत्तनों पर कुप्रबन्ध है । मैं जानना चाहता हूं कि वह श्रम उत्पादिकता में सुधार करने के लिए कौन-कौन से कारगर कदम उठा रहे हैं । (**व्यवधान**) । मेरा मतलब यह है कि वह कौन-कौन से ठोस कदम उठा रहे हैं, ताकि वह यह सुनिश्चित कर सकें कि हमारी पत्तन उत्पादिकता आदि में काफी सुधार हो सके ।

श्री चांद राम : श्रीमान उन्होंने तीन प्रश्न उठाये हैं । एक प्रश्न उपकरण के बारे में है, जिसकी जरूरत हमें पत्तन के लिए है । में पहले ही कह चुका हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि पत्तनों में सभी अपेक्षित उपकरणों को उपलब्ध किया जाये । दूसरे, उन्होंने कहा है कि श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के बावजूद भी, हम श्रम-उत्पादिकता को नहीं बढ़ा पाये हैं । यह निर्णय केवल 2-3 महीने पहले किया गया है और जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि 1 जनवरी, 1969 को 202 रुपए प्रति माह दिए जाते थे जो कि अब बढ़ाकर 476.88 रुपए कर दिया गया है । हमारा लक्ष्य श्रमिकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाना है—

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत जटिल प्रश्न है और इसके लिए अधिक ब्यौरों की जरूरत है । मैं नहीं समझता कि अनुपूरक के रूप में वह इसका उत्तर दे सकते हैं ।

श्री डी.डी. देसाई : श्रीमान यह तो मैं मानता हूं, किन्तु यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने उन्हें काफी जानकारी दे दी है ।

श्री डी.डी. देसाई : किन्तु श्रीमान मैं केवल इस बात से चिंतित हूं कि यह उपकरण के कारण ही नहीं है । जब वह श्रमिकों को प्रोत्साहन के लिए पैसा दे रहे हैं तो उसे उस पर अतिरिक्त धन को देने का क्या औचित्य है ?

श्री चांद राम : जब से यह निर्णय लिया गया है, तबसे श्रम उत्पादिकता में थोड़ा सा सुधार हुआ है, किन्तु हम इसे और बढ़ाना चाहते हैं और पत्तनों पर भीड़भाड़ को कम करने की यही एक मात्र विधि है ।

नौवहन विकास निधि समित को ऋण के लिए आवेदन पत्र

980. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ऋण के लिए नौवहन विकास निधि समिति को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को विभिन्न आर्थिक मंत्रालय तथा विभागों के माध्यम से भेजने की पहली प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) नौवहन कंपनियां ऋण प्राप्त करने के लिए नौवहन विकास निधि समिति को हमेशा से सीधे ही आवेदन पत्र भेजती आई हैं। इसलिए इस प्रथा को रोकने का प्रश्न ही नहीं होता जिसका कि उल्लेख प्रश्न में किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं जानना चाहता हूं कि सीधे ही आवेदन पत्र भेजने तथा आर्थिक मंत्रालयों के माध्यम से ऋण लेने की इन दो प्रणालियों में तुलनात्मक रूप में कौन सी आर्थिक लाभदायक प्रणाली है। इन दोनों में क्या अन्तर है। मैं जानना चाहता हूं कि पहले वाली प्रणाली-बेहतर थी अथवा नहीं; यदि वह बेहतर थी तो अब भी उसे ही क्यों नहीं चलाया जा रहा है ?

श्री चांद राम : एक नियमित नौवहन विकास समिति का गठन किया हुआ है जिसमें सभी मंत्रालयों को प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के सचिव इस समिति के चैयरमैन हैं। वह सीधे आवेदन पत्र प्राप्त करते हैं, और उन्हें निपटा देते हैं। निस्संदेह इस समिति में वित्त मंत्रालय तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है। निर्णय समिति द्वारा किए जाते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : एप्लीकेशन देने के बाद पैसा देने में कितना समय लगता है ? जब देर से पैसा मिलता है तो जो शिपिंग का कास है वह घाटे में चलने लग जाता है। क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था करने वाले हैं ताकि उनको पैसा जल्दी मिल जाया करे ?

श्री चांद राम : किसी एप्लीकेशन के मिलने के बाद ज्यादा देर तो नहीं लगनी चाहिए। तीन महीने के करीब अर्से में फैसला हो जाता है। चूंकि पब्लिक मनी इनवाल्व्ड होता है और पहले भी काफी पैसा इन कम्पनीज को पब्लिक फंड से दिया जा चुका है इस वास्ते देखना पड़ता है कि आया और ज्यादा पैसा सरकारी खजाने से दिया जाये या नहीं। लिक्विडिटी प्राबलैम, कैश फ्लो प्राबलैम, रीपेइंग कैपेसेटी वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। पब्लिक फंड्ज को किस तरह से दिया जाए, कितने अर्से के लिए दिया जाए, यह सब देखना होता है और इसमें देर लग जाती है।

ईरान में भारतीय नर्सें

*** 987. श्री एस० एस० सोमानी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय ईरान में कार्य कर रही भारतीय नर्सों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से ऐसी नर्सों की संख्या कितनी है, जो उस देश की राजनैतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत में वापस आने की इच्छुक हैं;

(ग) ऐसी भारतीय नर्सों की संख्या कितनी है जो अब तक भारत वापस आ चुकी हैं; और

(घ) ईरान से भारतीय नर्सों को वापस लाने और देश के विभिन्न अस्पतालों में उन्हें रोजगार उपलब्ध करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) अगस्त, 1978 में तेहरान में हमारे दूतावास के पंजीकरण रिकार्डो के अनुसार उस दूतावास में 239 नर्सें पंजीकृत थीं। अगस्त, 1978 में 34 नर्सों का एक और दल वहां पहुंच गया था।

(ख) और (ग) : वर्तमान स्थिति के कारण अब तक चार भारतीय नर्सों ने भारत वापस आने की इच्छा प्रकट की है। हमारे दूतावास ने उनके नाम ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास उन्हें छोड़ने के लिए भेज दिए हैं। उन्हें शीघ्र ही रिलीज किए जाने की संभावना है।

(घ) पिछले दो वर्षों में के नौकरियों के लिए विदेशों में चले जाने के कारण देश में नर्सों की भारी कमी नहीं हुई है। इसलिए भारतीय नर्सों को वापस लाने और उन्हें देश के विभिन्न अस्पतालों में खपाने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाने के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री एस० एस० सोमानी : आपने बताया है कि लगभग 273 नर्सें ईरान में काम कर रही हैं। ये नर्सें कितने वर्षों से वहां काम कर रही हैं और जो स्थिति ईरान में इस समय है उस में क्या केवल चार नर्सों ने ही वापिस भारत आने का इरादा प्रकट किया है ?

श्री रवि राय : 1977 में 193 और 1978 में 887 और इस प्रकार से कुल 1080 नर्सें ईरान में अभी हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध हैं हो सकता है उनको वहां सुविधायें ज्यादा मिलती हों इस वास्ते वे आना न चाहती हों। यह जाहिर बात है

श्री एस० एस० सोमानी : मंत्री महोदय ने बताया है कि 273 नर्सों को पंजीकृत किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि किस किस प्रदेश की कितनी कितनी नर्सें हैं और क्या यह सच नहीं है कि गरीबी के कारण बैक्वर्डनैस के कारण उनको ईरान ले जाया गया है ?

श्री रवि राय : राज्यवार नर्सों की संख्या जानने के लिए मुझे नोटिस चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 988 अनुपस्थित श्री वी० के० चन्द्रप्पन खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्रम से चलना है।

कोचीन एलेप्पी लाइन का विस्तार

***984. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी हैं कि कोचीन एलेप्पी रेल लाइन का जिसके निर्माण कार्य का हाल ही में उद्घाटन हुआ हैं, पूरी होने के बाद अर्थ व्यवस्था तथा यातातात के लिए पूरी तरह तभी उपयोग किया जा सकता है जब इस लाइन की एलेप्पी से कायम गुलाम तक आगे बढ़ाया आये और इसे मुख्य त्रिवेन्द्रम-एरणाकुलम लाइन से मिलाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की ओर सरकार का ध्यान गया है और क्या सरकार एलेप्पी लाइन का वर्तमान निर्माण कार्य पूरा होने से पहले इस मामले में निर्णय करेंगी ;

(ग) क्या एलेप्पी से कायम गुलाम तक रेल लाइन बढ़ाने के बारे में अब तक कोई व्यवहार्यता तथा तकनीकी आर्थिक-सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) एलेप्पी लाइन का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है और वास्तविक निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही पहले ही की जा चुकी हैं ?

रल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एणांकुलम और अलिप्पी के बीच जिस वर्तमान लाइन की स्वीकृति दी गयी है वह अपने आप में एक अर्थक्षम परियोजना है और यह अलेप्पी और उसके आस-पास के क्षेत्रों तथा उसके मार्ग/में पड़ने वाले पिछड़े क्षेत्रों की आवश्तकताओं को पूरा करेगी।

(ख) रेलवे ने पहले से ही इस बात का ध्यान रखा है कि जब एणांकुलम-तिरुवनन्तपुरम मार्ग संतृप्त स्थिति को पहुंच जाये, तब यातायात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए एर्णाकुलम-अलेप्पी लाइन को एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में कायमकुलम तक बढ़ा दिया जाये।

(ग) जी नहीं। जैसा ऊपर कहा गया हैं, इस काम को उचित समय पर शुरू किया जायेगा :

(घ) अन्तिम मार्ग निर्धारण सेर्वेक्षण तथा निर्माण चालू वर्ष के दौरान प्रारम्भ किया जायेगा। इस लाइन के निर्माण के लिए, जिस पर लगभग 7 करोड़ रुपये लागत आने का

अनुमान है, चालू वर्ष में एक करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। यदि धन उपलब्ध हुआ तो 3-4 वर्ष में इस लाइन के पूरे हो जाने की आशा की जाती है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्री मान विवरण में मंत्री महोदय ने बताया है कि कायाकुलम तक रेल लाइन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बेहत्तर नहीं है कि हम काफी समय पहले निर्णय ले लें ताकि लाइनों के निर्माण के पश्चात हम इन लाइनों को जोड़ सकें। क्योंकि आपने ही कहा कि यह लाइन विकल्प के रूप में काम करेगी और इससे उस क्षेत्र में रेल के विकास में सहायता मिलेगी। आपने यह भी कहा है कि कोचीन-अलेपी रेल लाइन का निमणि चार या पांच वर्षों में पूरा हो सकेगा।

प्रो० मधु दंडवते : विस्तार के बारे में मैंने अपने उत्तर में पक्का वचन नहीं दिया है। यदि आप ठीक से देखेंगे तो पता चलेगा कि मैंने इसके विस्तार के पक्ष में अपना विचार व्यक्त किया है। वह केवल यह चाहते कि हम अग्रिम रूप से इसके लिए धन की व्यवस्था करें। जब तक हम इसके लिए अग्रिम रूप से वित्तीय व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हम अग्रिम रूप से इसके विस्तार की व्यवस्था नहीं कर सकते इसीलिए मैंने ठोस उत्तर नहीं दिया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री जी ने कहा है कि मैं लाइनों के विस्तार के पक्ष में हूं। इसलिए मैं दूसरा प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। मुझे आशा है कि वह इस बात को ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आज ऐसा अवसर है जबकि मैं प्रत्येक सदस्य को प्रश्न पूछने का मौका दे सकता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय नौवहन

970. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में भारतीय नौवहन का विकास उपयुक्त स्तर का नही है,

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय जहाजों से देश का केवल 28 प्रतिशत व्यापार किया जाता है, और

(ग) यदि हां, तो भारतीय नौवहन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है,

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी नहीं। कुल भारतीय नौवहन टनभार, जो स्वतन्त्रता से पूर्व 1 92 लाख जी आर टी था, 1 अप्रैल, 1979 को बढ़कर 55.58 लाख जी आर टी हो गया।

(ख) और (ग) : नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1977-78 में भारतीय जहाजों ने राष्ट्रीय व्यापार माल के 38.76 प्रतिशत की ढुलाई की। परन्तु भारतीय जहाजों में अधिकाधिक राष्ट्रीय माल ले जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस बात पर समय समय पर जोर दिया है कि जहां तक संभव हो सके सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित माल की ढुलाई भारतीय जहाजों के जरिए की जाए। विभिन्न माध्यमों और फोरमों से अर्थात् अखिल भारतीय पोत वणिक परिषद और इसके क्षेत्रीय संघों के जरिये सरकार प्राइवेट भारतीय पोत-वणिकों से अनुरोध और अपील करती है कि वे भारतीय जहाजों का ही इस्तेमाल करें।

निर्माण एककों का आधुनिकीकरण

*971. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय का उसके नियंत्रणाधीन निर्माण एककों के आधुनिकीकरण का कार्यक्रम देशी उपकरणों की अपेक्षा आयातित उपकरणों पर अधिक आधारित है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में देशी उपकरणों की तुलना में आयातित उपकरण कितने होंगे तथा उसकी कीमत कितनी है ;

(ग) अधिक आयात पर आधारित कार्यक्रम बनाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) देशी उपकरणों की उपलब्धता के हित में कम उपकरण आयात करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क(जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

औरंगाबाद मनमाड़ मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*972. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औरंगाबाद मनमाड़ मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में विकसित किया जा रहा है और इसके लिए 80 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना पर कार्य आरम्भ हो गया है;

(ग) पुरानी लाइन हटाने और नई बड़ी लाइन की व्यवस्था करने में कितनी व्यय होगा; और

इतना अधिक व्यय करके इस लाइन को बदलना आवश्यक क्यों समझा गया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) औरंगाबाद मनमाड खंड की बड़ी लाइन में बदलने के लिए मनमाड परभनो/पुरली बैजनाथ परियोजना के आमान परिवर्तन के प्रथम चरण के रूप

में लिया जा रहा है। इस सम्पूर्ण परियोजना पर लगभग 31 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमोदन दिया गया है।

(ख) जी हां,

(ग) मनमाड और औरंगाबाद के बीच आमान परिवर्तन पर लगभग 16 करोड़ रु० खर्च होने की संभावना है।

(घ) इस लाइन के आमान परिवर्तन को महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा जैसे पिछड़े क्षेत्र में रेल सेवा की आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया गया है ताकि महाराष्ट्र के अन्य भागों को देश के शेष भागों के साथ सीधी बड़ी लाइन द्वारा जोड़ा जा सके।

तमिलनाडु में सड़कों की स्थिति में सुधार करने के लिए अधिक धनराशि का आवंटन

976. **श्री आर० कोलनथाइवेलु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु में सड़कों की स्थिति में सुधार करने के लिए धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने के तमिलनाडु सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ हैं,

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार में केवल 30 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

रेल कर्मचारियों द्वारा 1-4-79 से धीमी गति से तथा नियमानुसार काम करने का आन्दोलन

***979. श्री एम० वी चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों ने बोनस तथा अन्य सुविधाओं की अपनी मांगों पर जोर देने के लिए 1 अप्रैल से धीमी गति से तथा नियमानुसार काम करने का आन्दोलन शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तों क्या उक्त निर्णय से रेलगाड़ियों के चलने पर कुप्रभाव पड़ा है और रेलवे को भी भारी हानि हुई है;

(ग) क्या इसके कारण वैगनों के आवागमन तथा उनकी उपलब्धता में भी विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन के लिए प्रादेशिक सेना की सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय किया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

मांगे पूरी कराने के लिए किसी भी क्षेत्रीय रेलवे पर 'धीरे काम करो' या 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन अथवा काम बिल्कुल बन्द कर देना नियोजित आधार पर ,बड़े पैमाने पर अभी शुरू नहीं हुआ है ।

2. इंटक से सम्बद्ध नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन की कार्यकारिणी समिति ने अपनी 25 मार्च, 1979 की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें उससे सम्बद्ध सभी यूनिटों को यह निर्देश दिया गया है कि वे बोनस तथा अन्य मांगों के प्रश्न पर 31 मई, 1979 की मध्य रात्रि से पूर्व हड़ताल का नोटिस अपने-अपने क्षेत्रीय रेल प्रशासनों को दें । किन्तु, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन ने हाल में 26-4-79 को एक प्रस्ताव पास किया है जिसके द्वारा उन्होंने अपना हड़ताल का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है ।

3. आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन ने हड़ताल के लिए अभी मतदान नहीं कराया है जोकि किसी यूनियन या फेडरेशन द्वारा यह निर्णय करने के लिए कि हड़ताल का नोटिस दिया जाय या नहीं, एक प्रारम्भिक शर्त है ।

4. आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन ने अपनी प्रमुख मांगों के रूप में मई, 1974 की हड़ताल के समय 6 सूत्री चार्टर प्रस्तुत किया था । उस चार्टर में एक मांग बोनस के लिए थी । इस महासंघ ने फरवरी, 1979 में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें यह कहा गया था कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गयीं तो 8 मई, 1979 से 'नियमानुसार काम करो' के रूप में सीधी कार्रवाई की जायेगी । किन्तु अभी तक कोई औपचारिक नोटिस नहीं मिला है । महासंघ को 'नियमानुसार कार्य' आन्दोलन न करने के लिए अनौपचारिक रूप से बातचीत की जा रही है ।

5. सरकार यह आश्वासन देना चाहती है कि बातचीत के द्वार हमेशा खुले हैं तथा विभिन्न मद्दों को बातचीत के द्वारा निपटाने के लिए कोई कसर नहीं रखी जायेगी ।

6. कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा, मुख्यतः पूर्व रेलवे पर धीरे काम करो तथा नियमानुसार काम करो आन्दोलन चलाया गया था जिसके परिणामस्वरूप 19-3-79 से 11/12-4-79 तक गाड़ी परिचालन पर आंशिक रूप से दुष्प्रभाव पड़ा था । मध्य, उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलों पर भी यह आंदोलन शुरू किया गया था, किन्तु यह कुछ खंडों तक ही सीमित था तथा उसका गाड़ी

परिचालन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा तथा इन आंदोलनों के कारण गाड़ी परिचालन में अब कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है।

7. तात्कालिक प्रबन्ध के रूप में रेलों की प्रादेशिक सेना की कुछ यूनिटों को तैयार रहने के लिए कहा गया है जिनका उपयोग अचानक कोई हड़ताल होने अथवा माल डिब्बों या अन्य संचलनों में बाधा उत्पन्न कर राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालने वाली अव्यवस्था पैदा करने पर किया जायेगा।

नर्मदा परियोजना के लिए रेलवे लाइन को बदलना

***981. श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नर्मदा परियोजना पर कार्य आरम्भ होने के परिणामस्वरूप नवगांव स्थित बांध स्थल पर, जो छोटा उदयपुर-प्रतापनगर और छुछापुर तनाखला छोटी लाइन के टर्मिनल तनाखला से केवल 10 किलोमीटर दूर है, तेजी से निर्माण सामग्री ले जाने की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे पर छोटा उदयपुर-प्रताप नगर और छुछापुरा-तनाखला के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना इस समय आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है लेकिन नर्मदा परियोजना के पूरा होने के बाद यह उपयोगी सिद्ध होगी और इसके परिणाम-स्वरूप इस आदिवासी क्षेत्र का औद्योगिक विकास होगा ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने भी उपर्युक्त लाइन बदलने सम्बन्धी परियोजना की मांग का समर्थन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (ग) जी हां। नवगाम बांध के निर्माण के संबंध में हुए अन्तिम निर्णय को देखते हुए, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने भी विश्वमित्री-छोटा उदयपुर-टंखाला और अंकलेश्वर-राजपिपला छोटी लाइनों का बड़ी लाइनों में बदलने का अनुरोध किया है।

(घ) इन छोटी लाइनों के सर्वेक्षण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में नई रेल लाइनें

***982. श्री पी० एस० रामलिंगम :**
श्री सी० वेणुगोपाल :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट उद्योग के विकास के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में नई रेल लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितनी लागत आयेगी और क्या अब तक आदिष्ट समग्र प्राथमिकताओं में यह भी शामिल है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) बूंदी के रास्ते कोटा से चित्तौड़गढ़ तक (लगभग 163 कि० मी०) बड़े आमान की एक नयी रेलवे लाइन का सर्वेक्षण-कार्य, जो सीमेंट फैक्टरियों द्वारा उत्पन्न यातायात की ढुलाई के लिए उपयोगी होगी, 1979-80 के बजट में अनुमोदित कर दिया गया है और इस लाइन का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(ख) मोटे तौर पर लगाये गये अनुमान के आधार पर प्रस्तावित लाइन पर 30 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । प्रस्तावित लाइन को निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के प्रश्न पर योजना आयोग के साथ परामर्श करके इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण की रिपोर्ट की जांच करने के बाद विचार किया जायेगा ।

व्यापार प्रशिक्षुओं को रोजगार

***983. श्री ए० मुरुगेसन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और जिन्हें अभी तक रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है । ऐसे व्यापार प्रशिक्षुओं को रोजगार देने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और उस पर कोई कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत, रेलों द्वारा प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देना होता है लेकिन उन्हें नियोजन देना रेलों के लिए आबद्धकर नहीं है । हाल ही में श्रमिक संगठनों से परामर्श करके यह विनिश्चय किया गया है कि कुशल कामगरों की 25 प्रतिशत रिक्तियां उन प्रशिक्षुओं से भरी जायेंगी जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है । रेल कारखानों में खलासियों की 50 प्रतिशत रिक्तियां भरने के लिए बाहरी व्यक्तियों के साथ-साथ उनके सम्बन्ध में भी विचार किया जाता है ।

वैगनों का बुक किया जाना

***985. श्री अन्नतराम जायसवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को अप्रैल के दूसरे सप्ताह में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के लिए वैगन बुक किये जाने की सुविधा हावड़ा पर उपलब्ध है लेकिन फैजाबाद के लिए उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त भेदभाव के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चमड़े की चप्पल और जूता बनाने का उद्योग फैजाबाद का बड़ा कुटीर उद्योग है और इससे हजारों लोगों को जिविका मिलती है। सरकार फैजाबाद के लिए हावड़ा में वैगन बुक कराने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र आदेश जारी करेगी जैसा कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के मामले में किया जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : हावड़ा से फैजाबाद के लिए लदान में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। लेकिन, पूर्व रेलवे के रिपैंकिग शेड में काफी सामान जमा हो जाने के कारण, हावड़ा से फैजाबाद और अन्य स्टेशनों के लिए चमड़े तथा अन्य 'फुटकर' माल के लदान पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। माल की बुकिंग पर यह प्रतिबन्ध मुगलसराय-लखनऊ खंड के सभी स्टेशनों और वाराणसी तथा इलाहाबाद को छोड़कर मुगलसराय-कानपुर के सभी स्टेशनों के लिए लागू था। उक्त दोनों स्टेशनों को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि हावड़ा से इन दोनों स्टेशनों के लिए काफी मात्रा में ऐसा, 'फुटकर' यातायात होता है जिसके लिए मार्ग में रिपैंकिग की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं होती। यह प्रतिबन्ध अब उठा लिया गया है और चमड़े के माल एवं अन्य सामान्य माल की बुकिंग अब खोल दी गयी है।

प्राथमिक केन्द्र में बाल रोग विशेषज्ञ

*986. **श्री बालासाहिब विख पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक प्राथमिक केन्द्र में एक अर्हता प्राप्त बाल रोग विशेषज्ञ को नियुक्त करने का कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अपर्याप्त मशीनरी और बालकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण लोग परिवार नियोजन के उपाय करने में संकोच करते हैं ; और

(घ) परिवार नियोजन केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारियों को उनकी कार्य कुशलता और ज्ञान बढ़ाने के लिये तथा वे बाल स्वास्थ्य सेवायें बढ़िया ढंग से प्रदान कर सकें इसके लिए उन्हें चुने

हुए मुख्यालय अस्पतालों में आठ-आठ सप्ताहों का जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य देखरेख और परिवार नियोजन का विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा जिला मुख्यालय शहर में बच्चों को वशिष्ट सेवा में प्रदान करने के लिए 340 जिला मुख्यालय अस्पतालों में बाल चिकित्सा यूनिट खोल दिये गये हैं। ये अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए रेफरल केन्द्रों का काम भी देंगे। इस बात को दृष्टिगत करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बाल विशेषज्ञों को नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

(ग) लोगों को यथासम्भव सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ बाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य परिवार कल्याण केन्द्रों में काफी स्टाफ नियुक्त किया गया है तथा उन्हें उपकरणों से भी लैस किया गया है। इसलिए, यह सच नहीं है कि लोग अपर्याप्त मशीनरी और सेवा सुविधाओं के कारण परिवार नियोजन को अपनाने में संकोच करते हैं।

(घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य परिवार कल्याण केन्द्रों में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को ये हिदायतें दे दी गई हैं कि वे लोगों का आवश्यक मार्गदर्शन करने तथा परिवार कल्याण सेवाओं की मांग करने वालों को आवश्यक सेवायें प्रदान करने में कोई कसर न रखें। यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि नसबंदी आपरेशनों/लूप पहनाने के लिए, प्रचलित गर्भ निरोधकों आदि की सप्लाई करने और बच्चों/गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाने वाली माताओं का रोग से प्रतिरक्षण करने के लिए परिवार कल्याण केन्द्रों में वैक्सीनों और दवाइयों की सारी सुविधायें मिलती रहें। सारा फील्ड स्टाफ अपना काम यथावत करता रहे, इसके लिए वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए सहायक नर्स मिडवाइफों, स्वास्थ्य परिचारिकाओं और चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे हटा दिया गया है।

पूर्वोत्तर रेलवे में वैगनों की समय-समय पर मरम्मत

***988. श्री ईश्वर चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में वैगनों की सावधिक मरम्मत का कार्य काफी लम्बे समय से नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मरम्मत के अभाव में वैगन पटरी से उत्तर जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए उपचारात्मक, उपाय कब तक करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोक निर्माता श्रमिकों के लिए मंजूरी

9401. श्री ए० के० राय : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या कोक निर्माता श्रमिक कोयला मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अधीन आते हैं और यदि नहीं, तो उनके लिए अन्य क्या मजूर स्वीकार की गई है;

(ख) क्या धनबाद स्थित प्राइवेट स्वामित्व वाली बी हाइव हाड कोक मैन्युफैक्चरिंग एककों के श्रमिकों की बहुत ही कम मजूरी दी जाती है और बिना किसी नियम सुरक्षा और बचाव के उन्हें "बन्धुआ मजदूर" की तरह काम करना पड़ता है; और

(ग) क्या इस बारे में सरकार का जांच कराने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र बर्मा) : (क) : कोयला मजदूरी बोर्ड की सिफारिशें कोयला खनन उद्योग में ऐसे सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में परिभाषित श्रमिक हैं। इनमें खनिक और अन्य सरदार शामिल हैं। बाई-प्रोडेक्ट कोक प्लांट बी हाइव और कन्ट्री कोक औवन्स/भट्ट तथा सोफ्ट कोक के उत्पादन से संबंधित उपक्रमों और विभागों में नियोजित श्रमिक भी कोयला मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) : हार्ड कोक ओवन प्लांट में मजदूरी दर अकुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 3.00 रुपये से 8.00 रुपये के बीच, अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 6.00 रुपये से 8.00 रुपये के बीच तथा कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 10 रुपये तथा इससे अधिक है।

सरकार के ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं लाई गई है, जिससे पता चले कि इन श्रमिकों को बंधित श्रमिक के रूप में रखा जाता है या कि वे कार्य दशाएं जोखिम वाली हैं, जिनमें वे कार्य कर रहे हैं।

(ग) : जी, नहीं।

आसाम में मिट्टी के तेल की कमी

9402. श्री अहमद हुसैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि आसाम के पूर्ति मंत्री ने आसाम विधान सभा में हाल में यह आरोप लगाया है कि आसाम में मिट्टी के तेल की वर्तमान कमी का कारण रेलवे द्वारा वैगनों को कम संख्या में चलाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या आसाम सरकार ने रेलवे से कभी कहा है कि पर्याप्त संख्या में वैगन दिए जायें और उनके आवागमन को सुनिश्चित किया जाय तथा या विगत काल में वैगनों को पर्याप्त संख्या में चलाया जाता रहा है; और

(ग) यदि वैगनों को पर्याप्त संख्या में चलाया जाना बन्द कर दिया गया है तो उसके कारणों का ब्यौरा क्या है और यदि राज्य सरकार ने अतिरिक्त वैगन मांगे हैं तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि असम सरकार की ओर से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी मिट्टी के तेल के संचलन के लिए तेल उद्योग द्वारा की गयी माल डिब्बों की सप्लाई की मांग को पूरी तरह पूरा कर दिया गया है। लेकिन, अप्रैल में मिट्टी के तेल के स्टाक में सुधार हुआ है और इस मांग के मुकाबले में माल डिब्बा संभरणकर्ताओं ने भी माल डिब्बों की सप्लाई बढ़ा दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अचानक की गई हड़तालों की संख्या

9403. **श्री बसंत साठे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78 और 1978-79 में 31 मार्च 1979 तक दी गई सूचना के अनुसार अचानक की गई हड़तालों की जोनवार संख्या कितनी है और कितने जन दिवसों की हानि हुई; और

(ख) बड़ी और महत्वपूर्ण अचानक की गई हड़तालों का ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं और किन-किन मुद्दों का निपटान किया गया अथवा निपटान किया जाना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) इस अवधि के दौरान ऐसी कोई हड़तालें नहीं हुई, लेकिन कुछ कोटियों के कर्मचारियों द्वारा काम बन्द कर दिया गया था तथा ऐसी सभी घटनाएं मामूली थीं। काम बन्द किए जाने तथा जन दिनों की हानि की संख्या नीचे दीं गयी हैं:—

	1977-78 के दौरान	1978-79 के दौरान
काम बन्दी की संख्या	46	156
हानि के जनदिनों की संख्या	1,859	सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मुख्यतः पूर्व और पूर्वोत्तर सीमा रेलों पर यातायात कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा एक बड़ा आंदोलन अर्थात 'नियमानुसार काम करो' आन्दोलन आयोजित किया गया था, जिससे 29-3-79 से 12-4 79 तक की भिन्न-भिन्न अवधियों के दौरान गाड़ियों के परिचालन में आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा। मध्य, उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलों पर भी यह आंदोलन शुरू किया गया था लेकिन यह कुछ वर्गों तक ही सीमित रहा तथा इससे गाड़ियों के परिचालन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से उनकी शिकायतों के बारे में विचार विमर्श किया गया था।

अरुणाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता

9404. **सिद्ध रामेश्वर स्वामी : क्या नौवाहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण पर खर्च करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : सीमा सड़क सगठन द्वारा वर्ष 1960 से फरवरी, 1979 की अवधि में अरुणाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण पर 89.09 करोड़ रुपये और अनुरक्षण पर 11.44 करोड़ रुपये खर्च किये गये । इसके अलावा, तेंगा हाइडल प्रोजेक्ट तक पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण पर 229.79 लाख रुपए और उनके अनुरक्षण पर 10.71 लाख रुपए भी खर्च किए गए । इस प्रोजेक्ट का खर्च ऊर्जा मंत्रालय उठा रहा है ।

"स्केलेटन्स इन बी० जी० टी० कप बोर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

9405. **श्री विजय कुमार एन० पटिल** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अप्रैल, 1979 के इंडियन एक्सप्रेस में "स्केलेटन्स इन बी० जी० टी० कप बोर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ?

(ख) यदि हां तो उसमें की गयी विभिन्न गंभीर टिप्पणियों पर सरकार की टिप्पणी-वार प्रतिक्रिया क्या है, और

(ग) इस मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांदराम) : (क) से (ग) दो ट्रस्टियों ने बम्बई पत्तन की ट्रस्टीशिप से मार्च 1979 में त्याग पत्र दिया था. जिसका कार्यकाल 31-3-79 को समाप्त हो गया । संभवतया उनका त्यागपत्र कुछ सेवाओं के संबंध में जो लाभप्रद नहीं थी, पत्तन प्रभारों में की गयी वृद्धि के बारे में अपना असंतोष व्यक्त करना था । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पत्तन प्रभारों में वृद्धि की सिफारिश मेहता समिति ने की थी जो वहां माल के जमाव करने के लिए एक उपायस्वरूप थी ।

2.बम्बई गोदियों में लगी क्रेनों से, यद्यपि पुरानी है, पूरा काम नहीं लिया जाता क्योंकि इस क्षेत्र में प्रिसेलिंग और पैलाटाईजेशन के माल के रख रखाव के आधुनिक तरीके शुरू नहीं किए गए हैं । रखे-उठाये जाने वाले माल की किस्म को देखते हुए एकीकरण की विधियों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है ।

3. एम० वी० 'ओशियन स्टार्स' जहाज 6-12-79 को उलट उया और 13 नबम्बर इंदिरा गोदी पर घाट के साथ डूब गया । जहाज के अविशेष को हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है परन्तु यह उल्लेखनीय है कि इस दुर्घटना के कारण सम्पूर्ण घाट पर कार्य नही रुका है ।

4. कृषि विभाग ने 1977 में उर्वरक को तेजी से जहाजों स उतरने के लिए एक यांत्रिक उपकरण लगाया है । श्रमिकों के आथ समझौता न होने के कारण इन उपकरणों को चालू करना संभव नहीं हो पाया है । इस विवाद को हल करने के लिए तीन सचिवों की एक समिति नियुक्ति की गयी है ।

5. अभी कुछ अर्सा पहले वहां अक्सर हड़तालें हो जाती थी। 1978 में 28 हड़तालें हुई जिनमें 36020 कर्मचारियों ने भाग लिया। 1979 के पहले तीन महीनों में अब तक 14 बार काम करना बन्द हुआ है। 1978 में 2,98,000 श्रम दिनों की हानि हुई। श्रम विवादों को हल करने के लिए, जो संघ के अन्दर आपसी वैमनस्य के कारण होते हैं, समय-समय पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

6. निर्यात में कोई कमी नहीं आयी है जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाएगा :—

		निर्यात (टन भार)
जनवरी	3, 16, 919	475,373
फरवरी	3, 38, 010	3, 57, 979
मार्च	3, 12, 834	4, 10, 679

निर्यात का माल ले जाने वाले जहाजों को प्राथमिकता देकर निर्यात में वृद्धि करने के लिए मार्च, 1979 में विशेष प्रयास किए गए।

7. यह सच नही है कि पत्तन प्रभारों में अभी हाल की वृद्धि से नौवहन पर भारी बोझ पड़ा है।

8. मुख्य इंजीनियर और उप संरक्षक के पद क्रमश: 1-1.79 और 1-3-79 से खाली पड़े हैं। प्रबंधक का पद खाली नहीं है। इन पदों के उम्मीदवारों का चयन करने के लिए सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति नियुक्ति की गयी है।

8. बम्बई पत्तन के अधिकारियों और सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणाम स्वरूप सामान्य माल जहाजों की प्रतीक्षा अवधि 65 दिनों से घटकर लगभग एक महीना हो गयी है। जहाजों का घाट-प्रतीक्षा समय, जो (17-3 79 को) 48 दिन था, (घटकर 30-4-79) को 26 दिन रह गया।

10. तटीय श्रमिकों द्वारा आधा घंटा देर से रिपोर्ट करने के फलस्वरूप अप्रैल, 1978 से मार्च, 1979 तक लगभग 84,400 श्रमदिनों की हानि हुयी। पत्तन अपनी क्षमता से 90% अधिक कार्य कर रहा है और श्रम समस्याओं, परिवहन में कठिनाइयों, जहाजों का जमाव, मौसम की खराबी आदि का बावजूद भी काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गयी है।

पत्तन बनाने के लिए विदेशी फर्मों के ठेके

9407. श्रीमती मोहसिना किदवाई : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान देश में पत्तन निर्माण के लिए ठेके दिये गए हैं, और

(ख) उन का कार्य किन-किन स्थानों पर चल रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : गत दो वर्षों में पत्तन कार्यों के तीन ठेके दिए गए हैं। यह ठेके या तो विदेशी फर्मों को दिए गए या फिर उन भारतीय फर्मों को दिए गए जिन्होंने विदेशी सहयोग से कार्य निष्पादित किया।

मंगलौर पत्तन में चट्टान निकर्षण कार्य के लिए एक भारतीय फर्म को ठेका दिया गया था जिसे नार्वे की एक फर्म मैसर्स इंजीनियर एफ सेलमेर का सहयोग प्राप्त है यहां काम जारी है।

दूसरे मामले में, मार्मगाओं पत्तन के बचे हुए निकर्षण कार्य के लिए एक युगोस्लाविया की एक फर्म मैसर्स इवान मिलटीनोविक-पी. आई. एम. को ठेका दिया गया था। यह काम अब पूरा हो गया है।

तीसरा मामला बम्बई बंदरगाह में समुद्र में पाईप लाईन बिछाने के बारे में है। कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सौंपा गया था जिसने यह कार्य मैसर्स ओशियैनिक कंट्रक्टर्ज इंक, यू एस ए से करवाया। यह काम पूरा हो गया है।

कराची के वाणिज्य दूतावास में भारत आने के लिए वीसा के लिए भीड़

9408. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आने के लिए पासपोर्ट/वीसा प्राप्त करने के इच्छुक हजारों व्यक्ति प्रतिदिन कराची स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में भारी संख्या में आ रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय वाणिज्य दूतावास ने बढ़े हुए काम को निपटाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) : सरकार इस समस्या की ओर से पूरी तरह अवगत है। भारत के कराची स्थित प्रधान कोंसलावास में 20 अतिरिक्त कलर्कों को अस्थायी तौर पर फौरन भेज दिया गया है और 8 अन्य कलर्कों को स्थायी आधार पर वहां भेजा जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि इससे समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा और पाकिस्तान के अखबारों ने इसकी सराहना भी की है।

सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि, उड़ीसा के कामगरों और प्रबन्धकों के बीच विवाद

9409. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 124011 (2)-77 डी० चार (बी) दिनांक । मार्च, 1978 और संख्या 124012 (दो) 77—डी 4 (बी) दिनांक । मार्च, 1978 निर्णय में किया गया है कि विवादग्रस्त मामलों को फैसले के लिए न्याय-निर्णय के लिए न भेजा जाए ? और

(ख) यदि हां, तो सेन्ट्रल कोल-फील्ड्स लि० (उड़ीसा) के कामगरों और प्रबन्धकों के बीच वर्तमान विवादों को निपटाने के लिए अब तक क्या अन्य वैकल्पिक कार्यवाही की गई है, या श्रमिकों में संचयी और हानिकारक प्रतिक्रिया उत्पन्न होने दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) (क) : जी, हां। इन दो विशेष मामलों में।

(ख) : औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अनुसार "संबंधित सरकार" किसी विवाद के गुण दोष की जांच करने के पश्चात् उसे या तो न्याय-निर्णय के लिए भेज देती है या न्याय-निर्णय अस्वीकार कर देती है तथा तदनुसार पक्षकारों को सूचित किया जाता है। विवाद के पक्षकारों को न्यायनिर्णय अस्वीकार करने के निर्णय की सूचना देने के पश्चात् यह उन पर निर्भर करता है कि यदि वे आवश्यक समझें तो विवाद के निपटारे के लिए कदम उठाएं। "संबंधित सरकार" द्वारा आगे कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है।

2. प्रश्न के भाग (क) में निर्दिष्ट दो विवादों में से एक विवाद में यह सूचित किया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (ग) (2) के अधीन संबंधित श्रमिकों के अनुतोष के लिए श्रम न्यायालय, भुवनेश्वर के समक्ष आवेदन-पत्र दायर किए हैं। यह मामला श्रम न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है।

वैज्ञानिक आधार पर मैडिकल रिकार्ड

9410. चौधरी हर राम मक्कासर गोदारा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि देश में, विशेश रूप से ग्रामीण क्षेत्र में वैज्ञानिक आधार पर चिकित्सा रिकार्ड के रख-रखाव में काफी सुधार किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या इस बारे में 9 अप्रैल, 1979 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर उन का ध्यान गया है जिस में उक्त मामले में विशेषज्ञों के विस्तृत विचारों को जानकारी दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सरकार को स्वास्थ्य संबंधी अपर्याप्त आंकड़ों की जानकारी है और विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य सूचना पद्धति के कार्यात्मिक पहलुओं की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली में 5 फरवरी, से 7 फरवरी 1979 तक स्वास्थ्य सूचना पद्धति पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था। इसमें राज्य सरकारों और विभिन्न स्वास्थ्य ऐजेन्सियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सेमिनार में की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य सूचना पद्धति के कार्य में सुधार लाने के बारे में

व्यापारिक बेड़े में नियुक्त नाविक।

9411. **श्री पी एम सईद :** क्या **नौवहन परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्देशीय तथा विदेशों में जाने वाले दोनों ही जहाजों वाले व्यापारिक बेड़े में कुल कितने नाविक नियुक्त हैं तथा विदेशी जहाजों में कितने भारतीय नाविक नियुक्त हैं,

(ख) यदि हां, तो प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पदों की कुल संख्या कितनी है,

(ग) सभी श्रेणियों में कुल कितने नाविक हैं,

(घ) उनकी पदोन्नति के लिए क्या अवसर हैं, और

(ङ) उन्हें क्या-क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है। और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रंग भेद विरोधी वर्ष का मनाया जाना

9412. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् ने रंग भेद विरोधी वर्ष मनाये जाने के सिलसिले में 'रंगभेद नीति' के बारे में एक राष्ट्रीय निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न भाषाओं में प्राप्त निबन्धों की पृथक-पृथक संख्या कितनी हैं;

(ग) परीक्षाओं के नाम क्या हैं। और

(घ) निबन्ध प्रतियोगिता के परिणामों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) : जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय जातीय पृथवासन-विरोधी वर्ष मनाने संबद्ध भारतीय राष्ट्रीय समिति के निर्णय के अनुसार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने राष्ट्रीय समिति के कार्यक्रम के समन्वयन एवं क्रियान्वयन के अभिकरण

के रूप में जातीय पृथावासन विरोधी वर्ष के अवसर पर 'जातीय पृथवासन' विषय पर विभिन्न भाषाओं में राष्ट्रव्यापी निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की।

(ख) : विभिन्न भाषाओं में कुल 380 निबन्ध प्राप्त हुए, जिनका ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है।

अंग्रेजी	300
हिन्दी	50
उर्दू	6
कन्नड	2
तेलुगू	5
तमिल	3
मलयालम	1
मराठी	2
बंगला	6
उड़ीसा	1
असमिया	3
पंजाबी	1

(ग) : निबन्ध प्रतियोगिता के निर्णायकों के नाम इस प्रकार हैं।

(1) **अंग्रेजी**

(i) श्री जे० एन दीक्षित, सचिव, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय समिति)

(ii) प्रो० अनिरुद्ध गुप्ता, स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय समिति)

(iii) श्री हरिशरण छाबड़ा, सम्पादक, अफ्रीका डायरी (सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय समिति)

(II) **हिन्दी**

श्री जे० एन० दीक्षित, सचिव, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (सदस्य, भारतीय राष्ट्रय समिति)।

(III) **उर्दू**

कु० पाकीजा सुल्तान, कार्यकारी सचिव, भारतीय राष्ट्रीय समिति।

(IV) **बंगला**

डा० एस० एस० मुखोपाध्याय, क्षेत्रीय सचिव, साहित्य अकादमी, कलकत्ता ।

(V) **असमिया**

श्री के० एन० गोगोइ, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।

(VI) **उड़ीया**

श्री ए० जेना, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।

(VII) **पंजाबी**

श्री हरिशरण छाबड़ा, सम्पादक, अफ्रीका डायरी (सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय समिति)

(VIII) **मराठी**

उषा मेहता, बम्बई विश्वविद्यालय ।

(IX) **कन्नड**

डा० एम० एस० तिरअप्पा, बंगलौर विश्वविद्यालय ।

(X) **मलयालम**

श्री के० कन्नमपिल्ले, अवैतनिक क्षेत्रीय प्रतिनिधि, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद, त्रिवेन्द्रम ।

तेलुगू एवं तमिल

परिणामों की प्रतीक्षा है ।

(घ) परिणामों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और मई, 1979 के अन्त तक घोषित कर दिये जायेंगे ।

खाद्य तथा सिविल सप्लाई विभाग के कर्मचारियों का रेलवे में खपाया जाना

9413. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में फालतू घोषित किये गये खाद्य तथा सिविल सप्लाई विभाग के अनेक कर्मचारियों को वर्ष 1954 में रेलवे विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों में खपाया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1954 और बाद के वर्षों में रेलवे विभाग में खपाये गये ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि मूल संगठन में उनके द्वारा की गई अनेक वर्षों की सेवा के लिए वेतन वृद्धि की मंजूरी सहित अनेक सेवा-लाभ रेलवे विभाग द्वारा उन्हें नहीं दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के भूतपूर्व खाद्य एवं सिविल सप्लाई विभाग के कर्मचारियों को जिन पदों पर नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा राज्य सरकारों में धारित समतुल्य या उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर की गयी उनकी सेवा के लिए उन्हें उस पद के वेतन के समय वेतन मान में उच्चतर प्रारम्भिक वेतन का लाभ अनुनेय है। यह लाभ राज्य सरकारों के उन कर्मचारियों को अनुमेय नहीं है, जो निम्नतर वेतन मान में कार्य कर रहे थे या निश्चित वेतन पा रहे थे।

भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वविवेक निधि से धन दिया जाना

9414. श्री चतुर्भुज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अपने कार्यकाल में स्वविवेक स्वास्थ्य अनुदान की कितनी राशि किस-किस राज्य में किन-किन व्यक्तियों को दी गई और प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि दी गई तथा उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : यह सहायता अलग-अलग आवेदनपत्रों के आधार पर मंत्री के स्वविवेक पर दी जाती है और इसलिए इसका राज्यवार रिकार्ड नहीं रखा जाता है। 1-4-77 से 30-6-77 तक जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई थी उनकी एक समेकित सूची-संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी. 4412/79]

पश्चिम रेलवे में हड़ताल

9415. श्री दया राज शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में बांदीकुई स्टेशन पर रेल कर्मचारियों द्वारा 19 मार्च, 1979 को हड़ताल किये जाने के क्या कारण थे; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 19 मार्च, 1979 को बांदीकुई में रेल कर्मचारियों द्वारा, बाढ़ पीड़ित कर्मचारियों को अनिवार्य जमा के असामयिक भुगतान की मांग को लेकर काम बन्द कर दिया था।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार बाढ़ पीड़ित रेल कर्मचारियों को अनिवार्य जमा के समय से पूर्व भुगतान का अधिकार केवल ऐसे मामलों में दिया जा सकता

है जहां राज्य सरकार ने उक्त क्षेत्रों को बाढ़-ग्रस्त घोषित किया है तथा इन क्षेत्रों में रहने वाले अपने कर्मचारियों को ब्याज मुक्त अग्रिम राशि का भुगतान भी किया है। चूंकि राजस्थान सरकार ने अपने कर्मचारियों को ब्याज मुक्त बाढ़ अग्रिम दिये जाने का अधिकार नहीं दिया था तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार केवल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को सूचित किया गया था, अतः रेल प्रशासन राजस्थान में अपने कर्मचारियों को अनिवार्य जमा का भुगतान नहीं कर सका। फिर भी, प्रतिबन्धों में रियायत देने के लिए मामले को वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है, तथा मंत्रालय से संशोधित आदेश प्राप्त होने के बाद ही रेल प्रशासन, राजस्थान में बाढ़ पीड़ित अपने कर्मचारियों की अनिवार्य जमा के भुगतान का प्रबन्ध कर सकता है।

अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना

9416. डा० रामजी सिंह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार की तलाश में विदेशों में जाने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने में अड़चनें पैदा करने के क्या कारण है; जब सरकार तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टरों और इजीनियरों को इस देश में खपाने की स्थिति में नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने दिनांक 18 मार्च, 1979 के 'मिनिन्यूज' में 'ए रिक्वेस्ट टु एम०पीज०' शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने में कदाचार बढ़ गये हैं; यदि हां, तो इसकी रोकथाम करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेंद्र कुण्डू) : (क) आम तौर से प्रचलित उत्प्रवास अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विदेशों में नौकरी पर जाने वाले विशेषज्ञों के लिए अनापत्ति-प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी जब कभी हमारी सरकार से इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया जाता है तो सरकार इस ओर से आश्वस्त हो जाने के बाद यह प्रमाण पत्र जारी कर देती है कि विदेशी सरकारों की ओर से हमारे विशेषज्ञों के लिए नौकरी की जिन शर्तों की पेशकश की गई है, वे उचित और संतोषजनक हैं और विदेशी नियोजकों की ओर से उनके साथ भेदभाव रहित और उचित व्यवहार किया जाएगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करने के सम्बन्ध में किसी कदाचार का कोई मामला सरकार की निगाह में नहीं आया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श करके यह अनापत्ति-प्रमाणपत्र शीघ्रतापूर्वक जारी किये जाते हैं। महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी मामलों पर हमेशा ही उच्च स्तर पर विचार किया जाता है।

श्री गंगानगर-पदमपुर-रामसियानगर रेल लाइन

9417. **श्री बेगाराम चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान में श्रीगंगानगर से पदमपुर रायसिया नगर तक एक रेल लाइन बिछाने का है ।

(ख) क्या गंगानगर से पदमपुर शहर तक कोई रेल लाइन नहीं है;

(ग) क्या पदमपुर में किसान टनों अनाज बेचने के लिए लाते हैं परन्तु रेल लाइन न होने के कारण उन्हें सस्ते दामों पर अपना अनाज बेचना पड़ता है और गंगानगर -रायसियानगर रेलवे स्टेशन तक आपने अनाज की उन्हें ट्रकों से ढोने के कारण काफी हानि उठानी पड़ती है;

(घ) क्या गंगानगर तथा पदमपुर के बीच और पदमपुर से रायसीना के बीच लगभग 300 गांव हैं ।

(ङ) क्या श्री गगानगर जिले में हर मील पर सिंचाई सुविधा है और यहां से सारे राजस्थान में अनाज भेजा जाता है और यह जिला राज्य में सबसे अधिक राजस्व कमाने वाला जिला है; और

(च) क्या सरकार का विचार गंगानगर से पदमपुर रामसिया नगर तक एक रेलवे लाइन बिछाने का है; यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) गंगानगर और पदमपुर सिटी के बीच कोई रेल लाइन नहीं है ।

(ग), (घ) और (ङ) रेलों को इन तथ्यों की जानकारी नहीं है क्योंकि अभी इस क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(च) इस रेल लाइन की वित्तीय क्षमता या आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । इसके अलावा वित्तीय साधनों की अत्यधिक कठिनाई और पहले से किए गए बड़े-बड़े वायदों को देखते हुए, इस समय, इस लाइन के निर्माण के बारे में विचार करना संभव नहीं है ।

रेलवे बोर्ड में शिकायत

9418. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अकुशलता तथा अन्य संबंधित मामलों में लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए रेलवे बोर्ड में एक शिकायत कक्ष खोला गया है ।

(ख) यदि हां, तो इस कक्ष ने जनवरी और मार्च, 1979 के दौरान कितने मामलों पर विचार तथा निर्णय किया; और

(ग) कितनी शिकायतें अभी विचाराधीन पड़ी है और उनके निपटारे में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनाराण) : (क) रेल कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार और कर्तव्यनिष्ठा की कमी की शिकायतों के अलावा जनता की ओर से आने वाली शिकायतों को प्राप्त करने के लिए 1964 में रेलवे बोर्ड कार्यालय में एक शिकायत कक्ष की स्थापना की गयी थी शिकायत कक्ष अभी भी काम कर रहा है ।

जनता तथा रेल कर्मचारियों के रेल मंत्री के नाम अभ्यावेदनों को प्राप्त करने के लिए मई 1977 से रेल भवन के स्वागत कार्यालय के निकट एक शिकायत काउंटर खोला गया है ।

(ख) एवं (ग) शिकायत कक्ष और शिकायत काउंटर प्राप्त शिकायतों तथा अभ्यावेदनों पर स्वयं ही कोई कार्रवाई नहीं करते और नहीं वे उनका निपटान करते हैं । शिकायतों और अभ्यावेदनों को संबोधित शाखाओं में उन पर कार्रवाई करने के लिए भेज दिया जाता है । बहरहाल जनवरी, 1979 और मार्च 1979 के दौरान शिकायत कक्ष और शिकायत काउंटर में प्राप्त शिकायत और अभ्यावेदनों की संख्या निम्नलिखित है :—

	शिकायत कक्ष	शिकायत काउंटर
जनवरी, 1979	4	188
मार्च, 1979	28	256

न्यायालयों के जरिये समयोपरि भत्ता दिया जाना

9419. (श्री आर० के० महालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान समयोपरि भत्ता केवल न्यायालयों के जरिए ही दिया गया और इसमें कितनी राशि अन्तर्गस्त है; और

(ख) इन कर्मचारियों से संबंधी न्यायिक मामलों पर रेल प्रशासन ने कितनी राशि खर्च की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

लाइनर जहाजों द्वारा देय नौवहन एवं पत्तन प्रभारों को कम करने का प्रस्ताव

9420. श्री एस० आर० दामाणी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लाइनर जहाजों द्वारा देय नौवहन और पत्तन प्रभार को कम करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या यह चुने गए पत्तनों पर लागु होगा अथवा देश के सभी पत्तनों पर, और

(ग) विभिन्न पत्तनों के विकास पर उक्त प्रस्ताव का क्या प्रभाव पड़ेगा?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चाँदराम) : (क) और (ख) पत्तन प्रभारों में अन्य तरीके से कमी करना या उसमें संशोधन करना एक ऐसा मामला है जिस पर यातायात के परिमाण को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर पत्तन न्यासों/अधिकारियों को विचार करना है। सरकार को काण्डला और मार्मगाओ के पत्तन न्यासों से पत्तन शुल्क और पायलटेज शुल्क में रियायतें देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। काण्डला पत्तन न्यास ने प्रस्ताव किया है कि उन जहाजों के लिए घाट के किराए और पायलटेज में 50% की कमी की जाय जिनसे तरल माल को छोड़कर अन्य माल 3000 टन तक उतारा या लादा जाय। यह मात्रा पहले 1500 टन थी। मामुंगाओं पत्तन ने इसी तरह की रियायतें उन जहाजों को देने का प्रस्ताव किया है जिनसे 5000 टन तक सामान्य माल उतारा या लादा जाय।

(ग) पत्तनों पर विकास कार्य यातायात की आवश्यकताओं को देखते हुए ही किए जाते हैं। पत्तन एक सेवा संगठन हैं और इन कार्यो की आर्थिक लागतों और यातायात के परिमाण को ध्यान में रखते हुए रियायतें देने पर विचार किया जाता है। सामान्यतया ऐसी रियायतों से पत्तनों के और विकास पर बुरा असर नहीं पड़ता।

फरुखाबाद स्टेशन की इमारत

9421. श्री महादीपक सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के फरुखाबाद स्टेशन की पुरानी इमारत को नया रूप देने और वहां विश्राम कक्ष, जलपान कक्ष, प्लेटफार्म, शैल्टर जैसी यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजना है ;

(ख) क्या यह सच है कि लखनऊ से कासगंज के बीच सभी महत्वपूर्ण रेल गाड़ियों के लिए जलपान कक्ष से भोजन प्राप्त होने की सुविधा उपलब्ध नहीं है और उत्तर रेलवे के कानपुर सेण्ट्रल पर उपलब्ध खानपान व्यवस्था पूर्वोत्तर रेलवे की गाड़ियों के लिए खान-पान की सुविधा उपलब्ध नहीं करती ; और

(ग) क्या प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए काफी पुराने स्टेशन भवन को नया रूप देने हेतु वह विदेशी मुद्रा अर्जक इस व्यापार केन्द्र का व्यापक अध्ययन करायेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) कानपुर सेंट्रल स्टेशन का जलपान गृह पूर्वोत्तर रेलवे से यात्रा करने वाले यात्रियों की भी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है और इस काम के लिए अलग से कर्मचारी लगाए गए हैं। उन प्लेटफार्मों पर भी जहां पूर्वोत्तर रेलवे की गाड़ियां सम्हाली जाती है,, पर्याप्त खानपान और खोमचे वालो की व्यवस्था की गयी है।

यह सही है कि कासगंज और कानपुर सेंट्रल के बीच किसी भी स्टेशन पर जलपान गृह नहीं है परन्तु इस खंड के 26 स्टेशनों से 15 स्टेशनों पर जो काफी बड़ी संख्या है, यात्रियों की आवश्यकताएं पूरा करने के लिए खानपान/खोमचेवालों की व्यवस्था की गयी है। फरुखाबाद रेलवे स्टेशन पर एक जलपान गृह के प्रस्ताव का औचित्य नहीं है या फिर कम उपयोग की प्रत्याशा होने के कारण इसे वित्तीय रूप में अर्थक्षम नहीं समझा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

करुणामूलक आधार पर विधवाओं की नियुक्ति

9422. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे तथा उत्तर रेलवे में कितने-कितने भूतपूर्व रेल कर्मचारियों की विधवाओं ने करुणामूलक आधार पर श्रेणीवार संवर्गों में नियुक्ति के लिए आवेदन किया, और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

9423. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें दिए जाने के बारे में तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में अध्याय 63 के पैरा 21 के अनुसार सिफारिशों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है,

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त परिपत्र की प्रति प्रस्तुत की जाएगी, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 63 के पैरा 21 में उल्लिखित सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

"शाखा लाइनों और छोटे-मोटे स्टेशनों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी की ओर रेलवे फैडरेशनों ने प्रभावशाली ढंग से हमारा ध्यान आकृष्ट किया है और प्राइवेट डाक्टरों द्वारा

इलाज कराने या मान्यताप्राप्त निकटवर्ती अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और बोर्ड में चिकित्सा पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करने की मांग की है। हम महसूस करते हैं कि छोटे-मोटे स्टेशनों पर डाक्टरी इलाज कराने में रेल कर्मचारियों की कठिनाइयां वास्तविक हैं और हम सिफारिश करते हैं कि उन्हें प्राधिकृत चिकित्सक के पूर्व अनुमति के बिना मान्यताप्राप्त निकटवर्ती अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाएं प्राप्त करने और अस्पताल के कार्य भारी चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र पर प्रतिपूर्ति की रकम प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे-मोटे स्टेशनों और शाखा लाइनों में, जहां रेल कर्मचारी के निवास स्थान से उचित दूरी (अर्थात् 8 कि० मी०) पर कोई मान्यताप्राप्त अस्पताल नहीं है। परामर्श और उपचार के लिए प्राइवेट डाक्टरों के नामों की एक योजना लागू की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में चिकित्सा सम्बन्धी खर्च की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसे डाक्टरों से प्रत्येक बीमारी के लिए उपचार की अवधि केवल 3 दिन तक सीमित होनी चाहिए। रेल कर्मचारियों के लिए इस अवधि के अन्दर रेलवे चिकित्सा अधिकारी के साथ सम्पर्क करना सम्भव होना चाहिए।"

(ख) रेल कर्मचारियों की चिकित्सा परिचर्या और उपचार को शासित करने वाली वर्तमान नियमों के अनुसार, रेल कर्मचारी चिकित्सा परिचर्या और उपचार निशुल्क पाने का हकदार है :—

(क) ऐसे रेलवे अस्पताल में जो उसके बीमार पड़ने के स्थान पर या उसके निकट हो और जहां प्रधिकृत चिकित्सक की राय में आवश्यक और उचित सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं ; या

(ख) यदि खंड (क) में उल्लिखित अस्पताल नहीं है, तो ऐसे सरकारी अस्पताल में जो उस स्थान पर या उसके निकट हैं और जहां प्राधिकृत चिकित्सक की राय में आवश्यक और उचित सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं ; या

(ग) यदि खंड (क) और (ख) में उल्लिखित अस्पताल नहीं हैं तो उस स्थान या उसके समीप के सरकारी अस्पताल, कन्टोनमेंट अस्पताल या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए अस्पताल और किसी अन्य अस्पताल में जिसके साथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के उपचार की व्यवस्था की है और जहां प्राधिकृत चिकित्सक की राय में आवश्यक और उचित सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं।

जहां रेल कर्मचारी अस्पताल में निशुल्क परिचर्या और उपचार कराने का हकदार है, वहां प्राधिकृत चिकित्सक का लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसके द्वारा इस प्रकार की परिचर्या और उपचार पर खर्च की गयी किसी प्रकार की रकम की प्रतिपूर्ति उसे कर दी जायेगी।

जहां रेल कर्मचारी या उसका परिवार आपातिक स्थिति में उपचार के लिए (प्रसव सहित) प्राधिकृत चिकित्सक के परामर्श के बिना सरकारी अस्पताल में जाता है, वहां अन्यथा

स्वीकार्य सीमा तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमेय है । यदि मामले की परिस्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी कार्योत्तर अनुमोदन की स्वीकृति देता है ।

शाखा लाइनों और छोटे-मोटे स्टेशनों पर नियुक्त रेल कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मंडल और उप मंडल स्तर पर और कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य यूनिटों में सामान्यतया अलग से 'लाइन डाक्टर' तैनात किया जाता है । लाइन डाक्टर केवल शाखा लाइनों और छोटे-मोटे स्टेशनों पर नियुक्त रेल कर्मचारियों की देखभाल के लिए होता है ।

कुल मिलाकर, उपर्युक्त चिकित्सा नियम तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि उन की रिपोर्ट के अध्याय 63 के पैरा 21 में उल्लिखित है । इस प्रकार इसमें किसी प्रकार का और परिवर्तन करना वांछनीय नहीं समझा गया ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जैसा उपर्युक्त भाग (ख) में स्पष्ट किया गया है ।

संसद सदस्यों को मानार्थ पास दिया जाना

9424. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1977-78 और 1978-79 में संसद सदस्यों को वातानुकूलित श्रेणी के कोई मानार्थ पास जारी किये गये थे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण : जी नहीं ।

नकरोनिया करैली लाइन

9425. श्री नर्मदा प्रसाद राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नकरोनिया स्टेशन से करैली स्टेशन तक नई रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है,

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में सर्वेक्षण-कार्यचालू वर्ष के दौरान प्रारम्भ किया जायेगा, और

(घ) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण कार्य के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) -से (घ) : मकरोनिया से करेली तक नयी लाइन की लम्बाई लगभग 120 किलोमिटर होगी और इस पर मोटे तौर पर 20 करोड़ रुपये की लागत आयेगी । नयी लाइनों के

निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक कठिनाई है। इस समय जो धन उपलब्ध है वह मुश्किल से चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए जिस रेलवे लाइन का सुझाव दिया गया है उसके प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं है।

पश्चिम रेलवे के स्टेशनों के लिए वैगनों का आवंटन

9426. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के दारा, मोरक और रामगंज मण्डी स्टेशनों के लिए एक वर्ष के लिए कितने रेल वैगनों का आवंटन किया गया और दारा स्टेशन के लिए, इस लात को ध्यान में रखते हुए कि वहां से रफ 'स्टोन' बाहर भेजा जाता है, कम वैगन आवंटित करने के क्या कारण हैं, और

(ख) क्या 'रफ स्टोन' दारा स्टेशन से लादा जाता है और क्या निम्न आय वाले लोग अधिकतम इसका इस्तेमाल करते हैं और रफ स्टोन प्रोसिस करने वाले कारखाने भी निम्न आय वाले लोगों के स्वामित्व में हैं और इसका काबोबार भी वे लोग ही करते हैं परन्तु पर्याप्त संख्या में वैगन आवंटित न किये जाने के कारण उन्हें कठिनाई हो रही है और इसके मूल्य बढ़ गये हैं और क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निम्न आय वाले लोगों को अधिक सुविधा देने की जनता सरकार की नीति है और मंत्रालय भी इन लोगों के पक्ष में है, इन लोगों के हित में दारा स्टेशन के लिए अधिक वैगन आवंटित किये जायेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वर्ष 1978-79 के दौरान दरा, मोरक और रामगंज मंडी स्टेशनों पर पत्थर की ढुलाई के लिए क्रमश: 324, 2183 और 6682 माल डिब्बों का आवंटन किया गया था। इस यातायात के लिए इन स्टेशनों को माल डिब्बों की सप्लाई इन स्टेशनों को प्रस्तुत की गयी मांगों के अनुपात में की जाती है। दरा स्टेशन की तुलना में मोरक स्टेशन की मांग 15 गुनी अधिक और रामगंज मंडी की मांग 35 गुनी अधिक है।

(ख) दरा स्टेशन से घटिया किस्म के पत्थर का लदान किया जाता है। रेलवे को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि इसका उपयोग कहां होता है। पत्थर के यातायात के लिए अधिक माल डिब्बों की सप्लाई करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

डिब्बे निर्माण करने सम्बन्धी परियोजना

9427. श्री वी० के० नायर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 अप्रैल, 1979 के मातृ भूमि समाचार पत्र (मलयालम) में डिब्बे निर्माण करने संबंधी नई परियोजना और केरल द्वारा इसको खो देने की सम्भावना के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या अब आरम्भ की जा रही परियोजना के अध्ययन की कार्य सूची में कन्चाकोट्टी, जिसके बारे में मूलतः निर्णय लिया गया था, के स्थान पर नये केन्द्र का चयन किया जाना है, और

(ग) नई परियोजना कब से आरम्भ की जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) विगत में पालघाट के समीप कांचीयवोट पर एक नया सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं किया गया । एक नया सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने के लिए तकनीकी एवं आर्थिक व्यावहारिकता सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें इस कारखाने की स्थापना के लिए स्थान-निर्धारण के संबंध में सिफारिश भी की जायेगी । इसलिए, इस समय स्थान-निर्धारण के बारे में निर्णय करना असामयिक है ।

डाक्टरों का साक्षात्कार

9428. **श्री मनोहर लाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग होम्योपैथी तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति के डाक्टरों का साक्षात्कार लेता है परन्तु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी आधुनिक चिकित्सा पद्धति का ज्ञान रखते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सकों के पदों पर चयन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिए गए साक्षात्कारों में उप सचिव के रैंक के एक एलोपैथिक डाक्टर ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया था आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पदों के साक्षात्कारों के मामले में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा पद्धति के सलाहकार के संघ लोक सेवा आयोग में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया था। ऐसे साक्षात्कारों में मंत्रालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का मनोनीत अधिकारी सामान्यता मंत्रालय के प्रशासनिक हित की रक्षा करता है और वे एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य नहीं करता है जिसके लिए आयोग साक्षात्कार के समय बाहर के तकनीकी विशेषज्ञों को स्वयं सहायता प्राप्त करता है ।

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मैडिकल आफिसर

9429. **श्री के० लकप्पा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि केंन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के बड़ी संख्या में मैडिकल आफीसर 10 बर्ष से अधिक अवधि से दिल्ली में ही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और उनके निरन्तर दिल्ली में रहने के विस्तृत कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न ग्रेडों के उन अधिकारियो के विवरण जो दिल्ली में पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे हैं, इस प्रकार है :-

सुपर टाइम ग्रेड 1	12
सुपर टाइम ग्रेड 2	6
विशेषज्ञ ग्रेड 1	22
विशेषज्ञ ग्रेड 2	77
अन्य ड्यूटी अधिकारी	133
योग	250

दिल्ली इस देश की राजधानी है और इस नाते अधिकांश सरकारी कार्यालय यहां पर स्थित हैं। चूंकि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है इसलिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए मंजूर किये गये पदों की संख्या भी सर्वाधिक है। इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के अधीन उच्च कोटि के दो शिक्षण संस्थान और चार बड़े-बड़े अस्पताल भी यहां पर ही खुले हुए हैं। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम नामक दो अनुसंस्धान संस्थाऐ भी दिल्ली में हो स्थित हैं। कुछ समय पूर्व तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम भी केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का एक अभिन्न अंग था और केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के बहुत से अधिकारी अभी भी इसी निगम में काम कर रहे हैं। बहुत से मामलों में अधिकारियों के लिए उनके बराबर के पद दिल्ली से बाहर उपलब्ध नहीं होते हैं। इन अधिकारियों का स्थानान्तरण करते समय विभिन्न संस्थाओं को आवश्यकताओं, उपयुक्त एवजियों की उपलब्धता, संस्थाओं की शिक्षण संबंधी जरूरतों, अधिकारियों द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य, आदि जैसी प्रशासनिक कठिनाइयो को भी ध्यान में रखना होता है। कभी कभी कर्मचारियों को अपने तैनाती स्थान को छोड़ कर बाहर जाहर जाने में आड़ आने वाली कठिनाइयों की ओर भी ध्यान देना पड़ता है।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए उपकरणों की खरीद

9430. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, मार्च, 1978 के दौरान सफदरजंग अस्पताल के लिए "ओपरेशन इन्डेन्ट" में प्राथमिकता के आधार पर ("पीरियरोटी बेसीज") दो लाख रुपये कीमत के कुछ उपकरण खरीदे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो "ओपरेशनल इंडेन्ट" पर उक्त उपकरण खरीदने का क्या औचित्य था और खरीदे गये उपकरणों की संख्या, लागत, खरीद का स्रोत और उन रोगियों का विवरण (उनकी एम० आर० डी० संख्या सहित) क्या था जिन पर इन उपकरणों का प्रयोग किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि इन उपकरणों के बारे में योग्यता वस्तु प्रमाणपत्र एक अमरीकी फर्म के पक्ष में जारी किया गया था जबकि उपकरण जर्मन जनवादी गणराज्य देशों रुपये के अभुगतान और अन्य दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों से सस्ती दरों पर प्राप्त किये गये थे :

(घ) यदि हां, तो उक्त औचित्य के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या उस प्रयोजन के लिए आवश्यक बजट उपबन्ध और विदेशी मुद्रा उपलब्ध थी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) 26 फरवरी, 1977 को रोटरी क्लब, दिल्ली की तरफ से भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बानप्पा दानप्पा जत्ती ने सफदरजंग अस्पताल को एक के० एल० आई० (यू० एस० ए०) लेपारस्क्रोप भेंट किया था। इसका अस्पताल के क्लीनिशियन्स ने प्रयोग किया था। महिला नसबंदी कार्यक्रम में एक नैदानिक यंत्र के रूप में इसकी उपयोगिता से तथा बड़ी सर्जरी विशेषकर बच्चों की बड़ी सर्जरी करने से पूर्व एक उपाय के रूप में इसके उपयोग से भी वे बड़े प्रभावित हुए थे। परिवार कल्याण कार्यक्रम की सरकारी नीति को जैसा कि सरकार ने बल दिया है, बढ़ावा देने और अस्पताल के सर्जनों द्वारा रखी गई मांग को पूरा करने के लिए अजमाए गए मेक के 5 लपारोस्कोप की पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से 26580.65 अमेरिकी डालरों (लगभग 2,30,000 रु०) की लागत पर खरीदने का निर्णय किया गया था (दो प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान विभाग, एक नसबंदी कैम्प के लिए तथा एक एक सर्जरी, बाल चिकित्सा विभाग) इस उपकरण से अब तक 137 रोगियों का इलाज किया गया। चूंकि आपरेशन थियेटर रजिस्टर में रोगियों के एम० आर० डी० नम्बर के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता, इसलिए यह सूचना देना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) जी हां। यह सही है कि दान में मिले इस उपकरण द्वारा किए गए उत्तम कार्य को सर्जनों द्वारा सराहे जाने के कारण मैसर्स के० एल० आई० (अमेरिका) के पक्ष में योग्यता वस्तु प्रमाणपत्र जारी किया गया था। प्राधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह उपकरण जर्मन जनवादी गणराज्य देशों अथवा अन्य दुर्लभ मुद्रावाले क्षेत्रों में सस्ती दरों पर उपलब्ध है। इस अस्पताल में जर्मन जनवादी गणराज्य के जो उपकरण खरीदे गये थे उनके कार्य करने की क्वालिटी, बाद की सर्विसिंग और अतिरिक्त कल-पुर्जों की उपलब्धता के अलावा वे इतने असंतोषजनक पाए गए कि इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया था कि जर्मन जनवादी गणराज्य समेत पूर्व योरोपीय देशों से आगे और आधुनिकतम उपकरण न

मंगाए जाएं। यह खरीद अस्पताल के मशीनरी और उपकरण के लिए स्वीकृत बजट में से पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, जिसने कि विदेशी मुद्रा दी थी, के माध्यम से की गई थी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में पद बनाये जाना

9431. **श्री जी० मल्लिकार्जुन राव** : क्या **स्वास्थ्य और कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट (एस० आई० यू०) की सिफारिश के अनुसार तीन वर्ष पूर्ण केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना में तीन पद दो आयुर्वेदिक और एक होम्योपैथी के लिए बनाये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग ने इन पदों को विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरने की सिफारिश की है;

(ग) क्या यह सच है कि आयुर्वेदिक के लिए दो पदों को विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरा जायेगा; और

(घ) क्या यह सच है कि होम्योपैथी के लिए रखे गये पद को विभागीय पदोन्नति के माध्यम से नहीं भरे गए हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रविराय : (क) कर्मचारी निरीक्षण यूनिट की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत सीनियर वेतनमान में वरिष्ठ फिजीशियन (आयुर्वेद) और वरिष्ठ फिजीशियन (होम्यो) का एक-एक पद 27-7-1976 को बनाया गया था और चिकित्सा अधिकारी सह-अधीक्षक का एक पद 20-2-1977 को बनाया गया था।

(ख) तीसरे वेतन आयोग ने ऐसी कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की हैं।

(ग) जी हां। वरिष्ट फिजीशियन (आयुर्वेद) और चिकित्सा अधिकारी-सह अधीक्षक आयुर्वेदिक अस्पताल, नई दिल्ली (के पद विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर तदर्थ आधार पर भर लिए गए हैं।

(घ) जी हां, क्योंकि इस पद के भर्ती नियमों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

ब्रिटिश आव्रजन कानून के दुहरे मानदण्ड

9432. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 मार्च, 1979 के 'इंडियन एक्सप्रेस' के पृष्ट 7 पर प्रकाशित उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है, जिसमें यह कहा गया है कि विभिन्न एशियाई और नागरिक स्वतन्त्रता संगठनों के प्रतिनिधियों के कार्य दल ने ब्रिटिश आव्रजन कानून के अन्तर्गत दुहरे मानदण्ड अपनाए जाने के बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे हथण्कडों के उद्देश्यों का इस बीच अध्ययन किया है; और

(ग) इस प्रकार के हथकण्डों से भारतीय आव्रजकों पर कहां तक प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुन्डू : (क) और (ख) जी हां,

(ग) जिस खबर और रिपोर्ट पर यह आधारित है उसका सम्बन्ध दूसरे देशों से आकर ब्रिटेन में बसने वाले पतियों और पुरुष मंगेतरों के प्रवेश से है। ब्रिटेन में पति अथवा पुरुष मंगेतर के रूप में आने वाले किसी भी पुरुष को 12 महीने की जांच अवधि के बाद ही वहां बसने की अनुमति दी जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि इस सुविधा का दुरपयोग न होने पावे और सुविधा के लिए शादी करने पर नियंत्रण लग जाये। बताया जाता है कि 1976 में विवाह के आधार पर ब्रिटेन में बसने के लिए भारत के 2695 पुरुषों को स्वीकृति दी थी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना

9433. श्री बागुन सम्बरुई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन मैडिकल एसोशिएशन ने कुछ वर्ष पूर्व सरकार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का एक मसौदा पेश किया था।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रविराय) : (क) एक पुस्तका जिसका शीर्षक "नेशनल हैल्थ सर्विस स्कीम-ए ड्राफ्ट" था स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अप्रैल 1975 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से प्राप्त हुई थी।

(ख) इन्डियन मेडिकल एसोसिएशन से मिली नेशनल हैल्थ स्कीम के आपरेटिव भाग में निम्नलिखित चार प्रस्ताव निहित थे :—

1 स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण।

2. माडल स्वास्थ्य एकक।

3. स्वैच्छिक अस्पतालों/व्यावसायिक सदस्यों का योगदान।

4. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक।

(ग) भारतीय सरकार ने देश में सुधरी हुई सेवायें प्रदान करने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा ली गई दिलचस्पी का स्वागत किया है। स्वास्थ्य एक राज्य विषय है और पिछले कई वर्षों में केन्द्र और राज्यों की सरकारों ने देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां

80 प्रतिशत लोग रहते हैं वहां उपचारी और निवारक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने की योजनाओं का अपने-अपने ढंग से विकास किया है जिन्हें व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है । इन योजनाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों की स्थापना और उनका दर्जा बढ़ाने की व्यवस्था की गई है तथा उन्हें विशेषज्ञों की सेवायें दिलाने हेतु जिला अस्पतालों और मेडिकल कालेजों के साथ जोड़ा गया है । क्योंकि एसोसिएशन के प्रस्तावों में विशेषज्ञ सेवाओं के महत्वपूर्ण पहलू का उल्लेख किया गया है । साथ ही भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों को लगाने की व्यवस्था भी की गई है । भारत सरकार अस्पतालों की स्थापना हेतु विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के साथ-साथ मेडिकल व्यवसाय के सदस्यों को पहले ही वित्तीय सहायता दे रही हैं ।

दिल्ली की कारों पर हिन्दी के अंक के बारे में तमिलनाडु सरकार का अनुरोध

9434. श्री धर्म वीर वशिष्ठ : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की कारों पर हिन्दी के अंक होने के बारे में तमिलनाडु राज्य ने केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके पीछे क्या तर्क है और इस बारे में सरकार की यदि कोई प्रतिक्रिया है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु सरकार की शंका यह है कि जिन गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नम्बर हिन्दी में लगे हैं, यदि वे कोई अपराध या दुर्घटना आदि करती हैं, तो अहिन्दी भाषी राज्यों में उन्हें पकड़ पाना मुश्किल होगा और अन्य राज्यों के लोगों के लिए भी, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, परन्तु दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आते हैं, हिन्दी में लिखे रजिस्ट्रेशन चिह्नों को पहचानना कठिन होगा ।

मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के वर्तमान उपबंधों के अधीन चल रही गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन मार्क केवल अंग्रेजी में ही दिखाना होता है । मोटर गाड़ी अधिनियम में 1978 में संशोधन किया गया ताकि राज्य में रजिस्टर्ड मोटर गाड़ियों पर लगाए जाने के लिए, केन्द्र राज्यों को अक्षर-समूह का आबंटन कर सके । इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी हे । उक्त अधिसूचना तैयार करते समय तमिलनाडु राज्य सरकार के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा । इस प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा कि क्या अधिसूचना में यह व्यवस्था की जा सकती है कि अक्षर-समूह के बाद जो नम्बर हो वे केवल भारतीय अंकों में अन्तर्राष्ट्रीय रूप में हों या इसके लिए मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी ।

तदर्थ डाक्टरों की नियुक्ति

9435. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :**
श्री एस० जगन्नाथन :
श्री रामावलू मोहनरंगम :
श्री के० मथातेवर :
श्री आर० कोलनथाइवेलु :
क्या **स्वास्थ्य और परिवार** कल्यण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं और हवाई अड्डा स्वास्थ्य कार्यालय में आपात स्थिति के दौरान कितने तदर्थ डाक्टरों की नियुक्त की गई।

(ख) क्या ऐसी नियुक्ति समितियों द्वारा इंटरव्यू आदि के बाद की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या डाक्टरों का संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के माध्यम से नये अभ्यर्थियों के साथ प्रतियोगिता न कर सकने के कारण अधिलंघन किया जा रहा है; और

(घ) इन परिस्थितियों में, क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों को उनके अनुभव के आधार पर, यदि आवश्यक हुआ तो, उनके लिए एकान्तिक परीक्षा लेकर नियमित करने के लिए क्या अन्य उपाय करने का है'

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) जून, 1975 और 31 जनवरी, 1977 के बीच केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के पदों पर हवाई अड्डा कार्यालय भी जिसका एक भागीदार यूनिट है। श्रेणी-दो के वेतनमान में भर्ती किए गए चिकित्सा अधिकारियों की संख्या 187 थी।

(ख) जहां तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली प्रशासन के नियंत्रणाधीन कार्यालयों का संबंध है, उम्मीदवारों का चुनाव चयन समितियों द्वारा किया गया तथा उन्हें उन्हीं के नियन्त्रणाधीन कार्यालयों के काम करने के लिए तैनात किया गया।

कुछेक अन्य भागीदार कार्यालयों को स्वयं तदर्थ नियुक्तियां करने की अनुमति दे दी गई।

(ग) ये तदर्थ नियुक्तियां अस्थायी अथवा आक्समिक रिक्त पदों पर की गई तथा तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गये डाक्टरों को यह स्पष्ट कर दिया गया कि इन नियुक्तियों से उन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में नियमित रूप से नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं मिलता। तदर्थ रूप से नियुक्त जो अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति के लिए ली गई लिखित परीक्षा अथवा इंटरव्यू में पास नहीं हो सकेंगे उनके स्थान पर नियमित अधिकारियों को रखना ही पड़ेगा।

(घ) जी नहीं। जुनियर स्केल जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसरों के पदों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के नियमों के अनुसार दक्षता के कुछेक न्युनतम स्तरों को सुनिश्चित करके की जाती है।

पोर्ट ब्लेयर में एक समुद्री इंजिनियर की नियुक्ति

9436. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर स्थित हार्बर मास्टर ने बिना किसी मंजूरशुदा पद और अनधिकृत रूप से एक समुद्री इंजीनियर की नियुक्त की है और यदि हां, तो पद की मंजूरी कब दी गयी, और

(ख) ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

अधीनस्थ रेलवे कार्यालयों से भर्ती किये गये क्लर्क

9437. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 के दौरान अधीनस्थ रेलवे कार्यालय से पूर्णतः तदर्थ आधार पर भर्ती किए गए क्लर्को को स्थायी रूप से रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिकीय सेवा में खपा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में पदों को भरने के लिए बनाये गये नियमों और 11 जून, 1977 को उनके द्वारा लोक सभा में दिये गये नीति सम्बन्धी वक्तव्य के प्रतिकूल नहीं है;

(ग) क्या उनको खपाये जाने के बारे में आदेश जारी करने से पूर्व इस बारे में गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसी अनियमितता करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वर्ष 1968-69 में अधीनस्थ रेलवे कार्यालयों से लिपिकों की सेवाएं अस्थाई आधार पर प्राप्त की गयी थीं परन्तु बाद में रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के पुनर्गठन और प्रबलीकरण योजना के प्रावधानों के अनुसार जो इन लिपिकों की भर्ती के समय लागू थे, उन्हें रेलवे बोर्ड में नियमित कर दिया गया है। उन्हें दी गयी वरिष्ठता के अनुसार उनकी बारी आने पर स्थायी कर दिया जायेगा।

(ख) जी नहीं, जैसा कि ऊपर बताया गया है यह भर्ती रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के पुनर्गठन और प्रबलीकरण की उपर्युक्त योजना के अनुसार की गई थी। लोक सभा में 11-6-1977 को रेल मंत्री द्वारा दिये गये नीति विषयक बयान का संबंध 1974-75 और अनुवर्ती वर्षों में तदर्थ आधार पर की गयी लिपिकों की भर्ती से है उपर्युक्त भर्ती से नहीं।

(ग) और (घ) यद्यपि रेलवे बोर्ड कार्यालय में उनकी सेवाओं को नियमित करने के संबंध में कार्मिक विभाग से परामर्श किया गया था परन्तु अंत में यही निर्णय किया गया कि उनकी नियुक्ति को सरकार के अनुमोदन से नियमित कर दिया जाय ।

इन्दौर-बिलासपुर गाड़ी में यात्रा कर रहे यात्रियों को गोली मारकर हत्या किया जाना

9439. **श्री राघवजी : क्या रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले महीने इन्दौर-बिलासपुर गाड़ी में यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों की भोपाल तथा इटारसी के बीच गोली मार कर हत्या कर दी गई थी,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है,

(ग) इस संबंध में रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) क्या मृत व्यक्तियों के आश्रितों को रेलवे द्वारा कोई मुआवजा अदा किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल **मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण)** : (क) जी हां ।

(ख) सम्पूर्ण मध्य प्रदेश से किसान और ग्राम सेवक प्रदर्शनी देखने के लिए भोपाल आ रहे थे । 19 मार्च, 1979 की रात्रि को जबलपुर क्षेत्र के लगभग 80/90 किसानों तथा ग्राम सेवकों ने वापसी यात्रा के लिए 33 अप इंदौर-बिलासपुर एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ी । भोपाल रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अपने एक साथी को गुम पाया । उन्होंने मार्गरक्षी पुलिस पार्टी से पूछताछ की । लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला । जब गाड़ी ओबैदुल्लागंज स्टेशन पर पहुंची तब इनमें से लगभग 50/60 लोगों ने मार्गरक्षी पुलिस पार्टी को घेर लिया तथा अपने साथी के गुम हो जाने के बारे में जानकारी मांगी । पुलिस और किसानों के बीच कहा-सुनी में मार्गरक्षी पुलिस (विशेष सशस्त्र बल, मध्य प्रदेश) के एक सदस्य ने पांच राउंड गोलियां चलायी जिससे 3 आदमियों की मृत्यु हो गयी ।

सिविल तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया । सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 (हत्या) के अंतर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है ।

(ग) यह मामला कानून और व्यवस्था से संबंधित है जो सविधान के अंतर्गत राज्य का विषय है । राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिये हैं । इस संबंध में रेल प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है ।

(घ) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-क तथा रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 के उपबंधों के अंतर्गत, यात्रियों को ले जाने वाली गाड़ी दुर्घटनाओं में ग्रस्त यात्रियों की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है । राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में रेल गाड़ियों में होने वाले अपराध, जिनमें चोरी, डकैती तथा हत्या शामिल हैं, की रोकथाम की जिम्मेवारी केवल

उन्हीं राज्य सरकारों की होती है। रेल गाड़ियों रेल परिसरों में होने वाले ऐसे अपराधों की घटनायें कानून और व्यवस्था से संबंधित है तथा इनकी रोकथाम की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और ऐसे अपराधों से प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए रेल प्रशासन पर कोई कानूनी दायित्व नहीं है।

पश्चिम दिल्ली के लिए बड़ा अस्पताल

9440 श्री पीयूष तिरकी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम दिल्ली की पूरी आम जनता के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, जहां मूल सुविधाओं तक का अभाव है और कैजूएल्टी सेवा नहीं है, के अतिरिक्त कोई बड़ा अस्पताल नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पश्चिम दिल्ली के लिए अन्तरिम राहत देने हेतु कैजूएल्टी सेवा जैसी अधिक सुविधाएं देकर उपरोक्त अस्पताल को बड़े अस्पताल के रूप में विकसित करने का है जैसा कि प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) पश्चिम दिल्ली स्थित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल दिल्ली प्रशासन के नियंत्रण में एक जनरल अस्पताल है। इस अस्पताल में चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, नेत्र और कान-नाक और गले की विशेषज्ञ सेवाओं सहित बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हैं। तथापि, इसमें कैजूएल्टी सेवा नहीं है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में 300 पलंगों वाला एक ई० एस० आई० अस्पताल भी है।

(ख) कैजूएल्टी ब्लाक, जिसे चरण-1 में शामिल किया गया हैं, के तैयार होते ही कैजूएल्टी सेवा आरम्भ करने का विचार है। इस परियोजना के चरण-1 के निर्माण के लिए पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

रेलगाड़ियों में स्वच्छता

9441. श्री लालजी भाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में चल रही यात्री तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के शौचालयों में स्वच्छता की स्थिति सन्तोष जनक नहीं है और इसके फलस्वरूप यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई उपाय करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। यात्री गाड़ियों की सफाई के लिए सभी पर्यन्त स्टेशनों पर सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। शौचालयों सहित सभी सवारी डिब्बे अंदर और बाहर, दोनों ओर से, धोये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, धुलाई

लाइनों और प्लेटफार्मों पर स्टेनलैस स्टील के पैन और चिलमचियों की अच्छी तरह मंजाई की जाती है, अन्य सभी फिटिंगों की सफाई की जाती है और शौचालयों को रोगाणु-मुक्त किया जाता है तथा उनमें फिनाइल डाली जाती है।

मार्ग में गाड़ी के ठहराव के दौरान, निशुल्क सफाई, विशेष रूप से प्रसाधनों की सफाई, की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, महत्वपूर्ण चुने हुए स्टेशनों पर सफाई वालों की व्यवस्था भी की जाती है। प्लेटफार्मों पर प्रमुख स्थानों पर बोर्ड लगाये जाते हैं जिन पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कि "यहां सवारी-डिब्बों की निःशुल्क सफाई की सेवा उपलब्ध है"

दूर गामी गाड़ियों के मामले में, जिनके ठहराव बहुत कम होते हैं, गाड़ी प्रस्थान स्टेशन से पर्यन्त स्टेशन तक सफाईवाले गाड़ी के साथ चलते हैं, ताकि गाड़ी के चालन के दौरान भी सफाई सुनिश्चित की जा सके।

सफाईवालों को आसानी से ढूंढने में सुविधा हो, इस उद्देश्य से उनके बाजुओं पर बैज लगे रहते हैं, जिन पर उनका पदनाम होता है।

सवारी डिब्बों और प्रसाधनों की समुचित सफाई तथा ऊपरी टंकियों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर अकसर विशेष अभियान चलाये जाते हैं तथा आकस्मिक जांच की जाती है।

(ख) वर्तमान उपायों की पर्याप्ता की निरंतर समीक्षा की जाती है और जहां-कहीं आवश्यक हो, सुधार कर दिये जाते हैं।

नई दिल्ली में रेडक्रास भवन का निर्माण

9442. **श्री बापू साहिब परुलेकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नये भवन का निर्माण करने के लिए इंडियन रेडक्रास सोसायटी को 50 लाख रुपये से अधिक की धनराशी का ऋण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सोसायटी ने भवन का कोई प्रारूप प्रस्तुत किया था ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रविराय) : (क) जी हां, ऋण के रूप में नहीं, बल्कि सहायता अनुदान के रूप में।

(ख) जी हां।

अध्यापकों को श्रमिक माना जाना

9443. **श्री गोविन्द राम मिरी :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर जल सप्लाई और मलव्ययन बोर्ड बनाम एस० ए० राजप्पा और अन्य लोगों के मामले में उच्चतम न्यायालय के हाल के एक निर्णय के अनुसार अध्यापक श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्यापक अपने श्रम संघ बना सकते हैं ; और

(ग) क्या अन्य श्रम संघों की तरह अध्यापक भी श्रमिक और औद्योगिक न्यायालयों में जा सकते हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सर्वोच्च न्यायालय ने बंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए० राजप्पा तथा अन्य के मामले में अपने निर्णय में यह निर्धारित किया है कि जब कभी नियोजक और कर्मचारियों के सहयोग से ऐसा कोई क्रमबद्ध कार्यक्लाप आयोजित किया जाता है जिससे व्यक्तियों की आवश्यकताओं तथा इच्छाओं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उत्पादन हो और या/ माल और सेवाओं का वितरण हो उसे प्रत्यक्षतः उद्योग/कहेंगे । ऐसा शैक्षिक संस्थान भी उद्योग होगा जो इन मापदंडों को पूरा करता है । क्या न्यायालय ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय दिया कि क्या अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत "श्रमिक" के वर्ग में आते हैं, परन्तु यह महसूस किया कि "शायद वे नहीं आते हैं क्योंकि अध्यापक शारीरिक या तकनीकी कार्य नहीं करते ।"न्यायालय ने आगे यह कहा है कि यह "मुकदमे द्वारा भविष्य में लड़े जाना वाला एक युद्ध है और हमारा इस संबंध में इस समय कोई निर्णय देने का इरादा नहीं है ।"

(ग) श्रम न्यायालयों और औद्योगिक अधिकरणों के लाभ केवल वहीं प्राप्त कर सकते हैं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिक हैं ।

माल डिब्बों की कमी

9444. श्री मती पार्वती कृष्णन् : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न उद्योगों, कोकिंग कोल, तैयार इस्पात उद्योग आदि के लिए कच्चे माल की उचित और सन्तोषजनक ढुलाई के लिए रेलवे विभाग को माल डिब्बों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या तात्कालिक उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) रेलों पर माल डिब्बों की इस प्रकार की कोई कमी नहीं है । किन्तु इस समय रेलें माल डिब्बों की कुछ मांगों को पूरा करने में कुछ कठिनाई महसूस कर रही है । यह स्थिति माल डिब्बों के फेरों को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों के कारण हुई है । स्थिति में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त माल डिब्बों की खरीद, माल डिब्बों आदि के लिए पहिया सैटों के आयात करने आदि जैसे विभिन्न उपाय किये गये हैं ।

नदी जल के सम्बन्ध में भारत-नेपाल समझौता

9445. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनकी 21 अगस्त, 1979 की नेपाल यात्रा में नेपाल के प्रधान मंत्री श्री कीर्ति निधि विष्ट के साथ नेपाल से भारत बहकर आने वाले पानी के प्रबन्ध के बारे में जिन व्यापक प्रस्तावों पर सहमति हुई उनका ब्यौरा क्या है ।

(ख) यदि हां, तो किन नदियों के उपयोग के संबंध में समझौता हुआ ; और

(ग) साम्राज्य में सभी नदी बेसिनों के अथवा अलग-अलग नदी बेसिन के सम्बन्ध में दोनों राष्ट्रों द्वारा आयोग का गठन कब तक किया जायेगा ; यदि हां, तो वे कौन कौन सी नदियां हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख) और (ग) भारत और नेपाल के बीच नेताओं के स्तर पर सावधिक परामर्श की परम्परा के अनुरूप विदेश मंत्री ने 20 से 21 अक्तूबर, 1978 तक काठमांडू की यात्रा की थी । इस अवसर पर हुई बातचीत में नेपाल से निकल कर भारत में बहने वाली नदियों की जल-क्षमता से लाभ उठाने के लिए अध्ययन करने से सम्बद्ध विभिन्न प्रस्तावों पर भारत-नेपाल वार्ता की प्रगति की समीक्षा भी की गई थी । इन में करनाली, राप्ती और महाकाली (पंचेश्वर में) बहुद्देशीय परियोजनाएं भी शामिल हैं । इन तीनों प्रायोजनाओं के विषय में विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्र करने, सम्भावयता का पता लगाने तथा तत्संबंधी अन्य अध्ययन आदि के लिए भारत-नेपाली विशेषज्ञ दल समय-समय पर बैठकें करते रहे हैं । निकट भविष्य में जब उपर्युक्त सभी काम पूरे हो जायेंगे तब दोनों सरकारें इन परियोजनाओं के वास्तविक निर्माण के लिए वित्तीय संसाधनों के प्रश्न पर विचार करेंगी तथा अन्य मुख्य-मुख्य निर्णय लेंगी ।

इसके अतिरिक्त इस यात्रा के दौरान इस बारे में भी निर्णय हुआ था कि कोसी समन्वय समिति के स्तर को बढ़ा कर इसे आयोग के स्तर का कर दिया जाना चाहिए जिसमें दोनों ओर से सिंचाई के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष हों ।

आपसी हित की अन्य छोटी-छोटी संभव परियोजनाओं के संबंध में भी विचार हुआ ।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान की आर्थिक सहायता बन्द

9446. प्रो० समर गुह : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देना बन्द करने का निर्णय किया है क्योंकि पाकिस्तान परमाणु विस्फोट के लिये ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिये परिष्कृत यूरेनियम तैयार करने का प्रयास कर रहा है :

(ख) यदि हां, तो अमरीकी सरकार की प्राप्त हुई सूचनाओं से पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधान मंत्री को भेजा गया इस आशय का उत्तर झूठ सिद्ध होता है कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने का प्रयास नहीं कर रहा है ?

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) इस आशय से ठोस प्रमाणों को देखते हुए जैसे कि अमरीकी सरकार ने दिये हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाने की कार्यवाही की है क्या सरकार परमाणु अस्त्र बनाने संबंधी अपनी नीति पर पुनः विचार करेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख) और (ग) इन रिपोर्टों के कारण कि पाकिस्तान एक ऐसे परमाणु संयंत्र का निर्माण कर रहा है जिसमें न्यूक्लीय अस्त्रों के स्तर की सामग्री का उत्पादन करने की क्षमता होगी, अमरीका की सरकार ने 6 अप्रैल, 1979 को पाकिस्तान को विकास सहायता खत्म कर देने के अपने निर्णय की घोषणा की। बताया जाता है कि इस निर्णय से पाकिस्तान पर, अक्तूबर, 1978 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में उस के लिए निर्धारित चार करोड़ डालर का असर पड़ेगा और अक्तुबर, 1979 में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में साढ़े चार करोड़ डालर का।

इस आशंका में कि पाकिस्तान का न्यूक्लीय कार्यक्रम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं भी हो सकता, प्रधान मंत्री श्री देसाई ने फरवरी, 1979 में राष्ट्रपति जिया को पत्र लिखकर पाकिस्तान द्वारा न्यूक्लीय विस्फोटक क्षमता अर्जित कर लेने के समाचार पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। अपने उत्तर में राष्ट्रपति जिया ने कहा था कि पाकिस्तान का न्यूक्लीय कार्यक्रम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और साथ ही उन्होंने यह पेशकश भी की थी कि दक्षिण एशिया को न्यूक्लीय मुक्त क्षेत्र घोषित करने और पारस्परिक आधार पर सभी न्यूक्लीय सुविधाओं के अन्तर्राष्ट्रीय अथवा द्विपक्षीय निरीक्षण की व्यवस्था को स्वीकार करने में वह भारत के साथ आने को तैयार है।

(घ) न्यूक्लीय विस्फोट क्षमता विकसित करने के पाकिस्तान के प्रयास निःसंदेह भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है और सरकार ने कई अवसरो पर सदन को यह आश्वासन दिया है कि इस घटना के संदर्भ में सरकार की नीतियों पर बराबर विचार किया जा रहा है।

प्रोत्साहन योजना

9447. **श्री मुरुगेसन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कर्मचारियों के लिये जो सेवा निवृत्ति के निकट हैं, प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कार्य से छूट है,

(ख) क्या 50 वर्ष से अधिक आयु वालों को भी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत काम करने से छूट देने का कोई नियम है, और

(ग) उक्त योजना प्रथम बार कब लागू की गई थी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रोत्साहन सर्वप्रथम चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में 1954 में शुरू किया गया था और बाद में 1960 में इसका विस्तार सवारी डिब्बा कारखाना सहित अन्य रेल कारखानों में किया गया था।

आल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के लिये कार्यालय कक्ष

9448. डा० पी० वी पेरियासामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन को रेल भवन में कोई कार्यालय कक्ष दिया गया है,

(ख) रेलवे बोर्ड के पास रेल भवन में कार्यालय कक्ष प्राप्त करने के लिए अन्य रेल कर्मचारी संघों के कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं, और

(ग) इन को भी कक्ष आवटित करने के मामले में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। दोनों मान्यता प्राप्त फैडरेशनों, आल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन और नेशनल फैडरेशन आफ इंडियन रेलवेमैन को उनके प्रतिनिधियों के प्रबंध एवं श्रम के समवेत उद्यम के सदस्य होने के नाते रेल भवन में अलग-अलग कमरे आवंटित किये गये हैं।

(ख) और (ग) किसी रेल कर्मचारी यूनियन की ओर से कोई आवेदन बकाया नहीं है। परन्तु, फेडरेशन आफ इंडियन रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन को कार्यालय आवास आबंटित करने का विनिश्चय किया गया है और उन्हें आबंटित करने के लिए उपयुक्त स्थान देखा जा रहा है।

चीनी उद्योग के श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सुविधायें दिया जाना

9449. श्री सरतकार : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, यो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की एक उप समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्धों को चीनी और अन्य मौसमी कारखानों पर लागू करने की सिफारिश की है। निगम ने समिति की सिफारिशों को मंजूर कर दिया है और इन सिफारिशों को हाल ही में सरकार को भेज दिया है। इस मामले पर आगे विचार किया जा रहा है।

दौरों के लिए डिब्बे (कोच)

9450. श्री अहसान जाफरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) गत पांच वर्षों में समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा आयोजित दौरों से रेलवे को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, इसका वर्षवार ब्यौरा क्या है,

क्या यह सच है कि कुछ डिब्बे (कोच) इस प्रयोजन के लिए आरक्षित हैं और यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है,

(ग) क्या यह सच है कि आयोजकों को दौरों के प्रयोजनों के लिए रेलवे से डिब्बे प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है,

(घ) क्या यह सच है कि आयोजक तीन महीने पहले डिब्बों के लिए आवेदन करते हैं तथा धनराशि जमा करते हैं लेकिन उन्हें समय पर इस बारे में सूचना नहीं दी जाती है जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और

(ङ) क्या रेलवे का विचार इस बारे में कोई व्यापक नीति तैयार करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नरायण) : (क) लेखांकन की वर्तमान रूपरेखा के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा आयोजित पर्यटनों से हुई आय को रेलों द्वारा अलग से लेखा नहीं रखा जा रहा है।

(ख) से (ङ) वर्तमान गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने के अलावा भारतीय रेलों ने जन साधारण के लिए और अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों और छुट्टियों की भीड़भाड़ को सम्हालने के लिए वर्तमान गर्मियों के महीनों में 1700 विशेष गाड़ियां चलाने का कार्यक्रम बनाया है। इसके अलावा रेलों से मजदूर यूनियनों, राजनीतिक सम्मेलनों, बारातों, सैन्य और अर्धसैन्य बलों, व्यावसायिक सम्मेलनों आदि के लिए अतिरिक्त सवारी डिब्बे लगाने और विशेष गाड़ियां चलाने के लिए भी अपेक्षा की जाती है। इन समस्त दबावों के रहते हुए भी, रेल प्रशासन पर्यटन संयोजकों, यात्रा दलों आदि के लिए, समय विशेष पर यथा संभव अधिक से अधिक सवारी डिब्बे सुलभ करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि पर्यटन संयोजकों आदि को आवंटित करने के लिए कोई सवारी-डिब्बे निर्धारित नहीं किए हुए हैं, फिर भी जहां मांग अत्यधिक होती है, वहां इन प्रयोजनों के लिए कितने सवारी-डिब्बे सुलभ किए जा सकते हैं इसके बारे में रेल प्रशासनों द्वारा आवलन कर लिए जाते हैं।

यह सच है कि कुछ रेलों पर पर्यटन संयोजकों की सवारी डिब्बे सुलभ किए जाने की मांग को पूर्णतया पूरा नहीं किया जा सका। जहां तक व्यावहारिक होता है पर्यटन कार्यक्रमों की स्वीकृति के संबंध में सूचना संबंधित पार्टियों को काफी समय पहले प्रदान की जाती रही है। रेल प्रशासनों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि पर्यटन संयोजकों आदि द्वारा प्रस्तुत की गयीं सभी मांगों को पूरा किया जाए। मोटे तौर पर, इस संबंध में नीति यह है कि सवारी-डिब्बों उपलब्धता के आधार पर "पहले आये सो पहले पाये" के सिद्धांत पर इन मांगों को पूरा किया जाये।

पारादीप बंदरगाह में निरन्तर श्रमिक अशांति

9451. श्री के० प्रधानी : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पारादीप बन्दरगाह में काफी समय से श्रमिक अशांति बराबर व्याप्त है,

(ख) यदि हां, तो क्या वहां जहाजों पर माल चढ़ाने तथा उनसे माल उतारने के कार्य में हानि हुई है, और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) : विभिन्न यूनियनों में आपसी और भीतरी वैमनस्य के कारण पारादीप पत्तन में श्रमिकों के उपद्रव की कुछ घटनाएं हुई थीं। जिसके कारण वर्ष 1978-79 में माल को चढ़ाने उतारने का काम 76 दिन तक आंशिक या पूर्ण रूप से ठप्प हो गया था।

(ग) श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार लाने के उद्देश्य से माल को रखने उतारने वाले श्रमिकों की मजदूरी की दर 16 फरवरी, 1979 से प्रोत्साहन योजना शुरू करने के साथ-साथ 6.50 रुपये प्रति शिफ्ट प्रति श्रमिक से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति शिफ्ट प्रति श्रमिक कर दी गई है। यह भी निर्णय किया गया है कि माल को रखने-उठाने की व्यवस्था को पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अधीन संस्थानों को सौंप दिया जाय। इस उपाय से आशा है कि माल को रखने-उठाने की व्यवस्था में सुधार होगा। श्रमिकों में असंतोष और उपद्रव की भावना को समय-समय पर आपसी बात-चीत और समझौते के द्वारा कम किया जा रहा है।

मलेरिया

9452. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 के दौरान अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के पहाड़ी जिलों में मलेरिया के मामलों की संख्या क्रमश: कितनी रही;

(ख) इन जिलों से मलेरिया का उन्मूलन करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या उक्त प्रयोजन के लिए कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (श्री रबि राय) : (क) वर्ष 1978 के दौरान अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के जिलों में मलेरिया के पाजिटिव रोगियों की संख्या इस प्रकार रिकार्ड की गई है :

जिला	घटनाएं
अल्मोड़ा	710
पिथौरागढ़	63

(ख) निकट भविष्य में मलेरिया का पूर्णरूप से सफाया कर पाना तो व्यवहारिक नहीं होगा, किन्तु इस रोग पर काबू पाने के लिए कदम अवश्य उठाए गए हैं। इस काम के लिए भारत सरकार 1-4-77 से संशोधित कार्य योजना चलाती आ रही है, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

(1) मलेरिया के कारण होने वाली मौतों को रोकना।

(2) बुखार की अवधि को कम करना।

(3) औद्योगिक और कृषि उत्पादन को ज्यों की त्यों बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर मलेरिया को रोकने के लिए उपाय करना।

(4) अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों को ज्यों का त्यों बनाए रखना।

इस संशोधित कार्य-योजना की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां, वर्ष 1978-79 के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार को नकदी और सामान के रूप में कुल 537.31 लाख रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता दी गई।

संशोधित कार्य योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं।

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की वर्तमान यूनिट का जिले की भौगोलिक सीमा के अनुरूप पुनर्गठन किया गया है। पहले जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था लेकिन इन यूनिटों का पुनर्गठन हो जाने के कारण उन्हें जिले में इस कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया गया है।

2. राज्यों को विभिन्न कीटनाशी दवाइयों, डी० डी० टी०, बी० एच० सी० मलेथियन की अधिक मात्रा सप्लाई की गई है। की जा रही है। जहां रोग वाहकों पर डी० डी० टी०, बी० एच० सी० का कोई असर नहीं, होता, उन यूनिटों। जिलों को वैकल्पिक कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध की जा रही हैं।

3 उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां प्रति हजार जनसंख्या के पीछे दो या इससे अधिक रोगी हैं, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया गया है।

4. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को मलेरिया रोधी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की गई हैं/की जा रही हैं। औषधियां आसानी से उपलब्ध करने के लिए लगभग 1.92 लाख औषधि वितरण केन्द्रों/ज्वर उपचार केन्दों की स्थापना कर दी गई है। जिन क्षेत्रों में परजीवियों पर क्लोरोक्विन का कोई असर नहीं हुआ, वहां पर कुनीन जैसी वैकल्पिक मलेरिया रोधी दवाई सप्लाई की गई है।

5. नगरीय मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत लार्वा-रोधी को तेज कर दिया गया है। 1978

में इस योजना को वर्तमान 66 शहरों के अलावा 37 और शहरों में लागू कर दिया गया है।

6. क्षेत्रीय स्टाफ के निगरानी कार्य को तेज कर दिया गया है।

7. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्षेत्र में सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुसन्धान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में 14 अनुसंधान योजनाएं अर्थात् 8 आपरेशन अनुसंधान के लिए और 6 मलेरिया के प्रयोगशाला अनुसंधान के लिए आरम्भ की गई हैं।

8. ब्लड स्मीयरों का तत्काल परीक्षण तथा सक्रिय रोगियों पर तत्काल इलाज करने के लिए प्रयोगशाला सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

9. प्लासमीडियम फाल्सीफेरम के संक्रमण को, जिसके कारण मस्तिष्कीय मलेरिया हो जाने से मौत हो जाती है, फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के 18 जिलों में सघन कार्यक्रम आरम्भ कर दिए हैं। यह कार्यक्रम 37 और जिलों में चालू किया जा रहा है।

10. रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए और इसके नियंत्रण के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(1) क्लोरोक्विन की गोलियों के वितरण के लिए पंचायतों और स्कूल अध्यापकों को शामिल किया गया है।

दूर-दराज वाले पिछड़े क्षेत्रों में दवाइयों के डिपुओं को खोल दिया गया है। कुछ राज्यों में यह कार्य जनजाति कल्याण विभाग के सहयोग से किया गया है।

(3) 'दि थ्रेट' नामक एक फिल्म, जो हाल ही में तैयार की गई थी उसे चौदह क्षेत्रीय भाषाओं में सारे देश में दिखाया जा रहा है।

(4) इस आशय के पोस्टर 'बुखार-मलेरिया हो सकता है—क्लोरोक्विन गोलियां लीजिए' पंचायतों, स्कूलों, प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों और सब-सेन्टरों में प्रदर्शित करने हेतु राज्य सरकारों को सप्लाई किए गए हैं।

(5) क्षेत्रीय भाषाओं में मलेरिया में क्या-क्या करना चाहिए, नामक एक पैम्फलेट भी तैयार किया गया है, जिसमें मलेरिया के लक्षणों में क्लोरोक्विन की मात्रा, आदि का उल्लेख है और उसे पंचायतों, स्कूलों, अध्यापकों और अन्य स्वैच्छिक ऐजेन्सियों में वितरित करने के लिए राज्यों को सप्लाई किया गया है।

(6) पंचायतों के अध्यक्षों और मंत्रियों को मलेरिया के बारे में विषयपरिचायक प्रशिक्षण देने का भी विचार है।

(7) चिकित्सा व्यावसायिक के क्या-क्या कार्य होने चाहिए, इसके बारे में भी फोल्डर

तैयार करके राज्यों को सप्लाई किए गए हैं ताकि वे उन्हें चिकित्सा व्यावसायिकों में बांट दें। इसी प्रकार एक और पैम्फलेट 'मलेरिया फिर क्यों' भी तैयार किया गया है और उसे उपायुक्तों, मुख्य चिकित्साधिकारियों और खण्ड विकास अधिकारियों में बांटने के लिए राज्यों को सप्लाई कर दिया गया है ताकि उपर्युक्त अधिकारियों को मलेरिया सम्बन्धी मौजूदा समस्याओं और प्रस्तावित कार्यवाही करने के बारे में जानकारी दिलाई जा सके।

(8) मलेरिया-रोधी सन्देश का प्रचार करने के लिए डाक और तार विभाग द्वारा विशेष पोस्टर स्टेशनरी रिलीज की गई है।

(9) मलेरिया की रोकथाम तथा इसके इलाज के बारे में लोगों को जानकारी दिलाने के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने भी कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं।

वर्कशाप में कर्मचारियों के लिए अग्निरोधक वस्त्र

9453. **श्री सोमजी भाई डोमर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे वर्कशापों की फाउंड्री शापों के कर्मचारियों को अग्निरोधक वस्त्र सप्लाई किए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) फाउंड्री शाप कर्मचारियों को अग्निरोधक वस्त्रों की सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है, और

(ग) यदि कैनवस के वस्त्रों को अग्निरोधक माना जाता है, तो उसकी अग्निरोधक के रूप में आवश्यक जांच से कब पुष्टि की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) ढलाई शाप की कुछ विशिष्ट कोटियों के कर्मचारियों के लिए चमड़े/कैनवस के एप्रनों की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) फैक्ट्री अधिनियम नियमों के अन्तर्गत अग्निरोधक एप्रनों की व्यवस्था करना अपेक्षित नहीं है ओर कर्मचारियों के शरीर तथा कपड़ों की सुरक्षा के लिए चमड़े/कैनवस के एप्रनों का उपयोग करना अच्छा समझा जाता है, यद्यपि कैनवस के एप्रन पूर्ण रूप से अग्निरोधक नहीं होते।

सीजन पासधारी

9454. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीजन पासधारी दैनिक यात्रियों को अब बहुत अधिक किराया देना पड़ेगा,

(ख) क्या यह सच है कि महानगरीय क्षेत्रों में उपनगरीय गाड़ियों का उपभोग करने वाले दैनिक यात्रियों को सीजन पास के किराए में हुई उक्त वृद्धि से भारी राहत दी जाती है, और

(ग) यदि हां तो देश के विभिन्न भागों में अन्य दैनिक यात्रियों को ऐसी ही राहत न देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) से (ग) 1 अप्रैल, 1979 से उपनगरीय और अनुपनगरीय दोनों क्षेत्रों में समान सीजन टिकट किराया संरचना लागू की गई है, इससे इन क्षेत्रों के किरायों में भिन्नता को दूर कर दिया गया है जैसा कि अब से पहले होता था।

रेलवे स्टेशनों पर शैड

9455. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों को वर्षा और धूप से बचाने के लिए देश के अनेक छोटे रेलवे स्टेशनों पर शैडों की व्यवस्था नहीं की गई है जिसके कारण यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है और उन रेलवे स्टेशनों पर शैडों की व्यवस्था कब की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) भारतीय रेल के सभी नियमित स्टेशनों पर प्रतीक्षालय/प्रतीक्षा शैड के रूप में प्रतीक्षा आवास की व्यवस्था पहले से ही की जा चुकी है।

स्टेशन के महत्व, जलवायु संबंधी स्थितियां और आने वाले यात्री यातायात आदि को ध्यान में रखते हुए प्लेटफार्म पर छत की व्यवस्था की जाती है। ऐसे निर्माण कार्यों पर विचार करते समय उन स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है जो निम्न कोटियों के अन्तर्गत आते हैं :—

(1) जंकशन जहां यात्रियों को मेल लेने वाली गाड़ियों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(ii) जिला मुख्यालय स्टेशन।

(iii) एक लाख से अधिक आबादी वाले शहर।

(iv) उपनगरीय स्टेशन।

(v) अधिक वर्षा या कड़ी गर्मी वाले क्षेत्रों आदि में स्टेशन।

उपर्युक्त नीति के आधार पर, भारतीय रेलों के 7070 स्टेशनों से में 2550 स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर पूर्ण या आंशिक रूप से छत की व्यवस्था कर दी गई है। उपर्युक्त नीति के अनुसार अन्य स्टेशनो के प्लेटफार्मों पर छत की व्यवस्था कार्यक्रमबद्ध रूप से, धन उपलब्ध होने पर की जयेगी।

गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के शीर्ष सम्मेलन के स्थान का हवाना से परिवर्तन किया जाना

9456. (श्री के० मालाना) : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोमाली जैसे कुछ अफ्रीकी राष्ट्रों और अरब राष्ट्रों द्वारा इस आशय का एक

अभियान शुरू किया गया था कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के आगामी शीर्ष सम्मेलन के स्थल की हवाना के बजाय किसी अन्य राजधानी में आयोजित किया जाय, जिसे वे तटस्थ मानते हों;

(ख) यदि हां, तो अगले गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन स्थल को बदलने का जहां तक सम्बन्ध है, उसके बारे में भारत सरकार के समक्ष रखे गये तर्कों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेंद्र कुन्डू) : (क), (ख) और (ग) कोलम्बो शिखर सम्मेलन में यह तय हुआ था कि अगला गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हवाना में होगा। लेकिन जुलाई, 1978 में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के बेलग्राद सम्मेलन में सोमालिया और कुछ अन्य देशों ने हवाना में शिखर सम्मेलन करने की उपयुक्तता पर संदेह व्यक्त किया। फिर भी इस सम्मेलन ने कोलम्बो शिखर सम्मेलन के निर्णय की पुष्टि की। तब से ये देश हवाना को गुट-निरपेक्ष देशों के अगले शिखर सम्मेलन का स्थल बनाने की उपयुक्तता पर संदेह व्यक्त करते आए हैं। कोलम्बो शिखर सम्मेलन में और बेलग्राद-सम्मेलन में लिए गए इस निर्णय का भारत सरकार भी पक्षधर है और यह आशा करती है कि मिलकर काम करने से हवाना में शिखर-सम्मेलन की सफलता में गुट-निरपेक्ष देश अपना योगदान दे सकेंगे।

पिपारिया ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन की ओर से अभ्यावेदन

9457. श्री निर्मल चन्द्र जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनवरी, 1979 में ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन पिपारिया डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, मध्य प्रदेश की ओर से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि हालापुर डिवीजन से हावड़ा क्षेत्र तक अनाज, दालों की बुकिंग बन्द करने अथवा उस पर निरन्तर प्रतिबंध रखे जाने से भेजे जाने वाले स्थानों पर भारी स्टाक जमा हो गये हैं और प्राप्ति स्थलों पर अभाव की स्थिति पैदा हो गई है जिसके फलस्वरूप रेलवे सहित सभी को हानि हो रही है,

(ख) क्या उक्त अभ्यावेदन में व्यक्त की गई बातें सत्य हैं और ऐसा कोई प्रतिबंध लगाया गया था और किसने लगाया था,

(ग) क्या इस प्रकार का प्रतिबंध लगाना माल, अनाज तथा दालों के निर्बाध रूप से जाने आने संबंधी सरकारी नीति के विरुद्ध नहीं है, और

(घ) उक्त प्रतिबंध लगाने का क्या औचित्य था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) पहले से लदे माल डिब्बों का सचलन बंद हो जाने के कारण पूर्व रेलवे द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) कलकत्ता क्षेत्र में लदे माल डिब्बों की भीड़-भाड़ तथा रुकावट के कारण प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया था, ताकि बड़ी संख्या में माल डिब्बों की गतिहीनता को पहले से रोका जा सके ।

मानसरोवर की तीर्थ यात्रा

9458. श्री बी० राजगोपालराव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी चीन यात्रा के बाद तिब्बत स्थित मानसरोवर में भारतीय तीर्थयात्रियों का पहला दल भेजने के लिए इस बीच कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस तीर्थयात्रा के लिये पहले दल के कब तक प्रस्थान करने की आशा है ; और

(ग) क्या तिब्बत में यात्रियों के लिये सुविधाओं के अभाव के आधार पर चीन सरकार ने कोई आपत्ति की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख) और (ग) विदेश मंत्री ने 12-18 फरवरी, 1979 तक की अपनी चीन यात्रा के सम्बन्ध में 21 फरवरी, 1979 को अपने वक्तव्य में सदन को सूचित किया था कि चीन के विदेश मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया था कि लाखों भारतीय कैलाश और मानसरोवर को पवित्र तीर्थ-स्थल मानते हैं । चीन की सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है । हम अपनी ओर से भारत में तीर्थयात्रा के लिए इसी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए तैयार है । लेकिन इस समय ऐसी तीर्थ यात्राओं के लिए परस्पर स्वीकार्य प्रबन्धों के अभाव में भारतीय तीर्थ यात्री कैलाश और मानसरोवर की यात्रा नहीं कर सकते ।

धनुषकोडी स्तम्भ को फिर से चालू करने का प्रस्ताव

9459. श्री पी० त्यागराजन : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को धनुषकोडी स्तम्भ को फिर से चालू करने के संबंध में तमिलनाडु सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) इस सम्बन्ध में नियुक्त की गयी उच्च शक्ति प्राप्त समिति के प्रतिवेदनों में क्या-क्या बातें बताई गयी हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं लेकिन इनके विकास के कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधी राज्य सरकारों को होती है । फिर भी छोटे पत्तनों के विकास कार्यों के लिए समुद्रवर्ती राज्य सरकारों को ऋण दिया जाता रहा है । वर्ष 1978-83 की आयोजना अवधि के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि छोटे पत्तनों के विकास कार्यों की राज्य की योजनाओं में सरकारी क्षेत्र में शामिल किया जायगा । इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए धनुषकोडी स्तंभ के निर्माण की जिम्मेदारी तमिलनाडु सरकार की है ।

एशियाई साझा बाजार

9460. श्री छीतूभाई गामित :
श्री श्याम सुन्दर लाल :
श्री हरि विष्णु कामत :
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूरोपीय आर्थिक समुदाय की पद्धति पर पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध बनाने के लिए कोई योजना तैयार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : (क) और (ख) सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने में सदैव अपनी तत्परता व्यक्त की है। इस प्रकार के क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के कुछ स्थायी विचार ही अभी तक पेश किऐ गए हैं। लेकिन संबद्ध देशों से अगर ऐसे कोई सुझाव आते हैं तो सरकार उन पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने को तैयार रहेगी।

गुजरात में परिवार कल्याण केन्द्र

9461. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में कितने परिवार कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या परिवार नियोजन के बारे में आदिवासी लोगों को शिक्षित करने के लिए आदिवासी क्षेत्र में अधिक संख्या में ऐसे केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) गुजरात राज्य में कार्य कर रहे परिवार कल्याण केन्द्रों की स्थिति इस प्रकार है :—

		राज्य में चल रहे परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या	आदिवासी क्षेत्र में चल रहे परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या
(i)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	251	64
(ii)	ग्रामीण उप केन्द्र	1920	192
(iii)	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	156	—

(ख) और (ग) अतिरिक्त उप केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

हिमाचल एक्सप्रेस को पानीपत-करनाल के रास्ते से चलाना

9462. श्री गंगा सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको हिमाचल एक्सप्रेस को पानीपत-करनाल के रास्ते से चलाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) जी हां।

(ख) 53/54 हिमाचल एक्सप्रेस का मार्ग बदलकर करनाल के रास्ते ले जाने पर दिल्ली-मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग के यात्रियों द्वारा काफी रोष प्रकट किया जाएगा, इसलिए इसका औचित्य नहीं है। इसके अतिरिक्त इस गाड़ी को करनाल के रास्ते चलाना परिचालनिक दृष्टि से भी सम्भव नहीं है क्योंकि दिल्ली-अम्बाला खंड पर पहले से ही भीड़-भाड़ है।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों द्वारा कारों का आयात

9463. श्री रत्न सिंह राजदा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय वाणिज्य दूतावासों में कार्यरत भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को विदेशी कारों का आयात करने की अनुमति है ;

(ख) क्या भारतीयों द्वारा भारत में विदेशी कारों की बिक्री के बारे में निर्धारित नियमों का उल्लघंन करके उन्हें भारत में इन कारों को बेचने की भी अनुमति है ;

(ग) क्या भारतीय विदेश सेवा के किसी अधिकारी ने मार्च, 1977 से मार्च, 1979 के दौरान अपनी आयातित कारें भारत में बेची है ;

(घ) यदि हां, तो नाम सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक अधिकारी द्वारा बेची गई कारों की संख्या कितनी है ;

(ङ) क्या इस बारे में सरकार को किसी अवैध व्यापार का पता लगा है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू : (क) और (ख) विदेश स्थित भारतीय मिशनों और केन्द्रों में काम करने वाले भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को विदेशी कारें खरीदने की अनुमति है। मुख्यालय के लिए लौटते समय उन्हें मुख्य आयात निर्यात नियंत्रक, वाणिज्य

मंत्रालय तथा सीमा शुल्क समाहर्ता द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार जो सभी भारतीय राष्ट्रिकों पर लागू होती है, अपनी कार आयात करने की अनुमति दी जा सकती है बाद में भारत आकर अपनी कार बेचने के लिए अधिकारियों को एक समान नियमों का अनुपालन करना होता है जो कि ऐसे प्रत्येक भारतीय राष्ट्रिक पर लागू होती है जिसे कि विदेशी कार का भारत में आयात करने की अनुमति दी गई हो।

(ग) जी हां।

(घ) सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें भारतीय विदेश सेवा के उन अधिकारियों के नाम, विदेशी कारों की संख्या के विवरण सहित दिए गए हैं जिन्हें मार्च 1977 से मार्च 1979 के बीच अपनी विदेशी कारें बेचने की अनुमति दी गई है।

(ङ) और (च) इन विक्रयों में सरकार को कोई अवैध बात नजर नहीं आयी जोकि अपेक्षानुसार सरकार की अनुमति लेने के बाद की गई हो।

विवरण

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	बेची गई विदेशी कारों की संख्या
1	श्री एस० के० चटर्जी	1
2	श्रीमती हैलेन ने० मथाई	1
3	श्री जी० एस० बेदी	1
4	श्री दलीप मेहता	1
5	श्री वी० बी० सोनी	1
6	कुमारी एस० बाला सुब्राण्यम	1
7	श्री आरिक हुसैन	1
8	श्री जवाहर लाल	1
9	श्री बी० के० मित्रा	1
10	श्री के० पी० बाला कृष्णन	1
11	श्री एन० आर० वर्मा	1
12	श्री के० के० भागर्व	1
13	श्री यू० सी० सोनी	1

मारमागोवा पत्तन विकास परियोजना के अन्तर्गत अयस्क उतारने-चढ़ाने का यंत्रीकृत संयंत्र

9464 **श्री अमृत कासर :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारमागोवा पत्तन विकास परियोजना के अन्तर्गत अयस्क उतारने-चढ़ाने का यंत्रीकृत संयंत्र पूरा हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि गोआ के लोह अयस्क निर्यातकर्ताओं ने अयस्क वाहनों को भरने के लिए उक्त संयंत्र का उपयोग करने में अपनी अनिच्छा प्रकट की है ; और

(ग) क्या उक्त परियोजना की लागत 81.63 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अधिक हो गई है और संयंत्र का उपयोग न किये जाने के कारण समूची राशि फिजूल चली गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) (क) जी, हां । यह अधिकांश में पूरा हो चुका है ।

(ख) हालांकि गोआ के निर्यातकों ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कोई अनिच्छा नहीं व्यक्त की है तब भी इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि कच्चा लोहा चढ़ाने की यांत्रिक सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग हो ।

(ग) जी, नहीं । इस परियोजना की लागत संशोधित अनुमानों से अधिक नहीं जो 82.13 करोड़ रुपये है ।

अग्रेतर वार्ता के बारे में चीनी प्रस्ताव

9465 श्री हरि विष्णु कामत : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सरकार ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गत फरवरी में अचानक रुक गई बातचीत को पुनः आरम्भ करने के लिए भारत सरकार को कोई प्रस्ताव अथवा संकेत भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू : (क) और (ख) जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है भारत और चीन के बीच दोनों देशों के समान हित के प्रमुख प्रश्नों पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गयी है जिसमें अनसुलझे प्रश्नों का समाधान भी शामिल है । पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए बातचीत का सिलसिला पारस्परिक सहमति से उचित वातावरण में उपयुक्त समय पर पुनः शुरु किया जा सकता है ।

यूरोकीनेस औषधि

9467. श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मूत्र से जापान द्वारा निर्मित, यूरोकीनेज नामक एन्जाइम का, जो एक जीवन रक्षक औषधि है, मस्तिष्क में धमनी में रक्त के जमाव और अन्य रक्त संचार के रोगों के इलाज में सफलता-पूर्वक उपयोग किया जाता है ;

(ख) क्या ये एन्जाइम भारत में और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस एन्जाइम को भारत के अस्पतालों में उपलब्ध कराने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या भारत में इस एन्जाइम के निर्माण के लिए कार्यवाही करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय): (क) सरकार को मालूम है कि यूरोकीनेस औषधि को नेत्रों में रक्त के धब्बों, पल्मोनटी एम्बोलिजम और कार्डियक इन्फार्कशन के उपचार के लिए विदेशों में बेचा जा रहा है ।

(ख) यूरोकीनेस इन्जेक्शन वाणिज्यिक रूप में भारत में उपलब्ध नहीं है । वैसे, कई व्यक्तियों, रजिस्टर्ड चिकित्सकों, चिकित्सा संस्थाओं को किसी निश्चित मूल्य तक किसी भी औषधि को उनके अपने इस्तेमाल करने के लिए अनुमति दी जाती है ।

(ग) सरकार ने अभी तक सरकारी अस्पतालों में इस इन्जाइम को रखने का कोई फैसला नहीं किया है ।

(घ) इस पर अभी तक विचार नहीं किया गया है ।

पोर्ट ब्लेयर में एक नया अस्पताल

9468. श्री मनोरंजन भक्त : क्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जी० बी० पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर. जो अन्दमान द्वीप समूह में एक मात्र सामान्य अस्पताल है, में असंतोषजनक तथा अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी है ;

(ख) क्या अन्दमान द्वीप समूह न भारत सरकार के पास एक अन्य अस्पताल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है, यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या अपेक्षित संख्या में विशेषज्ञ भेजे गए थे ; यदि नहीं, तो क्यों नहीं ; और

(घ) क्या सरकार को उक्त संघ राज्य क्षेत्र में अस्पतालों और औषधालयों में पर्याप्त दवाइयों की जानकारी है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : (श्री रवि राय) : (क) गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर में चिकित्सा सुविधाएं संतोषजनक हैं और कुल मिला कर पर्याप्त हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर में विशेषज्ञ ग्रेड-2 के 4 पदों में से 3 पद भरे हुए हैं। शेष सर्जन के एक पद और जनवरी 1979 में स्वीकृत किए गए सर्जन, फिजीशियन और प्रसूति विशेषज्ञ के 3 अन्य पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को मांग-पत्र पहले से ही भेज दिए गए हैं।

(घ) थोड़ी-थोड़ी अवधि के लिए कुछ दवाइयों की कभी-कभार कमियों को छोड़कर आम तौर पर इस संघ शासित क्षेत्र के सरकारी अस्पताल और औषधालयों में स्थिति ठीक है।

गरवा रोड पर ऊपरी पुल

9469. **श्री रामदेनी राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेहरी-आन-सीन-डाल्टनगंज लाइन पर डाल्टनगंज, गरवा रोड और जापला में रेलवे पुल न होने की वजह से, बसों और कारों के यात्रियों तथा ट्रकों को भारी कठिनाई होती है और काफी समय नष्ट होता है,

(ख) क्या इन तीन स्थानों पर दुर्घटनायें होने की निरंतर आशंका बनी रहती है और यदि फाटक बहुत देर तक बन्द रहता है, तो कभी-कभी झगड़ा भी हो जाता है,

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन स्थानों पर शीघ्र ही ऊपरी पुलों का निर्माण करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : रेल यातायात गुजारने के लिए जब भी समपार फाटक बंद किया जाता है, सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा होना अपरिहार्य होता है। लेकिन, फाटकों की सड़क और रेल यातायात की संरक्षा के अनुरूप कम से कम अवधि के लिए बंद रखा जाता है। सामान्यतः एक बार में फाटक पांच/दस मिनट के लिए बंद किये जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) वर्तमान नियमों के अनुसार ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा इस वचनबद्धता के साथ प्रायोजित किये जाते हैं कि वे अपने हिस्से की लागत को वहन करेंगे। गढ़वा रोड पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव पहले ही मंजूर कर लिया गया है और इसे 1979-80 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। डाल्टनगंज में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव प्रारंभिक स्थिति में है और स्थल मानचित्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेल प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से इस प्रस्ताव से संबंधित अपेक्षित प्रारंभिकताएं/औपचारिकताएं पूरी कर लिये जाने के उपरांत रेलों के भावी चल-स्टाक कार्यक्रम में शमिल करने के लिए यथासमय इस पर विचार किया जायेगा। जापाला में सड़क ऊपरी पुल के निर्माण के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) गढ़वा रोड पर सड़क ऊपरी पुल के निर्माण का काम 1982 तक पूरा हो जायेगा।

पासों के आधार पर यात्रा

श्री दौलतराम सारण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल गाड़ियों में पास लेकर प्रति वर्ष कितने लोग यात्रा करते हैं, इस पर विभाग को कितनी अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ती है और इस समय कितने प्रकार के पास प्रचलित हैं, और

(ख) रेलवे वारंटों के आधार पर प्रति वर्ष कितने लोग यात्रा करते हैं और इस पर विभाग को कितनी अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठा की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली परिवहन निगम बस रूट नं० 730

9471. श्री महीलाल : **क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बसों और मार्गों के लिये चार स्तरीय किराया व्यवस्थ्य लागू कर दी गई है और यदि नहीं, तो घोषित नीति का उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या बस रूट नं० 730 पर केन्द्रीय सचिवालय से जनकपुरी सी-11 बी ब्लाक तक 50 पैसे और "ए" ब्लाक 75 पैसे किराया लिया जाता है ;

(ग) क्या बस रूट नं० 730 के मार्ग से केन्द्रीय सचिवालय से सी-11 बी ब्लाक तक की दूरी 20 किलोमीटर है; और

(घ) यदि नहीं, तो कितनी दूरी है और दैनिक यात्रियों को इस रूट पर 50 पैसे किराया देकर 20 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण है

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) : बस के रूट नं० 730 पर सेंट्रल सेकेटरिएट से सी-11, बी ब्लाक जनकपुरी के बीच 18.1 किलोमीटर की दूरी है और मुसाफिरों से बस का किराया सिर्फ 50 पैसे वसूल किया जाता है।

रेलगाड़ियों में भोजनयान की सुविधा

9472. श्री सुरेंद्र विक्रम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने इस समय किन-किन रेलगाड़ियों में भोजनयान की सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं;

(ख) अगले एक वर्ष में किन-किन रेलगाड़ितों में भोजनयान कीं सुविधाएं आरम्भ किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे को गाड़ियों के भोजनयानों में सप्लाई किये जा रहे भोजन की गिरती हुई किस्म की जानकारी है; और

घ) गाड़ियों में भोजन व्यवस्था में सुधार करने के बारे में रेलवे क्या प्रयास कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) उन गाड़ियों की एक सूची संलग्न है जिन गाड़ियों में भोजनयानों/पैन्ट्रीयानों आदि की व्यवस्था है ।

(ख) भोजन/पैन्ट्रीयानों की अपर्याप्तता के कारण फिलहाल इस सुविधा को किसी अन्य गाड़ी के साथ शुरू करने का कोई प्रस्ताव रहीं हैं ।

(ग) और (घ) भोजनयानों में सप्लाई किये जाने वाले भोजन की किस्म काफी संतोषजनक होती है । आधुनिक पाक तकनीक, आधुनिक रसोई उपकरणों का प्रयोग, गाड़ियों में "परोसे जाने के लिए तैयार" भोजन की व्यवस्था करने के लिए, आधार रसोईघरों की व्यवस्था, मानक स्रोतों से कच्चे माल और अवयवों की खरीद उपयुक्त संस्थानों में खानपान कर्मचारियों के प्रशिक्षण आदि जैसे अनेक कदम रेलों द्वारा उठाये गए हैं ताकि गाड़ियों में खान-पान व्यवस्था में सुधार हो सके । इसके अतिरिक्त, जैसा कि 20-2-79 को बजट भाषण में घोषित किया गया था, एक नीति के रूप में सभी डाक/एक्सप्रेस और सुपरफास्ट गाड़ियों में खान-पान की व्यवस्था विभागीय रूप से की जायेगी ।

विवरण

गाड़ी नं०	**गाड़ी का नाम**	**खण्ड जिस पर गाड़ी चल रही है**
1. 5 डाउन/6अप (ब०ला०)	पंजाब मेल	बम्बई वी०टी-दिल्ली
2. 301 डाउन/302 अप (ब०ला०)	डक्कन कुईन	बम्बई वी०टी०-पुणे
3. 79 डाउन/80 अप (ब०ला०)	ताज एक्सप्रेस	आगरा कैंट-नयी दिल्ली
4. 309 डाउन/310 अप (ब० ला०)	बम्बई-पुणे जनता एक्स०	बम्बई वी०टी०-पुणे
5. 201 डाउन/202 अप (ब०ला०)	पंचवटी एक्सप्रेस	बम्बई वी०टी०-मनमाड

6.	59 डाउन/60 अप (ब०ला०)	गीतांजलि एक्सप्रेस	बम्बई वी०टी०-हावड़ा
7.	305 डाउन/306 अप (ब०ला०)	डक्कन एक्सप्रेस	बम्बई वी०टी०-पुणे
8.	81 अप/82 डाउन (ब० ला०)	ए०सी० एक्सप्रेस	हावड़ा-नयी दिल्ली/अमृतसर
9.	103 अप/104 डाउन (ब०ला०)	ए०सी० एक्सप्रेस	हावड़ा-नयी दिल्ली/अमृतसर
10.	81 अप/82 डाउन (ब०ला०)	ए०सी० एक्सप्रेस	हावड़ा-नयी दिल्ली/अमृतसर
11.	101 अप/102 डाउन (ब०ला०)	राजधानी एक्सप्रेस	हावड़ा-नयी दिल्ली
12.	305 अप/306 डाउन (ब०ला०)	हावड़ा-आसनसोल एक्स०	हावड़ा-आसनसोल
13.	307 अप/308 डाउन (ब०ला०)	ब्लैक डायमंड एक्स०	हावड़ा-धनवाद
14.	309 अप/310 डाउन (ब०ला०)	कोलफील्ड एक्सप्रेस	हावड़ा-धनबाद
15.	175 अप/176 डाउन (ब०ला०)	हिमगिरी एक्सप्रेस	हावड़ा-जम्मू तवी
16.	167 अप/168 डाउन (ब०ला०)	विक्रमशिला एक्सप्रेस	भागलपुर-दिल्ली
17.	119 अप/120 डाउन (ब०ला०)	गोमती एक्सप्रेस	नयी दिल्ली-लखनऊ
18.	1 अप/2 डाउन (ब०ला०)	कालका-हावड़ा मेल	कालका-हावड़ा
19.	57 अप/58 डाउन (ब०ला०)	दादर-अमृतसर एक्स०	दादर-अमृतसर
20.	369 अप/370 डाउन (ब०ला०)	दिल्ली-फिरोजपुर पैसेंजर	दिल्ली-फिरोजपुर
21.	91 अप/92 डाउन (मी०ला०)	बीकानेर मेल	दिल्ली जं०-बीकानेर
22.	93 अप/94 डाउन (मी०ला०)	जोधपुर मेल	दिल्ली जं-जोधपुर

23.	89 अप/90 डाउन (मी०ला०)	बीकानेर एक्सप्रेस	दिल्ली जं-बीकानेर
24	1 बी बी आर/2 बी बी आर (मी०ला०)	बीकानेर-रतनगढ़ पैसेंजर	बीकानेर-रतनगढ़
25.	1 पी जे/2 पी जे (मी०ला०)	पोखरन-जोधपुर पैसेंजर	जोधपुर-पोखरन
26.	1 जे बी/2जे बी (मी०ला०)	जोधपुर-बाड़मेर पैसेंजर	जोधपुर-बाड़मेर
27.	209 अप/210 डाउन (मी०ला०)	मारवाड़-रिवाड़ी पैसेंजर	मारवाड़ जं०-रिवाड़ी
28	1 एस बी/2 एस बी (मी०ला०)	समदड़ी-भिलडी पैसेंजर	समदड़ी-भिलडी
29.	1 बी एम/2 बी एम (मी०ला०)	बाड़मेर-मुन्नाबाओ पैसेंजर	बाड़मेर-मुनाबाओ
30.	1 आर एम/2 आर एम (मी०ला०)	रतनगढ़-मेढ़ता रोड पै०	रतनगढ़ मेढ़ता रोड
31.	239 अप/240 डाउन (मी०ला०)	पालमपुर-समदड़ी पैसेंजर	पालमपुर-समदड़ी
32.	9 अप/10 डाउन (मी०ला०)	कानपुर एक्सप्रेस	गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज
33.	153 अप/154 डाउन (ब०ला०)	जे०जे० एक्सप्रेस	दिल्ली-मुजफ्फरपुर
34.	3 अप/4 डाउन (मी०ला०)	आसाम मेल	बरौनी-डिब्रूगढ़ टाउन
35.	15 डाउन/16 अप (मी०ला०)	लखनऊ एक्सप्रेस	लमडिंग-लखनऊ
36.	5 अप/6 डाउन (मी०ला०)	कामरुप एक्सप्रेस	डिब्रूगढ़ टाउन-न्यु बोगांईगांव
37.	59 अप/60 डाउन (ब०ला०)	कामरुप एक्सप्रेस	हावड़ा-डिब्रूगढ़ टाउन
38.	155 अप/156 डाउन (ब०ला०)	तिनसुकिया मेल	न्यू बोगईगांव-नई दिल्ली
39.	15 डाउन/16 अप (ब०ला०)	जी०टी० एक्सप्रेस	मद्रास सेंट्रल-नयी दिल्ली
40.	121 डाउन/122 अप (ब०ला०)	तमिलनाडु एक्सप्रेस	मद्रास सेंट्रल-नयी दिल्ली

41.	139 डाउन/140 अप (ब०ला०)	गंगा कावेरी एक्सप्रेस	मद्रास बीच-वाराणसी
42.	141 अप/142 डाउन (ब०ला०)	कोरोमंडल एक्सप्रेस	मद्रास सैंट्रल-हवड़ा
43.	131 अप/132 डाउन (ब०ला०)	जे०जे० एक्सप्रेस	मंगलूर/कोचीन हारबर-हजरत निजामुद्दीन
44.	125 अप/126 डाउन (ब०ला०)	कर्नाटक-केरल एक्सप्रेस	तिरुवन्नतपुरम सैंट्रल/बंगलूर-नयी दिल्ली
45.	39 अप/40 डाउन (ब०ला०)	वृन्दावन एक्सप्रेस	बंगलूर सिटी जंक्शन-मद्रास सैंट्रल
46.	75 डाउन/76 अप (ब०ला०)	कोवई एक्सप्रेस	मद्रास सैंट्रल-कोयम्बटूर जं०
47.	211 अप/212 डाउन (मी०ला०)	मैसूर-बंगलूरु एक्सप्रेस	मैसूर बेंगलूरु सिटी जं०
48.	135 डाउन/136 अप (मी०ला०)	वैगई एक्सप्रेस	मद्रास एगमोर-मदुरै
49.	145 अप/146 डाउन (ब०ला०)	नवजीवन एक्सप्रेस	अहमदाबाद-मद्रास
50.	159 अप/160 डाउन (ब०ला०)	सारनाथ एक्सप्रेस	दुर्ग-वाराणसी
51.	21 डाउन/22 अप (ब०ला०)	दक्षिण एक्सप्रेस	हैदराबाद-नयी दिल्ली
52.	123 डाउन/124 अप (ब०ला०)	आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस	सिकन्दराबाद-नयी दिल्ली
53.	5 अप/6 डाउन (ब०ला०)	कृष्णा एक्सप्रेस	सिकन्दराबाद-गुटूर जं०
54.	1 अप/2 डाउन (ब०ला०)	गोलकुण्डा एक्सप्रेस	हैदराबाद-गुन्टूर जं०
55.	1 डाउन/2 अप (ब०ला०)	हवड़ा-बम्बई मेल	हावड़ा-बम्बई
56.	13 अप/14 डाउन (ब०ला०)	स्टील एक्सप्रेस	हावड़ा-टाटानगर
57.	11 अप/12 डाउन (ब०ला०)	इस्पात एक्सप्रेस	हावड़ा-राउरकेला

58.	161 अप/162 डाउन (ब०ला०)	टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस	टाटानगर-अमृतसर
59.	3 डाउन/4 अप (ब०ला०)	फ्रन्टियर मेल	बम्बई सैंट्रल-अमृतसर
60.	25 डाउन/26 अप (ब०ला०)	ए०सी०/पश्चिम एक्सप्रेस	बम्बई सैंट्रल-अमृतसर
61.	21 डाउन/22 अप (ब०ला०)	फ्लाईंग रानी	बम्बई सैंट्रल-सूरत
62.	171 डाउन/172 अप (ब०ला०)	जम्मू तवी सुपर फास्ट एक्स०	बम्बई सैंट्रल-जम्मू तवी
63	151 डाउन/152 अप (ब०ला०)	राजधानी एक्सप्रेस	बम्बई सैंट्रल-नयी दिल्ली
64.	1 अप/2 डाउन (मी०ला०)	अहमदाबाद-दिल्ली मेल	अहमदाबाद-दिल्ली
65.	501 अप/502 डाउन (मी०ला०)	पिंक सिटी एक्सप्रेस	जयपुर-दिल्ली
66.	23 डाउन/24 अप	दिल्ली जनता एक्सप्रेस	बम्बई सैंट्रल-फिरोजपुर
67.	15 डाउन/16 अप	सौराष्ट्र एक्सप्रेस	बम्बई सैंट्रल-वीरमगाम
68.	11 डाउन/12 अप	गुजरात एक्सप्रेस	बम्बई सैंट्रल-अहमदाबाद
69.	31 अप/32 डाउन	जयन्ती जनता एक्सप्रेस	अहमदाबाद-दिल्ली
70.	37 अप/38 डाउन	वीरमगाम-वीरावल मेल	वीरमगाम-राजकोट
71.	33 अप/34 डाउन	जनता एक्सप्रेस	महसाना-ओखा
72.	581 अप/582 डाउन	अजमेर काचीगुडा	अजमेर-रतलाम
73	181 अप/182 डाउन	सर्वोदय एक्सप्रेस	अहमदाबाद-नयी दिल्ली (1-5-79 से)

दिल्ली में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्यक्रम

9473. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री दिल्ली में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में 4 मई, 1978 के अतारांकित प्रश्न सं० 9192 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अगस्त, 1978 को दिल्ली प्रशासन को गृह मंत्रालय ने पत्र भेजकर यह पूछा था कि क्या इस बारे में कोई प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है कि क्या दिल्ली में खर्च की गई 34 लाख रुपये व्यय की कुल राशि परिवार नियोजन पर समुचित प्रकार से खर्च की गई थी ;

(ख) जांच का क्या परिणाम निकला ;

(ग) उन मामलों के नाम क्या है, जो जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गये और उन मामलों में क्या क्या आरोप थे ; और

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो और दिल्ली प्रशासन का प्रतिवेदन क्या है और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध चोपड़ा आयोग द्वारा कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के गृह मंत्रालय से परामर्श करके दिल्ली प्रशासन को 6.9.78 को यह सलाह दी थी कि वे इस मामले की जांच करायें और इस जांच में, यदि उन्हें प्रथमदृष्ट्य दण्डनीय अपराध के किसी विशिष्ट मामले का पता चले तो वे उसे नियमित जांच-पड़ताल के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजने पर विचार कर सकते हैं।

(ख), (ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इमर्जेन्सी एक्सेसिस इन्कवायरी अथारिटी, जिसके अध्यक्ष श्री आर० एन० चोपड़ा है; दिल्ली महानगर परिषद के कुछ सदस्यो द्वारा 11 5·78 के ज्ञापन में वर्णित आरोपों की जांच कर रही है। इस ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आरोप था कि कुछ लोगों ने आपात काल में नसबंदी अभियानों के सम्बन्ध में अत्यधिक धन इकट्ठा किया था। दिल्ली प्रशासन ने यह भी सूचित किया है कि इस मामले की उक्त अथारिटी द्वारा अभी भी जांचकी जा रही है।

सरोजिनी नगर औषधालय

9474 श्री निहार लास्कर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजिनी नगर औषधालय में; जहां रक्त, मल, मूत्र आदि के परिक्षण किये जा रहे हैं, लाभ प्राप्त-कर्ताओं को उनकी जांच कराने के लिए कम से कम 20 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन ऐसे कुल कितनी जांच की जा रही है;

(ग) क्या इन परीक्षणों के लिए कोई रजिस्टर भी रखा जा रहा है;

(घ) इन परीक्षणों को करने इतना लम्बा समय लगने का क्या मुख्य कारण है, जिससे वह उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है, जिसके लिए यह जांच किये जाते हैं, क्योंकि रोगियों को इतने लम्बे समय तक परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ङ) क्या अनेक व्यक्तियों मे इन परीक्षों को कुछ ही दिनों में करने के लिए और परिणामों को शीघ्र बताये जाने के लिए डाक्टरों और सम्बन्धी अधिकारियों से मौखिक रूप से शिकायतें की हैं, जिससे रोगियों को परेशानी न हो! और

(च) यदि हां, तो इन परीक्षणों को ठीक समय पर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) सरोजिनी नगर औषधालय में जो प्रयोगशाला परीक्षण किए जाते हैं वे दो प्रकार के हैं :

(1) रक्त, मूत्र, मल आदि के सामान्य परीक्षण

(2) रक्त शर्करा, यूरिया, भोजनोत्तर रक्त शर्करा आदि जैसे जीव रासायनिक परीक्षण। सामान्य परीक्षण प्रतिदिन किए जाते हैं और लाभार्थी को रिर्पोट उसी दिन शाम को उपलब्ध कर दी जाती हैं। इस प्रयोगशाला में जीव रसायनिक परीक्षण सप्ताह में केवल एक बार अर्थात् प्रत्येक बुधवार को किए जाते है। यहां भी लाभार्थियों को जीव रासायनिक परीक्षणों की रिर्पोट उसी शाम को उपलब्ध करा दी जाती है। तथापि, हाल ही में रोगियों की संख्या में वृद्धि हो जाने कारण जीव रासायनिक परीक्षण पहले आओं पहले पाओ के सिद्धान्त पर किए जा रहे हैं और कुछ रोगियों को उक्त जीव रासायनिक परीक्षण के लिए लगभग दो सप्ताह अथवा इससे अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। करनी पड़ी थी। वैसे गंभीर इमर्जेन्सी की स्थिति में जीव रासायनिक परिक्षण सप्ताह के किसी भी दिन किए जा सकते हैं।

सरोजिनी नगर औषधालय की प्रयोगशाला में प्रति सामान्य परीक्षण औसतन 50 से 55 तक और सप्ताह में एक बार जीव रासायनिक आठ परीक्षण किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) इससे सम्बन्धित तथ्य प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में पहले ही बताये जा चुके हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) इस औषधालय की प्रयोगशाला को स्वीकृत पूरा स्टाफ पहले ही दिया जा चुका है।

दिल्ली-हावड़ा वातानूकूलित एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

9475. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली हावड़ा वातानुकूलित एक्सप्रेस मार्च, 1979 के अन्तिम सप्ताह में पूर्व रेलवे के शक्तिगढ़ स्टेशन के निकट पटरी से उतर गई थी :

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण कुल कितनी हानि हुई :

(ग) गाड़ी के पटरी से उत्तर जाने के क्या कारण हैं : और

(घ) क्या मुख्य तथा कार्ड सेक्शन पर बर्दवान और हावड़ा के बीच दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये इलेक्ट्रोनिक उपकरण लगाया गया था और यदि हां, तो नई दिल्ली-हावड़ा वातानुकूलित एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के क्या कारण था :

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। दुर्घटना 24-3-1979 को हुई थी।

(ख) रेल सम्पत्ति को लगभग4,00,090 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है ।

(ग) कलकत्ता के रेलवे संरक्षा के ऊपर आयुक्त द्वारा इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की गई है। उनके अन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना तोड़-फोड़ के कारण हुई थी।

(घ) स्वचल चेतावनी प्रणाली जिसमें रेल पथ और रेल इंजन सम्बन्धी उपाय शामिल हैं केवल हावड़ा-बर्दवान कार्ड लाइन खण्ड पर स्थापित की गयी है। इस उपाय के अन्तर्गत आदान सिगनलों के पास पहुंचने वाले ड्राइवरों को चेतावनी मिलती है ताकि उन दुर्घटनाओं को रोका जा सके जो खतरे स्थान पर सिगनल से आगे निकल जाने वाले ड्राइवरों की गलती के परिणामस्वरूप होती है। इस चेतावनी प्रणाली का सम्बन्ध सवारी थाड़ियों के पटरी से उतर जाने की घटनाओं से नहीं है जैसा कि 24-3-79 को शक्तिगढ़ में वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ी के डिब्बों के पटरी से उतर जाने के मामले में हुआ था।

दुभाषियों के वेतनमानों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

9476. **श्री ज्योतिर्मय बसु : विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह अभ्यावेदन दिया गया है कि मंत्रालय में दुभाषियों के वर्तमान वेतनमान काम की जटिलता के अनुरूप नहीं हैं जो कि अत्यधिक तकनीकी है और उसके लियें अत्यधिक सक्षमता आदि अपेक्षित है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने 16 विदेशी भाषाओं के लिए 35 दुभाषियों के संवर्ग की संस्वीकृति दी हैं। एक तो इस बात का सुनिश्चिय करने के लिए इन दुभाषियों के वेतनमान अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल दुभाषियों की उच्च योग्यता के अनुरुप हों, और दूसरे दुभाषिये के काम की बारीक और नाजुक प्रकृति को देखते हुए इनके लिए उच्चतर वेतनमान निर्धारित किये गये हैं—11 पद सुपर-टाईम स्केल में ; 2000-125/2-2500 रु०, 19 पद प्रवर वेतन मान : 1290-2000 रु, और 5 पद अवर वेतनमान में 700—1300 रु० ।

कलकत्ता वृत्ताकार रेलवे

9477. **श्री चित्त बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन मंत्री को आश्वासन दिया है कि केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता में वृत्तकार रेलवे के प्रस्ताव पर पुनः विचार करने का निर्णय किया है : और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या विशिष्ट कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कुष्ठ उन्मूलन संस्थान

9478. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ उन्मूलन संस्थानों के बारे में राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई; और

(ग) उनमें से केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा चलाये जा रहे कुष्ठ उन्मूलन केन्द्रों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) एक विवरण क संलग्न है जिसमें राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले गये विभिन्न प्रकार के यूनिटों की संख्या दिखाई गई है, जो 31 मार्च 1979 तक खोले गये थे।

(ख) 1976-79 के दौरान उपर्युक्त यूनिटों पर 1612.41 लाख रुपये खर्च आया इसमें से 49.91 लाख रुपये की राशि स्वैच्छिक संगठनों को उनके सर्वेक्षण शिक्षा और चिकित्सा केन्द्रों को चलाने के लिये सहायता अनुदान के रूप में दी गई है।

(ग) एक विवरण ख संलग्न है जिसमें केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और अन्य संगठनों द्वारा चलाये जा रहे स्वैच्छिक सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्रों और कुष्ठ अस्पतालों की संख्या दी गई है।

विवरण—एक

भारत के विभिन्न राज्यों में 31-3-79 तक खोले गये कुष्ठ उन्मूलन संस्थानों की संख्या का विवरण।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एल०सी० यू०	यू०एम० एल०	एस०ई० टी०	यू०एल० यू०	आर० एस० यू०	डी० एच० डबल्यू०	एल०ई० पी० अस्पताल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	60	22	502	60	14	40	23
2.	असम	5	1	156	9	—	2	18
3.	बिहार	36	16	815	20	5	22	12
4.	गुजरात	8	4	360	20	3	6	5
5	हरियाणा प्रदेश	—	—	2	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	हिमाचल प्रदेश	6	3	7	1	1	1	4
7.	जम्मू व कश्मीर	5	—	30	2	—	2	2
8.	कर्नाटक	21	10	615	40	5	6	8
9.	केरल	2	1	331	15	1	3	7
10.	मध्य प्रदेश	9	6	431	22	2	4	12
11.	महाराष्ट्र	42	17	900	60	11	20	27
12.	मणिपुर	5	2	10	1	1	1	3
13.	मेघालय	2	—	16	1	—	1	—
14.	नागालैण्ड	1	—	22	2	1	2	2
15.	उड़ीसा	39	181	182	5	2	3	14
16.	पंजाब	—	—	—	10	1	1	11
17.	राजस्थान	1	—	50	4	—	1	2
18.	सिक्किम	1	—	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	64	19	132	48	10	25	28
20.	त्रिपुरा	2	1	10	2	—	1	—
21.	उत्तर प्रदेश	27	16	958	50	6	15	23
22.	पश्चिम बंगाल	42	17	700	50	6	30	19
संघ शासित क्षेत्र								
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	10	2	—	1	1
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	12	—	—	1	3
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—
26.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—
27.	दिल्ली	—	—	—	1	—	—	2
28.	गोआ, दमन व दीव	1	—	22	2	—	—	1
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	8	3
30.	मिजोरम	—	—	7	1	—	1	—
31.	पांडिचेरी	1	—	20	2	2	1	1
	अखिल भारत	380	153	6390	430	71	190	231

एल० सी० यू० : कुष्ठ नियंत्रण यूनिटें
यू० एस० एल० : पुराने यूनिटों का उन्मयन
एस० ई० टी० : सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र,
यू० एल० सी० : शहरी कुष्ठ केन्द्र
आर० एस० यू० : पुनः निर्मित सर्सरी यूनिटें
टी० एच० डबल्यू० : अस्थाई होस्पीटेलाइजेशन वार्ड ।

विवरण—दो

भारत के विभिन्न राज्य में प्रबन्धक तथा स्वैच्छिक सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्रों के अनुसार कुष्ठ अस्पतालों की संख्या का विवरण ।

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वैच्छिक एस० ई० टी० केन्द्र	कुष्ठ अस्पताल केन्द्रीय सरकार	राज्य सरकार	स्वैच्छिक संगठन	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	—	2	15	6	23
2.	असम	2	—	6	12	—	18
3.	बिहार	16	—	3	4	5	12
4.	गुजरात	2	—	3	—	2	5
5.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	4	—	—	4
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	2	—	—	2
8.	कर्नाटक	—	—	1	6	1	8
9.	केरल	3	—	2	5	—	7
10.	मध्य प्रदेश	2	—	7	5	—	12
11.	महाराष्ट्र	4	—	7	18	2	27
12.	मणिपुर	—	—	2	1	—	3
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
14.	नागालैंड	—	—	2	—	—	2
15.	उड़ीसा	—	1	6	4	3	14
16.	पंजाब	—	—	1	8	2	11
17.	राजस्थान	—	—	2	—	—	2
18.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडू	9	1	5	22	—	28
20.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	8	1	5	14	3	23
22.	पश्चिम बंगाल	6	—	3	9	7	19
संघ शासित क्षेत्र							
23.	अण्डमान व निकोबार द्विप समूह	—	—	1	—	—	1
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	3	—	—	2
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	दादरा नागर हवेली	—	—	—	—	—	—
27.	दिल्ली	—	—	2	—	—	2
28.	गोवा दमन दीव	—	—	1	—	—	1
29.	लक्षद्वीप	—	—	3	—	—	3
30.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
31.	पाण्डेचेरी	—	—	1	—	—	1
	अखिल भारत	58	3	74	123	31	231

टीटलागढ़ से कोयला लेने के लिये कान्ताबांजी जाने वाले इंजन के साथ एक डिब्बे का जोड़ा जाना

9479. **श्री एन्थू साहू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला टीटलागढ़ यात्री गाड़ी में जो टीटलागढ़ समाप्त होती है, कोयला लेने हेतु कान्ताबाजी जाने वाले इंजन के साथ एक डिब्बा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है : और

(ख) क्या इस आशय की मांग कान्ताबांजी से टीटलागढ़ प्रतिदिन आने जाने वाले श्रमिकों तथा जनता ने और वहां स्थित कालेज के छात्रों ने की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : 331/332 राउरकेला-टिटलागढ़ सवारी गाड़ी का इंजन प्रतिदिन कंटाबांजी को नहीं जाता। यह इंजन कभी-कभी कंटाबांजी को जाता है जब इसमें झारसुगुडा कोयला शेड में पर्याप्त रूप से कोयला नहीं भरा जाता। इसके अतिरिक्त कंटाबांजी में टर्मिनल सुविधाएं नहीं है। इसलिए 331/332 राऊर केला-टिटिलागढ़ सवारी गाड़ी को बढ़ाकर कंटाबांजी तक ले जाना और न ही कंटाबांजी तक और वापसी में टिटिलागढ़ तक इंजन के साथ बोगी लगाना संभव है।

(ख) जी हां।

देश में राष्ट्रीय राजपथों की संख्या श्रौर लम्बाई

9480. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **नौवहन श्रौर परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राष्ट्रीय राजपथों की जोनवार संख्या और लम्बाई कितनी हैं ?

नौवहन श्रोर परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जोन नहीं बनाये गये हैं। विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई और सारे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या के बारे में यहां एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई और संख्या का विवरण ।

क्र० सं०	राज्य का नाम	राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई कि० मी० में	राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या
1	2	3	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2299	5
2.	असम	1468	7
3.	बिहार	2117	9
4.	चंडीगढ़	24	1
5.	दिल्ली	72	5
6.	गोआ	229	3
7.	गुजरात	1398	5
8.	हरियाणा	681	5
9.	हिमाचल प्रदेश	630	3
10.	जम्मू व कश्मीर	641	2
11.	कर्नाटक	1996	7
12.	केरल	784	2
13	मध्य प्रदेश	2670	8
14	महाराष्ट्र	2861	9
15.	मणिपुर	211	1
16.	मेघालय	345	2
17.	नागालैंड	113	2
18.	उड़ीसा	1649	6
19.	पंजाब	913	6
20.	राजस्थान	2187	4
21.	सिक्किम	62	1
22.	तमिल नाडु	1749	8
23.	त्रिपुरा	200	1
24.	उत्तर प्रदेश	2328	10
25.	पश्चिम बंगाल	1419	8

टिप्पणी : राष्ट्रीय राजमार्ग एक से अधिक राज्यों के बीच से गुजरते हैं ।

कम्प्यूटरों/इन्वेस्टीगेटरों के पदों पर प्रतिनियुक्ति

9481. सरदार बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री अतारांकित प्रश्न संख्या 1501 दिनांक 1 मार्च, 1979 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम संत्रालय तथा श्रम व्यूरो शिमला में इन्वेस्टीगेटरों और कम्प्यूटरों के भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने से कितने अवर श्रेणी क्लर्कों/स्टेनोग्राफरों ग्रेड III प्रतिनियुक्ति पर कम्प्यूटरों इन्वैस्टीगेटरों के पद पर काम कर रहे हैं;

(ख) उन व्यक्तियों के नामों की सूची क्या है जो आपने मूल काडर पदों पर अपना ग्रहण अधिकार रखते हुए भी तीन वर्ष से अधिक अवधि से प्रतिनियुक्ति पदोन्नति पर हैं वे कब से प्रतिनियुक्ति पर हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले इन कर्मचारियों पर केन्द्र सरकार के कौन से नियम आदेश लागू होते हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) श्रम मंत्रालय और श्रम व्यूरो में इस समय 41 अवर श्रेणी लिपिक/आशुलिपिक ग्रेड III कम्प्यूटरों/इन्वेस्टीगेटरों ग्रेड-2 के पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे है।

(ख) श्रम मंत्रालय में इस समय कोई भी अवर श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक/आशुलिपिक ग्रेड-III 3 वर्षों से अधिक समय से कम्प्यूटर/इन्वेस्टीगेटर- ग्रेड-2 के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर काम नहीं कर रहा है।

श्रम व्यूरो में 17 और 2 अवर श्रेणी लिपिक / उच्च श्रेणी लिपिक / आशुलिपिकग्रेड-3 इस समय क्रमशः इन्वेस्टीगेटर ग्रेड2 और कम्प्यूटर के पदों पर तीन वर्षों से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं। इन व्यक्तियों की सूची (अनुबन्ध-1) संलग्न है।

उपर्युक्त 2 अवर श्रेणी लिपिकों ने भर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार कम्प्यूटर के ग्रेड में खपाये जाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। इन्वेस्टीगेटर ग्रेड-2 के पदों पर प्रतिनियुक्ति लगे अवर श्रेणी लिपिकों के संबंध में, श्रम व्यूरो ने 1974 में निर्णय लिया था कि उनको इन्वेस्टीगेटर ग्रेड-2 की अन्तिम वरिष्ठता सूची से निकाल दिया जाए और उन्हें उनके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित किया जाए। तथापि, कुछ अवर श्रेणी लिपकों, आदि ने श्रम व्यूरो के निर्णय को चुनौती देते हुए शिमला उच्चन्यायालय में रिट याचिकाएं दायर कीं। 6-10-1977 को दिए गए अपने निर्णय में उच्चन्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ उनके मूल संवर्ग में परावर्तन को रोका। उपर्युक्त निर्णय को देखते हुए, प्रतिनियुक्ति पर लगे व्यक्तियों को अभी तक उन के मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित नहीं किया गया है।

(ग) वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 1 (11)-ई०।11 (बी० 175, तारीख 7 नवम्बर, 1975 की एक प्रति संलग्न है (अनुबन्ध-2), जिसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के संबन्ध में समेकित निर्देश दिए गए हैं।

(मंत्रालय में रखा गया। देखिए संख्या एक ही 4413/79)

पार्सलों की चोरी

9482. **(डा० बलदेव प्रकाश)** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पार्सलों की चोरी के मामलों में दिल्ली स्टेशन में वृद्धि होने की जानकारी मिली है :

(ख) क्या चोरी के मामलों में पार्सल कर्मचारी अन्तर्गस्त हैं और उनके नाम क्या हैं :

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी और ऐसी चोरियां रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं :

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे गुप्तचर विभाग की सूचना के आधार पर दिल्ली स्टेशन के लगभग 22 पार्सल क्लर्कों और पार्सल कुलियों के समूह को 1972 में स्थानान्तिरित कर दिया गया था और उक्त कार्यवाही को श्रम संघ के राजनैतिक नेताओं के हस्तक्षेप पर स्थाई तौर पर स्थगित कर दिया गया था : और

(ङ) उस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। उनके नाम नीचे दिये गए हैं :—

1. श्री परमा नन्द
2. श्री राजेन्द्र कुमार
3. श्री वेद प्रकाश

(ग) सभी उपर्युक्त 3 व्यक्तियों को रेल सम्पत्ति (गैर कानूनी कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत 21-4-79 को गिरफ्तार कर लिया गया था। सर्वश्री राजेन्द्र कुमार और वेद प्रकाश के विरुद्ध मामले की जांच की जा रही है। श्री परमानन्द के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निश्चय किया था क्योंकि चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य केवल 9/—रुपये था।

ऐसी चोरियों को रोकने के लिए नीचे लिखे उपाय अपनाये गए हैं :—

1. संदिग्ध पार्सल कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती हैं।

2. पार्सल कार्यालय तथा उन प्लेटफार्मों पर जहां पार्सल जमा किए जाते हैं, रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को दिन-रात ड्यूटी पर तैनात किया जाता है।

3. दिल्ली स्टेशन और आस-पास के स्टेशनों पर अपराध के काम में लगे अपराधियों को अपराध संबंधी आसूचना एकत्रित करने के लिए सादे कपड़ों में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को तैनात किया जाता है।

4. रेलवे सुरक्षा बल के पर्यवेक्षण कर्मचारी पार्सल कार्यालय तथा प्लेटफार्मों पर जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल सावधान रहते हैं।

(घ) और (ङ) 1971 में 4 पार्सल लिपिकों को और 1972 में 3 पार्सल लिपिकों को मुख्य दिल्ली स्टेशन से बाहर स्थानान्तिरित करने के आदेश दिए गए थे। 3 ने स्थानान्तरण आदेश का पालन किया। शेष का स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया।

बार-बार स्थानान्तरण से कठिनाई उत्पन्न होती है। लेकिन साथ ही साथ प्रशासनिक हित में कुछ स्थानान्तरण आवश्यक होते हैं। यूनियनें भी स्थानान्तरण के बारे में अपनी राय देती हैं। यूनियनों या जन प्रतिनिधियों जैसे संसद सदस्य द्वारा जो स्थानान्तरण सम्बन्धी मामले प्रस्तुत किये जाते हैं उन पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है और प्रशासनिक हित को ध्यान में रखते हुए उन पर निर्णय लिया जाता है।

ठेके वालों के मासिक टिकट

9483. **(श्री मुकुन्द मण्डल)** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेले वालों को मासिक अथवा आवधिक टिकट जारी करने के बारे में वर्तमान नियम क्या हैं :

(ख) क्या सरकार को वर्तमान नियमों में कमी के कारण व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पता है : और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ठेले वालों की मासिक अथवा आवधिक टिकट देने के बारे में नियम लागू करने के बारे में सरकार जांच करायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) कुछ निर्धारित वस्तुओं के लिए, विशिष्ट जोड़ी स्टेशनों के बीच सामान्य मासिक सीजन टिकट किराये की अपेक्षा 25% अधिक पर मासिक वेंडर सीजन टिकट जारी किए जाते हैं। ये टिकट धारक को बहियात्रा में 60 किलोग्राम सामान मुफ्त ले जाने का हकदार बनाते हैं। रेल मंत्रालय के उपर्युक्त निदेशों के आधार पर, इस मामले में अलग-अलग रेलों द्वारा, अपनी स्थानीय स्थितियो को ध्यान में रखकर विशिष्ट नियम बनाये जाते हैं।

(ख) प्रचलित नियमों के अधीन भ्रष्टाचार तथा अनियमितता के किसी मामले को अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में सुविधाओं का अभाव

9484 (**श्री गंगा भक्त सिंह**) : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली का सर्वेक्षण कराएगी ताकि उस अस्पताल में मरीजों को होने वाली कठिनाई का पता चल सके तथा क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वहां बड़ी संख्या में मरीजों को शैय्या/चारपाई नहीं मिलती है और रोशनी तथा गर्मी के दिनों में हवा तक की व्यवस्था नहीं हैं;

(ख) गत पांच वर्षों में इस अस्पताल के विकास एवं समुचित व्यवस्था के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार मरीजों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही करने पर विचार करेगी; और

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रविराय) : (क) श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में भर्ती रोगियों की कठिनाइयों की सरकार को जानकारी है। अस्पताल के कुछ वार्डो खासतौर से प्रसूति स्त्री रोग और मेडिकल वार्डो में अत्यधिक भीड़भाड़ है और कभी-कभी अनेक अंतरंग रोगियों के लिए पलंग/चारपाइयां पर्याप्त नहीं होती हैं। सर्वेक्षण आवश्यक नहीं समझा गया है। अस्पताल में रोशनी और हवा की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल को एक फरवरी, 1978 से अपने हाथ में ले लिया है। रोगियों को अतिरिक्त स्थान उपलब्धि करने और अस्पताल में भीड़-भाड़ को दूर करने के लिए एक छः मंजिले ब्लाक के निर्माण की मंजूरी पिछले वर्ष दे दी गई है। रोगियों की तत्कालिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन रोगियों को मिनी फोल्डिंग पलंग उपलब्ध करने के आदेश दे दिए गए हैं जिन्हें यहां पर रखा जा रहा था। इस संस्थान का आगे और विकास करने के लिए एक 25 वर्ष मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया गया है।

पाक अधिकृत काश्मीर में भारत समर्थन नारे लगाया जाना

9485 : **श्री सौगत राय** :

श्री चिमन भाई एच० शुक्ल :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री भुट्टो को फांसी दिये जाने के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान काश्मीर में कोई मांग की गई है;

(ख) क्या इस मामले पर प्रदर्शन के दौरान पाक अधिकृत काश्मीर में भारत समर्थक नारे लगाये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुण्डू : (क) श्री भुट्टो को फांसी दिए जाने के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान, बताया जाता है जम्मू-काश्मीर में जम्मू और काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत प्रदेश को भारत को वापस लौटा देने की मांग की गई थी।

(ख) अखबार की खबरों से ऐसा पता लगता है कि श्री भुट्टो को फांसी दिए जाने के बाद बताया जाता है कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर में "आजाद हिन्दुस्तान" और "भारत के अधीन आजाद प्रदेश तथा पाकिस्तानी फौजों को हटाने" के नारे लगाए गए थे।

(ग) काश्मीर के सम्बन्ध में सरकार का रवैया सुविदित है।

भारतीय राष्ट्रीय सीमेंट तथा सम्बद्ध श्रमिक फेडरेशन की समस्यायें

9486. डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सीमेंट तथा सम्बद्ध श्रमिक फैडरेशन की समस्यायें सरकार द्वारा राष्ट्रीय मध्यस्थ बोर्ड को भेज दी गई हैं ;

(ख) क्या आठ से अधिक राज्यों की प्रादेशिक सुनवाई पूरी हो चुकी है ;

(ग) क्या सीमेंट श्रमिकों के लिए एक निर्देश-पद अन्तिम पंचाट से पूर्व "अन्तरिम राहत" का भुगतान है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है और अन्तरिम प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय सीमेंट तथा सम्बद्ध श्रमिक फैडरेशन की मांगें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन और फैडरेशन के संयुक्त आवेदनपत्र द्वारा दिसम्बर, 1977 श्री जी० रामानुजम और श्री आर० पी० नवेतिया की मध्यस्थता के लिए भेजी गई थीं। इन विवाचकों का पंचाट अक्तूबर, 1978 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ग) इन मांगों में से एक मांग "अन्तरिम सहायता" से संबंधित थी।

(घ) सरकार को कानून के अन्तर्गत ऐसे पंचाट प्रकाशित करने होते हैं और ये सदन की मेज पर नहीं रखे जाते। पंचाट राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।

आगरा छावनी में खराब हो सकने वाली वस्तुओं का लादा जाना

9487. श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी भागों के लिये खराब हो सकने वाली वस्तुओं विशेषकर, मछली के लदान और प्रेषण के लिए आगरा छावनी स्टेशन पर असंतोषजनक प्रबन्ध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं :

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसी वस्तुओं के खराब हो जाने के कारण माल परेषकों को हुई हानि के कारण रेलवे पर कितने और कितने मूल्य के दावे किये गये हैं और वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के लिये एक तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) आगरा छावनी स्टेशन से 8 डाउन तूफान एक्सप्रेस से मछलियों के यातायात के प्रेषण के लिए स्थान की कमी के सम्बन्ध में एक शिकायत प्राप्त हुई है ।

(ख) डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में उपलब्ध स्थान बहुत सीमित होता है ओर यह मुख्यतः गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों के वैयक्तिक सामान, समाचार-पत्रों, फिल्मों, बीमाशुदा वस्तुओं आदि के प्रेषण के लिए होता है । इन मदों की निकासी के बाद, मछली आदि जैसे नाशवान यातायात की निकासी के लिए सीमित स्थान बच जाता है । 8 डाउन तूफान एक्सप्रेस कानपुर टूंडला, इटावा, कोसीकलां, मथुरा, आगरा छावनी आदि महत्वपूर्ण शहरों से गुजरती है जहां से हावड़ा, आसनसोल आदि के लिए बड़ी मात्रा में मछलियां बुक की जाती हैं । इस गाड़ी में सीमित स्थान होने के कारण, इस गाड़ी से आगरा छावनी के लिए प्रतिदिन 20 मछलियों के टोकरों का कोटा आबंटित किया गया है । लेकिन आगरा छावनी में बिना किसी प्रकार की रुकौनी के टूंडला के लिए बाकी यातायात की निकासी सवारी गाड़ी से की जाती है और टूंडला स्टेशन से इसकी निकासी तेज चलने वाली गाड़ियों से की जाती है ।

(ग) आगरा छावनी से बुक किये गये नाशवान माल, विशेषकर मछलियों के लिए परेषकों द्वारा उठायी गयी हानि के लिए रेलों के विरुद्ध किये गये क्षत्रिपूर्ति के दावों के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं । सभी रेलों द्वारा (i) ताजे फलों और सब्जियों और (ii) अन्य नाशवान वस्तुओं के लिए भुगतान किये गये दावों की संख्या और भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की रकम के आंकड़ें वर्षवार इस प्रकार हैं :—

पण्य	1976-77		1977-78		1978-79	
	भुगतान किये गये दावों की संख्या	भुगतान की गयी रकम (लाख रुपये में)	भुगतान किये गये दावों की संख्या	भुगतान की गयी रकम (लाख रुपये में)	अप्रैल से सितम्बर तक भुगतान किये गये दावों की संख्या	भुगतान की गयी रकम (लाख रुपये में)
(i) ताजे फल और सब्जियां	16227	29.51	20340	56.49	12629	28 51
(ii) नाशवान अन्य वस्तुएं	18030	33.51	20703	42.01	14811	27.35

नेताजी की कुर्सी का वापस लाया जाना

9488. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा स्थित भारतीय राजदूत श्री बालेश्वर प्रसाद ने वर्ष 1971 में भारत सरकार को दो पत्र लिखे थे कि स्वतंत्र भारत की अन्तरिम सरकार के प्रधान, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की कुर्सी को समारोहपूर्वक भारत लाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो पत्रों का पाठ क्या है ;

(ग) क्या भारत की पिछली सरकार नेताजी की कुर्सी को राष्ट्रीय सम्मान नहीं देना चाहती थी ;

(घ) क्या उन्होंने राजदूत के पत्रों का उत्तर तक नहीं दिया था ;

(ङ) क्या वर्तमान सरकार नेताजी की इस ऐतिहासिक कुर्सी को भारत लाने के लिए शीघ्र प्रबन्ध करेगी ; और

(च) क्या तेताजी की कुर्सी को लाल किले में प्राप्त करने के लिए समुचित स्वागत समारोह किया जायेगा ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख), (ग) और (घ) मंत्रालय को 1971 में इस बारे में बर्मा स्थित भारतीय राजदूत से तो कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था लेकिन भारतीय राजदूतावास के एक कर्मचारी का एक पत्र अवश्य मिला था । सरकार में मुख्यालय और विदेश-स्थित मिशनों के बीच होने वाले पत्राचार को बताने की प्रथा तो नहीं है, फिर भी इतना कहा जा सकता है कि उक्त कर्मचारी ने सिर्फ इस कुर्सी के संरक्षक का एक पत्र प्रेषित किया था । जिसमें कुर्सी के संरक्षक ने इसे भारत सरकार को देने की पेशकश की थीं । ऐसा लगता है कि उस समय इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था ।

(ङ) और (च) 23 जनवरी, 1979 को यानीं नेता जी के जन्म दिवस के अवसर पर, "भारत सप्ताह" समारोह के आयोजन के सिलसिले में अपनी बर्मा यात्रा के दौरान मैंने भारत सरकार की ओर से उक्त ऐतिहासिक कुर्सी ग्रहण की । इस कुर्सी को भारत लाने के प्रबंधों के विषय में और तत्संबंधी अन्य प्रश्नों पर भारत सरकार इस समय विचार कर रही है ।

कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्र से मांगी गयी सहायता

9489. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **नौबहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने रज्जू पर चलनें वाली ट्राली बसें आरम्भ करने की योजना के लिए केन्द्र से स्वीकृति और सहायता मांगी है, और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चाँद राम) : (क) इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नौवहन और परिवहन मंत्रालय को नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

आकस्मिक हड़तालों पर रोक लगाना

9490. **श्री वसन्त साठे** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकस्मिक हड़तालों पर रोक लगाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिये जाने की संभावना है ?

(ग) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान कितनी आकस्मिक हड़तालों की खबर मिली और उद्योग-वार कितने जन दिवसों की हानि हुई तथा इसके क्या कारण थे ; और

(घ) इस संबंध में अन्य क्या उपाय करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) 30 अगस्त, 1978 को लोक सभा में पेश किए गए औद्योगिक संबंध विधेयक, 1978 में किए गए प्रस्ताव को छोड़कर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) समूचे समुदाय के हित में यह विधेयक कुछ विशिष्ट अनिवार्य सेवाओं में हड़तालों (और तालाबन्दियों) पर रोक लगाता है, लेकिन इसके साथ-साथ इसमें विवादों के अनिवार्य न्याय-निर्णयन की व्यवस्था है, जहां यह विवाद द्विपक्षीय बातचीत, समझौता कार्रवाई और विवाचन द्वारा तय नहीं होते । इस संबंध में ब्यौरा विधेयक के अध्याय आठ में दिया गया है ।

(ग) आकस्मिक हड़तालों और उनके परिणामस्वरूप नष्ट हुए श्रम-दिनों के संबंध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वर्तमान कानून में केवल जन-उपयोगी सेवाओं के मामले में ही हड़ताल से पूर्व नोटिस देने की व्यवस्था की गई है । 1976 से 1978 के दौरान नष्ट हुए श्रम-दिनों के ब्यौरे का विवरण अतारांकित प्रश्न संख्या 4262 के उत्तर में 22 मार्च, 1979 को लोक सभा की मेज पर रख दिया गया था ।

(घ) इस सम्बन्ध में अन्य कोई उपाय विचाराधीन नहीं है ।

गोल्डन राक वर्कशाप्स

9491. **श्री ए० मुरुगेसन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल्डन राक वर्कशाप्स में सेवानिवृत्ति के अनुपात में कर्मचारियों की भर्ती करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) विगत पांच वर्षों में सेवा-निवृत्ति की रिक्तियों पर 444 खालसी भर्ती किये गये हैं ।

मैसर्स जय इंजीनियरिंग और शक्ति आयरन फाउन्ड्री, पश्चिम बंगाल के नाम बकाया भविष्य निधि ।

9492. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैसर्स जय इंजीनियरिंग वर्क्स अब्दुल रोड, पोदर हावड़ा (पश्चिम बंगाल) और (?) शक्ति आयरन फाउन्ड्री, 77 7ए, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता, पोदरा, हावड़ा द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान भविष्य निधि की कितनी राशि जमा करायी गयी और उसकी कितनी राशि अभी जमा करायी जानी है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नानुसार सूचित किया है :

कारखाने का नाम	भविष्य निधि अंशदान की देय राशियां (मार्च, 1976 से फरवरी 1979 तक)	जमा किया गया धन रु०	बकाया जो जमा कराया जाना है रु०
1. जय इंजीनियरिंग वर्कस लिमिटेड, बंसदरोनी, टालीगंज, कलकत्ता ।	41,14,620.00	40,90,366.65	24253.35
2. जय इंजीनियरिंग प्रिंस अनवरशाह रोड़, टालीगंज, कलकत्ता ।	64,35,712.91	64,35,712.91	कुछ नहीं

शक्ति आयरन फाउण्डरी नामक प्रतिष्ठान, जो अब्दुल रोड, पोडरा, हावड़ा में स्थित है, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन नहीं आता है क्योंकि इसमें 20 से कम व्यक्ति नियोजित हैं ।

भूमिगत काम करने वाले खनिकों की मजूरी में वृद्धि

9493. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिगत काम करने वाले खनिकों की वर्तमान मजूरी में 20 प्रतिशत वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार मजूरी में इस वृद्धि को न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अधीन प्राप्त अपनी शक्तियों का उपयोग करके प्रभावी करेगी ;

(ग) क्या सरकार ने 6 मार्च, 1979 को मजूरी में इस वृद्धि के बारे में संबंधित पार्टियों को इस आशय की अधिसूचना जारी की है कि यदि उन्हें इस पर कोई आपत्ति हो तो उक्त सूचना के 75 दिन के भीतर वे आपत्तियां पेश करें ; और

(घ) मजूरी में प्रस्तावित वृद्धि के क्या कारण हैं।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) यह प्रस्ताव है विकेन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई 6 मार्च, 1979 की अधिसूचना में निर्दिष्ट रोजगारो में भूमि कि नीचे काम करने वाले श्रमिकों को देय मजदूरी की न्यूनतम दरों में संशोधन किया जाए ताकि उन श्रमिकों को 20 प्रतिशत अधिक वेतन मिल सके जो खनन प्रक्रिया में भूमिगत काम कर रहे हैं।

(ख) निर्दिष्ट समयावधि के दौरान यदि कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त होते हैं तो उनपर विचार करने के पश्चात इस संबंध में अन्तिम अधिसूचना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन जारी की जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) भूमि के नीचे काम करने वाले श्रमिकों को सामान्यतः उन श्रमिकों की अपेक्षा अधिक कठिन और जोखिम परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जो ऊपरी सतह पर काम करते हैं।

मजूरी अधिनियम भुगतान के अन्तर्गत डियुलबेरा कोयला खान के लिये उपयुक्त प्राधिकरण

9494. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा उपयुक्त सरकार, विशेषकर उड़ीसा सरकार ने, मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 15 के अन्तर्गत अपने-अपने सरकारी राजपत्र में कर्मचारियों से मजूरी वसूल करने के लिये कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों को सुनने/निर्णय लेने के लिये प्राधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी अधिसूचना जारी की है ;

(ख) क्या तालचेर कोयला खान क्षेत्रों के डियुलबेरा कोयला खान श्रमिक संघ के अध्यक्ष ने दोनों ही केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा राज्य सरकार को प्राधिकरण मजूरी भुगतान अधिनियम, 1936 को स्पष्ट करने का उल्लेख किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके उत्तर क्या हैं अथवा क्या उत्तर दिये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क), (ख) और (ग) उड़ीसा सरकार से सुचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

तालचेर ब्रांच के लिये आरक्ष कोटा

9496 **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तालचेर ब्रांच रेलवे लाइन पर कोयला क्षेत्रों, उर्वरक तथा तापीय क्षेत्रों, के सामान्य तथा औद्योगिक श्रमिकों और कटक जंक्शन पर तालचेर क्षेत्र के अन्य लोगों के लिये, दिल्ली, हावड़ा तथा मद्रास से दिल्ली जाने वाला मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में आरक्षण के कोटे के आबंटन के लिये कोई टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त हुए हैं : और

(ख) यदि हां, तो यात्रियों के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में आरक्षण उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाहीं की जा चुकी हैं अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) कटक स्टेशन पर 8 डाउन-पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस में तालचेर के लिए दो (2) पहले दर्जे की और दो (2) दूसरे दर्जे की शायिकाओं का कोटा पहले से ही आबंटित है। अन्य गाड़ियों के लिये भी कटक स्टेशन पर कोटा आबंटित किया गया है जिसका लाभ तालचेर से जाने वाले यात्री कटक स्टेक्षन को तार भेजकर उठा सकते हैं।

केरल राज्य के लिये ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम

9496. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अपने ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम की और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास एक व्यापक योजना प्रस्तुत की थी और केन्द्रीय सरकार से सहायता की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संवंधी ब्योरा क्या है ;

(ग) केरल की उन अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए उन्होंने केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां। केरल सरकार ने भारत सरकार की जन स्वास्थ्य रक्षक के विकल्प के रूप में एक योजना का प्रस्ताव भेजा है।

(ख) उनकी योजना का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) जन स्वास्थ्य रक्षकों के स्थान पर पांच-पांच हजार आबादी के लिये औषधालय होने चाहिये जिनमें अर्हता-प्राप्त डाक्टर हो। (जन स्वास्थ्य रक्षकों को देय मानदेय की राशि से इन डाक्टरों की नियुक्ति के व्यय की पूर्ति हो जायेगी।)

(ii) प्रत्येक जन स्वास्थ्य रक्षक को 50 रुपये प्रति मास की दर से दी जाने वाली दवाइयों के लिए अपेक्षित राशि इकटठी कर ली जाये और उपर्युक्त औषधालय को दे दी जाये।

(iii) प्रत्येक जन स्वास्थ्य रक्षक को 200/- रुपये प्रति मास की दर से तीन महीनों की प्रशिक्षण अवधि में दी जाने वाली स्टाइपेंड की राशि स्वास्थ्य शिक्षा शिविर लगाने के लिये इस्तेमाल की जाये जिन में प्रमुख जनमत नेताओं तथा गांव की अन्य जनता को भाग लेने के लिये कहा जाए।

(iv) प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तीसरे डाक्टर के रूप में एक सामान्य डाक्टर के स्थान पर एक बाल रोग चिकित्सक लगाया जाये।

(v) जिन क्षेत्रों में वहां के लोगों की स्थानीय पंचायत समिति एक ग्रामीण औषधालय खोलने के लिये भूमि का प्रस्ताव लेकर सामने आये वहां पर एक औषधालय खोल कर लोगों को उपचार की सुविधायें देने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) और (घ) त्रिवेन्द्रम मेकिडल कालेज अस्पताल के कैंसर के विंग का विकास करके उसे एक क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान तथा उपचार केन्द्र बनाने के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी गई है। भारत सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

योजना आयोग ने केरल के स्वास्थ्य सेक्टर कार्यक्रमों पर विचार करने के लिये एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया था। इस वर्किंग ग्रुप ने केरल राज्य द्वारा प्रस्तावित 1978-83 के लिए 6901.00 लाख रुपये के परिव्यय और 1979-80 के लिये 1426.42 लाख रुपये के स्थान पर 1978-83 के लिये 2849-36 लाख रुपये के परिव्यय और 1979-80 के लिये 617.27 लाख रुपये के परिव्यय की सिफारिश की थी। इन परिव्ययों का ब्यौरा कार्यक्रम के मोटे मोटे शीर्षों के अन्तर्गत इस प्रकार है:—

वर्किंग ग्रुप द्वारा केरल के 1978-83 के भिन्न-भिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये 1979-80 की वार्षिक योजना के लिये जितने परिव्यय की सिफारिश की गई थी तथा राज्य द्वारा प्रस्तावित परिव्ययों (रुपये लाखों में) का विवरण।

कार्यक्रम	राज्य द्वारा प्रस्तावित		वर्किंग ग्रुप द्वारा तथा प्रस्तावित	
	1978-83	1978-80	1978-83 के लिये	1979-80 के लिये
1	2	3	4	5
1. ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)	1094 00	233 00	931 69	169.97
2. रोगों का नियंत्रण/उन्मूलन	160.00	34.00	185.67	37.30
3. अस्पताल और औषधालय	1122.50	197.58	300.00	60.00

ग्वालियर के लिये कोटे का आरक्षण

9497. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्वालियर होकर अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी में दूसरी श्रेणी के शयनयान का ग्वालियर में कोटा आरक्षण न होने के कारण लोगों को वहां बहुत असुविधा हो रही है और वे ग्वालियर से कोटे की मांग कर रहे हैं :

(ख) यदि हां, तो । मई, 1979 से नई दिल्ली से ग्वालियर होकर अहमदाबाद तक आरम्भ की जाने वाली सुपरफस्ट बड़ी लाइन की गाड़ी में उक्त कोटा के आरक्षण की मांग अधिक होगी : और

(ग) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) ग्वालियर के रास्ते नयी दिल्ली से अहमदाबाद तक एक गाड़ी चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, 1-5-1979 से मथूरा जं० के रास्ते नयी दिल्ली और अहमदाबाद के बीच (पश्चिम रेलवे के मार्ग पर) सप्ताह में दो बार चलने वाली 181/182 सर्वोदय एक्सेप्रेस चालू की गयी है। 182 अप गाड़ी में मथुरा को उपयुक्त कोटा आबंटित किया गया है जिसका ग्वालियर के यात्री मथुरा स्टेशन को सूचना भेजकर लाभ उठा सकते हैं ।

जंक्शनों पर सफाई

9498. **डा० रामजी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख रेलवे स्टेशनों विशेषकर जंक्शन स्टेशनों पर प्लेटफार्मों के निकट इंजनों और डिब्बों के लिए निर्धारित स्थान पर रेलगाड़ियां खड़ी रहती हैं : जिसके परिणामस्वरूप वहां पर यात्रियों द्वारा पेशाब और टट्टी किये जाने के कारण गंदगी फैल जाती है :

(ख) यदि उस स्थान को पक्का बना दिया जाय तो क्या उसकी सफाई करना सुविधाजनक होगा :

(ग) क्या सरकार का विचार सभी रेलवे स्टेशनों पर ऐसे स्थानों का 3-4 वर्षों के भीतर पक्का बना देने का है : और

(घ) ऐसे स्टेशनों की संख्या कितनी है जहां पर प्लेटफार्मों के निकट ऐसे स्थान को इस बीच पक्का बना दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और **(ख)** जी हां ।

(ग) रेल प्रशासन की यह नीति है कि जहां-कहीं आवश्यक समझा जाता है सभी महत्वपूर्ण तथा अन्य स्टेशनों पर धुलाई योग्य फर्शों की व्यवस्था की जाती है। इस नीति के अनुसार टर्मिनल और जंक्शन स्टेशनों आदि पर पहली ही धुलाई योग्य फर्शों की व्यवस्था कर दी गई है। यह एक सतत प्रक्रिया है और धन की आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर ऐसे निर्माण-कार्यों को रेलवे निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली परिवहन निगम के बस रूट संख्या 823 पर लेडीज स्पेशल

9499. **श्री दाजीबा देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के बस रूट संख्या 823 पर प्रातः 9.18 बजे मोती बाग से और सायं 5.37 पर आई० पी० डिपो से लेडीज स्पेशल बस सेवा गत तीन महीने से नहीं चल रही है,

(ख) क्या इसके फलस्वरूप बहुत सी महिला-यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है और

(ग) क्या उन महिला यात्रियों द्वारा मार्च, 1979 में लगभग 100 हस्ताक्षरों की एक ज्ञापन दिल्ली परिवहन निगम के अध्यक्ष को दिया गया था,

(घ) यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या मागें की गई हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और

(ङ) भविष्य में इस बस सेवा को नियमित रूप से चलाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चाँद राम) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रातः काल 9.18 बजे मोती नगर से आई० पी० डिपो को रुट नं० 823 पर एक बस सिर्फ महिलाओं के लिए चलती थी। इसी तरह, दोपहर बाद 5.36 बजे रुट नं० 823 पर आई० पी० डिपो से मोती नगर को एक बस चलती थी।

चूंकि बसों के लिए महिला यात्रियों की संख्या पर्याप्त नहीं होती थी, इसलिए 13-2-79 से इन बसों को सामान्य बसें बना दिया गया ताकि पुरुष यात्री भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

एक प्रतिवेदन, जिसपर 94 महिलाओं के हस्ताक्षर हैं, मार्च, 1979 में प्राप्त हुआ था। निगम इस प्रतिवेदन पर विचार कर रहा है।

राजस्थान में गाड़ियों का रद्द किया जाना

9500. **श्री बेगाराम चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में जिला श्री गंगानगर में गत वर्ष चलने वाली दो गाड़ियां अब रद्द कर दी गई हैं ;

(ख) क्या सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ के लिए बरास्ता करणपुर-गंगानगर चलने वाली यात्री गाड़ी कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी गई है :

(ग) क्या जिला गंगानगर के सिंचित क्षेत्र होने के कारण जिले में प्रत्येक तीन किलोमीटर पर एक गांव है और इस घनी आबादी वाले क्षेत्र को इस यात्री गाड़ी को रद्द करने के कारण बहुत दिक्कत हो रही है : और

(घ) क्या पिछली सरकार द्वारा चलाई गई गाड़ियां भी रद्द कर दी गई हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) से (घ) सूरतगढ़-हनुमानगढ़ (मी० ला०) लूप खण्ड पर समय सारणी के अनुसार 5 जोड़ी गाड़ियां चलती हैं। इनमें से दो जोड़ी गाड़ियां अर्थात् । एस बी एल /2 एस बी एल तथा 3 एस बी एल/4 एस बी एल सूरतगढ़-हनुमानगढ़ (मी० ला०) सवारी गाड़ियां लाइन की टूटफूट और कोयले की कमी के कारण रद्द कर दी गयी। 1 एस बी एल/2 एस बी एल सवारी गाड़ियां 10-4-1979 से फिर से चालू कर दी गयी हैं। 3 एस बी एल /4 एस बी एल सवारी गाड़ियां जो रात को चलती हैं, इंजन कोयले की सप्लाई में पर्याप्त सुधार हो जाने पर फिर से चालू कर दी जायेंगी।

रेल फाटकों पर चौकीदार न होने के कारण दुर्घटनाएं

9501. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीने में रेल फाटकों पर चौकीदार न होने के कारण जोनवार कितनी रेलवे दुर्घटनाएं हुई :

देश में चौकीदार रहित रेलवे फाटकों की कुल संख्या कितनी है और गत दो वर्षों में कितने फाटकों पर चौकीदार रखे गये है : और

(ग) गत एक वर्ष में हुई ऐसी दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रेलवे की और गैर-सरकारी सम्पत्ति और व्यक्तियों को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) पिछले 6 महीनों के दौरान अर्थात् अक्टूबर, 1978 से मार्च, 1979 तक गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या, जो विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर बिना चौकीदार के समपारों पर हुई, नीचे दी गयी है :—

रेलवे	दुर्घटनाओं की संख्या
मध्य	2
पूर्व	1
उत्तर	2

पूर्वोत्तर	7
पूर्वोत्तर सीमा	1
दक्षिण	5
दक्षिण मध्य	2
दक्षिणपूर्व	4
पश्चिम	9
जोड़	33

(ख) भारतीय रेलों पर बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या लगभग 22,000 है। 1-4-1976 से 31-3-1978 तक की अवधि के दौरान बिना चौकीदार के 68 समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था की गयी है।

(ग) पिछले वर्ष अर्थात् 1978-79 के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर हुई दुर्घटनाओं में रेल संपत्ति के लगभग 38,405 रुपये की क्षति होने का अनुमान है।

राजस्थान में मोटरगेज लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करना

9502. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में गत दो वर्षों के दौरान मोटरगेज लाईनों को बड़ी लाईनों में परिवर्तित करने का कोई काम हुआ है :

(ख) यदि हां, तो कितना और कितनी लागत पर : और

(ग) यदि नहीं, तो इस दृष्टि से कि राजस्थान में अन्य पड़ौसी राज्यों की अपेक्षा अधिक पर्यटक आते हैं, ऐसा न करने के क्या कारण हैं।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) सूरतगढ़ से भटिण्डा (142 कि० मी०) मीटर लाइन, जिसकी 90.0 कि० मी० मार्ग-दूरी राजस्थान में पड़ती है, मई 1978 में बड़ी लाइन में बदल दी गयी है।

(ख) सूरतगढ़-भटिण्डा लाइन को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का 18 करोड़ रु० की लागत वाला काम पूरा कर दिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर-कासगंज सेक्शन पर समय की पाबंदी

9503. **महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

पूर्वोत्तर रेलवे के कानपूर कासगंज सैक्सन पर गत दो वर्षों के दौरान एक्सप्रेस यात्री गाड़ियों ने इन दो स्टेशनों के बीच दूरी तय करने में वस्तुतः कितना कितना समय लिया तथा इन स्टेशनों के बीच दूरी कितनी है :

(ख) क्या एक्सप्रेस तथा यात्री गाड़ियां बहुत विलम्ब से चलती हैं और कभी कभी तो अगले दिन पहुंचती हैं जिससे यात्रियों को अकथनीय परेशानियां होती हैं ।

(ग) क्या वह सभा पटल पर इस अवधि के दौरान इंजनों के लिए कल-पुर्जों की आवश्यकता उनके खराब होने के कारणों तथा अन्य तत्सम्बन्धी बातों का विवरण सभा पटल पर रखेंगे जिनकी देखभाल पूर्वोत्तर रेलवे के डिविजनल इंजीनियर चीफ मिकेनिकल इंजीनियर द्वारा प्रभावी ढ़ंग से नहीं की गई है जिससे कि इस सैक्सन पर गाड़िया समय से चल सकती : और

(घ) क्या वह पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर डिविजन में गाड़ियों के समय पर चलने तथा इंजनों के रख-रखाव के बारे में विस्तृत रूप से जांच करेंगे और ढिलाई से कार्य करने वाले अधिकारियों के बेहतर कार्यकरण के लिए निदेश देने तथा यात्री गाड़ियों के यात्रा-समय में कमी करने हेतु उनकी गति को तेज करने हेतु कार्यवाही करेंगे । और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवनारायण) : (क) अप्रैल, 1977 से अप्रैल 1979 तक की दो वर्ष की अवधि के दौरान कानपुर सैन्ट्रल और कासगंज (247.06 कि० मी०) के बीच तीन जोड़ी सवारी गाड़ियों का चालन समय 9 घंटे 15 मिनट तथा 12 घंटे 25 मिनट के बीच रहा और 2 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों का चालन-समय 5 घण्टे 50 मिनट तथा 6 घण्टे 35 मिनट के बीच रहा ।

(ख) जी नहीं । जनवरी, 1979 से मार्च, 1979 तक की अवधि के दौरान कानपुर सैंट्रल कासगंज खण्ड पर गाड़ियों का समय पाबन्दी प्रतिशत निम्नलिखित रहा ।

महीना	एक्सप्रेस गाड़ियां	सवारी गाड़ियां
जनवरी, 79	69.4	85.3
फरवरी, 79	63.0	85.0
मार्च, 79	76.3	89.0

(ग) 1978-79 के दौरान रेल इंजनों के कारण अर्थात् इंजनों में खराबी, इंजनों की आवश्यकताओं आदि के कारण 242 सवारी गाड़ियों की समय-पाबन्दी पर दुप्रभाव पड़ा । इन मामलों की ध्यानपूर्वक संवीक्षा की गयी है और इन गाड़ियों की समय-पाबन्दी में सुधार लाने हेतु समुचित उपचारात्मक निवारण कार्रवाई की गई है । रेलों के नियंत्रण के बाहर और भी कई कारणों से यथा खतरे की जंजीर के खींचने की घटनाएं, होजपाइपों के अलग किये जाने और शरारती तत्वों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, सार्वजनिक आंदोलनों आदि से इन गाड़ियों की समय पाबंदी पर विपरीत प्रभाव पड़ा ।

(घ) इंजनों के काम न करने और इंजनों में होने वाली हानियों आदि के लिए जिम्मेदार पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की गई है। कानपुर कासगंज और अन्य सभी खण्डों के गाड़ियों के चालन समय की, प्रति छः महीने बाद समय सारणी के संशोधन के समय पुनरीक्षा की जाती है और जहां तक व्यावहारिक होता है उनके चालन समय में कमी की जाती है। 1-4-1979 से लागू समय सारणों में 107 अप कानपुर कासगंज सवारी गाड़ी के चालन समय को नवम्बर 78 की तुलना में । घंटा 50 मिनट कम कर दिया गया है।

विशेष आकस्मिक छुट्टी

9504 **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के दिल्ली-रिवाड़ी सेक्सन पर 31-7-77 से 21-8-77 और 2-9-78 से 6-9-78 तक रेल सेवा के भंग हो जाने के कारण विदेश यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को जो इस कारण कार्यालय में उपस्थित न हो सके थे आकस्मिक छुट्टी देने के बारे में मान्यता प्राप्त यूनियन से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है : और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) पश्चिम रेलवे से स्थिति की जानकारी ली जा रही है और उसके प्राप्त होते ही, सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दुर्ग-वाराणसी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को नागपुर तक बढ़ाया जाना

9505 **श्री विजय कुमार एन० पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुर्ग वाराणसी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को नागपुर तक बढ़ाने के अनुरोध पर विचार करेगी : और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) : दुर्ग-वाराणसी सारनाथ ऐक्सप्रेस गाड़ी भिलाई-दुर्ग-क्षेत्र के औद्योगिक कर्मचारियों की सुविधा के लिए चलाई गई है। इसको नागपुर तक बढ़ाने से औद्योगिक कर्मचारी आपत्ति उठायेंगे। इसके अलावा, बिलासपुर और गोंदिया के रास्ते वाराणसी और नागपुर का मार्ग चक्करदार है। फिर भी, नागपुर और इलाहाबाद/वाराणसी के बीच के यात्री सप्ताह में दो बार चलने वाली 139/140 मद्रास-वाराणसी गंगा कावेरी एक्सप्रेस गाड़ी का उपभोग कर सकते हैं।

असिस्टेंट ड्राफ्टसमैन/एस्टीमेटर्स के पुनरीक्षित वेतनमान

9506. **श्री शिवा जी पटनायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ से असिस्टेंट ड्राफ्ट्मैन एस्टीमेटर्स को रेलवे में पुनरीक्षित 425-700 रुपये का वेतन मान देने के बारे में 18 अक्तूबर, 1969 का पत्र संख्या ए० आई० आर० एफ/38 (2232) प्राप्त हुआ है :

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ।

(ग) क्या यह सच है कि परमानैन्ट वे मिस्त्री के पदों को गैंगमैनों की पदोन्नति से भरा जाता है और वेमैन को पुनरीक्षित 380-560 रुपये का वेतनमान दिया गया है जबकि एसिस्टेंट ड्राफ्टसमैन/एस्टीमेटर्स को जिन्हें मैट्रिक के बाद दो वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करना होता है, पुनरीक्षित 330-560 रुपये का वेतनमान दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो पुनरीक्षित वेतनमान निर्धारित करते समय उक्त भेद-भाव किये जाने के क्या कारण हैं : और

(ङ) एक सरकार का उक्त असमानता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां । सरकार को आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव से 18 अक्तूबर, 1977 का एक पत्र सं० ए आई आर एफ/38 (2232) प्राप्त हुआ था जिसमें सहायक ड्राफ्ट्मैन के लिए 425-700 रुपये का संशोधित वेतनमान आबंटित करने का अनुरोध किया गया था :

(ख) विचार करने पर इन मांगों को स्वीकार्य नहीं पाया गया और तदनुसार फेडरेशन को उत्तर भेज दियागया ।

(ग) जी हां ।

(घ) रेलों का विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमानों का आबंटन तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है ।

वेतनमानों की सिफारिश करते समय आयोग ने सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखा था जैसे कार्यो और उत्तरदायित्वों की किस्म, भर्ती का स्रोत, अपेक्षित अर्हतायें, पदोन्नति की संभावनायें तथा आन्तरिक सापेक्षताएं । वेतन आयोग ने विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों की एसोसिएशनों के अभ्यावेदनों पर भी विचार किया था तथा अपनी सिफारिशें प्रा प्रस्तुत करने से पहले उनके मौखिक साक्ष्य भी लिखे थे ।

इन सब बातों को देखते हुए रेल पथ मिस्त्रिओं तथा सहायक ड्राब्ट्समैनों के संशोधित वेतनमान निर्धारित करने में कोई पक्षपात नहीं हुआ है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

ड्राइंग आफिस के कर्मचारी

9507 **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्राइंग आफिस के कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में इण्डियन रेलवे ड्राइंग स्टाफ एसोसियेशन (रजिस्टर्ड) के महासचिव से 11 जुलाई, 1977 का एक ज्ञापन मंत्री महोदय को प्राप्त हुआ था :

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है : और

(ग) क्या ज्ञापन में की गई मांग के अनुसार सरकार का ड्राइंग आफिस के कर्मचारियों के वेतनमानों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन में किये गये नये अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है ।

(ग) जी नहीं ।

लेखा विभाग के ग्रेड 1 के क्लर्क

9508. **प्रो० समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनल रेलों के लेखा विभाग में, प्रत्येक ....ग, ग्रेड 1 के कुल कितने ऐसे क्लर्क काम कर रहे हैं जो अपने वेतनमान के अधिकतम वेतन पर पहुंच चुके है; और

(ख) उनको राहत देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) स्थिति नीचे दी गई है ।

रेलवे	ग्रेड 1 के लिपकों की संख्या जो अपने वेतन-मान के अधिकतम पर रुके हुए हैं ।
मध्य	192
पूर्व	325
उत्तर	437
पूर्वोत्तर	314
पूर्वोत्तर सीमा	42
दक्षिण	623
दक्षिण मध्य	115
दक्षिण पूर्व	238
पश्चिम	506
कुल	2,792

(ख) जो कर्मचारी अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचकर रुके हुए हैं उन को किस प्रकार की राहत दी जाये इसके बारे में संयुक्त परामर्श तंत्र की योजना के अधीन राष्ट्रीय परिषद के स्तर पर विचार किया जा रहा है ।

विदेशी यातायात लेखा कार्यालय के अनुभाग अधिकारी (लेखा)

9509 **प्रो० समर मुखर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे, दिल्ली में काम कर रहे अनुभाग अधिकारी (लेखा) को आवश्यक श्रेणी में माना जाता है और उत्तर रेलवे के यातायात लेखा कार्यालय में काम कर रहे अनुभाग अधिकारी इस श्रेणी में नहीं आते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिव नारायण) : (क) और पश्चिम रेलवे पर, मार्च, 1958 से क्वार्टरों के आबंटन के प्रयोजन ।

(ख) सभी अनुराग अधिकारियों (लेखा विभाग) को "अनिवार्य" के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है । लेकिन, उत्तर रेलवे पर अनुभाग अधिकारियों (लेखा) को "अनिवार्य" के रूप में वर्गीकृत करने का प्रश्न सम्बद्ध रेल प्रशासन द्वारा विचार करने के उपरान्त रद्द कर दिया गया है ।

"अनिवार्य" और "अननिवार्य" के रूप में कर्मचारियों का वर्गीकरण केवल रेलवे क्वार्टरों के आबटन के प्रयोजन से महत्वपूर्ण है । चूंकि परिवर्तनीय स्थानीय स्थितियों का लेखा-जोखा करना होता है और रेल प्रशासनों को अपनी जरूरतों के अनुसार इन दो कोटियों में कर्मचारियों को वर्गीकृत करने के अधिकार प्राप्त है इसलिए, "अनिवार्य" और अननिवार्य कोटि में कर्मचारियों के समरूप वर्गीकरण का कोई आपरिबर्तनीय सिद्धान्त न तो निर्धारित किया गया है न ही किया जा सकता है । अतएव महा प्रबन्धक ही अलग-अलग स्थानीय स्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन दो कोटियों में कर्मचारियों का वर्गीकरण करते हैं ।

विदेश यातायात लेखा कार्यालय में प्रदर्शन

9510 **प्रो० समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978 में विदेश यातायात लेखा कार्यालय पश्चिम रेलवे दिल्ली के कार्यालय के द्वार पर अनेक प्रदर्शन हुए थे और कर्मचारी समस्याओं का अभी समाधान नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मागें क्या हैं और सरकार द्वारा प्रत्येक मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें मांगों का ब्यौरा दिया गया है। सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी स्त्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर अपेक्षित विचार किया जाता है तथा उपर्यक्त कार्यवाई की जाती है। विभिन्न कोटियों के कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया जाता है और इन मांगों को संयुक्त समझौता तंत्र तथा स्थायी वार्तातन्त्र और संयुक्त परामर्श तन्त्र के विभिन्न स्तरों के द्वारा तथा गैर मान्यता-प्राप्त निकायों के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श करके भी हल किया जाता है।

उत्तर रेलवे यातायात लेखा कार्यालय पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों द्वारा निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई :

1. 5 कर्मचारियों की अनिवार्य जमा योजना की राशि की वापसी
2. भवन निर्माण अग्रिम
3. मकान किराये की वापसी
4. वेतन निर्धारण के मामले
5. क्वार्टर खाली कराया जाना
6. अनिवार्य जमा योजना की तीसरी किश्त का भुगतान
7. कार्ड पास जारी करना
8. 40 कर्मचारियों को बाढ़ अग्रिम
9. अजमेर के काम का कर्मचारियों सहित स्थानान्तरण
10 स्कूटर अग्रिम
11. मुख्यालयों के आर-पार पासों का जारी किया जाना
12. अप्रेंटिसों की भर्ती
13. खानपान विभाग से सम्बन्धित नीति के लिए कर्मचारियों का स्थानान्तरण
14. कर्मचारी क्वाटरों का निर्माण
15. कर्मचारियों की कमी
16. 1977 के दौरान श्रेणी चार के कर्मचारियों को श्रेणी तीन में पदोन्नत करने के लिए आयोजित परीक्षा को अन्तिम रूप दिया जाना
17. विशेष नैमित्तिक छुट्टी
18. कर्मचारियों के अभ्यावेदनों का विलम्ब से निपटान

19. हमाल की कोटि को समाप्त करना

20. श्रेणी चार के कर्मचारियों की तदर्थ आधार पर पदोन्नति

सवारी डिब्बा तथा माल डिब्बा कारखाना

9511. **श्री एस० श्रार० दामाणी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तथा विदेश में सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों की मांग को पूरा करने के लिए एक और रेलवे सरकारी डिब्बा तथा माल डिब्बा कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या प्रस्तावित कारखाना महाराष्ट्र राज्य के नागपुर सिटी में स्थापित करने के लिए विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां. ।

(ख) ब्योरे की जांच की जा रही है ।

(ग) जी हां, अन्य अनेक स्थलों के साथ-साथ ।

भवन निर्माण श्रमिकों के लिए विधान

9512. **श्री एस० श्रार० दामाणी** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण श्रमिकों की कार्य स्थितियों को नियमित करने के लिए एक विधान बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब और प्रस्तावित विधान का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसको किस प्रकार प्रभावी किया जायेगा ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : (क), (ख) और (ग) : औद्योगिक विवाद अधिनियम में प्रदान की गई सुरक्षा और तंत्र, निर्माण उद्योग में श्रमिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। अन्य श्रम कानून जो भवन और निर्माण उद्योग में श्रमिकों पर इस समय लागू होते हैं या लागू किए जा सकते हैं इस प्रकार हैं:—

(1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 ;

(2) ठेका श्रम (विनियम और उत्पादन) अधिनियम, 1970;

(3) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; और

(4) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, जिसे इस अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन राज्य सरकारों द्वारा भवन और निर्माण उद्योग में लागू किया जा सकता है। तथापि, किसी भी राज्य सरकार ने इस अधिनियम को अभी तक लागू नहीं किया है।

सरकार भवन और निर्माण उद्योग में लगे श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी केन्द्रीय विधान अलग से बनाने की आवश्यकता पर भी विचार कर रही है।

भारतीय रेलवे में प्रभावी पर्यवेक्षण

9513. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे में प्रभावी पर्यवेक्षण समाप्त हो गया है जैसा कि रेलवे बोर्ड में संयुक्त निदेशक, परिवहन आयोजना ने कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भारतीय रेलवे में पर्यवेक्षी सेवा में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। सम्भवतः आशय "इंडियन रेलवेज" पत्रिका के मार्च, 1979 के अंक में प्रकाशित संयुक्त निदेशक परिवहन (योजना), रेलवे बोर्ड द्वारा लिखित "टुवर्ड सेफर ट्रैवल" शीर्षक के अन्तर्गत एक लेख से है। लेखक द्वारा अपने लेख में व्यक्त विचार उसके अपने व्यक्तिगत विचार है। इस पत्रिका के 'विषय वस्तु' वाले पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि "इस पत्रिका में प्रकाशित लेख एवं विवरण आवश्यक रूप से रेल मंत्रालय के विचारों और उनकी नितियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।"

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मेहसना रेलवे स्टेशन

9514. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में मेहसना रेलवे स्टेशन को नया रूप देने के लिए वर्ष 1962 में राजस्व सर्वेक्षण संख्या 22 की। एकड़ 31 'गुंठा' भूमि से 'गुंठा' भूमि का अधिग्रहण किया था;

(ख) इस भूमि का रेलवे ने कैसे उपयोग किया :

(ग) क्या उस भूमि पर एक गैर सरकारी पार्टी ने एक सिनेमा बना लिया है : और

(घ) उक्त भूमि को खाली कराने के लिए मंत्रालय का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और 8 गुंठा (न कि 4 गुंठा) रेलवे की भूमि यार्ड का ढाचा बदलने के लिए सर्वेक्षण नं० 22 में खरीदी गयी थी।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अमीरगढ़ स्टेशन

9515. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में अमीरगढ़ स्टेशन के प्लेटफार्म के निर्माण के जिस कार्य के लिए 1977-78 में मंजूरी दी गई थी, उसे आरम्भ न करने के क्या कारण है और उसे कब तक पूरा किया जायेगा ;

(ख) क्या वहां पर पानी की टंकी के लिए पम्प रूम का निर्माण रेलवे द्वारा पहले ही कर लिया गया है और ग्राम पंचायत का पानी का पाइप निकट से ही गुजरता है ; यदि हां, तो फ्लस शौचालय न बनाने के क्या कारण है और वे बनाए जायेंगे और यदि हां तो कब ;

(ग) क्या स्टेशन पर बिजली भी नहीं है और गांव के लिए बिजली मंजूर कर दी गई हैं ; यदि हां, तो क्या इस स्टेशन को बिजली देने के लिए विद्युत बोर्ड के पास समय पर मांग भेजी जाएगी ; और

(घ) क्या दिल्ली जाने वाली कोई एक्सप्रेस गाड़ी वहां पर नहीं रुकती यदि हां, तो क्या 32-डाउन अथवा किसी अन्य गाड़ी को इस स्टेशन पर रोकने के आदेश जारी किये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) श्री अमीरगढ़ रेलवे स्टेशन में पहले से ही पटरी तल के प्लेटफार्म की व्यवस्था की गयी है । 1977-78 में इस स्टेशन के प्लेटफार्म पर किसी अन्य काम की स्वीकृत नहीं दी गयी है ।

(ख) इस स्टेशन पर किसी पम्पघर का निर्माण नहीं किया गया है । गांव को पानी की सप्लाई करने वाली एक पाइप लाइन स्टेशन के निकट से गुजरती है । निधि की उपलब्धता और स्टेशन के सापेक्षिक महत्व के अनुसार विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सूखे किस्म के शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलने का काम रेलों द्वारा योजनाबद्ध के आधार पर किया जा रहा है । इस स्टेशन पर भी, फ्लश किस्म के शौचालयों की व्यवस्था उसकी बारी आने में की जायेगी ।

(ग) इस स्टेशन पर इस समय बिजली की व्यवस्था नहीं है । इसकी कोई सूचना नहीं है कि गांव के लिए बिजली मंजूर की गयी है । बिजली के निकट उपलब्ध होने पर इस स्टेशन पर बिजली लगाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

(घ) जी हां, श्री अमीरगढ़ स्टेशन डाउन दिशा में तीन सवारी गाड़ियों से सेवित होता है इस स्टेशन से होने वाले यात्री यातायात के आधार पर दिल्ली की ओर आने वाली लम्बी दूरी की किसी तेज गाड़ी के ठहराव की व्यवस्था करना औचित्यपूर्ण नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में नियुक्तियों के मामले में अनियमिततायें

9516. श्री दया राम शाक्य :

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित सी० जी० एच० एस० आयुर्वेदिक अस्पताल में सी० जी० एच० एस० स्पेशिलिस्टों तथा मैडिकल सुपरिन्टेंडेंटों की नियुक्ति के मामले में अनियमितत तथा निलम्ब होता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में किए गए तदर्थ चयन में उक्त आयुर्वेदिक अस्पताल में गैर डिप्लोमाधारियों को पदोन्न करके मैडिकल सुपरिन्टेडेंट तथा स्पेशिलिस्ट बना दिया गया है जो सी० जी० एच० एस० नियमों के प्रतिकूल है जिनके अनुसार ऐसे पद पर स्नातकोत्तर या इससे अधिक की उपाधि वाला व्यक्ति होना चाहिए ; और

(ग) इस प्रकार कितने पद भरे गऐ और सी० जी० एच० एस० अयुर्वेदिक पद्धति में कितने अहर्ता प्राप्त स्नातकोतर उम्मीद्वार हैं तथा उन्हें सी० जी० एच० एस० आयुर्वेदिक अस्पताल में मैडिकल सुपरिन्टेंडेंट तथा स्पेलिस्ट के पदों के लिए अवसर क्यों नहीं दिया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) आयुर्वेदिक अस्पताल (नई-दिल्ली) में वरिष्ठ फिजीशियन (आयुर्वेद) और चिकित्सा अधिकारी-सह-अधीक्षक के दो पद क्रमश: 27-7-1976 और 21-2-1977 को बनाए गए थे । इन पदों को भरा नहीं जा सका क्योंकि इन पदों के भर्ती नियमों पर अभी भी विचार किया जा रहा था । तथापि, इन पदों को भरने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर इन पदों के लिए भर्ती नियमों के प्रारूप के प्रावधानों के अनुसार 3 फरवरी, 1979 से इन पदों को तदर्थ आधार पर नियुक्तियां कर दी गई थीं। इन पदों को तदर्थ आधार पर भरने से कोई अनियमितता नहीं हुई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में कार्य कर रहे दो वरिष्ठतम आयुर्वेदिक फिजीशियनों की पदोन्नति करके ये पद भर लिए गए हैं। हालाँकि दोनों अधिकारियों के पास कोई स्नातकोत्तर अहर्ताएं नहीं हैं फिर भी भर्ती नियमों के प्रारूप के अनुसार वे इस पद पर नियुक्ति के पात्र थे ।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में आयुर्वेदिक फिजीशियनों के 48 पद हैं। जिनमें से 15 पद खाली हैं। 16 फिजीशियनों के पास स्नातकोत्तर अहर्ताएं हैं। इन दो पदों पर तदर्थ नियुक्तियां करते समय 9 वरिष्ठतम फिजीशियनों के नामों पर विचार किया गया था। आयुर्वेद अस्पताल (नई दिल्ली) में वरिष्ठ फिजीशियन (आयुर्वेद) और चिकित्सा अधिकारी-सह-अधीक्षक के पदों पर नियमित नियुक्तियां भर्ती नियमों के उपबधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जायेंगी ।

आयुर्वेदिक विशेषज्ञों तथा अधीक्षकों की नियुक्ति

9517. (**श्री हुक्म चन्द कछवाय**) : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना में गत छः महीनों के दौरान आयुर्वेदिक विशेषज्ञों और चिकित्सा अधीक्षकों के पदों पर कोई नियुच्तियां की गई हैं, और यदि हां, तो नियुक्ति किए गए व्यक्तियों के नाम, वर्तमान नियुक्ति की तारीख, शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव आदि का ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या यह सच है कि एलोपैथी के क्षेत्र में केवल उन्हीं डाक्टरों की नियुक्ति की जाती है जिन्हें किसी विषय का विशिस्ट ज्ञान हो और जो शैक्षिक योग्यताओं, अनुभव आदि की शर्तें पूरी करते हों, परन्तु आयुर्वेदिक विशेषज्ञों तथा चिकित्सा अधीक्षकों की नियुक्तियां करते समय उक्त प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया जाता है और आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में अर्हता प्राप्त तथा अनुभवी डाक्टरों की सेवाओं की उपेक्षा कर दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य में चिकित्सालयों में (आयुर्वेदिक) इस समय कार्यरत डाक्टरों की अर्हतायें तथा अनुभव क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रविराय) : (क) जी हां, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के आयुर्वेदिक अस्पताल के वरिष्ठ फिजीशियन (आयुर्वेदिक) और चिकित्सा अधिकारी-सह अधीक्षक के पद 3 फरवरी, 1979 से तदर्थ आधार पर भर लिए गए हैं। अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्रम सं०	फिजीशियन का नाम	वर्तमान पद	आयुर्वेदिक फिजीशियन के पद पर नियुक्ति की तारीख	शैक्षिणक अर्हताएं	सरकार के अधीन आयुर्वेद फिजी-शियन के पद पर अनुभव
1.	डा० सूर्य प्रकाश	चिकित्सा अधिकारी-सह-अधीक्षक आयुर्वेद अस्पताल	14-9-64	वैद्य वाचरिपति	लगभग $14\frac{1}{2}$ वर्ष
2.	डा० कुमारी ललितेश कश्यप	वरिष्ठ फीजीशियन (आयुर्वेद)	11-6-65	बी० आई० एम० एस०	लगभग $13\frac{1}{2}$ वर्ष

(ख) एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में विशेषज्ञों के पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल कर लिए गए हैं और उन व्यक्तियों से भर लिए गए हैं जो ऐसे पदों के लिए निर्धारित अपेक्षित अर्हताएं, अनुभव आदि रखते हैं।

वरिस्ठ फिजीशियन (आयुर्वेद) और चिकित्सा अधीक्षक, आयुर्वेद अस्पताल के पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में शामिल नहीं किए गए हैं और इन पदों के लिए अलग से भर्ती नियम बनाए गए हैं। ये पद इन भर्ती नियमों के प्रारूप के अनुसार तदर्थ आधार पर भर लिए गए हैं।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

क्रम सं०	फिजीशियन का नाम	शैक्षिणक अर्हतायें	नियुमित नियुक्ति की तारीख	टिप्पणी
1.	श्री सूर्य प्रकाश	वैद्य वाचस्पिति	31-1-63	इस समय चिकित्सा अधिकारी सह-अधीक्षक। आयुर्वेद में वरिष्ठ फिजी-शियन
2.	श्री कु० ललितेश कश्यप	बी० आई० एम० एस	23-9-64	
3.	श्री रानेकांत एस० अग्निहोत्री	जी० सी० ए० एम० एच० वाई० ए०	27-1-65	—
4.	डा० (श्रीमती) संतोष अरोड़ा	आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेद वाचस्पिति एम० ए० (संस्कृत)	24-7-65	—
5.	श्री रवीन्द्र नाथ सिंह	बी० ए० ए० बी० एम० एस० डी० आयुर्वेद एम० बी० एच० यू०	20-7-67	—
6.	श्री रघुनन्दन प्रसाद साहू	जी० ए० एम० एस०	23-8-69	—
7.	डा० डी० डी० पांडे	ए० एम० बी० एस०, डी० आयु० एम०	10-12 1969	—
8.	डा० सी० पी० गुप्त	जी० ए० एम० एस०, एच पी० ए०	31-12-69	—
9.	डा० (श्रीमती) वी० जैन	जी० ए० एम० एस० एच० पी० ए०	1-1-1970	—
10.	डा० एस० एस० शुक्ल	जी० ए० एम० एस०, एच० पी० ए०	23-4-73	—
11.	डा० डी० आर० वर्मा	डी०आई०एम०एस०,एच०पी०ए	22-3-1973	—
12.	डा० के० बी० गुप्ता	वैद्याचार्य एच० पी० ए०	25-9-1975	—

1	2	3	4	5
13.	डा० एच० एस० भट्टाचार्य	डी० ए० एम० एस० एच०	3-6-1975	—
		पी० ए०	3-6-1975	—
14.	डा० श्रीमती (डी० कटोच	ए० एम० बी० एस०	2-6-75	—
15.	डा० (श्रीमती) एस० शर्मा	बी० आई० एम० एस०	26-9-75	—
16.	डा० एम० एल० शर्मा	भंक्जाचार्य, आयुर्वेद वृहस्पति	3-7-76	—
17.	डा० एस० आर० त्रिवेदी	भेषजाचार्य	21-6-76	—
18.	डा० एस० एन० दत्त बरुआ	बी० आई० एम० एस० आयुर्वेद रतन	15-12-75	—
19.	डा० बी० डी० परमार (अनुसुचित जाति)	भेषजाचार्य	9-9-76	—
20	डा० एम० डी० गोखारी (अनुसूचित जाति)	बी० एस० ए० एम०	12-8-76	—
21.	डा० के० शाम मोहन	एल० ए० एम०	26-3-77	—
22.	डा० मुतूकृष्णन	एम० एस० ए० एम०	26-11-77	—
23.	डा० एस० माधवन (अनुसूचित जाति)	एल० ए० एम०	8-7-77	—
24.	डा० (कुमारी) एस० विजय लक्ष्मी	बी० एस० सी० बी० एस० ए० एम०	24-12-77	—
25.	डा० (श्रीमती) ए० एम० जोशी	बी० ए० एम० एस०	14-7-77	—
26.	डा० (श्रीमती) एम० एस० रीटा	डी० ए० एम०	4-8-77	—
27	डा० (श्रीमती) के० एन० इस्वारी अम्मा	डी० ए० एम०	28-6-77	—
28.	डा० (कुमारी) अलका दातार	बी० ए० एम० एस० एम० डी० (आयुर्वेद)	25-7-77	—
29.	डा० (श्रीमती) जी० डी० पुष्पा (अनुसूचित जाति)	बी० ए० एम० एस०	10-8-77	—
30.	डा० (श्रीमती) सरिता देवी	वैद्याचार्य	1-12-77	—
31.	डा० (कुमारी) के० के० सोलंकी	बी० एस० ए० एम०	11-7-77	—
32.	डा० (कुमारी) लीलादेवी सोनवा-I (अनुसूचित जनजाति)	बी० एस० सी० डी० एम० एम० एस०	1-2-78	—
33.	डा० वी० डी० गुप्ता (अनुसूचित जाति)	ए० एम० बी० एस०	1-12-77	—

मैडिकल अधिकारियों को मैडिकल स्टोरों के प्रभारी रूप नियुक्ति

9518. श्री के० लकप्पा : क्या **स्वास्थ्य परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय लिया है कि तीन वर्ष से अधिक समय तक मैडिकल अधिकारियो, को मैडिकल स्टोर के प्रभारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो तीन वर्ष से अधिक समय से ऐसे पदों पर नियुक्ति अधिकारियों की संख्या कितनी है जिन्हें स्थानान्तरित नहीं किया गया है और इसमें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के होम्योपैथी, आयुर्वेदी और स्टोर शामिल हैं और इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री **(श्री रवि राय) :** (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता । लेकिन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कोई भी अधिकारी ऐसे पद पर तीन वर्ष से अधिक समय के लिए नियुक्ति नहीं किया गया है ।

मेडिको कैमिस्ट कानपुर

9519. श्री के० लकप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर से आशय की शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कानपुर मै० मेडिको कैमिस्ट्स ने उनके संगठन के कार्यालय के कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ करके वर्ष 1972 से 1978 की अवधि के दौरान सम्पूर्ण व्यापार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली थी ।

(ख) क्या उक्त कार्यालय कर्मचारियो की सांठ गांठ से कोई नई फर्म के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर के साथ करार समाप्त कराने के लिए मै० मेडिको कैमिस्ट्स उत्तरदायी थे; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कदाचरों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रविराय) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का 15 दिसम्बर, 1978 का एक पत्र मिला था जिस में अन्य बातों के साथ.साथ उन्होंने यह बताया था कि मैसर्स मेडिको कैमिस्ट को अपने प्रभाव के के कारण नीचे लिखी अवधि को छोड़कर 1972 से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कानपुर के लिए प्राधिकृत मेडिकल कैमिस्ट नियुक्ति किया गया था :—

1. **मैसर्स बम्बई मेडिकल स्टोर;**
   जुलाई 74 से जून 75 तक
2. **मैसर्स सुन्दर मेडिकल स्टोर;**
   जुलाई 76 से नवम्बर 76 तक ।

मैसर्स मेडिको कैमिस्ट्स के पास वर्ष 1978 का भी ठेका था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके कार्यालय के लेखा अनुभाग के स्टाक ने यह निर्णय लिया प्रतीत होता है कि इस ठेके को मैसर्स मेडिको कैमिस्ट्स के अलावा किसी अन्य कैमिस्ट को चलाने की अनुमति न दी जाय।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की शिकायत पर उपयुक्त प्रशासनिक कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई है।

महिलाओं के रोजगार के संबंध में अध्ययन दल की सिफारिशें

9520. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय महिलाओं को रोजगार के बारे में भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद् के अध्ययन दल ने क्या निष्कर्ष तथा सिफारिशें की हैं ; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) भारतीय महिलाओं में रोजगार पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् के किसी अध्ययन दल द्वारा दी गई किसी ऐसी रिपार्ट या किसी ऐसी निष्कर्ष की सूचना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

नौकरी खोजने वाले व्यक्तियों का आयु सीमा से बड़ा होना

9521. **श्री एस० आर० रेड्डी।** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को को पता है कि अनेक जवान लड़के नौकरी की तलाश में हैं और प्रतीक्षा करते करते वे अन्त में आयु सीमा से बड़ी आयु के हो जाते है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1972-73 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालु रजिस्टर में 30.4 प्रतिशत रोजगार चाहने वाले व्यक्ति (यह जरूरी नहीं है कि वे सभीं बेरोजगार हों) 25 वर्ष या इससे सधिक आयु के थे, जो सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए सामान्य विहित आयु है।

उद्योग पर कोयले की कमी का प्रभाव

9522. श्री एस० आर० दामाणी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेल व्यवस्था की 14 लाख जन शक्ति वाली संख्या और कोयला उद्योग की 8 लाख जन शक्ति वाली संख्या के प्रत्येक स्तर पर मानव सम्बन्धों और एक दूसरे के प्रति उनकी परस्पर कार्यवाही, जिसके परिणामस्वरूप कोयले की कमी हो गई है और जिसका हाल ही के महीनों में विभिन्न उद्योगों, विशेषकर बिजली घरों तथा इस्पात संयंत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, की जांच करने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो निदेश पदों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और जांच प्रतिवेदन किस समय सीमा तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) फिलहाल इस प्रकार की किसी समिति का गठन विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास-कलकत्ता सड़क मार्ग के लिए चार लेन वाला वाहन मार्ग

9524 श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि मद्रास-कलकत्ता सड़क मार्ग के एम० 252/0 से 268/0 तक (गुंटूर और विजय वाड़ा के बीच) दो लेन वाले वाहन मार्ग को चार लेन वाले वाहन मार्ग में बदला जाये, और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 में मद्रास-कलकत्ता सड़क के 253 मील से 268 मील तक के भाग में मौजूदा दो लेनों वाले यान मार्ग को चार लेनों में चौड़ा करने के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त सुझाव की जांच मंत्रालय में की गयी। लेकिन वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं के कारण इस निर्माण कार्य को प्राथमिकता देना संभव नहीं हो सका है ।

बेगमपेट में उपरिपुल

9525. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बेगमपेट में एक उपरिपुल बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो, इसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) जी हां।

(ख) इस काम को रेलवे के 1980-81 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो और दक्षिण मध्य रेलवे व राज्य सरकार के बीच अभिकल्प, सामान्य व्यवस्था ड्राइंग, आवलन आदि जैसी प्रारम्भिकताओं/औपचारिकताओं को अन्तिम रूप दे दिया जाए।

दुर्घटनाएं

9526. श्री पी० राजगोपाल नायडू:
श्री ए० आर० बद्री नारायण
श्री निहार लास्कर :
श्री एस० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष (जनवरी, 1979-अप्रैल, 1979) रेलवे में कितनी बड़ी दुर्घटनायें हुई ; और

(ख) इन दुर्घटनाओं के संबंध में की गई जांच के निष्कर्ष क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) रेल दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम, 1950 के अनुसार बड़ी दुर्घटना का आशय यात्रियों को ढोने वाली उस गाड़ी या गाड़ी के भाग के साथ होने वाली दुर्घटना से है, जिसमें 10 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हो जाय या 20 से अधिक व्यक्ति हताहत हो जायं अथवा जिसे केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा एक बड़ी दुर्घटना घोषित कर दे। इस प्रयोजन के लिए 'हताहत' का अभिप्राय किसी कर्मचारीकी मृत्यु या आंशिक अपंगता अथवा पूर्णरुपेण अंपगता से है।

1-1-79 से 20-4-79 तक की अवधि में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल कालेज, अस्पताल

9527. डा० रामजी सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेडिकल कालेज अस्पताल हैं ;

(ख) क्या बिहार राज्य की दयनीय आर्थिक स्थिति और बहुत अधिक जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार राज्य में मेडिकल आलेज-अस्पताल खोलने का है ; और

(ग) क्या सरकार भागलपुर में पिछड़े क्षेत्र वो इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कयाण मन्त्री (श्री रवि राय) : (क) पाण्डिचेरी और नई दिल्ली ।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

चूना पत्थर के निक्षेपों वाले क्षेत्रों में रेल लाइनें

9528. श्री डी० डी देसाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चूना पत्थर के निक्षेपों वाले क्षेत्रों में नई रेल लाइनों के निर्माण या वर्तमान मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य रेलवे के विचाराधीन है ;

(ख) क्या उद्योग मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड को एक ऐसा अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. **मानिकगढ़ चन्दूर**—दक्षिण पूर्व रेलवे में 6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से आवर पुर-बकारडीह-नवकारी-कुसुम्बी और चन्द्रपुर-तूतरा-सोनपुर क्षेत्रों में, जहां चूने के पत्थर के भंडार भारी मात्रा में सुलभ हैं, तीन बड़े/मध्य आकार के सीमेंट कारखानों की जरूरतों की पूर्ति के लिए मानिकगढ-चन्दूर बड़ी रेल लाइन का निर्माण करने की व्यवस्था की गयी है ।

2. **वाणी चनाका** चनाका-भीम कुंड में चूने के पत्थर के भंडारों में स्थित सीमेंट फैक्टरियों की जरूरतों की पूर्ति के लिए वाणी-चनाका रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है ।

3. **बूंदी के रास्ते कोटा से चित्तौड़गढ़ :** बूंदी के रास्ते कोटा से चित्तौड़गढ़ तक बड़े आमान की नयी लाइन का सर्वेक्षण कार्य शुरू किया जा रहा है यह लाइन इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली सीमेंट फैक्टरियों और अन्य उद्योगों तथा चूने के पत्थर के उद्योंगों से उत्पन्न होने वाले यातायात की ढुलाई के लिए उपयोगी होगी इसे 1979-80 के बजट में शामिल कर लिया गया है ।

4. **रतलाम-अजमेर**—राजस्थान और मध्य प्रदेश में चूने के पत्थरों के क्षेत्रों में स्थापित/विस्तृत की जाने वाली सीमेंट फैक्टरियों के लिए रतलाम-अजमेर में अतिरिक्त लाइन क्षमता के निर्माण कार्य और किशनगढ़-फुलेरा खंड को दोहरी लाइन में बदलने क कार्य भी विचाराधीन है।

लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली में अप्रयुक्त पड़े उपकरण

9529. **श्री एम गोपाल रेड्डी :**

श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली में कार्डियो वस्कुलर प्रयोगशाला अप्रयुक्त पड़ी है ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी नहीं ; श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (लेडी हार्डिंग अस्पताल), नई दिल्ली की कार्डियो वस्कुलर प्रयोगशाला का उपयोग विभाग की व्यावसायिक सेवाओं और अनुसंधान कार्य के लिए किया जा रहा है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पूचिया को मान्यता देना

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान कम्पूचिया से पोलपोट समर्थकों के अंतिम विरोध के चिन्ह समाप्त होने संबंधी अघतन समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या पोल पोट के कम्पूचिया से भाग जाने के समाचार भी सरकार के ध्यान में लाये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अब कम्पूचिया के नये शासन को मान्यता देने के निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क), (ख) और (ग) :—कम्पूचिया में लड़ाई जारी रखने के संबंध में हमने कई परस्पर-विरोधी खबरें देखी हैं । जैसाकि समय-समय पर सदन में बताया जा चुका है, सरकार, कम्पूचिया की स्थिति पर निरन्तर नजर रखे हुए है और जब उपयुक्त तथा आवश्यक समझेगी, इस संबंध में निर्णय लेगी ।

ग्रामों में कैंसर यूनिट

9531. **श्री बालासाहिब विरवे पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक अवस्थाओं में उत्तर का निदान करने और पता लगाने के लिए ग्रामों में कैंसर यूनिट स्थापित करने का कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि सरकार को जन स्वास्थ्य के हित में गैर-सरकारी व्तक्तियों को ऐसे कंसर यूनिट स्थापित करने की अनुमति देने में कोई आपत्ति है तो क्या ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कैंसर का प्रारम्भिक अवस्था में निदान करने और पता लगाने के लिए गांवों में कैंसर यूनिटें स्थापित करने के लिए विशेष भवनों, आधुनिकतम उपकरणों, उच्च प्रशिक्षण प्राप्त डाक्टरों और तकनीशियनों की आवश्यकता होगी । संसाधनों की कमी और सचारी रोगों की शीघ्र रोकथाम करने की जरूरत तथा गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करने के कारण गांवों में कैंसर यूनिटें स्थापित करना कठिन है ।

(घ) सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और वह स्वैच्छिक धर्मार्थ संगठनों से मिलने वाले सहयोग का स्वागत करेगी ।

बीड़ी श्रमिकों में टी० बी० रोग

9532. **श्री बालासाहिब विरवे पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उद्योगों तथा विशेषकर बीड़ी श्रमिकों में टी० बी० रोग को प्रारंभिक चरणों में रोकने तथा इसका प्रभाव कम से कम करने के लिए, ताकि इसका सर्क्रमण रोका जा सके, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा बीड़ी श्रमिकों की प्रतिवर्ष डाक्टरी जांच कराए जाने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या संबंधित उद्योगों के लिए कानून के अन्तर्गत ऐसा करना अपेक्षित हैं और श्रमिकों की वार्षिक डाक्टरी जांच सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय).(क) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

(1) बीड़ी वर्कर्ज वेल्फेयर सेस एक्ट, 1976 और बीड़ी वर्कर्ज वेल्फेयर फण्ड एक्ट, 1976 के अधीन बीड़ी कर्मचारी कल्याण निधि की स्थापना की गई है । ये अधिनियम 15-2-77 से लागू किये गये हैं ।

(2) चिकित्सा परिचर्या को प्राथमिकता दी गई है तथा टी० बी० रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं एवं उपचार सेवाएं प्रदान करने के लिए देश के भिन्न-भिन्न भागों में 28 औषधालय और मैसूर में 10 पलंगों वाला एक अस्पताल तथा निम्ट्टिा, औरंगाबाद में एक चैस्ट क्लिनिक खोल दिया गया है ।

(3) बीड़ी कर्मचारियों के लिए टी० बी० अस्पताल में पलंगों को सुरक्षित रखने की एक योजना (विवरण संलग्न) चालू कर दी गई है।

(ख) यद्यपि ऐसी कोई योजना नहीं चलाई गई है, तथापि, जैसाकि भाग (क) के उत्तर में जिक्र किया गया है टी बी० रोगियों की चिकित्सा परिचर्या के साथ-साथ उपचार की व्यवस्था की गई है।

(ग) जहां तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मालूम है, बीड़ी कर्मचारियों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है।

विवरण

बीड़ी कर्मचारियों के लिए क्षय रोग अस्पतालों में पलंगों के आरक्षण की योजना

बीड़ी के धन्धे वाले क्षेत्रों में क्षय रोग से पीड़ित रोगियों के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता का भली-भांति पता है। इस फण्ड का प्रयास यह है कि इससे स्थापित किये जाने वाले अस्पतालों में क्षय रोग के उपचार की सुविधाएं प्रदान की जाएं। इन अस्पतालों को स्थापित किये जाने में कुछ समय लगेगा और क्षय रोग से पीड़ित रोगियों के लिए अपेक्षित पैमाने पर सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। अतः सेनीटोरियम उपचार प्रदान करने के लिए अन्य फण्ड संगठनों, नान-फण्ड क्षय रोग अस्पतालों / सेनीटोरियम के अन्तर्गत चल रहे अस्पतालों में पलंग आरक्षित करना इस फण्ड के लिए आवश्यक है।

ऐसे क्षय रोग अस्पतालों / सेनीटोरियम में बीड़ा कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए पलंग आरक्षित किये जाएंगे। आरक्षण सम्बन्धी व्यय, (जिसमें कीमती दवाइयों, एक्स-रे, आपरेशन आदि का खर्च भी शामिल होगा) अस्पताल के प्राधिकारियों के परामर्श से तय किया जाएगा, जिन मामलों में प्रतिवर्ष प्रति पलंग 3600/- रुपये (तीन हजार, छः सौ रुपये) से अधिक खच होगा, उनमें सरकार की पूर्व स्वीकृति ली जाएगी। जिस अवधि तक रोगी पलंग पर रहेगा, उस अवधि तक भुगतान करना होगा। क्षय रोग से पीड़ित और सेनीटोरियम में, जहां फण्ड द्वारा पलंग आरक्षित किए गए हैं, इलाज करा रहे बीड़ी कर्मचारियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी :-

(1) चिकित्सकीय उपचार : 9 महीनों से अनधिक निःशुल्क इलाज किया जाएगा। उन आपवादिक मामलों में, जिनमें इलाज करने वाला सेनीटोरियम किसी खास रोगी को शल्य चिकित्सकीय बाधा आदि के कारण इस अवधि के अलावा और अधिक समय तक रखना चाहता है, कल्याण आयुक्त इस 9 महीनों की अवधि के बाद ठहरने की मंजूरी दे सकता है।

(2) जीवन निर्वाह/भत्ता : किसी सेनीटोरियम में क्षय रोग का इलाज करा रहे बिड़ी कर्मचारी के आश्रितों को उस अवधि के लिए, जो नो महीने से अधिक नहीं होगी, अधिकतम 50 रुपये प्रतिमास जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा जिन मामलों में रोगी परिवार का केवल एकमात्र कमाने वाला व्यति हो और उसके पास आय का कोई और स्रोत न हो। जिन महिला

रोगियों के पति कार्य करते हों अथवा जो रोगी बीड़ी कर्मचारियों के आश्रितों हों, उन्हें यह भत्ता नहीं दिया जाएगा। जब आश्रितों की संख्या एक हो, तो जीवन निर्वाह भत्ते की रकम 35/- रुपये (पेंतीस रुपये) प्रतिमात होगी और जब आश्रितों की संख्या एक से अधिक होगी तो जीवन-निर्वाह भत्ते की रकम 50/- रुपये (पचास रुपये) प्रतिमास होगी।

(3) **रेल किराया :** जिस स्थान से रोगी को सेनीटोरियम के लिए भेजा जाता है, उस स्थान से द्वितीय श्रेणी का रेल किराया तथा छोटे रूट से वापिस जाने का किराया दिया जाएगा।

(4) **रोड माइलेज :** छोटे रास्ते द्वारा जाने और वापिस आने का केन्द्रीय सरकार के समूह 'घ' के कर्मचारियों की स्वीकार्य दर पर रोड द्वारा यात्रा किराया दिया जाएगा।

(5) **आहार खर्च :** यदि दो अलग-अलग दिनों को यात्रा की गई हो, तो जाने और वापिस आने के लिए प्रतिदिन दो रुपये का भुगतान किया जाएगा।

(6) **परिचर के लिए भुगतान :** यदि संबंधित चिकित्सा अधिकारी लिखित रूप में यह प्रमाणित करे कि रोगी के साथ एक परिचर का होना जरूरी है, तब रोगी के साथ जाने वाले परिचर को रोगी की भांति द्वितीय श्रेणीं का किराया और रोड माइलेज भी दिया जाएगा। तथापि, परिचर को कोई आहार खर्च नहीं दिया जाएगा।

पात्रता

एक कर्मचारी जिसमें बीड़ी संस्था में कम-से-कम छः महीने की लगातार सेवा की हो और जिसका वेतन पांच सौ रुपये प्रतिमास से अधिक न हो, वह कर्मचारी क्षय रोग के निःशुलक उपचार और आर्थिक लाभों की उपर्युक्त सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा। इन सुविधाओं को प्राप्त करने के पात्र कर्मचारियों पर पूरी तरह आश्रित पत्नी और 21 वर्ष तक की आयु के अविवाहित बच्चे तथा माता-पिसा को भी निःशुल्क इलाज सुविधाएं और आर्थिक लाभ प्रदान किए जाएंगे।

आरक्षित पलंगों पर भर्ती के लिए विहित परिपत्र में एक आवेदन-पत्र (दो प्रतितों में) फण्ड के चिकित्सा अधिकारी को प्रबन्धक / मालिक के माध्यम से दिया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी रोगी की जांच करेगा और किसी क्षय रोग अस्पताल / सेनीटोरियम में रोगी को भरती करने अथवा न करने की जरूरत के बारे निर्णय करेगा। चिकित्सा अधिकारी अपनी टिप्पणियों सहित आवेदन-पत्र की एक प्रति तत्काल आयुक्त को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजेगा।

जिस अस्पताल में इस योजना के अन्तर्गत पलंग आरक्षित किये गये हैं, उस प्रत्येक अस्पताल में विहित परिपत्र में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें आरिक्षित पलंग पर भरती होने वाली बीड़ी कर्मचारियों का ब्यौरा दिया जाएगा। जिन मामलों में भर्ती की मंजूरी नहीं दी गई हो, उसके कारण भी दिये जाएंगे।

रोगी के पूर्णरूप से स्वस्थ हुए बिना छुट्टी देने अथवा किसी भी कारण से किसी अन्य अस्पताल में स्थानान्तरण करने की स्थिति में क्षय रोग अस्पताल / सेनीटोरियम का चिकित्सा अधिकारी ऐसे स्थानान्तरण अथवा छुट्टी देने के 48 घंटे के अन्दर-अन्दर कल्याण आयुक्त को उसकी सूचना देने की व्यवस्था करेगा।

इण्डियन मेडिकल टेक्नोलाजीकल एसोसिएशन द्वारा अभ्यावेदन

9533. **प्रो० समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी विद परिषद का गठन करने के लिए इण्डियन मेडिकल लेब्रोरेटरी टेक्नोलाजीकल एसोसियेशन ने अनेक अभ्यावेदन दिये है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और ऐसी मांग के पीछे क्या तर्क हैं ;

(ग) क्या सरकार इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ;

(घ) क्या अधिक आधुनिक और सन्तुलित स्वास्थ्य सदाय प्रणाली की योजना बनाने के लिए ऐसी परिषद का गठन आवश्यक हैं ;

(ङ) क्या विश्व के अन्य विकसित देशों में भी ऐसी परिषदें है ;

(च) क्या प्रभावी चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए ऐसी परिषद् आवश्यक है; और

(छ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) से (छ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पत्तन इंजीनियरिंग कार्य को हुगली डार्किग से पृथक करने के लिये अभ्यावेदन

9534. **प्रो० समर गुह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली गोदी के अस्तित्व को बनाये रखने और प्रभावी उत्पादकता के केन्द्रीय सरकार से इस आशय का अभ्यावेदन दिया गया है कि हुगली डाकिंग को पत्तन इंजीनियरिंग कार्य से पृथक कर दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) से (ग) इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (आई आर सी आई) ने कम्पनी का जीर्णोद्धार कर विकास

करने के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार की है जिसमें इसको आधुनिक बनाने, युक्तियुक्त करने और पुनर्गठित करने के बारे में अनेक सुझाव शामिल हैं। सरकार ने इन सुझावों पर भी निर्णय नहीं लिया है।

आरक्षित स्लीपर कोचों में ठण्डे पानी की सप्लाई

9535. **श्री लालजी भाई** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में देश के विभिन्न राज्यों में चलने वाली एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियों के आरक्षित स्लीपर कोचों में ठण्डे पानी की सुविधा देना आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सुविधा संभवतः कब तक उपलब्ध करायी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां, यात्री जनता के लिए इस गर्मी के मौसम से महत्वपूर्ण और टाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में मिट्टी के बर्तनों (मटकों) में पीने के पानी की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

विदेशों में भारतीय श्रमिकों की मृत्यु

9536. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** । क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के माध्यम से अथवा भारत की मजदूर सप्लाई करने वाली एजेन्सियों के माध्यम से विदेशों, को भेजे गये किसी भारतीय श्रमिक की गत दो वर्षों में मृत्यु हुई अथवा उसे मारा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है और राजनीतिक रूप से अशान्त देशों में उनकी सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) । (क) और (ख) इस मंत्रालय अथवा भारत की भर्ती एजेन्सियों के माध्यम से जिन भारतीय श्रमिकों को विदेश भेजा गया था और वहां जिनका देहान्त हो गया है, उनकी संख्या का ठीक-ठीक पता लगाया जा रहा हैं और इस संबंध में सूचना सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

हमारे विदेश स्थित मिशन अपने क्षेत्राधिकार के देशों में राजनीतिक दंगे होने की स्थिति में, भारतीय राष्ट्रिकों की, जिनमें भारतीय श्रमिक भी शामिल है, जीवन-रक्षा के लिए ऐसी भी सावधानी बरतते हैं जो कि उन परिस्थितियों में अपेक्षित हो।

गत छह महीनों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा ट्रिपों का मिस किया जाना

9537. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा सामान्यतः न लगाये गये फेरों की औसत संख्या कितनी है और क्या इस अवधि के दौरान न लगाये गये फेरों की औसत संख्या में वृद्धि हुई हैं,

(ख) क्या जमुना-पार क्षेत्र में चलने वाली बसों द्वारा सामान्य रूप से और स्वर्ण टाकीज से विशेष रूप से प्रातः 8.45 तथा 9 15 के बीच रूट नं० 320 पर चलने वाली बसें नियमित रूप से अपने फेरों को नहीं लगाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री चांद राम) : (क) दिल्ली परिवहन की बसों की जो ट्रिप नहीं हो पाती है उनकी संख्या में वृद्धि नहीं बल्कि कमी हुई है जो नीचे दिये गये आँकड़ों से स्पष्ट है :—

महीना	ट्रिपों की संख्या			
	नियत	पूरी की गई	छूट गई	नियत ट्रिपों की अपेक्षित छूटी हुई ट्रिपों का अनुपात
जनवरी 79	33,425	29,230	4,192	12,54
फरवरी 79	33,097	30,064	3,027	9,15
मार्च, 79	32,489	29,488	3,001	9,24

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम शहर में बस सेवा में सुधार लाने और नियत ट्रिपों पर निगरानी रखकर और रास्ते में खराब हो जाने वाली बसों को शीघ्र सुधारने के लिए उपाय सुनिश्चित कर इस बात की लगातार कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में बसें चलें।

दुर्घटनायें और लूटपाट

9538. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण :**
श्री निहार लास्कर :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी और मार्च, 1979 के महीनों के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ रेलगाड़ियों में लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि हुई हैं ;

(ख) क्या लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार दुर्घटनाओं के मामलों की तरह उन व्यक्तियों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है, जिनके साथ लूटपाट की जाती है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मालभाड़े में कमी

9539. श्री ए० आर० बद्रीनारायण :
श्री पी० एम० सईद :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा समाचार है कि वर्ष 1978-79 की रेलवे विभाग माल भाड़े में कमी पूरी नहीं कर सकता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) 1978-79 के माल यातायात के लदान के लक्ष्य में कमी के लिए विभिन्न कारण नीचे दिये गये हैं :-

(1) सीमेंट उर्वरकों, कोकिंग कोयला आदि के काफी आयात के कारण यातायात के पुराने स्वरूप में परिवर्तन तथा खाद्यान्नों का बन्दरगाह पर रुका रहना ।

(2) गत वर्ष बर्षा ऋतु में अभूतपूर्व वर्षा एवं बाढ़ें।

(3) नियोजन आरक्षण-नीति के विरोध में जन आन्दोलन,

(4) विभिन्न पत्तनों का असंतोषजनक निष्पादन

(5) जूट कर्मचारियों की हड़ताल के कारण माल डिब्बों की रुकौनी,

(6) पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण-पूर्व रेलों पर रेल कर्मचारियों के कुछ वर्गों द्वारा आन्दोलन ।

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं, जिनमें अतिरिक्त माल डिब्बों की खरीद, माल डिब्बों के लिए पहिया सेटों का आयात आदि शामिल हैं ।

फोर्जिंग मशीन आपरेटर

9540. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वर्कशापों में फोर्जिंग मशीन आपरेटरों के वेतनमान कुशल आपरेटरों के हैं अथवा अर्द्ध कुशल के हैं;

(ख) यदि वेतनमान कुशल तथा अर्द्ध कुशल दोनों आपरेटरों के हैं तो उसके क्या कारण हैं और उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियां क्या हैं ; और

(ग) यदि वेतनमान कुछ जोनल रेलवे में कुशल और कुछ में अर्द्ध कुशल आपरेटरों के हैं तो सबको कुशल आपरेटरों के वेतनमान देने के लिए क्या और कब से कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नवजीवन एक्सप्रेस में अतिरिक्त डिब्बे लगाना

9541. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद और मद्रास के बीच इस समय चल रही "नवजीवन एक्सप्रेस" एक या एक से अधिक अतिरिक्त डिब्बे लगाने का है जिन्हें उपयुक्त स्टेशन पर काट दिया जायेगा और केरल तक की सीधी यात्रा के लिये उपयुक्त स्टेशन पर जोड़ दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां तो कब और कैसे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अहमदाबाद और केरल के बीच थ्रू यात्रियों की सुविधा के लिए आरकोणम में मेल लेने वाली गाड़ियों अर्थात्-अहमदाबाद से आरकोणम के लिए 145-नवजीवन एक्सप्रेस में और आरकोणम से कोच्चिन तक 41-कोच्चिन एक्सप्रेस में दूसरे दर्जे में 50 शायिकाओं का ब्लाक आरक्षण सुलभ है। वापसी यात्रा में आरकोणम तक 20-तिरुवनन्तपुरम-मद्रास मेल में और आरकोणम से अहमदाबाद तक 146 नवजीवन एक्सप्रेस में आरक्षण की सुविधा है। आरकोणम में दोनों दिशाओं के लिए गाड़ी बदलने की व्यवस्था सुविधाजनक समय पर रखी गयी है।

लेकिन, थ्रू सवारी डिब्बे की व्यवस्था करना परिचालनिक दृष्टि से सुविधाजनक नहीं है।

बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण

9542. **प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बाल श्रमिकों की वर्तमान प्रथा और उसके प्रसार के बारे में एक पूर्ण सर्वेक्षण स्वंय कर रही है अथवा उसने किसी अन्य निकाय को ऐसा करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका तथ्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय पर एल० सी० ओ० अभिसमयों को अपनाया है ;

(घ) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) बालकों के नियोजन से संबंधित समस्याओं पर विचार करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया है ।

(ख) इस समिति में 16 सदस्य हैं तथा उसके अध्यक्ष श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी हैं । समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(i) वर्तमान कानूनों, उनकी एर्वान्तता तथा कार्यान्वियन पर विचार करना और कार्यान्वियन में सुधार करने तथा त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी कार्यवाही का सुझाव देना ।

(ii) बाल श्रमिकों के विस्तार, व्यवसाय, जिनमें बालक नियोजित हैं, आदि पर विचार करना और ऐसे नवीन क्षेत्रों का सुझाव देना जहां बालकों के नियोजन को समाप्त करने/उसे विनियमित करने के लिए कानून लागू किये जा सकते हैं ।

(iii) कल्याण उपायों, प्रशिक्षण तथा अन्य सुविधाओं के बारे में सुझाव देना, जिन्हें नियोजित बालको के हित के लिए लागू किया जा सकता है ।

(ग) सरकार ने बालकों तथा तरुण व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा पारित 18 अभिसमयों में से 6 अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है ।

(घ) देश में निम्नलिखित छः अभिसमयों का अनुसमर्थन तथा कार्यान्वियन किया गया है :

(1) न्यूनतम आयु (उद्योग) अभिसमय (संख्या 5) 1919.

(2) न्यूनतम आयु (कोयला वाले ट्रिमर्स) एवं आग वाले (स्टोकर्स) अभिसमय (संख्या-15), 1921.

(3) न्यूनतम आयु (सतह के नीचे कार्य) अभिसमय (संख्या 123), 1973

(4) तरुण व्यक्तियों की डाक्टरी परीक्षा (समुद्र) अभिसमय (संख्या 16), 1921.

(5) तरुण व्यक्तियों का रात-कार्य (उद्योग) अभिसमय (संख्या 6), 1919.

(6) तरुण व्यक्तियों का रात-कार्य (उद्योग) अभिसमय (संशोधित संख्या 9) 1948.

(ङ) सामान्यतया ऐसे अभिसमयों का, जो भारत जैसे विकासशील देशों की दशाओं से असंबंधित मानक निर्धारित करते हैं, अनुसमर्थन नहीं किया गया है। कुछ मामलों में, जबकि मानक अस्त्रीकार्य नहीं होते हैं, तो भी देश के कानून और प्रैक्टिस अभिसमय का अनुसमर्थन करने के लिए पूर्णतया अनुकूल नहीं होते हैं।

कांडला पत्तन पर विदेशी जहाजों का खड़ा होना

9543. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काण्डला पत्तन पर विदेशी जहाज खड़े होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान प्रतिमास वहां कितने जहाज खड़े हुए और वे किन-किन देशों के थे ;

(ग) क्या उक्त सभी जहाज मालवाहक थे अथवा कि उनमें यात्री-जहाज भी थे ;

(घ) क्या भारी भीड़ भरे बम्बई डाकयार्ड से कुछ जहाज अन्यत्र भेजने के लिये सरकार कोई कदम उठा रही है ; और यदि हां, तो कैसे और किस आधार पर, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1977 और 1978 के दौरान कांडला पोर्ट पर विदेशी उहाजों के आवागमन की स्थिति विवरण। में दिखाई गई है जो यहां संलग्न है।

(ग) कांडला पर कोई यात्रियों को लाने ले जाने वाले जहाज नहीं आते हैं और यहां सभी जहाज माल लाते ले जाते हैं।

(घ) कुछ जहाजों को बम्बई से कांडला की ओर मोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने माल के युक्तिसंगत वितरण के लिए एक अन्तर्मन्त्रालय स्थायी समिति गठित की हैं। यह समिति विभिन्न पत्तनों पर भारी माल के आवागमन की स्थिति की समीक्षा करती है और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर माल के आने जाने वाले पत्तन के बारे में निश्चय करती है। इसके फलस्वरूप उर्वरक, खाने के तेल, सीमेंट इत्यादि लाने वाले अनेक जहाजों को बम्बई से कांडला की ओर मोड़ा जाता रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं होता।

विवरण—एक

वर्ष 1977 में कांडला पोर्ट पर विदेशी जहाजों का आवागमन

मास	अमेरिकी	ब्रिटिश	डच	जर्मन	ग्रीक	जापान	लाइबेरियन	नार्वेजियन	पनामा	रूसी	सिंगापुर	अन्य
जनवरी	कुछ नहीं	2	1	2	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1	1	1	1	3	6
फरवरी	कुछ नहीं	1	2	1	कुछ नहीं	कुछ नही	2	कुछ नह	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1	3
मार्च	1	कुछ नहीं	1	2	1	कुछ नहीं	1	2	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	4
अप्रैल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1	1	1	कुछ नहीं	4	1	1	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1
मई	1	1	कुछ नहा	1	3	कुछ नहीं	2	कुछ नहीं	1	2	कुछ नहीं	4
जून	कुछ नहीं	1	1	2	1	1	1	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1	कुछ नहीं	3
जुलाई	3	1	5	1	2	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2	1	2	कुछ नहीं	3
अगस्त	1	1	1	1	2	1	4	2	1	2	1	2
सितम्बर	1	3	कुछ नहीं	2	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2	1	1	कुछ नहीं	4
अक्तूबर	1	2	कुछ नहीं	1	2	कुछ नहीं	1	कुछ नहीं	1	1	कुछ नहीं	2
नवम्बर	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2	कुछ नहीं	5	3	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2	2	3
दिसम्बर	1	1	कुछ नहीं	2	4	4	1	1	3	5	कुछ नहीं	2
कुल	9	13	12	18	16	11	20	11	10	17	7	37

विवरण—दो

वर्ष 1978 में कांडला पोर्ट पर विदेशी जहाजों का आवागमन

मास	अमेरिकी	ब्रिटिश	डच	जर्मन	ग्रीक	जापान	लाइबेरियन	नार्वेजियन	पनामा	रूसी	मोरोको	अन्य
जनवरी	2	1	1	कुछ नहीं	2	कुछ नहीं	1	3	कुछ नहीं	5	कुछ नहीं	3
फरवरी	2	1	कुछ नहीं	2	2	2	1	3	कुछ नहीं	3	1	1
मार्च	3	कुछ नहीं	कुछ नहीं	4	1	4	2	2	कुछ नहीं	9	1	3
अप्रैल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2	4	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	3	2	कुछ नहीं	4
मई	1	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2	1	1	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1	2	1	3
जून	2	3	1	1	2	2	1	1	2	4	2	5
जुलाई	कुछ नहीं	1	कुछ नहीं	1	2	2	4	1	कुछ नहीं	3	1	5
अगस्त	3	2	कुछ नहीं	2	4	कुछ नहीं	2	2	3	1	कुछ नहीं	1
सितम्बर	1	2	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2	2	कुछ नहीं	1	2	2	2	3
अक्तूबर	2	कुछ नहीं	1	2	2	2	कुछ नहीं	3	1	5	1	3
नवम्बर	1	कुछ नहीं	2	कुछ नहीं	4	4	2	कुछ नहीं	3	2	1	1
दिसम्बर	2	1	2	कुछ नहीं	5	1	4	कुछ नहीं	कुछ नहीं	2	कुछ नहीं	2
कुल	19	11	7	16	31	20	17	16	15	40	10	34

बम्बई पत्तन के कार्य के लिए नई योजना

9544. श्री पी० एम० सईद :
श्री निहार लास्कर :
श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन ने कोई ऐसा निर्णय लिया है जिसका बम्बई पत्तन के कार्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पत्तन के कार्य में कहां तक सुधार हुआ है ;

(घ) क्या उक्त निर्णय कलकत्ता पत्तन पर भी, जिसे हाल ही में 35 करोड़ रुपए की हानि हुई है, लागू किया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त निर्णय अन्य पत्तनों पर कब लागू किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) मंत्रिमंडल समिति बम्बई पत्तन में माल के जमाव और रखने उठाने की समस्याओं की जांच कर रही है। इस समिति के मुख्य निर्णयों में से कुछ इस प्रकार है :—

(i) पत्तनों पर उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बम्बई पत्तन से अन्य पत्तनों की ओर माल भेजना।

(ii) बम्बई में घाट सुविधाओं को देखते हुए माल को समुद्र के बीच ही उतारना।

(iii) पत्तन टांसिट-शैडों और माल गोदामों पर माल के जमाव को कम करना।

(iv) अनिर्णीत मसलों के हल करने के लिए श्रमिक नेताओं से बातचीत करना।

(ग) घाट की प्रतीक्षा कर रहे जहाजों की संख्या जो 17-3-79 को 48 थी 30-4-79 को घट कर 26 रह गई।

(घ) और (ङ) उपरोक्त मंत्रिमंडल समिति (मेहता समिति) की रिपोर्ट पर भी विचार कर रही है जो बम्बई पत्तन पर यातायात की समस्याओं का अध्ययन करने और, कलकत्ता सहित अन्य पत्तनों की ओर माल को भेजने की सिफारिश करने के लिए नियुक्त की गई थी।

अन्य देशों में रेलमार्गों की स्थापना करने में विशेषज्ञता

9545. श्री पी० एम० सईद : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के पास अन्य देशों के लिए रेल मार्गों की स्थापना करने और रेलगाड़ियां चलाने की विशेषज्ञता है परन्तु उसके पास वर्कशाप आधुनिकीकरण में कितनी पूंजी लगाई जाती है उससे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये पर्याप्त संगठन नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या विश्व बैंक ने प्रशासन से अपेक्षित परामर्श सेवा नियुक्त करने के लिये कहा है ; और

(घ) क्या रेलवे विदेशों से विशेषज्ञ बुलाने पर विचार कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) भारतीय रेलों को विदेशों में प्रणालियों की स्थापना करने और उन्हें चलाने के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त है। कारखाना आधुनिकीकरण में अभिप्रेत निवेश का पूरा लाभ उठाने के लिए, भारतीय रेलों पर समुचित संगठन की स्थापना भी की गयी है।

(ग) और (घ) कारखाना आधुनिकीकरण के काम में सहायता देने के लिए लिये जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में भारत और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन के बीच हुए विकास ऋण करार में परियोजना के कार्यान्वियन में सहायता देने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। इन विशेषज्ञों की अर्हताएं अनुभव और नियोजन के नियम और शर्तें भारत सरकार तथा अन्तराष्ट्रीय विकास एसोसिएशन की सन्तुष्टि के अनुरुप होनी चाहिए। कारखाना आधुनिकीकरण कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए अपेक्षित बहु-प्रबन्धात्मक विशेषज्ञता की यथावश्यक पूर्ति के लिए ये विशेषज्ञ भारतीय रेलों को सहायता सुलभ करेंगे। भारतीय रेलों का विचार विदेशों से विशेज्ञों की नियुक्ति करने का नहीं है और अभी तक रेल इण्डिया टेनिकल एण्ड इकानामिक सर्विज लि० से ही परामर्श सेवाएं प्राप्त की गयी हैं। यह संस्थान रेल मंत्रालय के तत्वाधान में एक सरकारी क्षेत्र का उद्यम है और इसमें भारतीय रेलों के कर्मचारियों को ही विशेषज्ञों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

पसराहा रेलवे स्टेशन के गोदाम में आग लगाना

9546. **श्री हुकुम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर डिवीजन में पसराहा रेलवे स्टेशन स्थित गोदाम में आग लगने के कारण कई लाख रुपये का सामान नष्ट हो गया था ;

यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे, इस बारे में की गई जांच का क्या परिणाम निकला और इसके लिए उत्तदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पसराहा रेलवे स्टेशन के गोदाम में आग लग जाने के कारण अनुमानतः 50,000 रु (पचास हजार रुपये की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई।

(ख) आग लगने के कारण की जांच की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण सेवाएं

9547. श्री के० मालन्ना : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम बढ़ाने के लिए चलती-फिरती चिकित्सा सेवा व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) और (ख) मोबाईल प्रशिक्षण एवं अस्पताल की योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी। इस योजना के अन्तर्गत मोबाईल अस्पताल को राज्य मेडिकल कालेज से सम्बद्ध किया गया। अध्यापक लोग इन्टर्नी और अन्तिम वर्ष के छात्रों को स्वयं लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाते थे और उपचारी और निवारक आयुर्विज्ञान में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करते थे। इस यूनिट को इस प्रकार लैस किया गया था कि यह एक मोबाईल अस्पताल का काम देता था, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाया करता था और प्रत्येक क्षेत्र में एक निश्चित अवधि तक काम करता था। इस यूनिट में अन्य संवर्द्धक स्वास्थ्य उपायों के साथ-साथ परिवार निजोजन की सेवा भी प्रदान की, किन्तु एक टास्क-फोर्स द्वारा इस योजना का मूल्यांकन किये जाने के बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसे समाप्त कर दिया गया।

वैसे, चिकित्सा शिक्षा के औरिएन्टेशन की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मेडिकल कालेज को तीन मोबाईल क्लिनिक देने का विचार है। ये मोबाईल क्लिनिक प्रत्येक मेडिकल से सम्बद्ध तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करेंगे।

छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि

9548. श्री के० मालन्ना : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में, कंपनीवार, फरवरी, 1979 के अंत तक जमा हो गई भविष्य निधि की राशि का ब्योरा क्या है ;

(ख) उनसे भविष्य निधि के अंशदान को वसूल करने का ब्योरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान यदि कोई छूट रद्द की गई है तो उसका ब्योरा क्या है और ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) छूट-प्राप्त श्रेणियों में दोषी व्यक्तियों से निपटने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नानुसार सूचित किया गया है :—

(क) 31-12-1978 की स्थिति के अनुसार छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों के संबंध में भविष्य निधि अंशदानों की बकाया राशि 1210 लाख रुपये थी । उक्त तारीख को ऐसे छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की सूची विवरण-1 में दी गई है, जिनकी ओर बकाया राशि एक लाख रु० या इससे अधिक हैं ।

(ख) जनवरी, 1976 से दिसम्बर, 1978 तक छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की ओर बकाया धन-राशि में से 365.63 लाख रुपये वसूल किये गए । ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची विवरण-2 में दी गई है, जिनकी छूट जनवरी, 1976 से दिसम्बर, 1978 तक रद्द कर दी गई है ।

(ग) छूट प्राप्त दोषी प्रतिष्ठानों के खिलाफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :—

(i) अभियोजन चलाने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं ।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14 (2क) के अधीन अभियोजन चलाए जाते हैं ।

(iii) छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के दोषी नियोजिकों से भविष्य निधि की राशि के विलम्बित हस्तान्तरण करने पर न्यासी बोर्ड अनुपातित ब्याज लेता है ।

(iv) ऐसे मामलों में, जहां कर्मचारियों की मजदूरी से काटे गए कर्मचारियों के अंशदानों को छूट प्राप्त निधि के न्यासी बोर्ड को हस्तान्तरित नहीं किया जाता, भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन पुलिस के पास रिपोर्ट दायर की जाती है ।

(v) छूट को रद्द करने के संबंध में समुचित सरकार को सिफारिश की जाती है ।

विवरण—एक

ऐसे छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की सूची, जिनकी बकाया राशि 31-12-1978 को एक लाख रुपये या इससे अधिक है ।

क्रमांक	क्षेत्र	प्रतिष्ठान का नाम	संचित भविष्य निधि अंशदान, जो न्यासी बोर्ड को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं (रुपये लाखों में)
1	2	3	4
1.	बिहार	दरभंगा सुगर कंपनी लिमिटेड, मधुबनी	6.18
2.		मैसर्स न्यूज पेपर पब्लिकेशन्स, पटना	1.00

1	2	3	4
3.	गुजरात	श्री शुभालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, बोम्बे	2.94
4.	कर्नाटक	मैसूर इलैक्ट्रिकल इण्डस्ट्रीज, बंगलौर	16.61
5.	केरल	अलमूनियम इंडस्ट्रीज, कुन्द्रा	3.82
6.		अलमूनियम इंडस्ट्रीज, स्विच गीयर डिवीजन, मान्नार	1.04
7.		के.एस आर.टी.सी., त्रिवेन्द्रम	2.18
8.	मध्य प्रदेश	होप टेक्सटाइल लिमिटेड, इन्दौर	18.61
9.		जाओरा सुगर मिल्स लिमिटेड, जाओरा	5.27
10.		बुरहादपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर	5.19
11.	महाराष्ट्र	इलफिनस्टन मिल्स लिमिटेड, बम्बई	2.10
12.		फिनले मिल्स लिमिटेड, बम्बई	3.86
13.		मैसर्स गोल्डमोहुर मिल्स लिमिटेड, बम्बई	2.49
14.		वेस्टर्न इंडिया स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, बम्बई	2.73
15.	महाराष्ट्र	अलकोक अशडान एंड कंपनी लिमिटेड, बम्बई	4.73
16.		मॉडल मिल लिमिटेड, नागपुर	14.49
17.		पालधाओन कॉटन मिल लिमिटेड, फूलगांव	32.18
18.	उड़ीसा	स्ट्राव प्रोडेक्टस, कोरापुत	1.04
19.	राजस्थान	जयपुर मेटल, जयपुर	3.36
20.	तमिलनाडू	थियाकेशर अलाई, मानापाराइ	2.04
21.		मीनाक्षी मिल, मदुराई	2.58
22.		मीनाक्षी मिल, पारवाई	1.86
23.	उत्तर प्रदेश	नवाबगंज सुगर मिल कंपनी लिमिटेड, गोंडा	4.43
24.		पंजाब सुगर मिल कंपनी लिमिटेड, गोरखपुर	2.62
25.		राजा बुलन्द एंड सुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, रामपुर	9.91
26.		जे०के० मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कानपुर	1.05
27.	पश्चिम बंगाल	एलेक्जेन्ड्रा जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड	24.06
28.		ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	21.46
29.		बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड	7.70
30.		ईस्ट बंगाल इंजीनियरिंग लिमिटेड	6.94
31.		केलविन जूट कंपनी लिमिटेड	88,70
32.		दि किन्नीसन जूट कंपनी लिमिटेड	113.64
33.		एडवर्ड कंपनी लिमिटेड	25.83

1	2	3	4
34.		मेगना मिल लिमिटेड	44.60
35.		नेशनल कंपनी लिमिटेड	81.66
36.		प्रेमचन्द जूट कंपनी लिमिटेड	47.27
37.		श्री अम्बिका जूट कंपनी लिमिटेड	42.48
38.		यूनियन जूट कंपनी लिमिटेड	13.12
39.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स बर्न एंड कंपनी लिमिटेड	50.69
40.		मैसर्स इंडियन स्टैंडर्ड वैगन कंपनी लिमिटेड	25.60
41.		कल्याणी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	17.15
42.		अल्मूनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	20.00
43.		मैसर्स नार्थ ब्रुक जूट मिल लिमिटेड	26.00
44.		मैसर्स नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड	7.56
45.		मैसर्स एताइन्स मिल्स (लीज का) लिमिटेड	9.68
46.		मैसर्स एम्पायर जूट मिल कंपनी लिमिटेड	40.18
47.		मैसर्स नकसार पारा जूट कंपनी लिमिटेड	11.41
48.		मैसर्स डेल्टा जूट कंपनी लिमिटेड	6.49
49.		मैसर्स बंगाल पोट्रीज लिमिटेड	42.08
50.		मैसर्स ओरियन्टल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	3.56
51.		श्री दुर्गा कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल	14.60
52.		मोहिनी मिल लिमिटेड	43.16
53.		मैसर्स वेस्टिंग हाउस सेक्सबी फार्मर लिमिटेड	33.85
54.		मैसर्स इंडिया हार्ड मेटल लिमिटेड	4.90
55.		मैसर्स कानकिनारह कंपनी लिमिटेड	4.00
56.		मैसर्स डलहोजी जूट कंपनी लिमिटेड	24.98
57.		एडवर्ड केलविनेटर (प्रा.) लिमिटेड	1.69
58.		मैसर्स हावड़ा मिल लिमिटेड	4.73
59.		मैसर्स नेहाटी जूट मिल लिमिटेड	10.04
60.		ईस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	30.04
61.		मैसर्स राज इंडिया पेपर पल्प लिमिटेड	13.60
62.		अमृतबाजार पत्रिका लिमिटेड	1.60
63.		मैसर्स गौरी शंकर जूट मिल लिमिटेड	26.75
64.		राबर्ट हडसन (इंडिया) लिमिटेड	1.51
65.	पश्चिम बंगाल	मैसर्स इंडियन हैल्थ इंस्टीट्यूट लेबोरेट्री	2.08
66.		मैसर्स स्टील एंड अलायड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1.70

1	2	3	4
67.		मैसर्स सरस्वती प्रेस लिमिटेड	1.70
68.		मैसर्स बरानागोरे जूट कंपनी लिमिटेड	5.00
69.		मैसर्स बेनी वर्कशॉपस लिमिटेड	5.56
70.		मैसर्स सेन्ट्रल इनलैन्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	8 11
71.		मैसर्स नाफर चन्द्र जूट मिल लिमिटेड	4.54
72.		खारडाह कंपनी लिमिटेड	25.83

विवरण—दो

ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची, जिनकी छूट जनवरी, 1976 से दिसम्बर, 1978 तक रद्द कर दी गई है।

क्रमांक	क्षेत्र	प्रतिष्ठान का नाम	छूट रद्द करने की तारीख
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	नेल्लीमेरला जूट मिल्स, विशाखापत्तनम	16.7.1976
2.	—यथोक्त—	आन्ध्र ग्राम स्वराज्य संग्राम, तिरुपथी	31.12.1976
3.	—यथोक्त—	कुड्डापाह डिस्ट्रीक्ट कोपरेटिव सेन्ट्रल बैंक लिमिटेड कुड्डापाह	17.1.1977
4.	—यथोक्त—	स्टेट हैल्थ ट्रांसपोर्ट आर्गनाइजेशन हैदराबाद	13.3.1978
5.	—यथोक्त—	चर्च साउथ इंडिया कामफेल हॉस्पिटल, कुड्डापाह	14 8.1978
6.	—यथोक्त—	श्री राम सुगर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीथानग्राम	26.9.1978
7.	गुजरात	अहमदाबाद सारंगपुर मिल्स, अहमदाबाद	3.8.1976
8.	—यथोक्त—	भारत सर्वोदय मिल्स कंपनी लिमिटेड, अहमदाबाद	3.8.1976
9.	—यथोक्त—	न्यू राजपुर मिल कंपनी लिमिटेड, अहमदाबाद	12.8.1976
10.	—यथोक्त—	अरविन्द बोर्डस एंड पेपर प्रोडक्स बिल्लीमोरा	3.8.1976
11.	कर्नाटक	सिटी प्रैस लिमिटेड मंगलौर	1.7.1976
12.	—यथोक्त—	घरवार इलेक्ट्रिक सप्लाईज	12.7.1977
13.	केरल	सीताराम आयुर्वेदिक फार्मेसी	19.7.1977
14.	मध्य प्रदेश	फोनिक्स मिल्स लिमिटेड नं० 2, उज्जैन	15.3.1976
15.	महाराष्ट्र	मेसर्स अके कैमरा इक्वीपमेंट	28.9 1977
16.	—यथोक्त—	मैसर्स दाबजी एंड कंपनी	28.8-1978
17.	—यथोक्त—	मैसर्स अलंकार थियेटर	28.8.1978

1	2	3	4
18.	—यथोक्त —	मैसर्स अरोड़ा टाकिज	16.10.1978
19.	तमिलनाडु	ए०वी०एस०टी० सर्विस स्टेशन मद्रास	23.1.1976
20.	—यथोक्त —	कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट कोपरेटिव सेन्ट्रल बैंक कोयम्बपूर	27.5.1976
21.	—यथोक्त—	वी०एस०टी० मोटर्स प्राइवेट (लिमिटेड) मद्रास	22.6.1976
22.	—यथोक्त —	रामा मशीनरी कारपोरेशन, मद्रास	22.6.1976
23.	—यथोक्त —	थानगोरे सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड	31-5.1976
24.	—यथोक्त—	रमन एंड रमन कंपनी, तमिलनाडू	27.12.1978
25.	उत्तर प्रदेश	मैसर्स जी०जी० इंडस्ट्रीज, आगरा	24.3.1976

रामेश्वरम और मण्डपम के बीच समुद्र को गहरा करने का प्रस्ताव

9549. **श्री पी० त्यागराजन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों द्वारा द्रत परिवहन प्रारम्भ करने के लिए रामेश्वरम और मण्डपम के बीच समुद्र को गहरा करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य सरकार ने 1978-83 की योजना अवधि में केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र में शामिल करने के लिए पम्बन जल मार्ग के भाग में (जो रामेश्वरम और मंडपक के बीच हैं) उचित जलस्तर को बनाए रखने के लिए, निकर्षण करने का प्रस्ताव किया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में निश्चय किया है कि 1978-83 योजना अवधि में पत्तन क्षेत्र में कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं नहीं होगी ।

रामेश्वरम में नया स्तम्भ (पत्तन)

9550. **श्री पी० त्यागराजन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामेश्वरम में एक नया स्तम्भ (पत्तन) बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) बड़े पत्तनों से भिन्न अन्य पत्तन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं, परन्तु उनके विकास की कार्यकारी जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। परन्तु छोटे पत्तनों के विकास के लिए पहले समुद्रवर्ती राज्य सरकारों को ऋण सहायता दी गई है। 1978-83 की योजना अवधि के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद ने निश्चय किया है कि छोटे पत्तनों का विकास राज्य क्षेत्र में राज्य योजनाओं का

एक भाग होगा। इस तरह रामेश्वरम में एक नये पीयर के निर्माण की जिम्मेदारी तमिलनाडु राज्य की होगी।

लम्बी यात्रा के यात्रियों के लिये गद्देदार सीटों की व्यवस्था

9551. **श्री श्याम सुन्दर लाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लम्बी दूरी की यात्रा वाली गाड़ियों में गद्देदार सीटें नहीं होती है और सामान्य कोटे की अपेक्षा अधिक यात्रियों को स्थान देने के लिये अतिरिक्त शायिकाओं की व्यवस्था की जाती है;

(ख) क्या इससे यात्रा करने वाली जनता को कठिनाई होती है, विशेषकर बूढ़े व्यक्तियों और महिलाओं को, जिन्हें सोने आदि के लिये थोड़ा एकान्त चाहिये;

(ग) क्या अतिरिक्त तख्ते लगाये जाने से रात्रि के समय प्रकाश आना बन्द हो जाता है जिससे नीचे का बर्थ के लोग पूर्णतया अंधेरे में हो जाते हैं और वे कुछ पढ़ नहीं सकते हैं या समय बिताने के लिये कोई खल नहीं खेल सकते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो भीड़-भाड़ की स्थिति में यात्री जनता को तकलीफ देकर तख्ते लगाकर अतिरिक्त बर्थ देने की प्रथा को समाप्त करने के लिये क्या सक्रिय कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दूसरे दर्जे के शयन यानों की कमी के कारण यात्रा पर जाने वाली पार्टियों को केवल थोड़े से साधारण शयन यान आबंटित किये जाते हैं तथा अन्य को दूसरे दर्जे के साधारण डिब्बे आबंटित किये जाते हैं। गद्देदार शयनयानों का निर्माण हाल में ही शुरू हुआ है तथा उन्हें उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण ट्रंक मार्गों की तेज गाड़ियों में लगाया जा रहा है।

(ख) लम्बी दूरी की यात्रा गाड़ियों के लिए आबंटित किये जाने वाले डिब्बे मानक डिब्बों के पूल से दिये जाते हैं। रेलों को विशेष हिदायतें दी गई हैं कि यात्रा गाड़ी के डिब्बों की ओर गाड़ी छूटने से पहले पूर्ण रूप से ध्यान दें। पार्टी के मुखिया से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाता है तथा डिब्बे की स्थिति के बारे में उसे पूरी तरह संतुष्ट किया जाता है और सम्मति पुस्तिका में उसकी राय दर्ज की जाती है।

(ग) केवल नियमित शायिकाएं दी जाती हैं। अतिरिक्त शायिकों की व्यवस्था करने के लिए कोई अलग से तख्ते नही लगाये जाते।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुट निरपेक्ष देशों के बीच विवादों को हल करना

9552. **श्री एस० आर रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात ध्यान में आई है कि कुछ गुटनिरपेक्ष देशों के बीच द्विपक्षीय विवादों के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकें हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गुटनिरपेक्ष देशों के बीच विवादों को हल करने के लिये क्या कदम उठाये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं।

विदेश राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्रकुण्डू) : (क) और (ख) भारत सरकार का हमेशा यही मत रहा है कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों के बीच के विवाद बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, शांति-पूर्वक और द्विपक्षीय रूप से तय किये जाने चाहिए। इस प्रकार के विवादों से गुट-निरपेक्ष आन्दोलनों की एकता कमजोर हो सकती है। इस प्रश्न पर कई अवसरों पर विचार किया गया है कि इन विवादों को सुलझाने में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से सहायता कर सकता है और इस बारे में आम सहमति है कि इस तरह के विवादों को बातचीत, मध्यस्थता, सद्प्रभावों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित ऐसे ही दूसरे तरीकों से शांतिपूर्वक तय किया जाना चाहिए।

नौवहन और परिवहन निगम की स्थापना के लिए मारिशस के साथ करार

9553. **श्रीमती मोहसिना किदवाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विशेषज्ञता की सहायता से मारिशस में नौवहन और परिवहन निगम स्थापित करने के लिये मारिशस के साथ करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की शर्तें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) और (ख) अप्रैल, 1979 में नयी दिल्ली में हुई इंडो-मारिशस ज्वाइंट कमिशन आन एकनामिक, टैक्नीकल एंड कलचरल कार्पोरेशन की पहली बैठक में मारिशस पक्ष द्वारा एक राष्ट्रीय नौवहन निगम और एक राष्ट्रीय परिवहन निगम की स्थापना करने में रखी दिखाई गई थी। भारतीय पक्ष ने इस कार्य के लिए भारतीय नौवहन निगम और केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान की प्रबंध/परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराने की पेशकश की थी। परन्तु, इस संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

गोवा में बंधुआ मजदूर

9554. **श्री अच्युत कासर** क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने गोवा, दमन और दीव में बंधुआ मजदूर प्रणाली का अध्ययन पूरा कर लिया है और यह निष्कर्ष व्यक्त किया है कि वर्तमान प्रणाली बंधुआ मजदूर प्रणाली के समान है, परन्तु बंधुआ मजदूर प्रणाली (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के क्षेत्राधिकार में नहीं आती है; और

(ख) यदि सरकार का निष्कर्ष यह है कि उक्त क्षेत्र में बंधुआ मजदूर प्रणाली नहीं है, और यदि हां, तो उस क्षेत्र में खेतिहर मजदूरों का जमीदारों के साथ क्या संबंध हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा दिसम्बर, 1977 में गोवा में कृषि श्रमिकों के संबंध में किए गए अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि गोवा में बंधित श्रम पद्धति किसी भी हानिकारक रूप में विद्यमान नहीं है। तदनंतर, गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने नवम्बर, 1978 में सूचित किया है कि राज्य क्षेत्र में बंधित श्रम पद्धति विद्यमान नहीं है और ऐसा कोई मामला नहीं है, जो बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की परिधि में आता हो। इस रिपोर्ट के अनुसार जहां तक कृषि श्रमिकों का संबंध है, कानून के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है। राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार "उचित किराया" और "खेतिहर को भूमि" संबंधी विधानों को 1961 के मुक्ति आन्दोलन के बाद लागू किया गया, जिससे पुर्तगालियों द्वारा मूल रूप से लागू की गई मोकासा पद्धति में कमी हुई है। शहरीकरण में वृद्धि तथा खान श्रमिकों एवं गोदी श्रमिकों की महत्ता और मजदूरी दरों में सामान्यतया वृद्धि होने के कारण, संघ राज्य क्षेत्र में कृषि श्रमिकों की समस्याएं विकट नहीं हैं।

गैर सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की बहाली

9556. श्री आर० के० महालगी : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी उपक्रमों के नियोक्ताओं के इस आशय के निदेश जारी किये हैं कि वे वर्ष 1975-76-77 के दौरान निलंबित/बर्खास्त किये गये अपने कर्मचारियों को बहाल करें, उनके वेतन की बकाया राशि अदा करें और भविष्य निधि तथा उपदान के सामान्य लाभ प्रदान करें ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त निदेशों की क्रियान्विति न किये जाने के बारे में कोई अनुरोध अथवा शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों, आदि को अप्रैल, 1977, दिसम्बर, 1977 और जनवरी, 1978 में अनुदेश जारी किए गए थे जिनमें कुछ शर्तों के होने पर उनके लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानो में ऐसे कर्मचारियों को बहाल करना अपेक्षित था, जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में आपातकाल के दौरान उत्पीड़ित हुए। बहाली के अतिरिक्त, कुछ शर्तों के अन्तर्गत कर्मचारियों को ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि के लिए पूर्ण वेतन तथा भत्तों का लाभ भी दिया जाना था और वेतन वृद्धि, सेवा निवृत्त संबंधी लाभ आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से उस अवधि को ड्यूटी पर उपस्थित समझा जाना था।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों में यह संकेत दिया गया है कि उनके राज्य में गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ नियोक्ताओं ने कई मामलों में अनुदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया। इस संबंध में सरकार को व्यक्तिगत कर्मचारियों से शिकायतें तथा अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं।

(घ) इस बात को महसूस करते हुए कि संबंधित कर्मचारियों को आकरण ही हानि उठानी पड़ी है, जनवरी, 1979 में इस मामले पर नियोक्ताओं के संगठनों से बातचीत की गई जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने संगठनों से सम्बद्ध एककों पर अपना प्रभाव डालें और यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित कर्मचारियों की केवल बहाली ही न की जाये बल्कि सरकारी अनुदेशों में निर्दिष्ट ढंग से उन्हें वेतन तथा भत्ते और अन्य लाभ प्रदान किए जाएं। व्यक्तिगत रूप से की गई शिकायतें तथा अभ्यावेदन राज्य सरकारों और अन्य संबंधित प्राधिकारों को समुचित कार्यवाही हेतु भेज दिए गए हैं।

औषधियों की कमी

9557. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बीमारियों के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और संसद सदस्यों के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई औषधियां केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के सम्बन्धित औषधालयों में उपलब्ध न होने की स्थिति में सुपर बाजारों से खरीदी जाती हैं और कुछ औषधियां, जो सुपर बाजार के स्टाक में उपलब्ध नहीं होती हैं, रोगियों को चार पांच दिन तक सप्लाई नहीं की जाती हैं, और न ही उन्हें उन औषधियों को बाजार से खरीदने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) क्या समस्या का समाधान करने की दृष्टि से, जो औषधियां चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा लिखी जाती हैं, उन औषधियों की सुपर बाजार की तत्काल सप्लाई करने के लिए सरकार प्रबन्ध करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : (श्री रवि राय : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को विभिन्न बीमारियों के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई औषधियां उस स्थिति में सुपर बाजार से खरीदी जाती हैं, जब वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के भण्डारों में उपलब्ध नहीं होती हैं। जो दवाइयां सुपर बाजार से उपलब्ध नहीं होती है, उन्हें खुले बाजार से खरीदने की अनुमति दे दी जाती है और उसके बाद इस खर्च की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। अत्यावश्यक जीवन रक्षक औषधियों के बारे में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा अधिकारी को इस बात का अधिकार होता है कि वह रात-दिन सुपर बाजार से इनकी इमर्जेंसी मांग कर सकता है।

(ख) और (ग) : सुपर बाजार एक सहकारी स्टोर है और निर्माताओं तथा वितरकों से दवाइयां खरीदने और प्राप्त करने की अपनी प्रणाली है।

पांच वर्ष की आयु तक के बच्चो के लिए मुफत यात्रा

9558. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बालवर्ष के अवसर पर पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफत यात्रा की व्यवस्था करने का है; यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

क्या दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर अन्य यात्रियों के साथ यात्रा करने वाले बच्चों का पृथक किराया वसूल करते हैं और क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है और क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करेगी कि टैक्सी ड्राइवर 4-5 वर्ष के बच्चों से किराया न ल और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) जहां तक सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों में यात्रा करने का प्रश्न है, पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनमें मुफत यात्रा करने की व्यवस्था करने के किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है। परन्तु दिल्ली परिवहन निगम के मामले पर जो केन्द्रीय सरकार के अधीन है, निगम की बसों में तीन वर्ष की आयु तक के बच्चे (एक यात्री एक बच्चा) बिना कोई भाड़ा दिए ले जाए जा सकते हैं और तीन वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों से आधा किराया लिया जाता है।

(ख) टैक्सियों के लिए दिल्ली राज्य परिवहन प्राधिकरण ने अधिकतम जो भाड़ा नियत किया हुआ है वह पूरी टैक्सी के लिए होता है। इसलिए 4 और 5 वर्ष के बच्चों का (अथवा किसी बालिग के लिए भी) कोई अतिरिक्त भाड़ा लेने का प्रश्न नहीं होता। दिल्ली परिवहन निदेशालय को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि किसी टैक्सी ड्राईवर ने पूरी टैक्सी का किराया लेने के अतिरिक्त 4-5 वर्ष की आयु तक के बच्चों का और किराया लिया हो।

पूर्वोत्तर रेलवे में गार्डों के रिक्त पड़े पद

9559. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में गार्डों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और वे पद कब से रिक्त पड़ें हैं और उन्हें अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि स्वीकृत पदों को भरा नहीं जा रहा है और लगभग 40,000 रु० की धनराशि का प्रति वर्ष समयोपरि भत्ते के रूप में भुगतान किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) : जून 1978 से गार्डों के 5 पद खाली पड़े है। इन 5 पदों में से 4 को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है जिसके लिए रेल सेवा आयोग से पैनल की प्रतीक्षा की जा रही है। शेष एक रिक्त को पदोन्नति द्वारा भरा जाना है और चुने गए उम्मीदवार को गार्ड के पदोन्नति पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। लागू नियमों के अधीन ग्राह्य समयोपरि भत्ता दिया जा रहा है।

पोलियो की खाई जाने वाली दवा

9560. **डा० सुशीला नायर : क्या स्वास्थ्य परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भारत में पोलियो की खाई जाने वाली दवा के उत्पादन पर कितना व्यय किया जाता है और इस प्रकार इस दवा की कुल कितनी खुराकें उत्पादित की गई तथा पिछले 10 वर्षों में कितनी आयात की गई;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में उत्पादित दवा का वर्षों तक उपयोग नहीं किया गया और उसका त्याग करना पड़ा;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या देश को खाई जाने वाली तथा इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली दवा के मामले में आत्म-निर्भर बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री : **(श्री रवि राय)** : (क) मार्च 1972 तक भारत में पोलियो वैकसीन उत्पादन के लिए 28.63 लाख रुपये खर्च किए गए तथा दिसम्बर 1966 से मई 1973 तक पास्च्युर संस्थान, कुनूर में ट्राईवालेट पोलियो वैकसीन की 4.61 लाख खुराकें तैयार की गई। 1974-75 से 1977-78 तक ट्राईवालेंट वैक्सीन की 202.66 लाख खुराकें और मोनोवालेंट वैक्सीन 204 लाख खूराकें, जिनमें टाइप 1.2 और 3 शामिल हैं, आयात की गई।

(ख) इस यूनिट में जो वैक्सीन तैयार की गई उसकी पोटेंसी बहुत कम थी और कुछ बैच ऐसे थे, जो न्यूरो-विरुलेंट परीक्षण में पास नहीं हुए और इसलिए उन्हें रद्द करना पड़ा।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सप्लाई किए गए बीजों की बहुत सी पोटेंसी खत्म हो गई थी और इसलिए यह वेक्सीन परीक्षण में पास नहीं हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल ने कुछेक सिफारिशें की थी जिनमें अत्याधिक वित्तीय परिव्यय निहित था। तकनीकी अधिकारियों की एक समिति ने यह अनुभव किया कि यदि पास्चुर संस्थान, कुनूर को धन, उपकरण आदि की अतिरिक्त सुविधाएं दी जायें तो भी उस यूनिट द्वारा अच्छी, मान्य और सुरक्षित वैक्सीन तैयार करने में संदेह था। इसलिए यही बेहतर समझा गया कि इस यूनिट को बहाल करने में बहुत बड़ी रकम न खर्च की जाये तथा पास्चुर संस्थान, कुनूर में पोलियो वैक्सीन का उत्पादन बंद करने का निर्णय किया गया। हैफ्किन बायोफार्मास्यूटिकल बम्बई में बनाई गई पोलियो वैक्सीन का विकास करने के लिए उपाय किए गए हैं क्योंकि वहां पर इस काम के लिए आवश्यक मूलभूत ढांचा विशिष्ट ज्ञान, और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) देश का उद्देश्य खाई जाने वाली पोलियो वैक्सीन के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करना है किन्तु यह काम 1981 से पहले ही पाना संभव नहीं होगा। देश में किल्ड पोलियो वैक्सीन बनाने का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है जिसका उपयोग इन्जेक्शन के रूप में किया जाता है।

शराब के आदी लोगों के लिए सेवाएं

9561. **डा० सुशीला नायर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शराब तथा अन्य नशीले पदार्थों के सेवन के आदी लोगों को इस आदत से मुक्त कराने हेतु सहायता प्रदान करने वाले कितने केन्द्र हैं; और

(ख) ऐसी आदतें छुड़ाने वाले इन केन्द्रों पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से अब तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर एक विवरण संलग्न है जिसमें व्यसन को दूर करने की जानकारी दी गई है। गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू व कश्मीर की सूचना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) इन केन्द्रों के लिए अलग से कोई लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ शाशित क्षेत्र में व्यसन छुड़ाने की जानकारी देने के संबंध में।
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश में एल्कोहल के उपचार के लिए साइकेटिक्स सुविधा उपलब्ध है।
2.	बिहार	भागलपुर मेडिकल कालेज के साइक्रेट्रिक क्लीनिक में औषधि चिकित्सा, मनोविकृति संबंधी चिकित्सा तथा व्यवसायिक चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं। दरभंगा मेडिकल कालेज, दरभंगा में निम्न लिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:— 1. पता लगे हुए मामलों को अस्पताल में भर्ती करना तथा उन पर कड़ी निगरानी रखना। 2. व्यवसनों को दूर करने के लिए प्रयोग। 3. ट्राक्वीलाइनर 4. ट्राक्वीलाइनर सेडेटिव। 5. मेट्रोनिडाजोल तथा यदा कदा अनालवस से उपचार। 6. मूड आफ एलिवेटरज एंड थिमोलेप्टिक्स

1	2	3
		7. साइको एनालिसिस तथा साइकोथिरापी, तथा 8. कुछेक हितकारी व्यक्तियों की सहायता से सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए उपाय ।
3.	हरियाणा	ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ।
4.	हिमाचल प्रदेश	शून्य ।
5.	कर्नाटक	राष्ट्रीय मनश्चिकित्सा स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलौर में व्यसन छुड़ाने तथा मनश्चिकित्सीय सहायता की सुविधाएं उपलब्ध है के० एम० सी० से सम्बद्ध मेडिकल कालेज, धारवाड के० एम० सी० अस्पताल, के० आर० अस्पताल, मैसूर, विक्टोरिया अस्पताल, बंगलौर नामक अध्यापन अस्पतालों में मनश्चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं । पुराने एल्कोहल के व्यसनों वाले व्यक्तियों का इलाज करने के लिए व्यसनों को छुड़वाने के लिए उपचार तथा मार्ग दर्शन करना ।
6.	महाराष्ट्र	किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्था में व्यसन छुड़ाने की ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तथापि, सभी मेडिकल कालेजों और अस्पतालों से सम्बद्ध मनश्चिकित्सीय विभाग पुराने एल्कोहलों को सभी चिकित्सीय सहायता देते हैं ।
7	नागालैंड	शून्य
8.	उड़ीसा	जिन जिला अस्पतालों तथा मेडिकल कालेज अस्पतालों में चिकित्सा विशेषज्ञ और मनश्चिकित्सक उपलब्ध हैं उनमें इन विशेषज्ञों द्वारा अब प्रत्येक व्यक्ति का इलाज किया जाता है । तीन मेडिकल कालेज अस्पतालो के अतिरिक्त । 13 जिलों में से दो में (कोरापुर और मयूरगंज में) मनश्चिकित्सक की सुविधायें उपलब्ध है ।
9.	पंजाब	राज्य के सभी जिला और उपप्रभागीय अस्पतालों में एल्कोहल की लत छुड़ाने की सुविधायें उपलब्ध हैं : अमृतसर, लुधियाना और पटियाला स्थिति राज्य के चार मेडिकल कालेजों में व्यसनी व्यक्तियों के लिए

1	2	3
		मनश्चिकित्सीय सहायता उपलब्ध हैं। यह सुविधा सिविल अस्पताल. जालंधर में भी उपलब्ध है।
10	राजस्थान	इलाज की सुविधायें मनश्चिकित्सीय केन्द्र जयपुर में उपलब्ध हैं।
11.	त्रिपुरा	शून्य।
12.	उत्तर प्रदेश	के० जी० मेडिकल कालेज लखनऊ में वर्ष 1976-77 में 30 पलंगों वाला एक मनश्चिकित्सीय केन्द्र खोला गया है।
13.	पश्चिम बंगाल	व्यसनी व्यक्तियों की लत छुड़ाने के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है।
14.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य।
15.	चण्डीगढ़	लत छुड़ाने संबंधी सामान्य इलाज की सुविधायें दो अस्पतालों में उपलब्ध हैं।
16.	दादर और नगर हवेली	शून्य
17.	मिजोरम	कोई नहीं।
18.	पांडिचेरी	पांडिचेरी के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं।
19.	असम	लत छुड़ाने की कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है।
20.	केरल	एल्कोहल से उपलब्ध होने वाली तंत्रिका संबंधी गड़-बड़ियों को दूर करने के लिए तथा एल्कोहल की इच्छा को दबाने के लिए अच्छी होम्यो औषधियां उपलब्ध हैं।
21.	मध्य प्रदेश	इस प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश में कोई यूनिट नहीं हैं। जो व्यक्ति व्यसन को छुड़ाना चाहते हैं उन्हें सभी जिलों में केश के आधार पर औषधि और चिकित्सा संबंधी सलाह दी जाती है।
22.	मणिपुर	कोई नहीं।
23.	मेघालय	कोई नहीं।
24.	सिक्किम	कोई नहीं।
25.	अरुणाचल प्रदेश	कोई नहीं।

1	2	3
26.	दिल्ली	व्यसन छुड़ाने के क्लीनिक हिन्दुराव अस्पताल, लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल और मानसिक रोग अस्पताल, शाहदरा में चल रहे हैं।
27.	गोआ, दमन व दीव	कोई नहीं।
28.	लक्ष द्वीप समूह	चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध हैं।

विदेशी सरकार को मान्यता देने का मानदण्ड

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी सरकारों के क्या क्या नाम हैं, जिनका पिछले कई वर्ष से अपने देश के व्यापक भूभाग पर दृढ़ नियंत्रण है, परन्तु जिन्हें भारत सरकार द्वारा अब तक मान्यता प्रदान नहीं की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ विदेशी सरकारों को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है, हालांकि उस देश की सरकार के बारे से विवाद है;

(ग) क्या कोई विशिष्ट मानदण्ड है जिसके आधार पर किसी सरकार विशेष को मान्यता प्रदान की जाती है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ताईवान और स्त्राइल को दक्षिण कोरिया की तरह मान्यता क्यों नहीं दी गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डु) : (क). (ख), (ग), (घ) और (ङ) भारत सरकार की नीति यह है कि किसी देश में जिन सरकार का कारगर नियंत्रण हो उसे मान्यता दी जाए।

लेकिन दक्षिण रोडेशिया की सरकार को राजनयिक मान्यता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि यह एक गैर कानूनी अल्पसंख्यक जातिवादी सरकार है और भारत ने हमेशा यह कहा है कि जिम्बाबवे में सच्चा बहुसंख्यक शासन होना चाहिए। इसी तरह भारत ने अपनी स्वतंत्रता के समय से ही दक्षिण अफ्रीका के साथ भी, उसकी जातीय पृथग्वासन और जातीय भेदभाव की नीति के कारण राजनयिक संबंध तोड़ लिये थे। जहां तक ताइवान का संबंध है भारत का हमेशा ही यह कहना रहा कि चीन लोक गणराज्य ही समूचे चीन की सरकार है और ताइवान चीन का एक अभिन्न अंग है। भारत लोकतांत्रिक जनगणराज्य की सरकार को मान्यता प्रदान की है और दक्षिण कोरिया में कोरिया गणराज्य की सरकार को भारत ने इजरायल को 1950 में ही मान्यता दे दी थी लेकिन उस देश के साथ राजनैतिक संबंध स्थापित नहीं किये थे।

विदेशों से वस्तुयें लाने और ले जाने के लिए विदेशी जहाजों का उपयाग

9563. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार ने देश से बाहर वस्तुएं भेजने या विदेशों से वस्तुएं लाने के लिए कितना सामान विदेशी नौवहन कम्पनियों को दिया है,

(ख) विदेशों को वस्तुयें भेजने या विदेशों से वस्तुयें लाने के लिए भारतीय जहाजों का उपयोग न किये जाने के क्या विशेष कारण हैं,

(ग) इससे कुल कितनी हानि का अनुमान है,

(घ) क्या यह सच है कि अनेक मामलों में भारत सरकार व सरकारी उपक्रमों ने विदेशों के साथ करार किए हैं जिनमें इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि वस्तुए लाने और ले जाने के लिये विदेशी जहाजों का उपयोग किया जाएगा, यदि हां, तो क्यों, और

(ङ) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाये हैं कि इस काम के लिए भारतीय जहाजों का उपयोग किया जाये ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) गत दो वर्षों में सरकारी माल । सरकार द्वारा नियंत्रित माल, जो विदेशों से भारत लाया गया और भारत से बाहर भेजा गया, वह निम्न प्रकार हैं :

(लाख मी० टनों में)

197			1978		
भारतीय जहाजों द्वारा	विदेशी जहाजों द्वारा	कुल	भारतीय जहाजों द्वारा	विदेशी जहाजों द्वारा	कुल
70.2	35.3	105.5	62.4	53.9	119.3

(ख) जहां तक संभव होता है, सभी भारतीय जहाजों का जो उपलब्ध हों अधिकाधिक प्रयोग किया जाता है । जब भारतीय जहाज अपेक्षित अवस्था में उपलब्ध नहीं होते या भारतीय जहाजों को कहीं और अधिक लाभप्रद काम मिल जाए तो विदेशी जहाजो को चार्टर । प्रयुक्त किया जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

(घ) और (ङ) : मार्केट स्थिति और पार्टियों की सौदेबाजी करने की शक्ति के कारण सरकारी विभाग और सरकारी उपक्रम अक्सर ऐसी नौवहन व्यवस्था पर नियन्त्रण रखने की में नहीं होते हैं जहां विदेशी पार्टियों माल को लाने के लिए गैर भारतीय जहाजों का इस्तेमाल करती है ।

सरकारी एजेन्सियों को फिर उच्चतर स्तर पर अनुदेश दिए गए हैं कि वे नौवहन व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए भरसक प्रयास करें ताकि नौवहन और परिवहन भारतीय जहाजों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सके।

दिल्ली बिजली घर के लिए कोयला

9564. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के चेयरमैन से कोई पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में बिजली घर को चलाने के लिये कोयला नहीं है;

यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है कि दिल्ली बिजली घर को नियमित रूप से कोयला सप्लाई किया जाये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) से (ग) : दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें बताया गया है कि उनके पास कोयले की कमी चल रही है। रेलों और ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के बीच निकट सम्पर्क बनाये रखकर, कोयले की अपूर्ति का लगभग सामान्य स्तर बनाये रखा गया है। इस समय इन्द्रप्रस्थ बिजली घर में 11 दिन का स्टाक है और बदरपुर ताप बिजली घर में 4 दिन का। कोयले की नियमित ढुलाई को बनाये रखा जा रहा है।

ईराक के साथ समझौता

प्रश्न संख्या 9566 :
श्री पी० राजगोपाल नायडू :
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 1979 में ईराक के साथ समझौता किया था; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) फरवरी 1979 में ईराक सरकार के साथ किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। लेकिन भारत और ईराक ने 27-2-1979 को तीन वर्ष की अवधि के लिए सांस्कृतिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक सहयोग के लिए एक कार्यकारी-कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये।

(ख) कार्यकारी-कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों की परिकल्पना की गयी है—

वैज्ञानिक, मानविकी, इंजीनियरी और आयुर्विज्ञान के क्षेत्रों में प्रोफेसरों, शिक्षाविदों, विद्वानों का आदान-प्रदान, दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच भाषा और क्षेत्र अध्ययन सहित घनिष्ठ सम्पर्क, संगोष्ठियों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में समन्वय,

शैक्षिक, युवावर्गों, जन-सम्पर्क माध्यमों, खेलों एवं मंचीय कलाकारों के प्रतिनिधिमंडलों को एक दूसरे देश में भेजना, पुरातात्विक अनुभव का विनिमय तथा उत्खनन में भागीदारी के अतिरिक्त समकालीन कला, हस्तकला और पुस्तक प्रदर्शनियों का आदान प्रदान।

आन्ध्र प्रदेश में रेल लाइनें

9567. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए किए गए अथवा प्रस्तावित सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1979-80 में आंध्र प्रदेश में कितनी रेलवे लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) निकट अतीत में आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण किए गए है।

1. **बीबी नगर नडिकुडे (150 कि० मी०)**

सर्वेक्षण 1969-70 में किया गया और परियोजना को निर्माण के लिए अनुमोदित कर दिया गया। यह निर्माण कार्य प्रथम चरण में हो रहा है।

2. **भद्राचलम-मानगुरु (52 कि० मी०)**

सर्वेक्षण 1974-75 में किया गया और परियोजना को निर्माण के लिए अनुमोदित कर दिया गया। निर्माण-कार्य हो रहा है।

3. **निजामाबाद रामगुंडम (160 कि० मी०)**

1976 में किए गए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण से पता चला है कि परियोजना वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं थी।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौरान आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन नयी लाइनों पर निम्नलिखित धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है—

(1) नडिकुडे-बीबी नगर	4.0 करोड़ रु०
(2) भद्राचलम-मानुगुरु	2.5 करोड़ रु०

माल डिब्बों का गोदामों के रूप में उपयोग किया जाना

9568. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन माल डिब्बों की संख्या क्या है, जिनका व्यापारियों द्वारा वर्ष में गोदामों के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप माल-डिब्बे रुके पड़े रहते हैं; और

(ख) निर्धारित अवधि से अधिक समय तक माल डिब्बों से माल को न उतारने के लिए कितना अधिक विलम्ब शुल्क देना पड़ता है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) निःशुल्क समय की समाप्ति पर, वर्तमान दरों के आधार पर अर्थात पहले 24 घंटे के लिए 25 पैसे प्रति टन प्रति घंटा अगले 24 घंटे के लिए 30 पैसे प्रति टन प्रति घंटा तथा इसके बाद प्रत्येक 24 घंटे की अवधि के लिए 40 पैसे प्रति टन प्रति घंटा के हिसाब से बिलम्ब-शुल्क लगाया जाता है। पहले दिन, अर्थात 24 घंटे की समाप्ति पर, 22.4 टन वहन क्षमता के बड़ी लाइन के चौपहिया माल-डिब्बे पर बिलम्ब-शुल्क 134.40 रुपये बनता है और दूसरे दिन के अन्त में, अर्थात् 48 घंटे की समाप्ति पर, 295.60 रुपये और तीसरे दिन के अन्त में, अर्थात् 72 घंटे की समाप्ति पर, 510.72 रुपये विलम्ब शुल्क बनता है। इन सामान्य दरों के अलावा नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाने के 48 घंटे बाद 60 पैसे प्रति टन घंटा की और भी उच्चतर दर पर विलम्ब शुल्क प्रभारित करने का अधिकार भी रेल प्रशासनों को प्राप्त है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गुटबन्दी तथा तनाव की स्थिति

9570. श्री के० लकप्पा :
श्री बसन्त साठे :
श्रीमती मोहसिना किदवई :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के प्रेस समाचारों की जानकारी है कि नई दिल्ली स्थिति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में संस्थान का प्रबन्ध एक कार्यपालक निदेशक द्वारा ग्रहण कर लिए जाने के फलस्वरूप गुटबदी, परस्पर संदेह क्या तनाव का वातावरण व्याप्त है जिससे अस्पताल का प्रशासन अस्त व्यस्त हो गया है और रोगियों की उपेक्षा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त संस्थान के एक नियमित निदेशक नियुक्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) अस्पताल के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा सन्तप्त रोगियों को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रेस रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के लिए एक रैगुलर डायरेक्टर की नियुक्ति में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नियम । 1968 के उपबंधों के अन्तर्गत डायरेक्टर की नियुक्ति संस्थान द्वारा केन्द्रीय सरकार से पूर्व स्वीकृति लेकर की जाती है। डा० एल० पी० अग्रवाल को संस्थान के निदेशक के रूप में 18 फरवरी 1979 से 5

वर्ष की अवधि के लिए या उस समय तक के लिए जब तक वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं जो भी पहले हो, नियुक्त करने के बारे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नियम 1958 के नियम 7 (3) के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति संस्थान को 4 अप्रैल, 1979 को सूचित कर दी गई थी।

(घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया है कि प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा संतप्त रोगियों को अधिकाधिक संतुष्टि प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) कैजुअल्टी में आपाती पलंगों की संख्या बढ़ा दी गई है।

(2) ओ० पी० डी० में मरीजों से जो उनकी आय के आधार पर उनके उपचार के लिए शुल्क लिए जाते थे, उन्हें बन्द कर दिया गया है। कजुअल्टी में दाखिल होने वाले मरीजों से दाखिले के समय कोई शुल्क नहीं लिए जाते हैं।

(3) ऐसे असाधारण मामलों जिनके लिए संस्थान में दवाई उपलब्ध नहीं हो और उसकी किसी गम्भीर रोगी को अति-शीघ्र आवश्यकता हो, को छोड़कर, शेष किसी भी अन्तरंग रोगी को बाहर से दवाई खरीदने के लिए नहीं कहा जाता है :

(4) निर्धन रोगियों और बच्चों के माता-पिता को आहार संबंधी शुल्कों का भुगतान करने से छूट है।

(5) अस्पताल में मरीजो को देखने के लिए आने वालों की संख्या को सीमित करके अस्पताल की सफाई की स्थिति में सुधार ला दिया गया है।

(6) दूर से आने वाले मरीजों के रिश्तेदारों के ठहरने के लिए मौजूदा राजगढ़िया विश्राम सदन में शयनागार को बढ़ा कर नई जगह की व्यवस्था कर दी गई है।

(7) ई० एम० आई० स्केनर से ब्रेन स्केनिंग जैसी विशेष जांच-पड़तालों और सभी हड्डी के इलाज और दंत चिकित्सा संबंधी यंत्रों, जिनमें कृत्रिम दंतावली भी शामिल है, को छोड़कर शेष सभी जांच-पड़तालों के लिए निःशुल्क व्यवस्था कर दी गई है।

(8) हृदय के वाल्वों तथा अन्य सहायक सामग्री और हृदय के आपरेशनों की दवाई के लिए न-लाभ न हानि के आधार पर एक रिवाल्विंग फंड खोल दिया गया है।

गर्भ जांच औषधियों के प्रयोग से शिशु का विकृत होना

9571. श्री वसन्त साठे :

श्री चिमन भाई एच० शुक्ल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1-15 अप्रैल, 1979 के "आनलुकर" बम्बई में "प्रेगनेन्सी टैस्ट ड्रग्स केन डिफ्फार्म बेबीज-देन बेम" (गर्भ जांच औषधों के उपयोग में शिशु विकृत हो सकते हैं—इन पर रोक लगायें) शीर्षक समाचार की ओर गया है।

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में की गई गम्भीर टिप्पणियों पर सरकार की (टिप्पणी-वार) प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इस मामले सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख). (ग) और (घ) इस समाचार में जो मुख्य-मुख्य टिप्पणियां की गई हैं, वे इस प्रकार हैं—

(1) भारत में गर्भावस्था का पता लगाने के लिए कृत्रिम हार्मोन वाली जिन औषधियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, वे बहुत ही हानिकारक होती है और जिन स्त्रियों को ये औषधियां गर्भावस्था के शुरू में दी जाती हैं उनको बड़ा खतरा रहता है कि कहीं वे विकृत बच्चों को जन्म न दे दें।

(2) गर्भावस्था का पता लगाने के लिए जो हार्मोनल परीक्षण किए जाते हैं वे विश्वसनीय नहीं हैं। इस समाचार में मद्रास के किलपॉक मेडिकल कालेज में प्रसूति और स्त्री रोग विज्ञान की प्रोफेसर डा० पला नियप्पन द्वारा किए गए कतिपय अध्ययन का जिक्र किया गया है इस अध्ययन से यह पता चलता है कि गर्भावस्था का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वें विश्वासनीय नहीं हैं।

(3) विरूप बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं पर डा० पला नियप्पन द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि इन महिलाओं में से 31 प्रतिशत ने गर्भ को समाप्त करने के लिए गर्भ की प्रारम्भिक अवस्था में हार्मोन वाली दवाइयां खाई थीं :

(4) इन हार्मोनल प्रोडक्ट पर छः देशों में पाबन्दी लगा दी गई है अथवा इन्हें वापस ले लिया गया है।

(5) भारत सरकार से मांग की गई है कि वह इन दवाइयों पर तत्काल पाबन्दी लगा दे।

1975 में कुछेक देशों से हार्मोनल गर्भावस्था दवाइयों को वापस लेने की ये रिपोर्ट मिलने के बाद कि इनके उपयोग की सुरक्षा में संदेह है तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गर्भावस्था के निदान के लिए और विश्वस्त तरीके उपलब्ध हैं जिनमें हार्मोनिय देय नहीं पड़ता है। औषध नियंत्रक (भारत) के इस देश के अनेक स्त्रीरोग विशेषज्ञों से उनकी राय जानने के लिए यह सलाह भी कि क्या गर्भावस्था की जांच करने के लिए हार्मोनल दवाओं का प्रयोग बन्द कर दिया जाना चाहिए। जिन विशेषज्ञों से परामर्श किया गया उनमें से अधिकांश का यह मत था कि देश के अधिकांश अस्पतालों में गर्भावस्था के निदान के लिए इम्युनो-ऐसे तरीकों का उपयोग करने के लिए सुविधाओं का अभाव है, इसलिए इन दवाइयों को बाजार से पूर्णतया हटा लेना वांछनीय नहीं होगा। उन्होंने यह सिफारिश की कि यू. के कमेटी आन सेफ्टी आफ मेडिसिन की भांति इसके निर्माताओं के लिए यह आवश्यक कर दिया जाए कि वे इसके साथ एक चेतावनी

दे दें कि यदि गर्भ की प्रारंभिक अवस्था में इन दवाओं को लिया जाए तो उनसे जन्म जात विरुपता होने का खतरा है। गर्भावस्था के निदान के लिए इन दवाइयों की आज्ञा तभी दी जाये जब गर्भ को समाप्त करने का फैसला कर लिया जाए। तदनुसार, इन हार्मोनल औषधियों को वेचने वाले निर्माताओं के लिए यह अत्यावश्यक कर दिया गया कि वे गर्भावस्था के निदान में प्रयोग करने के लिए इन उत्पादों को बढ़ावा न दें। वैसे, उन्हें सेकेंडरी एमेनोरिया जैसे रोगों के लिए जब गर्भावस्था न हो तो वेचते रहने की अनुमति दे दी गई। उन्हें यह भी कहा गया कि अपने पैकेज इन्सर्टो, मेडिकल साहित्य, आदि में संशोधन कर दें जिससे निम्नलिखित चेतावनी समाविष्ट की जाए :

चेतावनी : इस बात के कुछ प्रमाण मिले हैं कि गर्भावस्था में जब हार्मोनल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे गर्भस्थ शिशु में अनसामान्यतायें हो सकती हैं और इसलिए गर्भावस्था में अथवा गर्भावस्था के निदान के लिए इनका तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जब तक गर्भावस्था की पुष्टि हो जाने के बाद उसको समाप्त करने का फैसला न ले लिया जाये। वैसे, गर्भ गिराने के अभिप्राय से इन हार्मोनल उत्पादों के कथित दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि फील्ड में चिकित्सा विशेषज्ञों से सलाह करके इस प्रश्न पर पुन: विचार किया जाए कि क्या इन दवाइयों की बिक्री जारी रखी जाये या नहीं।

भविष्य निधि में अंशदाता

9572. श्री मनोहर लाल : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि तथा एम० पी० अधिनियम से प्रभावित होने वाले अंशदाताओं में से 31 मार्च, 1979 के इससे मुक्त या इससे मुक्त न किये गये अंशदाताओं की पृथक-पृथक संख्या कितनी-कितनी थी ;

(ख) क्या कर्मचारियों के लिये मंजूरी देते समय उतने ही खातों की संख्या को विचार में लिया जाता है और क्या तदनुसार कर्मचारी मंजूर किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) 31 दिसम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन आने वाले अंशदाताओं की संख्या 96,35,228 थी (छूट न प्राप्त-63,09,307 ; छूट प्राप्त 33,25,921)।

(ख) अंशदाताओं आदि की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को समय समय पर सुदृढ़ किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टैंटरासाइक्लीन और क्लोरियोफेनीकोल मिश्रण को वापिस लिये जाने के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की सिफारिश

9573. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा विशेषज्ञों ने सरकार को एकमत से यह सिफारिश की है कि टैंटरासाइक्लिन और कलोरियोफेनीकोल के मिश्रण को बाजार से वापस ले लिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जिन विशेषज्ञों से सलाह ली गई थी, उनमें से अधिकांश का यह मत था कि टैटरासाइक्लीन और क्लोरमफेनीकल के मिश्रण को बाजार से वापिस लिया जाना चाहिए ।

(ख) विशेषज्ञों की राय है कि टैंटरासाइक्लीन क्लोरमफेनीकल के निर्धारित मिश्रणों को बाजार में बेचने का कोई औचित्य नहीं है । दवा बनाने वाली एसोसिएशनों को लिखा गया है कि विशेषज्ञों की सिफारिशों के बारे में यदि उनके कोई विचार हों तो उसकी सूचना दे दें ।

रेलवे वैगनों से कोयले की चोरी

9474. **डा० रामजी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने वर्ष 1977-78 और 1978-79 में रेलवे वैगनों से कोयले के लिये कितने मुआवजे का भुगतान किया ;

(ख) कोयले के वैगन सील न किये जाने के कारण हैं जब कि सभी प्रकार के सामानों के वैगन सील होते हैं ;

(ग) क्या कोयले की चोरी का यही एक मात्र कारण हैं ; और

(घ) क्या भविष्य में कोयला वैगनों को सील करने के बारे में अनुदेश जारी किये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) कोयले की चोरी/कमी के प्रति क्षतिपूर्ति के लिए रेलों द्वारा 1977-78 में 26.65 लाख रुपये और 1978-79 (अप्रैल से दिसम्बर 1978) के दौरान 24.27 लाख रुपये की राशि अदा की गयी ।

(ख) कोयला खानों में, भारी मात्रा में लदान मशीनों द्वारा किया जाता है, जो केवल खुले माल डिब्बों में ही सम्भव है । ऐसे मामलों में भी जब कोयले का लदान बंद माल डिब्बों में किया जाता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से बंद माल डिब्बों में सील लगाना वांछनीय नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य रेलवे का कैश एण्ड पे कार्यालय

9576 डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में बम्बई वी० टी० में कैश एण्ड पे कार्यालय में ापिक कर्मचारियों ने एक अभ्यावेदन दिया था जिस में पदोन्नति के अवसरों में कमी के बारे में संतोष प्रकट किया था ;

(ख) यदि हां, तो उन की वास्तविक मांगें क्या थीं ;

(ग) तीसरे वेतन आयोग की क्लर्कों के इस केडर विशेष के बारे में, सिफारिशें क्या थीं, ार

(घ) उपयुर्क्त मामले में रेलवे बोर्ड और विभाग द्वारा क्या कार्यवाही करने का ाव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :)क) जी हां ।

(ख) (i) लेखा विभाग की अपेंडिक्स ii-ए और iii-ए की परीक्षाओं में बैठने की ुमति ।

(ii) रोकड़ व वेतन विभाग के लिपिकवर्गीय कर्मचारियों का लेखा विभाग के साथ लय ।

(iii) उच्चतर ग्रेड के पदों का प्रतिशत बढ़ाना ।

(iv) कार्य में वृद्धि हो जाने के कारण लिपिकवर्गीय संवर्ग में कर्मचारियों की संख्या ाना ।

(v) कैशियरों के निरीक्षक के पदों के प्रवरण में बैठने की अनुमति ।

(vi) मानदेय की अदायगी ।

(ग) तृतीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि (i) जो कैश क्लर्क ओर वरिष्ठ कैश र्क क्रमशः 110-180 रु० और 130-300 रु० के प्राधिकृत वेतनमान में हैं, उन्हें क्रमशः अवर ाी लिपिकों और प्रवर श्रेणी लिपिकों के लिए संस्तुत वेतनमान दिये जायें, (ii) अपेंडिक्स-2 र 3 (आई०आर०ई०एम) की परीक्षाओं में बैठने देने के संबंध में उनकी मांग उचित प्रतीत ाी है ।

(घ) (i) सरकार द्वारा यह सिफारिश स्वीकार कर ली गयी है और उन्हें निम्नलिखित ोधन वेतनमान दिये गये हैं :—

कोटि	प्राधिकृत वेतनमान	संशोधित वेतनमान
कैश क्लर्क	110-180	260-400
वरिष्ट क्लर्क	130-300	330-560

(ii) बोर्ड ने अभी यह विनिश्य किया है कि वर्तमान कार्यविधि तब तक जारी रखी जाये जब तक कि उनके संवर्ग का लेखा विभाग के संवर्ग में विलय करने के संबंध में जिसके लिए कि रेलों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया है, कोई अन्तिम फैसला नहीं हो जाता।

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा

9577. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968-69 के रेलवे अधीनस्थ कार्यालयों से पूर्णतया तदर्थ आधार पर लिये गये लिपिक रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में स्थायी रूप से खपा लिये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या इस से भारत सरकार के मंत्रालयों में पद भरे जाने के लिए बनाये गये नियमों का उल्लंघन नहीं होता है और क्या यह 11 जून, 1977 को सदन में उन के द्वारा घोषित नीति के विपरीत नहीं है,

(ग) क्या खपाने के लिए आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श किया गया था, और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो ऐसी अनियमितता करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वर्ष 1968-69 में अधीनस्थ रेलवे कार्यालयों से लिपिकों की सेवाएं अस्थायी आधार पर प्राप्त की गयी थीं परन्तु बाद में रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के पुनर्गठन और प्रबलीकरण योजना के प्रावधानों के अनुसार जो इन लिपिकों की भर्ती के समय लागू थे, उन्हें रेलवे बोर्ड में नियमित कर दिया गया है। उन्हें दी गयी वरिष्ठता के अनुसार उनकी बारी आने पर स्थायी कर दिया जायेगा।

(ख) जी नहीं, जैसा कि ऊपर बताया गया है यह भर्ती रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के पुनर्गठन और प्रबलीकरण की उपर्युक्त योजना के अनुसार की गयी थी। लोक सभा में 11-6-1977 को रेल मंत्री द्वारा दिए गए नीति विषयक बयान का संबंध 1974-75 और अनुवर्ती वर्षों में तदर्थ आधार पर की गयी लिपिकों की भर्ती से है उपर्युक्त भर्ती से नहीं।

(ग) और (घ) यद्यपि रेलवे बोर्ड कार्यालय में उनकी सेवाओं को नियमित करने के संबंध में कार्मिक विभाग से परामर्श किया गया था परन्तु अंत में यही निर्णय किया गया कि उनकी नियुक्ति को सरकार के अनुमोदन से नियमित कर दिया जाय।

रेलवे बोर्ड का हिन्दी निदेशालय

श्री रामानन्द तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के हिन्दी निदेशालय में हिन्दी का कार्य बढ़ने के बावजूद अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है ;

(ख) क्या रेलवे में हिन्दी के काम के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अतिरिक्त पद बनाने का एक प्रस्ताव गत एक वर्ष से रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है परन्तु इस बारे मे अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या नये पद बनाने पर प्रतिबंध होने के कारण बहुत से पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं और हिन्दी निदेशालय में काम की अनिवार्यता के लिये अन्य विभागों से लिए गए कर्मचारी वापस तो भेज दिए जाते हैं परन्तु उन के वैकल्पिक प्रबंध नहीं किए जा रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में मंत्रालय द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ; और

(च) इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों के अभाव में हिन्दी के प्रति संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए उन के मंत्रालय ने क्या उपाय सोचे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (शिव नारायण) : (क) रेलवे बोर्ड कार्यालय के हिन्दी निदेशालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) और रेलों पर हिन्दी के काम के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त राजपत्रित और अराजपत्रित

(ग) पदों के सृजन के संबंध में पहले ही विनिश्चय किया जा चुका है :—

(1) प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे पर वरिष्ठ वेतनमान का एक-एक पद

(2) क्षेत्रीय रेलों के विभिन्न मंडलों पर श्रेणी-(ii) के 25 पद और डीजल रेल इंजन कारखानों में एक पद, तथा

(3) 200 अराजपत्रित पद। 200 अराजपत्रित पदों और श्रेणी-ii के 25 पदों के लिए स्वीकृति जारी की जा रही है और वरिष्ठ वेतनमान के पदों का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है।

(घ) हिन्दी निदेशालय में कोई भी पद खाली नहीं पड़ा है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

9579. **प्रो० पी०जी० मावलंकर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1979 और 1980 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को और अधिक गति देने का है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और कितने संसाधनों के साथ ; और

(ग) क्या सरकार उक्त कार्यक्रम को, विशेष रूप से नगरीय गन्दी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोक प्रिय बनाने के नए एवं अच्छे तरीकों का पता लगाने में सफल हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम को तेज करने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं । शहर की गंदी बस्तियों, ग्रामिण क्षेत्रों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को परिवार कल्याण सेवायें प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इस कार्यक्रम को तेजी से चलाया जा रहा है और इसके कल्याण पक्ष की ओर तथा लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी देकर और उन्हें समझा-बुझाकर गर्भ-निरोधक इस्तेमाल करने के लिए राजी करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । सारे देश में बड़ी संख्या में ओरियटेशन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करके शैक्षिक और प्रेरणात्मक कार्यों को तेज कर दिया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत दाइयों को प्रशिक्षण देकर प्रसूति सेवाओं में सुधार लाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इन दाइयों को प्रशिक्षण देने के बाद बढ़िया किटें भी दी जाती हैं । जन स्वास्थ्य रक्षक योजना को, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रारम्भिक स्वास्थ्य परिचर्या सुलभ कराने की दिशा में एक प्रयास है, जारी रखा गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को बढ़िया ढंग से लागू किया जा सके । जन स्वास्थ्य रक्षकों ने पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में निरोध बांटने का काम शुरू कर दिया है ।

राज्यों में इस कार्यक्रम को तेजी से चलाने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों ने अपनी विधान सभाओं के सदस्यों को स्वयं पत्र लिखे हैं जिसमें उनसे इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने का अनुरोध किया गया है । ऐसी ही अपीलें केन्द्रीय मंत्रालय की ओर से संसद सदस्यों को भी की गई हैं । विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों, स्थानीय निकायों तथा महिला संगठनों को भी इस कार्यक्रम में लगाया गया है ।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों के बीच स्वस्थ होड़ उत्पन्न करने के अभिप्राय से सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना आरम्भ की गई है । जनवरी से मार्च 1979 की अवधि में बढ़िया कार्य करने के फलस्वरूप विशेष पुरस्कार भी घोषित किए गए हैं । इस अवधि को इस उद्देश्य से "परिवार नियोजन तिमाही" के रूप में मनाया गया था कि लोगों का ध्यान छोटे परिवार के आदर्श को अपनाने की ओर केन्द्रित किया जा सके ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन समेत सभी प्रचार साधनों को उपयोग में लाया जा रहा है।

राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूलित शयन-यानों (स्लीपर्स) की व्यवस्था करना

9580. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूलित शयन-यानों (स्लीपर्स) की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ;

(क) क्या उन को इस संबंध में कुछ संसद् सदस्यों से पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) रेलों पर इस समय दूसरे दर्जे के जो वातानुकूलित शयन-यान इस्तेमाल हो रहे हैं, वे। 130 कि० मी० प्रति घंटा की रफ्तार से जो नयी दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर राजधानी एक्सप्रेस की अधिकतम अनुमेय रफ्तार है, चलने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बर, को हिदायतें दी गयी हैं कि वे अपेक्षित आशोधन करके दूसरे दर्जे के वातानुकूलित शयन-यान तैयार करें ताकि उन्हें अपेक्षित रफ्तार से चलाया जा सके। राजधानी एक्सप्रेस में इस समय अधिक से अधिक 9 सवारी-डिब्बे लगाये जाते हैं। यदि इस गाड़ी में दूसरे दर्जे का एक अतिरिक्त वातानुकूलित शयन-यान लगाया जाये तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप डिब्बों की संख्या में वृद्धि होने तथा इसकी तुलना में कर्षण क्षमता में वृद्धि करने, समय पालन और ब्रेकिंग दूरी के संबंध में भी अलग से अध्ययन किया जा रहा है।

असन्तोषजनक "कन्टेनराइजेशन" सुविधा

9581. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कपड़ा निर्यातकों ने कान्फ्रेन्स लाइन्स द्वारा दी गयी असन्तोषजनक कन्टेनराइजेशन सुविधा और उसके लिये मांगे गये ऊंचे भाड़ा अभिभार के बारे में शिकायतें की हैं ;

(ख) क्या ये निर्यातक पश्चिमी नियंत्रण वाले नौवहन कान्फ्रेन्स लाइन का बहिष्कार करने और अपने माल को नान-कान्फ्रेन्स लाइन में भेजने के बारे में विचार कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चांद राम) : (क) कपड़ा निर्यातकों से अभी तक हमें

कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। कन्टेनराईज्ड सेवा के लिए भाड़ा दर सामान्यतः लाईनर सेवा की भाड़ा दर से अधिक होती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता।

रोजगार परियोजनाएं

9582. **श्री दुर्गा छन्द** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय रोजगार मुहैया करने वाली चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में इन योजनाओं के अधीन अब तक कितने लोगों को रोजगार मुहैया किया गया है ; और

(ग) अगले दो वर्षों में वर्तमान एवं नई परियोजनाओं के अधीन प्रत्येक राज्य में कितने लोगों को रोजगार दिया जाना है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) निवेश और उत्पादन योजनाओं में, जो 1978-83 की योजना के मसौदे का एक अंग है, 1978-83 की अवधि के दौरान 493 लाख व्यक्ति-वर्ष के बराबर रोजगार की मात्रा सर्जित करने की परिकल्पना की गई है। राज्य-बार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अब तक सर्जित किए गए रोजगार के उपबन्ध में व्यापक आधार पर सूचना उपलब्ध नहीं है। जो सूचना उपलब्ध है वह केवल रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के अधीन 1977 और 1978 के दौरान रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की गई रिक्तियों से सम्बंधित है और संलग्न विवरण में दी गई है

(ग) वर्ष प्रति वर्ष रोजगार के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए है।

विवरण

1977 और 1978 वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या

(हजारों में)

क्रमांक	राज्य संघ/राज्य क्षेत्र	के दौरान रिक्तियों की संख्या 1977	1978
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	70.3	66.1
2	असम	10.3	11.0

1	2	3	4
3	बिहार	44.6	38.2
4	गुजरात	29.2	40 9
5	हरियाणा	72.6	72.3
6	हिमाचल प्रदेश	10.0	12.4
7	जम्मू व कश्मीर	3.0	3.7
8	कर्नाटक	33.4	32.7
9	केरल	26.9	25.0
10	मध्य प्रदेश	26.9	65.8
11	महाराष्ट्र	74.8	75.1
12	मणिपुर	3.6	4.7
13	मेघालय	0.8	0.8
14	नागालैण्ड	2.0	0.9
15	उड़ीसा	28.6	32.4
16	पंजाब	49.6	43.5
17	राजस्थान	26.3	32.8
18	सिक्किम	*	*
19	तमिलनाडु	42.5	52.5
20	त्रिपुरा	1.7	2.2
21	उत्तर प्रदेश	79.4	80.1
22	पश्चिम बंगाल	40.9	46.3
23	अण्डमान और निकोबार दीप समूह	0 9	0 8
24	अरुणाचल प्रदेश	*	*
25	चण्डीगढ़	5.7	6.0
26	दादर व नागर हवेली	*	*
27	दिल्ली	68.8	68.6
28	गोआ	5.4	4.9
29	लक्षदीप	0.2	0.1
30	मिजोरम	1.0	1.5
31	पांडिचेरी	1.3	2.2
32	केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, नई दिल्ली	6.7	7.5
	अखिल भारतीय योग	803.4	810.7

*इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नही कर रहा है।

नोट :—पूर्णांकन के कारण कालमवार आंकड़ों के योग मेल नहीं खाते।

बहु-राष्ट्रिक फर्मास्यूटीकल संस्थानों में ठेका श्रमिकों को नियमित किया जाना

9583. **श्री भगत राम** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बहु-राष्ट्रिक फार्मास्यूटिकल संस्थानों में नैमित्तिक अस्थायी तथा ठेका श्रमिकों की संख्या कितनी है ; और

(ख) इन सभी कर्मचारियों का नियमित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

चलते फिरते क्लिनिक

9584. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 106 कालेजों में से प्रत्येक कालेज में चलते-फिरते क्लिनिक की व्यवस्था करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन चलते फिरते क्लिनिकों द्वारा किस सीमा तक ग्रामीण स्वास्थ्य की आवश्यकता पूरी होगी ;

(घ) क्या देश में चलते-फिरते चिकित्सा एकक आरम्भ करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) जी हां।

(ख) चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम को फिर से नया रूप देने के अंतर्गत देश के प्रत्येक 106 मेडिकल कालेजों को तीन प्राथमिक केन्द्रों के लिए जो इस कालेज से सम्बंध होगी, तीन तीन गश्ती क्लिनिक दिए जाएंगे। इन गश्ती क्लिनिकों का उपयोग देहाती लोगों को स्वास्थ्य संबंधी व्यापक परिचर्या प्रदान करने के लिए किया जाएगा। लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने के लिए इन क्लिनिकों के माध्यम से मेडिकल कालेजों के प्राध्यापक वर्ग और चिकित्सा छात्रों को एक अवसर प्रदान किया जाता है।

(ग) अपने घरों के नजदीक मेडिकल कालेजों के विशेषज्ञों द्वारा दी जाने वाली चिकित्सा और स्वास्थ्य की विशेषज्ञ सेवाओं के जरिये लोगों को बहुत लाभ होगा। इन गश्ती क्लिनिकों को मौके पर स्वास्थ्य संबंधी उपयुक्त परिचय प्रदान करने के लिए आवश्यक उपकरण दिए जाएंगे।

(घ) और (ङ) देश में गश्ती यूनिटें आरम्भ करने के बारे में भारत सरकार किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, कुछेक ऐसे राज्य हैं जो अपने जनजातीय और अन्य असुविधा वाले क्षेत्रों के लिए गश्ती यूनिटें चला रही हैं।

पाकिस्तान के साथ पारस्परिक आधार पर पारगमन सुविधायें

9585. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **विदेश** मंत्री 30 नवम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1686 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक आधार पर पारगमन सुविधाएं देने संबंधी प्रश्न के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) अफगानिस्तान के साथ बरास्ता पाकिस्तान भारत के व्यापार संबंधों के कब आरंभ होने की संभावना।

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) और (ख) इस मामले में पाकिस्तान की सरकार के साथ समय-समय पर बातचीत होती रही है। लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान ने अपने देश से होकर 50 हजार टन भारतीय गेहूं अफगानिस्तान भेजने की अनुमति दी थी। भारत सरकार उपयुक्त समय पर इस मामले को पाकिस्तान की सरकार के साथ फिर उठायेगी।

दक्षिण रेलवे के ओलवकोट डिवीजन में रद्द की गई रेलगाड़ियां

9586. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे के ओलवकोट डिवीजन में हाल ही में कितनी रेलगाड़ियां रद्द की गयी थीं ;

(ख) रद्द करने के कारण क्या थे ;

(ग) इस बात को सुनिश्चित् करने के लिए क्या कदम उठाये गये थे कि यात्रियो को यथा संवभ कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े ;

(घ) क्या इन रेलगाड़ियों के रद्द किये जाने के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया था ; और

(ङ) रद्द की गई रेलगाड़ियों को शीघ्र चालू करने के लिए क्या कार्यवाही को गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1-12-78 से 9-2-79 की अवधिया के दौरान बड़ी लाइन पर प्रतिदिन औसतन 17 गाड़ियां और मीटर लाइन पर प्रतिदिन 6 गाड़ियां पूर्ण रूप से रद्द की गयी थीं ओर बड़ी लाइन पर 11 गाड़ियां अंशतः रद्द की गयी थीं ;

(ख) कोयले की कमी के कारण।

(ग) उन खंडों पर जहां यातायात का घनत्व कम समझा गया था, गाड़ियां रद्द की गयी थीं। इसके अतिरिक्त पूरक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए, डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों के अतिरिक्त ठहरावों की व्यवस्था भी की गयी थी।

(घ) जी हां।

(ङ) ओल्लवकोड मंडल में सभी संबंधित गाड़ियां 10-2-79 से पुनः चालू कर दी गयी।

अजनी रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा जाना

9587. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के अजनी रेलवे स्टेशन का नया नाम हजरत बाबा ताजुद्दीन रेलवे स्टेशन और एक रेल गाड़ी का नाम "हजरत बाबा ताजुद्दीन गाड़ी" रखने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) वर्तमान नियमों के अनुसार किसी रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन केवल सम्बद्ध राज्य सरकार की सिफारिश पर किया जाता है और राज्य सरकार को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सहमति लेनी पड़ती है। अजनी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हजरत बाबा ताजुद्दीन कर देने के लिए रेल मंत्रालय तथा मध्य रेल प्रशासन को कुछ व्यक्तियों से अनुरोध प्राप्त हुए थे। चूंकि निकट विगत में गृह मंत्रालय को राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है, अतः जैसा कि सुझाव दिया गया है, अजनी स्टेशन का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

किसी गाड़ी का नाम 'हजरत बाबा ताजुद्दीन' गाड़ी रखने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद्

9588. **श्री आर० के० महालगी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री नेशनल इन्टेगरेटिड मेडिकल एसोसिएशन बम्बई के अभ्यावेदन के बारे में 21 दिसम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4468 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद को उन सिफारिशों के बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कब कहा है, जो 17 अप्रैल, 1976 को केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् की संयुक्त बैठक में की गई थी।

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति परिषद से अब तक कोई उत्तर प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो कब और कैसा;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई अनुस्मारक भेजा है; और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ;

(घ) क्या यह सच है कि नेशनल इन्टेगरेटिड मेडिकल एसोसिएशन, बम्बई ने अपने 28.6.78 और 12.7.78 के अभ्यावेदनों के माध्यम से सरकार के सामने अपनी मांग पेश की हैं ; और

(ङ) यदि हां तो सरकार ने इन मामले में आगे क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) 3 जुलाई, 1976 को।

(ख) जी हां। 8 फरवरी, 1979 को केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद से उत्तर मिल गया है। इस परिषद ने भारतीय चिकित्सा की अर्हताओं की एक सूची भेजी है जिन्हें भविष्य में मान्यता के योग्य ठहराया जाना चाहिए।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) जो कार्रवाई की गई थी उसकी सूचना 21.12.78 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4468 के उत्तर में दे दी गई थी।

गांवों में चिकित्सा सुविधाएं न होना

9589. श्री दुर्गा चन्द : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के कितने गांव में नाम मात्र की भी कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं;

(ख) आगामी पांच वर्षों में, वर्षवार, प्रत्येक राज्य में कितने गांवों को चिकित्सा सुविधाओं के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय की तुलना में चिकित्सा सुविधाओं पर कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : (क) सारे देश में 5400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 12511 औषधालयों (ग्राम्मीण और नगरीय) तथा 42,000 से भी अधिक उप केन्द्रों का जाल बिछा कर गांव को चिकिरिसा सुविधायें जुटाई जा रही हैं। गांव में रहने वाले लोगों को अनेक ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के जरिये स्वास्थ्य सेवायें दी भी जा रही है। इनके साथ-साथ 105 लाख दाइयों को दिसम्बर, 1978 तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है जिससे इतनी ही संस्था के गांवों को कवर किया गया है।

जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अधीन जिसमें हर गांव/एक-एक हजार की आबादी के लिये एक जन स्वास्थ्य रक्षक की व्यवस्था की गई है, 31.3.79 को लगभग 82374 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(ख) 38,000 अतिरिक्त उप केन्द्र खोलने के अलावा प्रत्येक गांव में एक-एक प्रशिक्षित दाई और एक-एक जन स्वास्थ्य रक्षक देने का विचार है। इनमें कर्नाटक, तमिल नाडु, जम्मू व कश्मीर राज्य तथा लक्षद्वीप और अरुणाचल प्रदेश संघ शासित क्षेत्र शामिल नहीं हैं क्योंकि वहां पर जन स्वास्थ्य रक्षक योजना नहीं चलाई जा रही है।

(ग) सम्पूर्ण राष्ट्रीय बजट का लगभग 3 प्रतिशत बजट भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को मिलता है। स्वास्थ्य एक राज्य के विषय है और इसलिये स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा कार्यक्रमों को कार्यरूप देने पर जो व्यय होता है राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने बजट में भी पूरा किया जाता है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में रेल लाइनें

9590. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में नई रेल लाइनें बिछाने अथवा वर्तमान रेल लाइनों का विस्तार करने की योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन नयी रेल लाइनों का निर्माण अथवा वर्तमान लाइन का विस्तार किया जाना है, उनके संबंध में अभी विनिश्चय किया जाना है।

(ख) छठी योजना (1978-83) के दौरान, पश्चिम बंगाल में जो निर्माण-कार्य किये जा रहे हैं, वे इस प्रकार हैं :—

1. हावड़ा-आमता-चम्पाडांगा	इस लाइन का निर्माण-कार्य चल रहा है। हावड़ा से बरगछिया तक के खंड को 1980 तक तैयार करके यातायात के लिए खोलने का प्रस्ताव है।
2. हावड़ा-शियाखला	यह अनुमोदित परियोजना है। धन की सीमित उपलब्धता के कारण, अभी तक इस लाइन के निर्माण का काम शुरू नहीं किया गया है।

पूरे किये गये काम

कल्याणी से कल्याणी टाउनशिप तक रेल लाइन के निर्माण का काम, जो 20 अप्रैल, 78 को शुरू किया गया था, पूरा हो गया है और 7-4-1979 को यह लाइन यातायात के लिए खोल दी गयी है।

रेलवे इंजीनियरिंग (निर्माण) विभाग के नैमित्तिक कर्मचारी

9591. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे इंजीनियरिंग (निर्माण) विभाग में प्रतिस्थापक के रूप में 900 से अधिक दिनों की सेवा वाले नैमित्तिक अथवा अस्थायी रेल कर्मचारियों को विभाग में सहायक इंजीनियर (निर्माण) द्वारा किन नियमों के अंतर्गत उनके निर्धारित वेतन तथा पास, पी० टी० ओ०, छुट्टी की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, रात्री भत्ते, नियमित छुट्टी समयोपरि भत्ते आदि से वंचित किया जाता है, और

(ख) सहायक इंजीनियर (निर्माण) उत्तर रेलवे, लखनऊ की छंटनी के मामले में किस नियम के अंतर्गत रेलवे स्थापना की धारा 2514 और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एन० और एच० से छूट दी गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलवे के इंजीनियरी निर्माण विभाग में कोई एवजी नहीं रखें गये हैं ।

(ख) सहायक इंजीनियर/निर्माण, लखनऊ को इस प्रकार की कोई छूट नहीं दी गयी है ।

हावड़ा-कालका मेल में खान-पान सेवा आरम्भ किया जाना

9592. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हावड़ा-कालका मेल और डीलक्स-हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस रेलगाड़ी में शीघ्र ही रेल खान-पान सेवा को पुन: आरम्भ करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) जैसा कि 20-2-1979 को रेलवे बजट भाषण में घोषित किया गया था, सभी मेल/एक्सप्रेस और सुपर फास्ट गाड़ियों में विभागीय व्यवस्था के अधीन खानपान सेवाएं शीघ्रतापूर्वक सुलभ की जायेंगी । डीलक्स हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस में पहले से ही विभागीय प्रबन्ध के अन्तर्गत एक रसोईयान की व्यवस्था है । हावड़ा-कालका मेल को भी, एक डाक गाड़ी होने के नाते शीघ्र ही विभागीय प्रबंध के अंतर्गत ले लिया जायेगा ।

"टिस्को" की कोयला खान में माल-डिब्बों में लदान के मामले में ठेका प्रथा बनाये रखना

9593. **श्री ए० के० राय** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अधिसूचना के द्वारा 1 फरवरी, 1975 को माल-डिब्बों में लदान के मामले में ठेका प्रथा समाप्त कर दी गई थी जो धनबाद स्थित "टिस्को" की कोयला खान में 18 अक्तूबर, 1978 तक बनी रही ; और

(ख) केन्द्रीय श्रम विभाग में इतनी बड़ी अनदेखी के लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) "कोयला लादना और उतारना" उन निषिद्ध वर्गों में से एक है, जिनमें सरकारी अधिसूचना संख्या एस०—16011/1/74—एल० डब्ल्यू० दिनांक पहली फरवरी, 1975 के अनुसार ठेका श्रम पद्धती को निषिद्ध किया गया है। संभवत: आशय मैसर्स टिस्को लिमिटेड की सिजुआ कोलियरी से है जिसमें उपर्युक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् "कोयला लादने और उतारने के लिए" ठेका श्रमिकों को नियोजित किया गया है। तथाकथित दोष के लिए प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध अभियोजन पहले ही दायर किया जा चुका है तथा यह मामला न्यायाधीन है।

(ख) मामले की जांच की जा रही है। ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि के लिए पूरी वेतन और भत्तों का लाभ किया जाना था और इस अवधि को वेतन-वृद्धि, सेवा निवृत्ति के लाभ आदि पाने के प्रयोजनार्थ ड्यूटी के रूप में समझा जाता था।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि उनके राज्यों में निजी क्षेत्र के कुछ नियोजक ने कई मामलों में अनुदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया। इस संबंध में सरकार द्वारा अलग-अलग कर्मचारियों से शिकायतें और अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए।

(घ) इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि संबंधित कर्मचारियों को बिना किसी कसूर के नुकसान उठाना पड़ा है, इस मामले को जनवरी, 1979 में नियोजक संगठनों के साथ उठाया गया। उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने संगठनों से संबंधित यूनिटों के साथ अपनी सद्भावना का इस्तेमाल करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित कर्मचारी न केवल बहाल किए जाएं, परन्तु सरकारी अनुदेशों में निर्दिष्ट तरीकों के अनुसार उन्हें मजदूरी तथा भत्ता और अन्य लाभ भी दिया जाए। प्राप्त शिकायतें और अभ्यावेदन समुचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों और अन्य संबंधितों को भी भेज दिए गए।

ओक ग्रेव स्कूल, देहरादून

9594. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे द्वारा संचालित ओक ग्रेव स्कूल, देहरादून में विभिन्न कक्षाओं में इस समय कितने छात्र पढ़ रहे हैं और उनको किसी प्रकार की सहायता दी जाती है,

(ख) क्या इस स्कूल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित छात्रों को अधिक राहत दी जाती है और यदि हां, तो यह सहायता पाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है,

(ग) इस स्कूल में आरम्भ से लेकर अब तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कितने छात्रों ने शिक्षा प्राप्त की है और जिनको रेलवे में नियुक्त कर लिया गया है और उनमें से कितने छात्रों को अब तक नियुक्त नहीं किया गया है, और

(घ) उपरोक्त स्कूल में विभिन्न कक्षाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित जन-जातियों के अलग- अलग कितने स्थान आरक्षित हैं और क्या ये स्थान प्रति वर्ष भर जाते हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

डाक्टरों की हड़ताल के दौरान अस्पतालों में भर्ती

9595. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली में डाक्टरों की हड़ताल की अवधि के दौरान जीवन के लिए संघर्ष करने वाले रोगियों के संबंध में क्या प्रबंध किए गये; और

(ख) हड़ताल के कारण क्या थे और डाक्टरों की मागों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रविराय) : (क) 8 और 9 मार्च को कनिष्ठ डाक्टरों की आंशिक हड़ताल के दौरान वरिष्ठ डाक्टरों को अधिक देर तक कार्य करना पड़ा था ।

(ख) यह हड़ताल यूनीवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेस के छात्रों की मांगों की सहानुभूति में की गई थी। कनिष्ठ डाक्टरों की अपनी कोई मांग नहीं थी ।

श्री लंका से प्रत्यावर्तित लोगों की संख्या

9596 **श्री एफ० पी० गायकवाड़** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रिकताहीन कुल व्यक्तियों में से श्रीलंका से भारतीय मूल के कितने राष्ट्रिकताहीन व्यक्तियों को अब तक प्रत्यावर्तित किया गया है;

(ख) श्री लंका में अब तक भारतीय मूल के कितने राष्ट्रिकताहीन लोगों को बसने दिया गया है और श्री लंका की नागरिकता प्रदान की गई है;

(ग) क्या इन राष्ट्रिकताहीन लोगों के प्रत्यावर्तन और उनको खपाये जाने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1964 के शास्त्री-श्री मावो करार के अन्तर्गत निर्धारित 15 वर्ष की समय-सीमा समाप्त हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसा सहमत अनुपात के अनुसार राष्ट्रिकताहीन लोगों को प्रत्यावर्तित करने के लिए पारपत्र जारी करने में तथा उनको खपाने में अपनाई गई धीमी प्रक्रिया के कारण हुआ ।

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ये राष्ट्रिकताहीन व्यक्ति 1964 के बाद पैदा हुए अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिन्तित थे और वह अनिश्चितता उनमें व्याप्त रही; और

(च) इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री समरेन्द्र कुण्डू : (क) और (ख) 1964 और 1974 के करारों के अन्तर्गत आने वाले भारतीय मूल (उनकी प्राकृतिक वृद्धि सहित) के कुल 9,75,000 राज्यविहीन व्यक्तियों में से फरवरी 1979 तक 3,10,106 व्यक्तियों को भारत प्रत्यावर्तित किया जा चुका है और 1,75,818 व्यक्तियों को श्री लंका की नागरिकता प्रदान की जा चुकी है।

(ग) 1964 के करार का क्रियान्वयन अक्तूबर, 1979 तक पूरा हो जाना चाहिए था।

(घ), (ङ) और (च) प्रत्यावर्तन की वर्तमान गति के अनुसार 1964 और 1974 के करारों के क्रियान्वयन में प्रारम्भ में परिकल्पित अवधि से अधिक समय लगेगा। इसमें प्रशासनिक कारणों तथा कुछ ऐसे अन्य प्रबंधों के कारण देरी हुई है जिन्हें पूरा करना अवश्यक था और जिनकी पहले कल्पना नहीं की गई थी। लेकिन भारत सरकार और श्रीलंका सरकार 1964 और 1974 के करारों के अन्तर्गत भारतीय मूल के राज्यविहीन व्यक्तियों को भारत प्रत्यावर्तित करने अथवा श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध हैं। इसलिए विलंब के कारण पहले क्रियान्वयन की जो गति धीमी हो गई थी, उससे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होनी चाहिए। इस बात के सुनिश्चय के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि भविष्य में क्रियान्वयन की गति निर्बाध और नियमित रूप से जारी रहे।

बिना टिकट यात्रा

9597. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना टिकट यात्रा के ऐसे मामलों में वृद्धि हो गई है, जिनमें पता चलने पर यात्रियों को पकड़ने के लिए पुलिस की सहायता की जरूरत पड़ती है;

(ख) क्या समूहों में जैसे कालेज छात्रों, और जंगलों आदि में अवैध रूप से लकड़ी काटने वाले व्यक्तियों के समूहों द्वारा बिना टिकट यात्रा करने के मामलों में वर्ष 1977-78 में वृद्धि हुई है; और

(ग) इस प्रकार की बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। अप्रैल, 1978 से फरवरी, 1979 तक की अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये गए उनकी प्रति माह औसत संख्या 22437 थी जबकि पिछले वर्ष अर्थात् 1977-78 के दौरान यह संख्या 29,023 थी।

(ख) छात्र समूहों अथवा अवैध लकड़हारों द्वारा बिना टिकट यात्रा करने के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते, अतः यह सूचना प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

(1) बिना टिकट यात्रा करने के विरुद्ध वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के पर्यवेक्षण में टिकट जांच कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस का बड़ा दल संगठन करके विशेष व्यापक जांच पड़तालें शुरू की जा रही है।

राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके बिना टिकट यात्रा करने के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाये जाते हैं।

(3) चल टिकट निरीक्षकों द्वारा साधारण वर्दी में गुप्त जांच पड़ताल करना।

(4) निरन्तर गहन जांच-पड़ताल करना, विशेषकर सड़क परिवहन द्वारा जांच-पड़ताल करने वाली पार्टियों को गतिशील बनाना जिनके साथ रेलवे सुरक्षा दल/पुलिस और रेलवे दंडाधिकारी रहते हैं।

(5) मुख्यालय और मंडल टिकट जांच दस्तों द्वारा मध्य खंडों में गाड़ियों को रोककर दलों को अदल-बदल कर जांच-पड़ताल।

(6) एक रेलवे के टिकट जांच कर्मचारियों को दूसरी रेलवे पर भेजने की व्यवस्था :

(7) यात्रा करने वाली जनता विशेषकर विद्यार्थी वर्ग के बीच बिना टिकट यात्रा करने के विरूद्ध शिक्षाप्रद प्रचार करना।

(8) छात्र समुदाय में टिकट खरीदने के प्रति चेतना-जागृत करने के उद्देश्य से भारतीय रेलों की टिकट जांच गतिविधियों में वालाटियर के रूप में उनका सहयोग लिया जाता है।

चोरी तथा माल डिब्बों के तोड़े जाने से हानि

9598. (श्री विजय कुमार एन० पाटिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे में वर्ष 1977-78 से 1978-79 में चोरी तथा माल डिब्बे तोड़े जाने से कितने मूल्य की सम्पत्ति की हानि हुई; और

(ख) ऐसी हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनाराण) : (क) 1977-78 के दौरान 6,145,081/- रुपये और 1978-79 के दौरान (फरवरी तक) 6,497,337/- रुपये।

(ख) इस प्रकार की हानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

1- दुत्ता दस्तों का नियोजन।

2- सादे कपड़ों में कर्मचारियों की तैनाती ।

3- प्रभावी क्षेत्रों/थार्डों में गश्त लगाना ।

4- सरकारी रेलवे पुलिस और जिला पुलिस प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखा जाता है ।

यमुनापुरी (घोंडा) से केन्द्रीय सचिवालय तक बस सेवा

9599. **(श्री सरत कार)** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० द्वारा विकसित कालोनी, यमुनापुरी (घोंडा) में हजारों मकानों का निर्माण किया गया है और हजारों परिवारों ने रहना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या इस कालोनी से केन्द्रीय सचिवालय तक डी० टी० सी० की कोई बस सेवा उपलब्ध नहीं है जबकि अधिकांश निवासी केन्द्रीय सचिवालय के निकट स्थित कार्यालयों में प्रति दिन आते हैं और उन्हें इसके परिणामस्वरूप भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो लोगों की सुविधा के लिए बस सेवा कब तक आरम्भ की जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री चाँदराम) (क), (ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यमुना के उस पार शाहदरा से चार किलोमीटर दूर पर घोंडा गांव के पास यमुनापुरी का विकास किया जा रहा है। यह बस्ती अब पूरी तरह विकसित नहीं हुई है और इसके पूरी तरह बनकर तैयार होने में अभी समय लगेगा। यहां पर बस नं० 103, 121, 145, 155, 158, 212, 217, 223 और 224 आती जाती हैं जिनसे इस बस्ती के लोग आई० टी० ओ०, शाहदरा, कश्मीरीगेट, तिमारपुर, कौड़ियापुल और शहर के अन्य भागों तक आ जा सकते हैं जहां पर सेंट्रल सेक्रेटरिएट तक आने जाने के लिए पर्याप्त बसें सुविधापूर्वक मिल सकती हैं। इस बस्ती को बस सेवा द्वारा सेंट्रल सेक्रेट्रिएट से मिलाने का कोई भी सुझाव नहीं है।

प्रयाग एक्सप्रेस का देर से चलना

9600. **(श्री हलीमुद्दीन अहमद)** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद से जोगबनी के बीच चलने वाली प्रयाग एक्सप्रेस नियमित रूप से दो घंटे से भी अधिक देर से चल रही है;

(ख) क्या इस गाड़ी के नियमित रूप से देर से चलने के बारे में संसद सदस्यों द्वारा कई बार शिकायतें की गई हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या यह एक्सप्रेस गाड़ी केवल नाम की ही एक्सप्रेस रह गई है तथा इससे न केवल रेल यात्रियों तथा उपभोक्ताओं को भारी असुविधा हो रही है बल्कि एक्सप्रेस गाड़ी का अधिकार के रूप में उन पर अनावश्यक वित्तीय बोझ भी पड़ रहा है; और

(घ) क्या सरकार इन अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण तथा बेचारे रेल यात्रियो को राहत देने के उद्देश्य से इस एक्सप्रेस गाड़ी को तेज चलने वाली यात्री गाड़ी बना देने पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) 37 अप 38 डाउन प्रयाग एक्सप्रेस गाड़ियों की समय पाबंदी बहुत संतोषजनक नहीं रही है।

(ख) इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे को एक शिकायत मिली है। पर्यवेक्षण के काम को गहन करने और परिहार्य कारणों से होने वाली रुकौनियों को समाप्त करने के उद्देश्य से निश्चित उपचारात्मक/दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए संबंधित रेलों को हिदायतें दी गई हैं।

(ग) जी नहीं। इलाहाबाद सिटी और जोगबनी के बीच पड़ने वाले 120 स्टेशनों में से, 37 अप 38/डाउन प्रयाग एक्सप्रेस गाड़ियां 63 स्टेशनों पर नहीं रुकतीं।

(घ) जी नहीं।

प्राक्कलन समिति की रक्षा सम्बन्धी उप समिति के प्रतिवेदनों के बारे में घोशणा

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि प्राक्कलन समिति 1978-79 के सभापति श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ने अध्यक्ष के निदेशों के निदेश के खण्ड (आठ) (क) के उपबन्ध के अधीन (एक रक्षा का आधुनिकीकरण-वायुसेना (दो) रक्षा का आधुनिकीकरण सेना और (तीन) रक्षा मंत्रालय में सामान्य मामले के सम्बन्ध में रक्षा सम्बन्धी प्राक्कलन समिति की उप समिति का एक-एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उप-समिति ने अपनी 24, 25 और 26 अप्रैल 1979 को हुई अपनी बैठकों में इन प्रतिवेदनों का अनुमोदन कर दिया। चूंकि उपसमिति के विचार में इन प्रतिवेदनों में गोपनीय जानकारी की गई है उसका प्रकट किया जाना राष्ट्रीय हित में नहीं है, सभापति ने इच्छा व्यक्त की है कि इन प्रतिवेदनों को गोपनीय माना जाए तथा यह भी इच्छा व्यक्त की है कि इन प्रतिवेदनों को सरकार के पास भेज दिया जाए। तदनुसार मैंने इन प्रतिवेदनों को उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री के पास इसी निवेदन के साथ भेज दिया है कि उन पर यथा समय की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति के सभापति को सूचित कर दिया जाए।

अब आगे की कार्यवाही से पूर्व मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सभी दलो के नेताओं के साथ परामर्श के बाद मैंने यह निर्णय किया है कि आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को शाम को पांच बजे के बाद अल्पकालीन चर्चा में बदल दिया जाए और उन सभी सदस्यों को जिनके नाम शलाका में आए हैं या चुने गए हैं उन्हें तथा अन्य लोगों को भी चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। **(व्यवधान)**

ध्यानाकर्षण के बारे में

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : जिन सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिये है उनके संबंध में क्या कार्यवाही की जायेगी।

एक माननीय सदस्य : उठकर खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम सूची में है आपको अवसर दिया जाएगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : काश्मीर तथा अन्य मामलों में पहले भी ऐसा कर चुके हैं क्योंकि जो कुछ हुआ है वह शलाका से हुआ हैं। यह उचित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे जिनके नाम चुने जायेंगे। उन्हें बोलने का अवश्य ही अवसर दिया जाएगा। **(व्यवधान)**

श्री मुख्तयार सिंह मलिक (सोनीपत) : चांस का क्या मतलब हुआ **(व्यवधान)** कौन सा रीजन है यह !

श्री निर्मल चन्द (सिवनी) : हम शलाका लाभ से क्यों वंचित हों।

अध्यक्ष महोदय : आप बिल्कुल भी वंचित नही होंगे आपको बोलने का पूरा अवसर मिलेगा। सम्भवतः आपको अधिक समय मिलेगा।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : महोदय हम उस लाभ से वंचित हो रहे हैं। प्रत्येक अवसर पर हम वंचित हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें। स्पष्ट ही आपने मेरी बात नहीं सुनी है। सभी पांच जिनका नाम चुना गया है उन्हें भाग लेने का अवसर मिलेगा। आपको जो समय मिलेगा वह सम्भवतः कुछ अधिक होगा। और बाद में यह पार्टी के आधार पर निर्धारित होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : बाद में यह पार्टी के आधार पर निर्धारित किया जाएगा हम आपस में मिलकर निर्धारित करेंगे।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : हम आप से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमें प्रेफरेंस पहले मिलेगा या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप को चांस मिलता है ? हम उस पर विचार करेंगे।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : चांस का सवाल पैदा नहीं होता।

हम आप से आश्वासन चाहते हैं यह अंग्रेजी वाले ज्यादा बोलना जानते हैं क्या हम बोलना नहीं जानते। हमें बतायें कि समय कब मिलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर विचार करेंगे (श्री वाजपेयी, अब प्रपत्र सभापटल पर रखिए। **(व्यवधान)**

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मामला अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं अस्पताल गया था तथा श्री रामलिंगम से मिला जो कि अस्पताल में है तथा उपचार करा रहे हैं। दुर्भाग्य से उन्हें हृदय रोगियों के वार्ड में भर्ती किया गया है किन्तु

उन्हें इसका कारण पता नहीं है मुझे भी इसका कारण पता नहीं है। उन्होंने मुझसे शिकायत की है तथा मुझसे कहा है कि इस बात को अध्यक्ष महोदय की जानकारी में लादूं। और उन्होंने यह भी बताया है कि वहां हृदय रोगियों के वार्ड में किसी को भी अन्दर जाने तथा उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाती है। कमरा नम्बर एक खाली है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया यह बात मुझे एक पत्र में लिख कर भेजिए।......

श्री के मायातेवर : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। आपको हमें सुरक्षा प्रदान करनी होगी आप को हमारे हितों की रक्षा करनी होगी। आप हमारे संरक्षक हैं **(व्यवधान)** मैं अपनी बात बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। कमरा संख्या 2 किसी मन्त्री महोदय के लिए खाली रखा गया और उन्हें भरती नहीं किया गया है। और उन्हें कोई रोग भी नहीं है। अस्पताल में कमरा संख्या—1 आरक्षित रखा गया है। वह कमरा श्री रामलिंगम् को दिया जाना चाहिए जिससे कि सभी सदस्य उनके पास जा सकें। इस समय उनकी पत्नी भी अस्पताल में श्री रामलिंगम से नहीं मिल सकती जो कि पुलिस की हिरासत में है तथा उपचार करा रहे हैं। इसलिए आप सरकार को निदेश दें **(व्यवधान)** कि उन्हें कमरा संख्या 1 दे दिया जाए जोकि खाली पड़ा है तथा एक मंत्री के लिए आरक्षित है।

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य मंत्री यहां उपस्थित हैं वे इस बात पर ध्यान दें। **(व्यवधान)**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रवि राय) : मैं देखूंगा।

श्री सी०एम० स्टीफन (इडुकी) : मैं सभी सदस्यों से अपील करूंगा। दो संसद सदस्यों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। **(व्यवधान)** जमानत के आदेश दिये गये हैं। उनके मामले में वे जमानत लेने को तैयार हैं। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया है। उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह हमारी चिंता का विषय है। उस विशेष संसद सदस्य को इन्टेंसिव केअर वार्ड में रखा गया है। उनके दोनों ओर दो हृदय रोगी हैं। पुलिस के सिपाही भी वहां हैं। वहां शोर भी होता है। वह वहां से बाहर आना चाहते हैं। किन्तु तकनीकी दृष्टि जमानत नहीं हो पाई। एक संसद सदस्य वहां हैं तथा जमानत भी है...

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : कठिनाई यह है कि उन्होंने जमानत प्रस्तुत नहीं की है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं आप को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जमानत प्रस्तुत की थी। **(व्यवधान)** उनका अस्पताल में कैसा उपचार हो रहा है। जेल की अलग बात है यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। यह पार्टी का मामला नहीं है। उसने यह मामला सभा में उठाया है आप कृपया यह आदेश जारी करें कि अस्पताल में संसद सदस्य के स्वास्थ उचित व्यवहार किया जाये उनका उपचार सही ढंग से हो।

अध्यक्ष महोदय : यह देखना मेरी जिम्मेदारी है कि सदन के सदस्यों के साथ उचित व्यवहार हो। मुझे खेद है कि यह शिकायत पहले मेरी जानकारी में नहीं लाई गई। यदि आप में से किसी ने पहले जानकारी दी होती तो मैंने पहले ही कुछ उपाय किये होते मुझे विश्वास है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो यहां उपस्थित हैं। इस बात पर ध्यान देंगे जो आपने कहा है। और मैं भी इस मामले पर गौर करूंगा तथा देखूंगा कि क्या किया जा सकता है।

श्री रविराय : मैं इसकी जांच करूंगा और जैसा कि आपने मुझे निर्देश दिया है मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष महोदय आपने मेरे उस निवेदन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। कि कल दिल्ली की घटनाओं के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्ताव आये थे। आपने उन लोगों के नाम तो जोड़ दिये हैं जिनके नाम आज के ध्यानाकर्षण के शलाका में आये हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अन्य के मामलों की भी जांच करूंगा। अब सभापटल पर पत्र रखे जायें।

सभापटल पर रखे गये पत्र

पासपोर्ट अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) पासपोर्ट (तीसरा संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 13 अप्रैल 1979 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि०245 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पासपोर्ट (चौथा संशोधन) नियम, 1979, जो दिनांक 16 अप्रैल, 1979 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 246 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

श्रम जीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम

(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4391/79)

संसद कार्य और श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) मैं श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 की धारा 20 की उपधारा (3) के अन्तर्गत श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी न्यायाधिकरण नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आं० 1294 में प्रकाशित हुए थे। सभापटल रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4892/79)

बन्धित श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम, 1976 तथा विवरण

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बन्धित क्षम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) संशोधन) नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 2 दिसम्बर 1978 के भारत के रात्रपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1455 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4393/79)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन धारिया।

वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : मैं सरकार की आयात नीति पुस्तिका सभापटल पर रखता हूं

श्री भगत राम (फिल्लौर) : मेरा पायंट आफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि आप हररोज खड़ हो जाते हैं और कुछ न कुछ कहते हैं। जब मैंने मद संख्या 2 को लिया तब आप खड़े नहीं हुए। आप इस बात को हर वक्त नहीं उठा सकते।

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैंने बहुत बार देखा है कि आप हमारी बात पर ध्यान नहीं देते हैं।

श्री भगत राम : मैंने आइटम 2 पर पासपोर्ट एप्लीकेसन, की डिफीकल्टीज के मामले को तेज करने के लिए 10 बजे से पहजे नोटिस दिया था :

अध्यक्ष महोदय : यह अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत है। वे पार पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों के बारे में कह रहे हैं। यह मामला सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों के बारे में नहीं है आप नियमों की जानकारी प्राप्त करें—इसी बात की कठिनाई है यह नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पर लोक सभा के नियमों के अनुसार ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है मुझे नहीं मालूम कि क्या आपको उनकी जानकारी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह स्वीकार्य नहीं हो सकता इसे कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाए।*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह स्वीकार्य नहीं है। आप यह समझते हैं कि आपके लिए सभी कुछ स्वीकार्य है तथा आप पर कोई नियम लागू नहीं होता। आपको पहले नियमों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तब आप को पता चलेगा कि यह सब कुछ क्या है। हर समय आप खड़े हो जाते हैं और जोर से बोलना शुरू कर देते हैं। इसका यह अवसर नहीं है। नियम इसकी अनुमति नहीं देता। सभी को नियम के अनुसार कार्य करना होता है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन धारिया।

वर्ष 1979-80 के लिये विदेशी व्यापार नीति के बारे में वक्तव्य

वाणिज्य नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं 1979-80 के लिए सरकार की आयात नीति और साथ ही उसी अवधि के लिए निर्यात नीति पुस्तिका सभा पटल पर रखता हूं, जिसमें 30-3-1979 को सभा में मेरे द्वारा घोषित की गई निर्यात नीति का ब्यौरा दिया गया है।

2. जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, हमारी यह कोशिश रही है कि अपनी विदेश व्यापार नीति को अधिक स्थायित्व प्रदान किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नीति का ढांचा वही रखा गया है किन्तु स्वदेशी उत्पादन और निर्यातों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए तथा साथ ही अपने उद्योग और कृषि को पर्याप्त एवं उचित संरक्षण प्रदान करने के लिए उसमें सुधार किये गये हैं।

3. सबसे पहले मैं निर्यात उत्पादन बढ़ाने और निर्यातों का संवर्धन करने के लिए किये गये कुछ उपबंधों की रूपरेखा बताऊंगा।

4. निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए शुल्क छूट के लाभ का सहित अग्रिम लाइसेंस देने की योजना अधिक व्यापक बनाई गई है। इसका क्षेत्र काफी बढ़ाया गया है और अपने निर्यातकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है। शुल्क छूट के लिए पात्र चीजों की सूची व्यापक बनाई गई है। आशा है कि निर्यातक अपते निर्यात आदेशों को समय पर पूरा करने के लिए और अपने निर्यात बढ़ाने के लिए इस सुविधा का पूरी तरह से लाभ उठा सकेंगे।

5. पंजीकृत निर्यातकों के लिए जारी किये गये आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के संबंध में यह पाया गया कि कम मूल्य के लाइसेंसों के संबंध में कुछ मदों पर लगाये गये अंकित मूल्य संबंधी प्रतिबंधों से उनके आयात अलाभप्रद और अव्यवहारिक हो गये हैं। इस कमी को दूर करने के

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए यह निर्णय किया गया है कि जिन मामलों में तिमाही अवधि के लिए प्रतिपूर्ति हकदारी 10,000 रु० से अधिक न हो, उनमें इस प्रकार के अंकित मूल्य संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे ।

6. सरकार उस समिति की पूरी रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा कर रही हैं जो निर्यात सदनों की भूमिका और कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण करने के लिए दिसम्बर, 1978 में स्थापित की गई थी । जब सरकार को उनकी रिपोर्ट मिल जायेगी और वह उनकी सिफारिशों पर विचार कर लेगी तो उसके बाद ही उन पर लागू होने वाली नई नीति बनाई जायेगी । इस बीच कुछ परिवर्तनों के साथ नई नीति जारी रहेगी । इन परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) जिन उत्पादों के निर्यातों पर 50 प्रतिशत से अधिक प्रतिपूर्ति दर है, वे अतिरिक्त लाइसेंस पाने के योग्य नहीं होंगे ।

(ख) अतिरिक्त लाइसेंसों के आधार पर सामान्य नीति के अंतर्गत लगाई गई प्रति मद 2 लाख रु० की सीमा निर्यात सदन के अनुरोध पर 5 लाख रु० तक बढ़ाई जा सकती है, यदि उस मद की आवश्यकता निर्यात वस्तु के उत्पादन के लिए हो ।

7. विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का निर्यात करना हमारे विदेश व्यापार का महत्वपूर्ण आधार बनता जा रहा है । आयात नीति में उन विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताया गया है जो इन परियोजनाओं को आरंभ करने वाले पंजीकृत निर्यातकों को उपलब्ध हैं । इन सुविधाओं में तृतीय देश के स्रोतों से परियोजमा वाले देश को किये गये आयात और साथ ही परियोजना के पूरे होने के बाद काम में लाये गये उपस्कर के भारत में पुर्ननिर्यात शामिल हैं ।

8. सरलीकृत भुगतान योजना की कार्य प्रणाली का हमारे निर्यातकों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है । जो निर्यात इस योजना के अंतर्गत आते हैं, उनके संबंध में आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस देने में कुछ प्रशासनिक समस्याएं आई हैं जिनसे देरी हुई है । नई नीति में प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है ताकि ये लाइसेंस अधिक सुविधापूर्वक व शीघ्रतापूर्वक दिये जा सके । अब प्रत्येक पंजीकृत निर्यातक को एक निर्यात प्रमाण पत्र दिया जायेगा और साथ ही नकद धन दिये जाने के लिए चैक दिया जायेगा । उसको हम सब प्रमाण पत्रों को केवल समेकित करके आर० ई० पी० लाइसेस के लिए अपने आवेदन-पत्र के साथ उन्हें प्रस्तुत करना होगा । उसे कोई अन्य निर्यात दस्तावेज नहीं देना होगा । इस नई प्रणाली से कठिनाइयां दूर करने और बेकार के विलम्ब को न होने देने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी ।

9. वीडीओ टेप की शक्ल में हमारी सिनेमा फिल्मों के निर्यातक को 30-3-1979 से भारतीय चलचित्र निर्यात निगम की मार्फत मार्गीकृत किया गया है । इस प्रकार के निर्यातों को और बढ़ावा देने के लिए ऐसे मामलों में आयात प्रतिपूर्ति नीति में कोरी वीडीओ टेपों के आयात की अनुमति दी गई है । मुझे पूरी आशा है कि कुछ ही वर्षो में यह सुविधा हमारे निर्यात प्रयासों की महत्वपूर्ण अंग साबित होगी और साथ ही इससे अपने देश के सिनेमा देखने वालों के लिए नये मार्ग खुलेंगे ।

10. अब मैं घरेलू उत्पादन के लिए निर्यात नीति की मुख्य मुख्य बातें बताना चाहता हूं ।

11. कच्चे माल, संघटकों और अतिरिक्त पुर्जो के आयात के लिए वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को आटोमेटिक और अनुपूरक लाइसेंस देने की नीति जारी रहेगी। हां, आयातित अंतर्निविष्ट साधनों की वास्तविक खपत से 10 प्रतिशत अधिक आयात की जो सुविधा सभी वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को स्वत: मिलती थी, वह अब केवल निम्नलिखित को उपलब्ध होगी :—

(क) ऐसे लघु एकक, जिनकी खपत एक वर्ष में 7.5 लाख रु० से अधिक न हो ; और

(ख) ऐसे एकक, जिनका वार्षिक निर्यात कारोबार उनके उत्पादन का कम से कम 5 प्रतिशत हो।

अन्य मामलों में पिछले वर्ष की वास्तविक खपत के अलावा प्रतिबंधित कच्चे माल और संघटकों की पूर्ति यथासंभव स्वदेशी स्रोतों से की जानी चाहिए। सरकार ऐसे किन्हीं आयातों की अनुमति, अनुपूरक लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अंतर्गत तकनीकी अधिकारियों की सहायता से अति सावधानीपूर्वक छानबीन कराये बिना नहीं देना चाहेगी।

12. यह पाया गया कि आयात नीति के उपबंधों से वैज्ञानिक और नापने के उपकरणों के अत्यधिक आयात हुए थे जिनसे देशी उद्योग को हानि पहुंची।

13. नमूनों के आयात के लिये नीति को काफी उदार बना दिया गया है ताकि वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय उन्नति तथा निर्यात सम्बन्धी प्रतियोगी क्षमता के लिये और अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें। ऐसे मामलों में पंजीकृत निर्यातक के लिये उसके आर ई पी लाइसेंसों के आधार पर लागू सीमा 10,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 रु० कर दी गई है और विनिर्माता निर्यातक के लिये बिना किसी लाइसेंस के इस सीमा को 500 रु० से बढ़ाकर 5,000 रु० कर दिया गया है।

14. औषधियों तथा दवाओं, मानव वैक्सीन तथा सीरा, पशु चिकित्सा सम्नन्धी तथा पोल्ट्री वैक्सीन एवं नाशीकी कीट मार दवाओं के नमूनों के आयात की अनुमति तकनीकी प्राधिकारियों की स्वीकृति पर खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत होगी।

15. फोटोग्राफी सम्बन्धी व्यापारी बहुत समय से यह अनुरोध करते रहें हैं कि उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिये आधुनिक कैमरों के आयात की अनुमति दी जाए। इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और इस नीति में व्यवस्था कर दी गई है जिसमें प्रत्येक ऐसे प्रयोगकर्ता को इस नीति में निर्धारित कतिपय विशिष्टयों के अनुसार एक कैमरा आयात करने की अनुमति होगी अगर उसने पिछले पांच वर्षो में कैमरा आयात नहीं किया है।

16. एल्यूमिनियम और प्राकृतिक रबड़ का घरेलू उत्पादन हमारी आवश्यकताओं से कम रहता है और 1978-79 में उनके आयात के लिये तदर्थ व्यवस्थाएं करनी पड़ीं। भविष्य में समय पर सप्लाइयां सुनिश्चित करने के लिये, उनका आयात क्रमश: खनिज व धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम के जरिए मार्गीकृत किया गया है। तांबे का मार्गीकरण जारी रखा गया है और घरेलू स्रोतों तथा आयातित भंडारों से इसके वितरण की व्यवस्था को सरल और कारगर बनाया गया हैं और इसे नीति के साथ सलग्न क्रियाविधि में शामिल कर लिया गया है। तांबे पर

दबाव को कम करने के लिये पीतल की कतरनों तथा जस्ते और जस्ता मिश्र धातु की कतरनों के आयात की अनुमति सभी व्यक्तियों के लिये खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत दी गई है। इससे हमारे छोटे एककों तथा हस्तशिल्प के विनिर्माताओं की मांगों को पूरा करने में बहुत मदद मिलेगी।

17. सदन में अप्रैल, 1978 में 1978-79 की विदेश व्यापार नीति की घोषणा करते समय, मैंने यह कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयास किये जाएंगे कि मार्गीकरण अभिकरणों द्वारा छोटे, बहुत छोटे तथा कुटीर क्षेत्रों को सप्लाई की गई सामग्री के लिये जो कीमतें ली जायें वे उन कीमतों के बराबर हों जोकि खुले समुद्र में बिक्रियों पर बड़े प्रयोगकर्ताओं द्वारा दी जाती हैं। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिये, यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य लघु उद्योग निगम अथवा अन्य निर्दिष्ट राज्य उपक्रम अपने राज्यों में स्थित लघु एककों को अलौह धातुओं एवं स्टेनलैस स्टील का वितरण करने से लिये सम्बन्धित मार्गीकरण अधिकरणों से खुले समुद्र में उनको खरीद सकता है। इससे लघु एकक बड़े प्रयोगकर्ताओं के समकक्ष आ जायेंगे।

18. सदन में 30 मार्च, 1979 को दिये गये अपने वक्तव्य में, मैंने उन प्रबन्धों पर पुर्नविचार की आवश्यकता का उल्लेख किया था जोकि विशेष रूप से खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की जाने वाली मदों के सम्बन्ध में आयात नीति की व्याख्या करने तथा उसका स्पष्टीकरण देने के लिये किये गये हैं। तदनुसार, नई नीति में एक विशेष समयबद्ध क्रियाविधि की व्यवस्था की गई है जिससे उचित स्पष्टीकरण शीघ्र किये जा सकें और जारी किये जा सकें। मुझे विश्वास है कि इन प्रबन्धों से विलम्ब न होने देने तथा अनिश्चितता को दूर करने में मदद मिलेगी।

19. सरकार ने हाल ही में आयात निर्यात के मुख्य नियंत्रक को अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे हैं। सभा पटल पर 1978-79 की आयात नीति रखते समय मैंने कहा था कि इस सगठन के कार्यचालन के विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिये अगरतला, चण्डीगढ़, कटक, गोहाटी, जयपुर तथा पटना में नये कार्यालय खोले जाएंगे तथा अन्य चार स्थानों पर विद्यमान कार्यालयों का दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। सदन को यह सूचना देते हुए मुझे खुशी है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त जैसा कि आश्वासन दिया गया था, उन नगरों में, जिनकी आबादी दस लाख से अधिक है निर्यात संवंधन कार्यालय स्थापित किये गये हैं। जम्मू तथा काश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह: अरुणाचल प्रदेश, लक्षदीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा गोआ, दमन और दीव के उद्योग निदेशकों को यह अधिकार भी दिये गये हैं कि वे सम्बन्धित निर्यात संवंधन परिषदों से स्वीकृति लिये बिना रत्न तथा ग्राभूषण को छोड़कर सभी मदों के निर्यातकों को पजीकृत कर लें। अपने निर्यातकों को एक और सुविधा देने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि सभी लाइसेंसिग कार्यालय सभी प्रकार के आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंसिग कार्य करेंगे और इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्धक किये जा रहे हैं।

20. सन्तुलित विकास प्राप्त करने और कीमतों में सापेक्ष स्थिरता लाने में 1978-79 की आयात नीति एक मुख्य कारक थी। आत्म निर्भरता के उद्देश्य को हमने सदैव सर्वोच्च महत्व

दिया है और भारतीय उद्योग तथा कृषि की रक्षा करने के लिये सभी सम्भव सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं। फिर भी कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जहां घरेलू उद्योग और कृषि को और अधिक संरक्षण देना आवश्यक होगा। इस सन्दर्भ में मेरा ऐसा विचार है कि समय समय पर आवश्यक कार्यवाही के लिये ऐसे मामलों की जांच करने के लिये एक स्थायी पुनर्विचार समिति बना दी जाए।

21. पिछले वर्ष इस मौके पर दिये गये वक्तव्य में मैंने यह बताया था कि आयात नीति को नए आयाम देने से आयात सम्बन्धी आवेदनपत्रों की संख्या में लगभग 60 प्रतिशत कमी आ जाएगी। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि आयात सम्बन्धी आनेदनपत्रों की संख्या कम होकर 1978-79 में 96,000 रह गई जब कि वर्ष 1977-78 में वे 2,50,000 थीं।

22. सरलीकृत भुगतान योजना, जिसके जरिए पात्र निर्यातकों नकद मुआवजा सहायता काउन्टर पर दी जाती है। अत्यधिक लोकप्रिय सिद्ध हुई है। 1978-79 में ऐसे आवेदनपत्रों की संख्या विगत वर्ष की तुलना में दुगुनी हो कर 2 लाख से भी अधिक हो गई है। साथ ही लंबित मामलों की संख्या कम करने के हमारे प्रयत्नों के भी अच्छे परिणाम निकले हैं। 1979 के अन्त में जितने मामले लंबित पड़े हुए थे उनकी संख्या कुल आवतियों का लगभग 4 प्रतिशत थी। इनमें से भी आधे से अधिक मामले एक महीने से भी कम समय के थे।

23. महोदय, वर्ष 1979-80 के लिये हमारी आयात-निर्यात नीति के प्रमुख पहलू ये हैं। इस को बनाते समय सरकार ने विश्व अर्थ व्यवस्था में हाल की प्रवृतियों, राष्ट्रीय अर्थं व्यवस्था की विकास आवश्यकताओं एवं क्षमताओं तथा विदेश व्यापार में बढ़ते हुए अन्तराल का समुचित ध्यान रखा है। इन नीति का उद्देश्य आधारभूत अन्तर्निविष्ट साधनों और देश की आवश्यकताओं को पूरा करना, नये विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राप्त करना, कृषि तथा औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में उत्पादन आधार को सुदृढ़ करना और यथाशीघ्र आत्म निर्भरता का ध्येय प्राप्त करना है। निर्यातों को बनाए रखने की मुख्य कुंजी है उत्पादन को, खास तौर से निर्यात योग्य उत्पादन को बनाये रखना। इस दृष्टिकोण से हमारे निर्यातों को बढ़ाने, हमारी निर्यात आय में वृद्धि करने और व्यापार में बढ़ते हुए अन्तराल को कम करने में सहायता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि जिन राष्ट्रीय उद्देश्यों को हम लम्बे समय से अपने मन में संजोये हुए हैं उनको पूरा करने के हमारे प्रयासों को इस विदेश व्यापार नीति और इस दृष्टिकोण से एक नई प्रेरणा मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 7—श्री जार्ज फर्नानडिस को राज्य सभा में रुकना पड़ गया हैं, इसलिये मैं मदसंख्या को लेता हूं।

श्री रविराय

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय एक व्याख्या का प्रश्न है। उद्योग मंत्रालय में कितने मंत्री हैं ? इस सम्बन्ध में एक प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत मंत्री महोदय किसी कनिष्ठ मंत्री को उत्तर देने के लिए प्राधिकृत कर सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आशा नहीं थी कि उन्हें रुकना पड़ेगा । कभी कभी अनपेक्षित बातें हो जाती हैं । उन्हें आशा थी कि एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आयेगा और वे उस समय चले आयेंगे ।

मदसंख्या 8—श्री रविराय ।

डा० राम मनोहर लोहिया के इलाज संबंधी जांच समिति के निष्कर्षों तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री रविराय) : भूतपूर्व संसद सदस्य डा० राम मनोहर लोहिया को विलिंगडन अस्पताल में 28 सितम्बर, 1967 को दाखिल किया गया था । 30 सितम्बर, 1967 को उनका आपरेशन किया गया था और कुछेक जटिलताएं पैदा हो जाने के बाद दुर्भाग्यवश 12-10-1967 को उनकी मृत्यु हो गई । उनकी मृत्यु के पश्चात संसद में इस मामले के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई थी और प्रश्नों का उत्तर देते हुए सरकार ने यह घोषणा की थी कि "वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने चिकित्सा रिकार्ड की जांच की थी और डा० राम मनोहर लोहिया के आपरेशन अथवा बाद के इलाज में कोई लापरवाही नहीं पाई गई थी ।" वैसे उस समय 1967 में कोई भी औपचारिक जांच नहीं की गई थी ।

2. मार्च, 1977 में नई सरकार द्वारा कार्यभार सम्भालने के बाद 28 सितम्बर, 1967 से 12 अक्तूबर, 1967 तक जब उनकी मृत्यु हुई, विलिंगडन अस्पताल में डा० लोहिया के अंतिम उपचार के दौरान उनका आपरेशन करने से पहले, आपरेशन करने के समय और आपरेशन के बाद जो इलाज किया गया था, उसकी जांच करने के लिए 18 जून, 1977 को दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी । डा० एच० एस० भट्ट और डा० के० सी० गंगवाल को इस समिति में रखा गया था । इस समिति ने संबंधित रिकार्ड की जांच की, इलाज से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों के बयान लिए और 30 अक्तूबर, 1977 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट की प्रतियां 13 दिसम्बर, 1977 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी ।

3. इस संबंध में यह स्मरण कराया जाता है कि समिति ने "यह निष्कर्ष निकाला था कि रिकार्डों से एकत्र किए गए सबूतों से, किलतिशियनों के साक्षात्कारों और परामर्शदाताओं द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर समिति यह महसूस करती है कि स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया के आपरेशन से पूर्व की तैयारी में, आपरेशन करने की प्रक्रिया के चुनाव में, तेजी से रक्तस्राव के नियंत्रण में और आपरेशन के बाद की अवधि के आखिर में उन्हें दिए गए एण्टीबायोटिक के चयन में लापरवाही बरती गई । घाव में दूषित सामग्री के एकत्र होने के बावजूद डा० लोहिया को उपयुक्त नली उस समय लगाई गई थी जब डा० लोहिया की विषाक्त और पूतजीवरक्तता स्थिति असाध्य स्तर पर पहुंच गई थी ।

रक्तस्राव होने, घाव में अकस्मात बढ़ने वाले संक्रमण और अंधाधुंध एण्टीबायोटिक्स देने के कारण प्रोस्टेक्टोमी के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई । तथापि उनकी मृत्यु का सही कारण क्या था यह ठीक-ठीक नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि उनकी शव परीक्षा नहीं की गई थी ।

किसी एक व्यक्ति पर दोष लगाना असम्भव है परन्तु यह कहा जा सकता है कि क्लिनिशियनों ने शल्य चिकित्सा संबंधी मूल सिद्धान्तों और तरल तथा एण्टीबायोटिक्स के देने संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों की उपेक्षा की थी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इतने अधिक डाक्टरों के उपचार संबंधी परामर्श से भ्रांति हुई जिसके परिणाम-स्वरूप युक्तियुक्त चिकित्सा का स्थान कार्यों की सरगर्मी ने ले लिया है।

4. सरकार ने इस समिति की रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और समिति के उपर्युक्त निष्कर्षों को मान लेने का निर्णय किया है। तथापि, आपरेशन से पूर्व की तैयारी में, आपरेशन करने की प्रक्रिया के चुनाव में, रक्तस्राव के नियंत्रण में और शल्य चिकित्सा संबंधी मूल सिद्धान्तों में तथा तरलों और एण्टीबायोटिक्स देने सबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उपेक्षा होने के बारे में समिति के जो निष्कर्ष हैं उनसे यह दुखद निष्कर्ष निकलता है कि इस मामले में और अधिक ध्यान दिया जा सकता था। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है कि यह बात डा० राम मनोहर लोहिया जैसे देश के एक महान सपूत के साथ हुई।

5. तथापि, समिति के निष्कर्षों को देखते हुए किसी एक व्यक्ति पर दोष लगाना असम्भव है। बहुत ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात सरकार यह खेदपूर्वक नोट करती है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना या जारी रखना संभव नहीं होगा और वह बहुत ही खेदपूर्वक इस मामले को समाप्त समझती है।

6. मुझे विश्वास है कि इस अवसर पर माननीय सदस्य और हम सभी एक बार फिर डा० राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम यही संकल्प दोहरा सकते हैं कि हम सब यह देखें कि समग्र स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के एक अंग के रूप में देश के सभी नागरिकों की ओर यथेष्ट ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब हम······पर आते हैं······

श्री राजनारायण (रायबरेली) : यह बहुत गंभीर प्रश्न है। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तब मेरे बहुत ही प्रयत्नों से यह कमेटी एप्वाइन्ट हुई थी इसकी ईन्स एण्ड एब्री डिटेल, आई नो (मुझे पता है।) इस कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं कि सदन इस पर अच्छी तरह से विचार करें। मैं गवर्नमेंट की राय से सहमत नहीं हूं जो उसने इस रिपोर्ट में जाहिर की है। मैं एक ही उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा। कि किस तरह डाक्टर. लोहिया की······

अध्यक्ष महोदय : इस पर अभी चर्चा नहीं हो सकती। आप केवल अपनी बात कह सकते हैं।

श्री राजनारायण : इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी नहीं मैं आज इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। मेरा निवेदन है कि आप इसके लिए कोई तारीख निर्धारित कर दें। जिससे हम प्रत्येक ब्यौरे पर चर्चा कर सकें।

मेरे दबाव और रिक्वेस्ट पर एक कमेटी और बैठी है। यद्यपि वह एक लोहिया कमेटी थी मगर नाम उसका दिया गया है विलिंगडन अस्पताल के सम्बन्ध में जो इर्रेगुलेरिटीज है उस सब की जांच करे। उसमें हमारे शान्तिभाई पटेल वगैरह सब थे उनकी भी रिपोर्ट है।······

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री राजनारायण : मेरा निवेदन है कि आप उस रिपोर्ट को भी सभा पटल पर रखने के लिए सरकार से कहें और हमने शार्ट नोट एक सरकार को दिया था वह आपको आना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह शार्ट-नोट आपके पास आय और आपको पता होना चाहिये कि वह नोट क्या है।

एक इतने बड़े पालिटिकल लीडर का मर्डर करा दिया जाये पलिटिकल मर्डर और······

अध्यक्ष महोदय : इस पर किसी आगे की तारीख में चर्चा की जायेगी।

श्री राजनारायण : मोरारजी भाई यहां पर नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज डाक्टर लोहिया के लिये मरने वाले जितने व्यक्ति हैं नवयुवक इस देश में उतने किसी नेता के लिए नहीं हैं। 4,000 आदमी लगातार खून देने के लिये······

अध्यक्ष महोदय : आप इसे चर्चा में बदल रहे है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण : आप चर्चा के लिए तारीख निर्धारित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित हैं।

श्री बी० पी० मंडल (मधेपुरा) : मंत्री महोदय ने बताया है कि व्यक्तिगत तौर पर किसी भी डाक्टर पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता लेकिन डाक्टरों का दल सामुहिक रूप से कुछ गलतियों के लिए उत्तरदायी है। मैं जानना चाहता हूं कि सामूहिक रूप में उन सभी डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार को क्या बाधा है जिनके विरुद्ध यह रिपोर्ट है कि उन्होंने गलतियां की थी। क्या बाधायें हैं मैं जानना चाहता हूं।

श्री राजनारायण : आप एक न्यायाधीश रह चुके हैं।······

अध्यक्ष महोदय : मैं अब लोकसभा अध्यक्ष हूं।

श्री राजनारायण : आप रिपोर्ट को पढ़िये······

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री राजनारायण : किसने आपरेशन किया इसका रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : अध्यक्ष जी, बहुत ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि वह लोग जो डा० लोहिया जी के मौत के बाद लगातार कहते रहे हैं कि डाक्टर साहब की हत्या हुई है, अब वही लोग जब सरकार में आ गये हैं तब यह कहते हैं कि किसी को

दोषी नहीं ठहराया जा सकता । एक व्यक्ति जब दो तरह की बात करता है तो समझ में नहीं आता । राजनारायण जी जो इस वक्त कह रहे हैं इस पर पूरी तरह बहस होनी चाहिए और हम साबित करेंगे कि डा० लोहिया की हत्या हुई है जान बूझकर हत्या की गई है। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यदि भारत के एक वशिष्ट व्यक्ति, डा० लोहिया के मामले में यदि इस प्रकार की उदासीनता, उपेक्षा बरती जा सकती है तो मुझे यह सोचते हुए भय होता है कि हमारे अस्पतालों में आम मरीजों के साथ क्या होता होगा । जिनकी देख-रेख तथा कल्याण का उत्तरदायित्व जनता सरकार पर है । मैं नहीं जानता कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा । सम्भवतः इस प्रकार तो हमारे अस्पताल मुरदाघर बन जायेंगे ।

श्री ब्रजभूषण तिवारी (खलीलाबाद) : इसलिए इस पर बहस करना जरूरी है ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैंन अमरीकी दूतावास के बारे में कहा है मैंने नाम भी बताया है······

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसकी रिपोर्ट मांगी है और अभी तक मुझे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने बंगला देश को खाद्यान्न भेजने का नोटिस दिया था जहां पर कि अकाल की स्थिति है । प्रधान मंत्री ने अपनी गत यात्रा में 20,000 मीटरी टन खाद्यान्न भेजने का वचन दिया था । मैं जानना चाहता हूं······

अध्यक्ष महोदय : आपने कब नोटिस दिया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज 10 बजे से पहले ।

अध्यक्ष महोदय : आप सदैव वरीयता प्राप्त करते हैं यह मैं भूल गया ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया नियमों में परिवर्तन कर लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं नियमों में परिवर्तन नहीं कर सकता ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जम्मू-कश्मीर राज्य में संविधान के कतिपय अनुच्छेदों को लागू न करना

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया (जम्मू) : जम्मू तथा काश्मीर राज्य भारत का अंग है किन्तु उसमें हमारे संविधान के कुछेक अनुच्छेदों को ही लागू किया गया है । राज्य में अपना निजी संविधान है ।

मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 जो कि बोलने की आजादी, एसोसिएशन, संघ बनाने, देश में निर्बाध रूप से आने-जाने, देश में किसी भी स्थान

पर निवास करने आदि के बारे में है वह केवल 25 वर्ष की अवधि के लिए है। जम्मू और कश्मीर पर लागू किया गया था। जिसकी अवधि 14 मई, 1979 को समाप्त हो रही है। इसी प्रकार अपने संविधान का अनुच्छेद 16 (3) किसी पर नोकरी करने तथा नियुक्ति प्राप्त करने के बारे में है वह जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं किया गया है।

इन परिस्थितियों में तथा अनुच्छेद 370 को ध्यान में रखते हुए (यद्यपि वह हमारे संविधान में अस्थायी रूप से है।) मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि इस विषमता को दूर करने के लिए तुरन्त सभी आवश्यक कदम उठायें। यह मामला बहुत अधिक जन महत्व तथा जन लाभ का है इससे विशेष रूप से लाखों जम्मू-काश्मीर के लोगों को लाभ पहुंचेगा।

(दो) 27 अप्रैल, 1979 को बिहार में आये तूफान से पीड़ित लोगों की सहायता और मुआवजा देने की आवश्यकता

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख करना चाहता हूं :—

दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली दिनांक सोमवार 30 अप्रैल 1979 एवं अन्य राष्ट्रीय अखबारों में "14 डैड इन बिहार स्कुएल" जिसके अनुसार विगत 29-4-79 को बिहार में जबर्दस्त आंधी, तूफान, साइक्लोन और ओले की वृष्टि हुई हैं। दर्जनों लोग मरे हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं, पशुओं की भी अनगिनत मृत्यु हुई है, हजारों घर धराशाही हुए हैं, वृक्षों के रोड़ पर गिरने से यातायात अवरुद्ध हो गया है, लाखों परिवार बे-घरबार हैं। इस अप्रत्याशित प्राकृतिक प्रकोप ने बिहार के जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। अतः कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाते हुए आग्रह करता हूं कि अविलम्ब केन्द्रीय सहायता तथा अध्ययन दल भेजकर क्षति का पता लगावें और इस प्राकृतिक विपदा का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार की पर्याप्त सहायता करें।

(तीन) पर्थ में विश्व-कप प्रतियोगिता में भारतीय हाकी टीम का प्रदर्शन

श्री सौगतराय (बैरक पुर) : मैं एक बहुत गंभीर और अत्यावश्यक जन महत्व के मामले में पर्थ में विश्व कप हाकी में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन का मामला उठाना चाहता हूं।

भारत ने पर्थ में विश्व कप हाकी में बड़ा ही निराशजनक खेल का प्रदर्शन किया है और उसे पांचवा स्थान मिला है। इससे पहले भारत हालैण्ड और आस्ट्रेलिया से हार चुका है इस घटिया खेल के प्रदर्शन से भारत विश्व कप हाकी से बाहर हो सकता है। यह विशेष रूप से और भी शर्मनाक है क्योंकि पाकिस्तान विश्व कप विजयी रहा है।

भारतीय हाकी की दुःखद स्थिति का कारण भारतीय हाकी फेडरेशन की असफलता है। भारतीय हाकी फेडरेशन ने अच्छे खिलाड़ियों का चयन करने के बजाय कुचक्रों में व्यस्त रहा है और शिक्षा मंत्रालय असहाय दर्शक बनकर देखता रहा। भारत को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए भारतीय हाकी फेडरेशन को समाप्त कर देना चाहिए।

(चार) मजदूरों के लिए क्वार्टर बनाने के लिए आसाम के चाय बागानों को सीमेंट की सप्लाई

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा (तेजपुर) : कलकत्ता के क्षेत्रीय सीमेंट अधिकारी, उद्योग मंत्रालय द्वारा सीमेंट के आबंटन किये जाने पर आसाम के विभिन्न चाय बागानों के लिए सीमेंट का नियतन करता है और चूंकि कोई अकेला चाय बागान चाईबासा या शालीमार में नियतन किए गए सीमेंट को ले जाने के लिए एक या अधिक ट्रक किराये पर नहीं ले सकता और वहां से आसाम के लिए सीधे ट्रक द्वारा ढुलाई सेवा भी उपलब्ध नहीं है। सभी चाय बागान लोक सभा द्वारा पारित बागान श्रमिक अधिनियम के अधीन अपेक्षित श्रमिक आवास निर्माण कार्य को जल्दी पूरा कर रहे हैं अपने ढुलाई कर्ताओं को कलकत्ता तथा जोगी गोपा, आसाम में रखना पड़ता है। रेल वेगन न मिलने के कारण सीमेंट ट्रकों द्वारा पहले कलकत्ता ले जाया जाता है और उसके बाद अन्य ट्रक जिनके पास कलकत्ता और आसाम के बीच चलाने का परमिट होता है। सीमेंट को विभिन्न चाय बागान तक पहुंचाते हैं। यह प्रक्रिया गत एक दशक से चल रही है। ढुलाई कर्ता जो सीमेंट की ढुलाई करते हैं और (जिनका उस सीमेंट पर कोई स्वामित्व नहीं होता, अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत भण्डार लाइसेंस लेना होता है यद्यपि उन्हें उस सीमेंट को आसाम जाने वाले ट्रकों में यानान्तरण करने तक कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक सीमेंट को रखना पड़ता है। 27 अप्रैल, 1979 के लगभग पश्चिम बंगाल सरकार से काशीपुर के यातान्तरण करने वालों के पास जो सीमेंट था उस सभी सीमेंट को सील कर दिया तथा यातान्तरण तक के लिए जो सीमेंट उनके पास था उसके लिए भण्डारण लाइसेंस न रखने के कारण दो यानान्तरण करने वालों को पकड़ लिया तथा आसाम चाय बागानों में जून, जुलाई में होने वाली वर्षा के पूर्व श्रमिक आवास निर्माण की प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर दी। उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को चाय बोर्ड के साथ मिलकर इस मामले का हल ढूंढना चाहिए ताकि सीमेंट शीघ्र ही रिलीज किया जा सके तथा सीमेंट के परिवहन में निराधार बातों पर बाधायें तथा परेशानी पैदा न की जाये।

(पांच) अगले गैर-स्पर्धी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन कलकत्ता के बजाय बंगलौर में करने का सरकार का कथित निर्णय

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान निम्नलिखित अवलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं।

यह बड़े खेद की बात सी है कि बताया जाता है कि भारत सरकार ने भारत का अगला गैर स्पर्धी अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जनवरी 1980 में कलकत्ता के बजाय बंगलौर में आयोजित करने का निर्णय किया है। अब उसका आयोजन कलकत्ता के बजाय बंगलौर में करने का अर्थ अपने बचन से हटना है।

जिस कारण से स्थान बदला गया है वह अपत्तिजनक है। इस प्रकार के फिल्म समारोह का मूल उद्देश्य फिल्म निर्माताओं, टैकनीशियनों कामगारों, फिल्म दर्शकों को इसमें भागीदार बनाना है। इसमें कलकत्ता का दावा बहुत ऊंचा है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने भी भारत सरकार से निवेदन किया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के स्थान के बारे में किए गए निर्णय को बदले और वह समारोह कलकत्ता में किया जाए ।

(छः) दुर्गापुर-कलकत्ता एक्सप्रेस राजपथ को तुरन्त पूरा करने की आवश्यकता

श्री राजकृष्ण डान बर्दवान : अध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान अवलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर दिलाना चाहता हूं ।

पश्चिम बंगाल भारत की सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है और औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य भी हैं । कलकत्ता और हल्दिया में दो बहुत बड़े-बड़े पत्तन हैं । इन पत्तनों के अलावा रेल लाइन भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । किन्तु रेल वैगन की अत्यधिक कमी के कारण सड़क द्वारा माल का परिवहन बहुत अधिक बढ़ गया है । इस राज्य में दो हरयात संयन्त्र हैं । कलकत्ता को तथा कलकत्ता से आने वाले कोयला तथा अन्य औद्योगिक उत्पाद पूर्ण तथा लारी द्वारा परिवहन पर निर्भर हैं इसलिए सड़क परिवहन पर बहुत अधिक दबाव है । इसके अलावा चूंकि कलकत्ता के भी अतः प्रदेश में उपनगर विकसित होते जा रहे हैं इसलिए वादन यातायात दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । माल यातायात तथा वाहन यातायात को पश्चिम बंगाल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के साथ तथा देश के अन्य भागों के साथ सम्पर्क का एक मात्र साधन जी० टी० रोड है । इन कारणों से 1965 में जी० टी० रोड पर सड़क परिवहन 23 विधाओं को बढ़ाने तथा भीड़-भाड़ कम करने के लिए तत्कालीन भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र को कलकत्ता से जोड़ने के लिए दुर्गापुर—कलकत्ता एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करने का निर्णय किया और इसके लिए सैकड़ों एकड़ बहुमूल्य कृषि योग्य भूमि का अर्जन किया गया । यह भूमि अभी तक अप्रयुक्त पड़ी हुई है । इस सड़क कुछ सीमा तक मिट्टी का काम भी पूरा हो चुका है—न केवल यह वरन् सड़कों के बनाने में आवश्यक सामान भी खरीद किया गया है तथा इकठ्ठा कर दिया गया है । इस सड़क के पास स्टाकगार्ड तथा वाच मैन रोड बनाई जा चुकी है इस कार्य के लिए 2.2 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं । किन्तु धनराशि की कमी के कारण कार्य निलम्बित पड़ा है । इसके कारण न केवल माल परिवहन अस्त-व्यस्त हो गया है वरन् सड़क दुर्घटनायें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है । मुझे इस अदिभाशाली सभा में विभागीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से ज्ञात हुआ है कि अब तक सड़क निर्माण के कुछ लाख रुपयों का माल चोरी हो चुका है दूसरी ओर दो करोड़ रुपये से अधिक का व्यय किया जा चुका है : मंत्री महोदय ने भी मेरे प्रश्न के उत्त र में यह बताया है कि धन की कभी के कारण सरकार इस महत्वपूर्ण राज मार्ग का कार्य पूरा नहीं कर पा रही है । मेरे रहमत अध्यक्ष महोदय इस सभा में पश्चिम बंगाल का कोई भी माननीय सदस्य मंत्री महोदय के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए उत्तर से प्रसन्न हैं । यह अत्यन्त खेद की बात है कि भारत सरकार गत 14 वर्षों में भी इस सड़क को पूरा नहीं कर सकी है ।

राज्य की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा

कि विकसित किसी बिलम्ब के सड़क को पूरा किया जाये अन्यथा पश्चिम बंगाल में इसके कारण व्यापक असन्तोष व्याप्त हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर कार्यवाही आरम्भ करेंगे।

श्री वसंत साठे : मैं आपको लिख चुका हूं। यह सप्ताह भी बीत चुका है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री हरिविष्णु कामतः (होशंगाबाद) : मैं आपकी अनुमति से नियम 31, उपनियम (2) के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपने इस सम्मानीय पद का कार्यभार संभाला तो आपने संसद को अधिक प्रभावी बनाने का वचन दिया था और उस वचन के अनुसरण में अपनाई गई प्रक्रिया में निहित यह परिवर्तन उपयोगी तथा सहायक है और यह नियम 377 बहुत ही रुचिकर बन गया है। किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि नियम 31 का उपनियम (2) हमारे लिए सहायक नहीं है यह अवश्य कहा गया है कि कार्यसूची में सम्मिलित न की गई किसी विषय वस्तु पर अध्यक्ष की अनुमति से विचार किया जा सकता है। यह खण्ड इसमें दिया गया है। अन्यथा हमारे लिए कोई ऐसा मामला उठाना सम्भव नहीं हैं जो कि कार्य सूची में न दिया गया हो। श्रीमान् मुझे वताया गया है कि सभा में इस विशेष समय में दिए जाने वाले वक्तव्यों पर आप सुबह दस बजे या साढे दस बजे के लगभग अपने कक्ष में विचार करते हैं और किसी न किसी रूप में उन्हें निपटते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोक सभा सचिवालय, जिसे मैं हमेशा सक्षम मानता आया हूं और जो सरकार के रूप में साइक्लोस्टाइल करके उपलब्ध क्यों नहीं कर सकता। इसमें आधा घण्टा या एक घण्टा ही लगेगा। यह काम प्रश्न काल के दौरान किया जा सकता है। इसके लिए एक घण्टे का समय पर्याप्त है। इसे अनुपूरक कार्यसूची के रूप में टाइप करके साइक्लोस्टाइल किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री हरिविष्णु कामत : यह एक घण्टे के अन्दर हमें उपलब्ध किया जा सकता है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि···

अध्यक्ष महोदय : अगले सत्र से हम ऐसा करने का प्रयास करेंगे।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा (तेजपुर) : नियम 377 के अधीन सूचनाएं उसी दिन नहीं आतीं। मैंने एक सूचना 30 अप्रैल को दी थी। यह आज ही सामने आई है। 30 अप्रैल और आज की तिथि के बीच कितना अन्तर है।

श्री हरिविष्णु कामत : मैं यह कह रहा हूं कि कार्यसूची में इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम निश्चित ही विचार करगे।

श्री राजनरायण (रायबरेली) : श्री मान...

अध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं । आप 28 मिनट का समय ले चुके हैं ।

श्री राजनरायण : आप केवल हमारे लिए अन्याय करते हैं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मेरी बात सुनें ।

अध्यक्ष महोदय : आपको कल 28 मिनट का समय दिया गया था । अब और समय नहीं मिलेगा । आपको बिना बारी के अवसर दिया गया ।

श्री राजनारायण : कृपया कल का वाद-विवाद देखिए । कल की कार्यवाही में कहा गया है :—

"सभापति महोदय : आपका समय समाप्त हो चुका है । आपका भाषण भी अब समाप्त हुआ माना जायेगा ।"

वह "समाप्त" नहीं कह रहे हैं बल्कि "समाप्त हुआ समझा जायेगा" कह रहे हैं मुझे इन दोनों के बीच का अन्तर बताना है ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है सभापति के पास "समाप्त समझा जायेगा" कहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था ।

श्री राजनरायण : श्री मान आप तो स्पीकर नये बने हैं और मैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में 25 साल से हूं । मैं कहता हूं कि आप जैसे एक जजमेंट देते हों कि कोई बिल पास हुआ तो पहले आप कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेजारिटी अपोजीशन की है, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि अब यह निश्चित है कि बहुमत विपक्ष का है । तब वह रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं । कल चेयर को कहना चाहिए था कि आपको कल मौका नहीं मिलेगा । मैं अस्पताल से आता क्यों आज ?

अध्यक्ष महोदय : आपका स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण है । आपने यहां आकर अपने साथ अन्याय किया है ।

श्री राजनरायण : मेरी बात मेरे स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे आपके स्वास्थ्य से अधिक महत्वपूर्ण नहीं पाया ।

श्री राजनरायण : मैं आपका बड़ा आदर करता हूं । मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, आपकी रूलिंग का मैं आदर करूंगा मगर चूंकि आपकी रूलिंग को इस समय गलत समझता हूं इसलिए मैं इस मदन का त्याग आज दूसरी बार कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप मुझे बोलने नहीं देते हैं तो मुसलमान, ईसाई, पारसी और दूसरी माइनारिटीज के अभिकारों का कत्ल कर दिया जाएगा ।

सभापति महोदय : अब आप दूसरा भाषण दे रहे हैं । मुझे खेद है अगर आप वाक-आउट कर जायेंगे, मैं लाचार हूं; वह एक दसरी बात है ।

श्री राजनरायण : लेकिन तीसरी बार का वाक-आउट अलग तरह का होगा। यह मैं आज डिक्लेयर करके जा रहा हूं।

तत्पश्चात् माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गये।

सीमेंट उद्योग संबंधी उच्च समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार के निर्णयों के बारे में वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नानिडिस) : हमारी विकास शील अर्थव्यवस्था में सीमेंट उद्योग के महत्व तथा कम से कम समय में इस आत्यावश्यक वस्तु में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रख कर सरकार ने मूल्य व लागत सहित सीमेंट उद्योग के सभी पहलुओं की विशद समीक्षा करने के लिए अप्रैल 1978 में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की थी इस समिति ने दिसम्बर, 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीमेन्ट उद्योग के विकास के लिए समिति ने दूरगामी महत्व की कई सिफारिशें की है और इन सभी सिफारिशों के बारे में सरकार के दृष्टिकोण को अन्तिम रूप देने अभी भी कुछ और समय लगेगा। 31 मार्च, 1979 को मूल्यनिर्धारण की पहली अवधि की समाप्ति को ध्यान में रख कर सरकार ने शुरूआत में मूल्य और प्रोत्साहन सम्बंधी अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों की जांच पड़ताल करने और समिति की दुसरी सिफारिशों व निष्कर्षों पर बाद में समुचित ढ़ग से विचार करने का निर्णय किया है। तथापि, मैं आज इस उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सभी सिफारिशों का सारांश सदन के सभा पटल पर रख रहा हूं ?

सीमेंट के मूल्य व प्रोत्साहनों से सम्बंधित समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों का उल्लेख सरकारी संकल्प में किया गया है।

यहां मैं संक्षेप में सीमेंट उद्योग के मूल्य निर्धारण की नई प्रणाली की प्रमुख बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। विद्यमान एक जैसे साधारण मूल्य के ध्यान पर कम लागत वाले एककों के लिए जैसा कि सरकार ने निश्चय किया है, क्रमशः 185 रु०, 205 रुपए तथा 220 रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से तीन स्तरीय संधारण मूल्य प्रणाली लागू की जाएगी। नए सीमेन्ट एककों सितम्बर 1977 से 296 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से और अधिक उचें मूल्य रखने की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। पहाड़ी क्षेत्र के सीमेंट उत्पादक एककों को मौजूदा अतिरिक्त संधारण मूल्यों को बनाए रखने की अनुमति बनी रहेगी। कोयले का मूल्य, कोयले की ढुलाई, पावर टैरिफ, भण्डार अतिरिक्त वस्तुओं (स्पेअर्स) और मजदूरी जैसी अनिवार्य निविष्टियों (इनपुटस) की लागत के उतार चढ़ाव को ध्यान में रख कर संधारण मूल्यों की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाएगी। मट्टी के तेल (फर्नेस आयल) की खपत केप्टिव पावर प्लान्टस के रखरखाव के लिए समिति द्वारा संस्तुति दरों पर राज-सहायता जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

मूल्यों व प्रोत्साहनों के सम्बंध में उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन के फलस्वरूप, गंतव्यस्थान तक रेल भाड़ा मुक्त सम मूल्य में 25.68 रुपए प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि

की जा रही है अर्थात् इसे 293.26 रुपए से बढ़ा कर 318.94 रुपए प्रति मीट्रिक टन (आबकारी व पैकेजिंग प्रभारों को छोड़ कर) किया जा रहा है।

जैसा कि सदन को ज्ञात है कि नए एककों के लिए 12 प्रतिशत कराधान के लाभ तथा पर्याप्त विस्तार की सितम्बर, 1977 में की गई सरकार की घोषणा से सीमेंट उद्योग, जो पहले काफी पिछड़ पड़ा था, में नए पूंजी निवेश पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। गत तीन वर्षों (1974-77) में जारी किए गए 84.6 लाखों मीट्रिक टन की कुल क्षमता के 11 आशय-पत्र तथा 11 औद्योगिक लाइसेंसों की तुलना में पिछले दो वर्षों (1977-79) में ही 150.5 टन लाख मीट्रिक टन की सकुल क्षमता के 35 आशय पत्र तथा 7 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए जनवरी 1979 में घोषित की गई महत्वपूर्ण रियायतों से भी सदन अवगत है। घोषणा के फलस्वरूप, लगभग 12 लाख मीट्रिक टन की कुल क्षमता के मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए 38 योजनाए पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं।

मुझे पूरी आशा है कि इस समानुपातिक व तर्कसंगत मूल्य ढांचे और प्रोत्साहनों के प्रावधान की इस घोषणा के बाद, सीमेंट उद्योग में नई क्षमता की स्थापना में और भी तेजी आएगी। आजकल सीमेंट के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद, कृषि, बिजली, उद्योग तथा आवास के क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में हुई आशातीत बृद्धि से सप्लाई की अपेक्षाकृत मांग ज्यादा हो गई है।

इस अभाव के काफी हिस्से की पूर्ति हमें ऊंची लागत पर सीमेंट को आयान करके करनी पड़ी। मुझे विश्वास है कि सीमेंट उद्योग में पूँजी न लगाने में बढ़ी रुचि के कारण हम आगामी 5 वर्षों में अपनी क्षमता व उत्पादन को दुगुना कर इस आवश्यक वस्तु के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपसे मैं निवेदन करूंगा, कि आप किसी का नाम न लें।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मैं एक मामले पर आपका पथ-प्रदर्शन की अपेक्षा करता हूं। आर्थिक नीति के बारे में दो वक्तव्य दिये गये हैं, एक श्री धारिया द्वारा और दूसरा उद्योग मंत्री श्री फर्नाडिस द्वारा। इन वक्तव्यों को सुनने के अलावा, इस सभा से क्या अपेक्षा की जा सकती है ? जब सरकार द्वारा साल भर के लिए विदेश व्यापार नीति निर्धारित की जाती है और सभा को भेज दी जाती हैं, सभा का भी कुछ कर्तव्य है। पीठासीन अधिकारी यह नहीं कह सकते कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। फिर तो हम भी माननीय मंत्री के वक्तव्य के सुनने से इनकार कर देगें।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे। सभा अब दो बजे के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे अ० प० तक के लिए स्थगित हुई

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजे अ० प० पुनः समवेत हुई

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए :

प्रो० पी० जी० मांवलकर (गांधीनगर) : मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करता हूं जो कि पिछली संसद द्वारा की गई बहुत से गलत बातों विशेष रूप से 1965 तथा 1972 की अधिनियमों में किये गये संशोधन को रोकने के लिए लाया गया है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि यह विधेयक कुछ और पहले लाया जाता तो बेहतर होता। मुझे मालूम है कि समय का अभाव था, फिर भी मैं चाहता हूं कि यह विधेयक इस से पहले ही पारित होता तो बेहतर होता। इस विधेयक के माध्यम से मुझे विश्वविद्यालय प्रशासन और विश्वविद्यालय के कार्यकारण से सम्बद्ध मुख्य बातों पर चर्चा करने का अवसर मिला है। मैं इस विधेयक पर चर्चा का भी स्वागत करता हूँ क्योंकि इससे मुझे सुधार करने, स्पष्टीकरण चाहने और अपने विश्वास को सक्षेप में दोहराने के लिए अवसर उपलब्ध हो गया है।

मैं महान देश भक्त, शिक्षाविद् सरसैयद अहमदखान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये चर्चा शुरू करता हूं। सर खान ने 1975 में इस केन्द्र की कल्पना को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिर्वसिटी की नींव डालकर साकार किया। उन्होंने इसे बड़ी सावधानी से योजनाबद्ध ढंग से पोषित किया। परिणाम-स्वरुप यह आज उच्चत्तर ज्ञान और क्षिक्षा का महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है तथा इसे केन्द्र से आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिर्वसिटी के नाम से जाना जाता है। इस बात से हम खुश हैं। हम इस बात पर बल देते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिर्वसिटी उच्चतर शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय संस्था हैं, यह वर्गवादी संस्था नहीं है, वह संकीर्ण सस्था नहीं है, यह राष्ट्रीय संस्था है जिसमें मुस्लिम संस्कृति भाषा, धर्म, दर्शन आदि के गहन-अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता हैं। मैंने 1965, 1972 के पिछले दो संशोधनों का उल्लेख किया था। मुझे आश्चर्य है कि यह विधेयक क्यों लाये गये तथा कैसे पारित किये गये। मेरे पास इस बात के लिए समय नहीं है कि तत्कालीन सरकारों ने किन राजनीतिक कारणों से वे संशोधन किये थे किंतु मैं यह अवश्य कहूंगा कि यद्यपि उस समय संशोधन विधेयक में उद्देश्यों और कारणों का विवरण था तथापि वह वास्तविक नहीं था। वस्तुतः उनको वास्तविक उद्देश्य तो विशेष वर्ग के लोगों को सबक सिखाना तथा उससे भी बुरा यह कि देश में शैक्षिक संस्थानों और उच्चत्तर शिक्षा के निकायो में राजनैतिक घुसपैंठ करना था। यह ऐसे कारण है जिन्हें मैं शिक्षाविद् होने के नाते सहन नहीं कर सकता। इसलिये मैं महसूस करता हूं कि वे दो संशोधन अधिनियम अनुचित थे क्योंकि उनके माध्यम से विश्वविद्यालय की शैक्षिक-स्वतंत्रता और स्वायत्तता तथा प्रजातांत्रिक कार्य संचालन से दूषित कर दिया गया था तथा साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन में सक्रिय अध्यापकों, विद्यार्थियों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व भी दूषित कर दिया गया था।

आज हमारे सामने दो बातें है पहला कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्प-संख्यक विशिष्टता बनाई रखनी चाहिए। दूसरी बात, स्वायत्तता की है। पहला प्रश्न एक विशिष्ट प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न एक वृहत् प्रश्न है। मुझे विश्वास है कि मेरे मित्र श्री बनतवाला के

पास समय होगा और हम, जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है, उस पर तथा अलीगढ़ विश्वविद्याल को उसकी अल्पसंख्यक विशिष्टता सहित संख्या के रूप में बनाये रखने के प्रश्न पर विचार कर सकेगें। इस समय में उस पहलू के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता और विश्वविद्यालय के कार्यसंचालन को प्रजातांत्रिक बनाने का प्रश्न जो कि एक वृहत प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे संविधान अनुच्छेद 30 (1) में यह स्पष्टत कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अधिकार है कि वे अपने शैक्षिक और सांस्कृतिक महत्व के हितों को प्रोत्साहित करें और यह अधिकार सुरक्षित है। मैं विशेषतः अधिनियम 1965 के प्रकाश में, उच्चतम न्यायलय की व्याख्या के कानूनी पहलू में नहीं जाना चाहता। पर मेरा विचार स्पष्ट है कि संविधान कुछ भी कहे और उच्चतम न्यायालय का निर्णय कुछ भी हो, आखिरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को संशोधित करने का दायित्व भी तो उच्चतम न्यायलय पर ही है। वे अपने पहले निर्णय को फिर से संशोधित कर सकते है। इस समय मैं इस पहलू के विषय में नहीं जाना चाहता। मैं इस मुद्दे पर बल देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यको के अधिकार सुरक्षित रहें। केवल मुस्लिम अल्पसंख्यको की भाषा और संस्कृति ही नहीं वरन् सभी अल्पसंख्यको की भाषा और संस्कृति के निरन्तर अध्ययन को हमें प्रोत्साहन देना होगा। मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विधेयक पर चर्चा कर रहा हूं। इसके विशेष प्रयोजन को मैं अद्वितीय कह सकता हूं। मुस्लिम संस्कृति और दर्शन इत्यादि के अध्ययन और शिक्षा को अवश्य सुरक्षित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हुं कि क्या इस विधेयक को सभा में पेश करने से पहले अल्पसंख्यक आयोग से विचार-विमर्श नहीं किया गया था ? मेरा विचार है कि सदन को अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मीनू मसानी ने इसी मुद्दे को लेकर त्याग पत्र दे दिया था। अन्य मुद्दो के अलावा, उनकी शिकायत यह थी कि इस विधेयक को संसद में पेश करने से पहले अल्पसंख्यक आयोग से विचार-विमर्श क्यों नहीं किया गया ? जनता सरकार ने जो अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया मैं उसका स्वागत करता हूं, किन्तु मुझे यह बात समझ नहीं आती कि उस आयोग से सर्जनात्मक सुझाव क्यों नहीं आमंत्रित किये गये। मुझे पुरा-पूरा विश्वास है कि आयोग इस विषय की गहराई में जाता और हमें बहुमूल्य रिपोर्ट देता। उन्होंने हमें एक रिपोर्ट तो जरूर दी पर मेरा मुद्दा यह है। कि यह बाद में नहीं बल्कि पहले लेनी चाहिये थी, विशेषतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट और गतिविधियां सहायक साबित हुई हैं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं, और फिर दोहराना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यलय और उस प्रकार की सभी राष्ट्रीय संस्थायें, यद्यपि उन्हें विशेष रंग दिया गया है, तो भी वे सांप्रदायिक या क्षेत्र वर्ग वादी संस्थायें नहीं समझी जा सकती वे राष्ट्रीय संस्थाये हैं। केवल सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी विशिष्टता और मूल स्वरूप को बनाये रखना है।

विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक होता है तथा उसे शिक्षा का बड़ा मन्दिर कहा जा सकता है। यह ऐसा स्थान है वहां स.य की खोज निरंतर होती रहती है और इससे सम्बन्धित सभी लोग पूर्ण निष्ठा और आस्था से इस कार्य में लगे रहते हैं। इसलिए कोई भी

विश्वविद्यालय संकीर्ण और छोटी-छोटी बातों को सहन नहीं कर सकता । इसलिए मैं कहता हूं कि किसी भी प्रकार की अनन्यता इस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय तथा उसकी एकता के लिए हानिप्रद होगी । ऐसा कहते हुये अब शेष समय में, अगर आप मुझे अनुमति दें, तो कुछ विस्तार में, मैं ऐसे राज्य और संसद अधिनियमों को रखना चाहूंगा जिन्होंने केवल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को ही हानि नहीं पहुंचाई बल्कि इस के और भी बहुत से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और प्रजातांत्रिक कार्य संचाचलन और प्रशासन में घुसपैठ की । मैं मंत्री महोदय को इस विधेयक को लाने के लिए बधाई देता हूं । उन्होंने स्वयं ही कहा था कि उन्हें प्रसन्नता है कि उन्हें इस विधेयक को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ ताकि इस विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को फिर से किया जा सके । पर मेरा विचार यह है यद्यपि यह विधेयक भली प्रकार और पर्याप्त रूप में फिर से स्वायत्तता ला सकता है, यह स्वायत्तता को पूर्ण रूप से नहीं ला सकता । इसे इस तथ्य के आधार पर देखा जा सकता है कि डा० चन्द्र ने स्वयं ऐसे संशोधनों को प्रस्तुत किया, जिनके द्वारा विभिन्न संस्थाओं का बेहतर और वृहत् रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सके । इससे यही स्पष्ट होता है कि वे स्वयं ही उस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं जो उन्होंने पहले की थी । श्री बनतवाला ने भी कई संशोधन प्रस्तुत किये हैं । इन सब से यही लक्षित होता हैं कि यह अच्छा होता यदि पिछले वर्ष इस प्रकार का एक विधेयक पेश किया जाता और प्रवर समिति को भेजा जाता जिससे कि इस समय तक उसकी रिपोर्ट आ जाती, और संसद अपने समिति समय में विधेयक के इस या उस उपबन्ध को संशोधित करने की अपेक्षा, प्रवर समिति के परिवक्व और सोच समझ कर किये गये विचार विमर्श से लाभान्वित होती । विश्वविद्यालय में स्वायत्तता हमेशा से निहित रही हैं । विश्वविद्यालल की कल्पना ही अर्थहीन है, यदि स्वायत्तता के बिना । मुझे ऐसा लगता है कि यह अधिकाधिक नष्ट होती चली जा रही है ।

उपकुलपति की नियुक्ति का ही प्रश्न लीजिए । उप-कुलपति की नियुक्ति एक विशिष्ट पद्धति से होती है । मैं जानता हुं, कि अधिकांश विश्वविद्यालयों ने सबसे सुरक्षित, सर्वोत्तम और सबसे उचित पद्धति को इस नियुक्ति के विषय में खोजने का प्रयत्न किया है । पर कोई भी पद्धति अभी तक किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो पायी है । बहुत से प्रयोग किये गये । मैं इस तथ्य का विरोध करता हुं कि उप-कुलपति की नियुक्ति में इस या उस पार्टी द्वारा बहुत राजनैतिक हस्तक्षेप ओर दबाव का उपयोग किया जाए । यह गलत है । मेरे मित्र, श्री सोमनाथ चटर्जी मेरे बायें और बैठे है । उनकीं पार्टी पश्चिम-बंगाल में अब सत्तारुढ़ है । मुझे यह कहते हुये खेद है कि पश्चिम-बंगाल सरकार का कलकत्ता विश्वविद्यालय विधेयक, जोकि अब प्रवर समिति के समक्ष है, में एक उपबन्ध है जिनके अनुसार यदि उपकुलपति की नियुक्ति विधेयक में दी गई पद्धति से नहीं होती तो नियुक्ति कुलपति यानि राज्यपाल, शिक्षा मंत्रालय की सलाह से करेगें, जो कि वास्तव में विश्वविद्यालय के कार्यों में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने का एक तरीका है । मैं तो उस पद्धति को पसन्द करता जिसमें न्यायालय या सीनेट तीन नामों का एक पेनल बनाता जिसमे से कुलपति किसी एक को चुनता है । वह बेहतर है । मुझे विश्वास है कि उप-कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान होता है और उसे बहुत से कार्य करने होते । उसकी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है । उसका निर्णय लेने का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होता है । मेरे अपने

गुजरात राज्य में क्या हुआ ? गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना 1949 में हुई। मैं चाहता हूं, इसे अभिलिखित किया जाये कि उस समय की कांग्रेस सरकार के राजनैतिक हस्तक्षेप की वजह से मेरे पिता उस विश्वविद्यालय के प्रथम उप-कुलशति होने से वंचित हो गये, जिस स्थान के वे विश्वविद्यालय के चेयरमैन होने के कारण पूर्ण रूप से अधिकारी थे। वे उस समय अध्यक्ष थे और वास्तव में वे उप-कुलपति बनने के लिए अध्यक्ष पद छोड़ने के लिये तैयार थे। इतना ही नहीं, डा० विक्रम साराभाई जैसे व्यक्ति को उप-कुलपतित्व नहीं दिया गया केवल इसीलिए की उन दिनों राजनैतिक हस्तक्षेप का स्वरूप कुछ और था। देश कह सकता है कि उन्हें उपकुलपतित्व से इसलिए वंचित रखा गया क्योंकि वे परमाणु उर्जा आयोग के अध्यक्ष बन सकते थे और जो कि देश के लिए लाभप्रद था। पर मेरा मुद्दा यह कि उप-कुलपति की नियुक्ति का विषय राजनैतिक फुटबाल राजनैतिक बाजीगरी या राजनैतिक खेल नही होना चाहिये। एक तरफ प्राध्यापकों, अध्यापकों और छात्रों और दूसरी तरफ अश्रैणि अशैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय की अच्छाई और कल्याण के लिए विश्वविद्यालय के कार्यकलाप स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व और निर्धारित योगदान में भाग लेना आदि सभी योगदान मिल कर उसे अवश्यमेव एक अच्छी संस्था बना सकते है।

विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संस्थाओं जैसे शैक्षणिक परिषद् कार्यकारी परिषद् न्यायालय आदि को विधेयक से प्रतिनिधित्व दे कर अच्छा कार्य किया गया है। इस प्रक्रिया को और विस्तृत करना चाहिए ताकि क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन के ठीक न होने पर हो, उसका उपाय राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है बल्कि प्रशासन में प्रजातांत्रिकता को और बढ़ाना तथा विश्वविद्यालय के प्राध्यपकों, अध्यापकों और अशैक्षणिक कर्मचारियों का ज्यादा जिम्मेदरियां दे कर उन्हें अधिक उत्तरदायी बनाने से होगा। विश्वविद्यालय में प्रजातांत्रिक कार्य संचालन को तभी निरापद किया जा सकता है। जब सरकारी नियंत्रण को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा न्यूनतम कर दिया जाए तथा राजनीतिक हस्तक्षेप और आक्रमण को असंभव बना कर शिक्षण से इन स्वार्थों को समाप्त कर दिया जाए केवल तभी सही अर्थ में हमें स्वायत्तता मिल जायेगी। इसके लिए हमें मुस्लिम जाति अल्पसंख्यकों तथा शिक्षा विदों का विश्वास अर्जित करना होगा और उसे बनाये भी रखना है। यदि हम विशेषकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विषय में करते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत, आधुनिकता, संस्कृति और शिक्षा का तालमेल सही रूप में कराना संभव हो पायेगा।

मुझे आशा है, मंत्री महोदय इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नया विधेयक प्रस्तुत करेंगे, मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे नहीं रुकेंगे बल्कि सही दिशा में बढ़ेंगे और इस विश्वविद्यालय को ही नहीं वरन भारत में सभी विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत, अधिक स्वतंत्र और शैक्षिक दृष्टि से अधिक सार्थक और सफल बनाने का प्रयास करेंगे।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर

जो चर्चा हो रही है, उसमें ज्यादा चर्चा अलीगढ़ और मुस्लिम तथा हिन्दू की हो रही है, जबकि सबसे प्रमुख चर्चा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में होनी चाहिए।

नेहरू जी ने विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के विषय में कहा था :—

"विश्वविद्यालय, मानवता, सहिष्णुता, तर्क, विचारों की साहसिकता और सत्य की खोज के लिए होता है। यह मानव जाति को उच्चतर लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने के लिए होता है। यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करते हैं तो यह प्रकृति और जन सामान्य के अनुरूप है।"

डा० राधाकृष्णन् ने भी विश्वविद्यालय आयोग की अपनी रिपोर्ट में कहा था :—

"विश्वविद्यालय विचारों की साहसिकता की शालाएं हैं" हरेक वस्तु को तर्क, सम्माननीय धर्मशास्त्रों, प्राचीन राजनीतिक व्यवस्थाएं और अनगिनत बातें तर्क के आधार पर परखी जाती हैं, जोकि एक पीढ़ी पहले पर्वत की तरह अडिग लगती थी। डा० कोठारी ने विश्व विद्यालयों के उद्देश्यो पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य नये ज्ञान का संधान और पोषण करना है, पूरे उत्साह के साथ, निर्भय होकर सत्य के अन्वेषण में जुट पड़ना है और नई आवश्यकताओं और नई खोजों के संदर्भ में प्राचीन ज्ञान और विश्वासों की व्याख्या करना है।

जब विश्वविद्यालय की चर्चा होती है, तो वह कोई धार्मिक ग्रंथों की चर्चा नहीं होती है। विश्वविद्यालय में तो गांधी का भी पोस्ट मार्टम किया जाता है और मार्क्स की भी शव-परीक्षा होती है। मैं विश्वविद्यालय का अध्यापक होने के नाते लार्ड हैलडेन की पुस्तक "दि डेडिकेटिड लाइफ" में से यूनिवर्सिटी के उद्देश्य के सम्बन्ध में उद्धरण देना चाहता हूं :—

"विश्वविद्यालय शोध का वह स्थान है, जहां नये और आवश्यक ज्ञान का विकास किया जाता है। यह सरकार या चर्च के शासन में न तो जीवित रह सकता है और न ही पनप सकता है। स्वतंत्रता और विकास दोनों नासारंध्रों के समान हैं और ये उसी स्तर को मान्यता देगा जो आज्ञापालन कराने के लिए सत्य के अधिकार से युक्त हो।"

अमरीका के मुख्य न्यायाधीश, अर्ल वारेन, ने भी कहा था :—

"हमारे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के बुद्धिजीवी नेताओं पर किसी तरह का जामा थोपना देश के भविष्य को खतरे में डालना होगा।"

अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जितनी भी रिपोर्ट्स हैं—सरकार कमेटी की रिपोर्ट, गजेन्द्रगढ़ कर कमेटी की रिपोर्ट आदि—उन्हें भी ध्यान में रखना होगा। सरकार कमेटी ने कहा था :—

"इस बात से वास्तव में क्या तात्पर्य है कि अलीगढ़ एक मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस एक हिन्दू विश्वविद्यालय है। एक सिक्ख विश्वविद्यालय और सम्भवतः एक ईसाई

विश्वविद्यालय के निर्माण की भी चर्चा हो रही है। इन शब्दावलियों का क्या अर्थ है। जब हम किसी स्थान को विश्वविद्यालय कहते हैं तो चाहे उसे हिन्दू कहें या मुस्लिम, चाहे वह अलीगढ़ में स्थित हो या बनारस या टिम्बकूट में, वह सबसे पहले एक विश्वविद्यालय है।"

इसलिए जब हम इस संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो थोड़ा ऊपर उठकर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की अपनी कोई परम्परा नहीं है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की परम्परा भारतीय संस्कृति का एक आवश्यक अंग है। जब कांस्टीच्युएंट एसेम्बली में माइनारिटीज से सम्बन्धित आर्टिकल 30 पर विचार हो रहा था, तो श्री लोकनाथ मिश्र ने कहा था :—

"जिस प्रकार कि महासागर को सभी नदियां जाती हैं उसी प्रकार भारत जो सांस्कृतिक महासागर और आध्यात्मिक महासागर है, हमारी धरोहर हैं ; सांस्कृतिक, भाषा, लिपि, आशायें और महत्वाकांक्षाओं की नदियां बहती रहें और हमेशा भरे रहने वाले एक शक्तिवान् महासागर की रचना करें।"

मेरे कहने का मतलब यह है कि भारतवर्ष की संस्कृति को हिन्दू राष्ट्रवाद या संकीर्ण इस्लामाबाद का पर्याय नहीं कहा जा सकता है। भारतवर्ष की संस्कृति एक सामायिक संस्कृति है। इसमें जितना हिन्दू विश्वविद्यालय का योगदान है, उससे कम अलीगढ़ विश्वविद्यालय का योगदान नहीं है। जिस दिन हम इस योगदान को कम करेंगे भारतवर्ष की संस्कृति विखंडित हो जायेगी। इसलिए जब यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बिल लेजिस्लेटिव कौंसिल में प्रस्तुत किया जा रहा था तो उस समय मोहम्मद अली साहब ने इस के उद्देश्यों के सम्बन्ध में कहा था :—

"महोदय, इस विधयक को पारित करने का अर्थ यह है कि सरकार मुस्लिम समुदाय की विशेष संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसमें प्रगति लाने के लिए सहयोग करने और उनकी विशेष आवश्यकताओं के लिए जरुरी साधन देने के लिए तैयार है।"

सचमुच में जब मुसलमान राजाओं को अंग्रेजों ने खत्म किया और उनके साथ बहुत अन्याय हुआ, उसके बाद वह बहुत चाह रहे थे कि ऐसी संस्था का निर्माण किया जाये, तो बनारस यूनिवर्सिटी को पहले कायम किया लेकिन उसके बाद जब बहुत मांग हुई तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को कायम किया। मुसलमान लोगों के साथ काफी अन्याय अंग्रेजों ने किया है। लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का मतलब यह नहीं था कि किसी खास तरह की एक धार्मिक संस्था का हम निर्माण करें। सर सैयद अहमद खां जिन का नाम सभी जानते हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि यह मुस्लिम जनता जो पीछे पड़ी हुई है, इस को हम आधुनिक विज्ञान और आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं, ताकि वह जीवन संग्राम में किसी से पीछे न रहे। यही मुस्लिम यूनिवर्सिटी का उद्देश्य था और यही कारण है कि जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, तो हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो बिल लाये उसमें उन्होंने क्या कहा यह आप देखें। आज तो हमारे शिक्षा मंत्री उस की आजादी को वापस कर रहे हैं। उन

की यहां की आगे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि इन्होंने उस की आजादी को वापस किया। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आजादी 1920 के ऐक्ट के अनुसार खत्म हो चुकी थी। वे अपनी ड्रेस भी नहीं पहन सकते थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बिना गर्वनर जनरल की इजाजत के। मौलाना आजाद के ये शब्द हैं—

"उसने छात्रों को वायसराय की आज्ञा के पालन की सलाह दी। अगले दिन श्री बेक को सर सैयद अहमद खां ने बुलाया और पूछा कि उसने ऐसा भाषण क्यों दिया! श्री बेक ने **पायनियर** में प्रकाशित लार्ड डफरिन के भाषण का हवाला देते हुये सर सैयद से पूछा—क्या वे गर्वनर-जनरल के वक्तव्य के विरुद्ध जायेंगे। सर सैयद को चुपचाप अपमान पीना पड़ा था, क्योंकि वे कुछ नहीं कर सकते थे। ब्रिटिश शासन के समय इस प्रकार की स्वतंत्रता थी विश्वविद्यालयों में। इसलिए मौलाना आजाद ने इस की आजादी को वापस किया।

इसके बाद हम देखते हैं छागला साहब ने जब इसका संशोधन किया तो उस समय भी इस के संबंध में भारी चर्चाएं हुई, वह तो एक प्रगतिशील आदमी थे, उन्होंने भी इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में इसकी आजादी को बरकरार रखने की सिफारिश की और इसका जो एक विश्वविद्यालय का स्वरूप है उसको रखने की इजाजत दी।

लेकिन सचमुच में दुर्भाग्य तो तब हुआ जब हिन्दुस्तान की आजादी पर छुरा भोंका गया और जब इंदिरा जी के राज का अवतरण हुआ, उस समय केवल हिन्दुस्तान की आजादी नहीं छीनी गई बल्कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खून हो गया और यही जो आज समर्थन कर रहे हैं इस बिल का और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उन्होंने उस समय क्या कहा था ? नूरुल हसन साहब यह कहते हैं—

"महोदय, यह जो मांग है यह न तो राष्ट्रीय हित में है और न ही विश्वविद्यानय के अपने ही हित में है, मैं सुझाव देने का साहस करता हूं कि यह हमारी जनसंख्या के किसी भी वर्ग के हित में नहीं है, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय भी सम्मिलित है।"

न आजादी चाहिए, न मुस्लिम नाम तक चाहिए, यह हैं नूरुल हसन साहब और इंदिरा कांग्रेस प्रमाण पत्र।

इसलिए सचमुच में आप जब यह बिल लाये तो हिन्दुस्तान के मुसलमान भाइयों के हृदय में यह खुशी लाई कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमानों को जो आकांक्षा थी उस को समझा गया और उस की आजादी को वापसि किया जायेगा।

इसी तरह जो और बहुत सारी कमेटियों की रिपोर्ट हैं उस को देखें। जो बेग कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी उन्होंने कहा था—

"कमेटी वे पहले ही सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय के आवासीय स्वरूप को बनाये रखा जाये और इसलिए बाहरी संस्था द्वारा स्थापित किसी भी महा विद्यालय

को विश्वविद्यालय से सम्बंधित करने या विश्वविद्यालय की विशिष्ट सुविधायें देने का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। संशोधन जो इन सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक हैं, और इसकी अल्पसंख्यक विशिष्टता को बनाये रखेगें, को पारित करना चाहिए।"

एग्जीक्यूटिव कौंसिल की जो रेकमेंडेशन है वह भी इसी प्रकार है—

"उन्होंने संविधान के अधिनियम 29 और 30 का कोई उल्लेख नहीं किया और न ही विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक विशिष्टता का कोई जिक्र किया गया है।

"उन्होंने विश्वविद्यालय के उच्चर स्तर के शिक्षा के राष्ट्रीय केन्द्र के स्वरूप को, जो सभी के लिए समान रूप से बिना जाति, वर्ग और धर्म के भेद के खुले थे और जो-धर्म निरपेक्षता और विभिन्नता में एकता का प्रतीक है, किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई।" इसके बावजूद हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बिल रखा है, मैं कहना चाहता हूं कि लोग चाहे जो कहें, राजनीति चलाने वाले लोग कुछ भी कहें, लेकिन यूनिवर्सिटी को जो रूप दिया गया है और जो नामकरण किया गया है उसमें मुसलमान भाइयों की आकांक्षा को प्रतिध्वनित किया गया है।

"विश्वविद्यालय का अर्थ है वह शैक्षिक संस्था जो मोहम्मडन एंग्लो-ऑरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ के रूप में, भारतीय मुस्लिमों द्वारा 1920 के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित हुई और आरम्भ हुई।"

यह स्वीकार किया है पहली बार मुसलमान भाइयों ने जो संस्था बनी थी उसको कौंसिल के ऐक्ट से स्वीकृति मिली।

दूसरी बात यह हैं कि इसकी आजादी को भी वापिस किया गया है।

एक बात और भी है। लोगों को बरगलाना तो आसान होता है। लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक स्वरूप क्यों नहीं किया गया लेकिन देश में 150 यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आर्टिकल 30 (1) के अंतर्गत है ? जो हमारी लाचारी है उसको भी समझने की कोशिश की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है :

"विश्वविद्यालय को मुस्लिमों द्वारा स्थापित किया नहीं कहा जा सकता। बल्कि वह भारतीय विधान परिषद् के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है।"

सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के चलते हमारे मन्त्री महोदय विधान के अनुसार जितनी दूर जा सकते थे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाने की उनकी ताकत नहीं है। लेकिन जितनी दूर जा सकते थे गये हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है :—

"'विश्वविद्यालय' का अर्थ वह शैक्षिक संस्था जो मोहम्मडन एंग्लो-ऑरियन्टल कॉलेज, अलीगढ़ के रूप में आरम्भ हुई और भारतीय मुस्लिमों द्वारा स्थापित की गई।" इसलिए मैं समझता हूं हमारे शिक्षा मंत्री जी जो कर सकते थे उन्होंने किया है।

श्री बसन्त साठे : यह आखों का धोखा है। अपने आप को नहीं छलिये।

श्री रामजी सिंह : जिन्होंने आजादी का खून बहाया उनको आजादी के लिए बोलने का अधिकार नहीं है।

मैं अन्त में गजेन्द्र गडकर रिपोर्ट से कुछ पढ़ना चाहूंगा :

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, कई वर्षों से, मुस्लिमों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और मुस्लिम संस्कृति और दर्शन के गहरे अध्ययन में, एक प्रखर शैक्षिक गतिविधि और कार्य के रूप में भी योगदान दिया है। भारतीय संस्कृति सामायिक की है और इस सामायिक संस्कृति को समृद्ध बनाने में मुस्लिमों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।"

श्री गजेन्द्र गड़कर कहते हैं :

"ये दोनों विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संस्थायें हैं और ऐसी ही रहनी चाहिए। यह आवश्यक है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना राष्ट्रीय स्वरूप बनाये रखें।"

वहां पर इस्लामिक संस्कृति और सभ्यता की सारी बातें होती रहेंगी। यदि आप 8 करोड़ देते हैं तो उसकी इमदाद को आप और बढ़ायें ताकि राष्ट्रीय गौरव के रूप में यह संस्था रहे। 38 देशों के लोग वहां पर पढ़ रहे हैं। दुनिया के पचासों देशों के लोग पढ़ने के लिए वहां पर आयेंगे और लोगों को गर्व होगा कि इस धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में मुस्लिम संस्कृति की पढ़ाई भी उतने प्यार से होती है जितना कि किसी अन्य की।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री ए० सुन्ना साहिब (पालघाट) : श्री उपाध्यक्ष, महोदय, वास्तव में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक की व्याख्या दोनों तरह से की जा सकती है। अब, यह 1920 के अधिनियम के संशोधन के रूप में आया है। साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा, कि किस तरह यह अधिनियम में सुधार कर पाएगा। 1920 के अधिनियम में कई भूलें और चूकें थीं। केवल कुछ उपाय मात्र प्रस्तुत करके हम भला किस सीमा तक इसमें अल्पसंख्यक स्वरूप की सुरक्षा की जा सकती है? क्या यह स्वायत्त संस्था बनेगी, क्या यह अल्पसख्यकों के हितों का वृहत स्तर पर ध्यान रखेंगी और अधिनियम 30 (1) के अन्तर्गत जिसकी यहां बहुत चर्चा हो रही है, क्या इस संस्था का अल्पसंख्यक विशिष्टता बनाये रखा जायेगा।

जहां तक अन्य दो विषयों का सम्बन्ध है, अब यह भली भांति प्रमाणित तथ्य है कि अल्पसंख्यक आयोग बिल्कुल खुश नहीं था।

जहां तक तीसरे मुद्दे का सम्बद्ध है, संस्था की अल्पसंख्यक विशिष्टता को अवश्य सुरक्षित रखना है। अल्पसंख्यक विशिष्टता क्या है? स्वयं अधिनियम ही संसद द्वारा की गई सृष्टि है। किस सीमा तक यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है? अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय किसी संस्था को शुरू करता है तो उसे उसकी व्यवस्था उसके अपने ढंग से करने देनी चाहिए, लेकिन

वर्तमान विधेयक 1972 के अधिनियम की त्रुटियों को दूर नहीं करता। ये केवल यह दर्शाने की कोशिश करता है कि हम कुछ बेहतर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, लेकिन वस्तु में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि विधेयक द्वारा सचमुच ही सुधार लाने का इरादा है, तो इसे अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा को अवश्यमेव सुरक्षित करना होगा।

जब हम संख्या की अल्पसंख्यक विशिष्टिता की बात करते हैं तो तुरंत ही संप्रदाय की दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। सर सैयद अहमद खान ने इस संस्था की स्थापना की। उससे पहले वहां एंग्लों—ऑरियन्टल कॉलेज था। अल्पसंख्यक समुदाय ने अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आपस में चंदा करके इस संस्था के लिए धन दिया और महाविद्यालय को विश्व विद्यालय में परिवर्तित किया।

विश्वविद्यालय केवल स्वायत्त ही नहीं होना चाहिए, अपितु उसकी संचालन समिति में मुसलमानों का उचित प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए, ताकि मुसलमानों के हितों की सुरक्षा की जा सके। यद्यपि सभी छात्रों के प्रवेश देते हुए जाति और वर्ग का ध्यान नहीं रखना चाहिए पर साथ-साथ संस्था की अल्पसंख्या विशिष्टता को भी बनाये रखना होगा।

यदि आप अधिनियम 30 (1) के अन्तर्गत मुस्लिमों को इस संस्था को चलाने की अनुमति देते हैं, तो उन्हें अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करने की भी अनुमति अवश्य मिलनी चाहिए। अल्पसंख्यक विशिस्टता को तो सुरक्षित रखना ही होगा, साथ-साथ जनहित और राष्ट्रीय दृष्टि कोण को भी ध्यान में रखना होगा। वर्तमान विधेयक इस विषय में कुछ नहीं कहता। इसलिए मैं सादर निवेदन करता हूं कि अल्पसंख्यक विशिष्टता जो अधिनियम 30 (1) के निहित है उसे इस विधेयक में सम्मिलित करना चाहिए और साथ ही इसकी राष्ट्रीयता भी बनाये रखनी चाहिए।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हमारी दो आंखें हैं। हमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पृथक व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस संस्था को अपनी राष्ट्रीयता बनाये रखनी चाहिए पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। संचालन समिति में अल्पसंख्यक को अनुपातिक प्रतिनिधित्व अवश्य देना चाहिए और हम इस बात को ध्यान में रखें कि उनके हित अपेक्षित न हो जाएं।

जब संचालन समिति में अधिकांश सदस्य मनोनीत होते हैं तो उनकी ही इच्छा समिति के निर्णयों में सर्वोपरि रहेगी और विश्व विद्यालय प्रशासन में अल्पसंख्यक सदस्यों की राय का कोई महत्व नहीं होगा। जो लोग पहले ही संस्था की स्थापना में योगदान दें चुके हैं, उन्हें उसके प्रबन्ध में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसलिए, संविधान को अवश्यकता नुसार संशोधित किया जाना चाहिए, जिससे कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की भी सुरक्षा हो सके।

श्री सैयद लियाकत हुसैन (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सवाल है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनोरिटी करेक्टर का। अगर उसका माइनोरिटी करेक्टर बरकरार रखा जाता है, मेन्टेन किया जाता है तो बाकी बातें करीब करीब खत्म हो जाती हैं। माइनोरिटी

करेक्टर के बारे में कांस्टीच्युशन के आर्टिकल 30 (1) में दिया गया है कि सभी माइनोरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीच्युशन को चलाने का हक होगा। मैं समझता हूं कि जब यह कांस्टीच्युशन कहता है तो कांस्टीच्युशन के बमूजिब हक देने में सरकार को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

कांस्टीच्युशन की कस्म हम सब ने खायी है कि हम कांस्टीच्युशन के वफादार रहेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनोरिटी करेक्टर बरकरार रखने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी कोई भीख नहीं मांग रही है बल्कि वह अपना हक चाहती है कि जो कांस्टीच्युशन ने उसे दिया है वह उसे हासिल रहे।

सन् 1947 से ले कर 1977 तक बराबर मुल्क में कांग्रेस सरकार रही है। उसने माइनोरिटीज के हक को बजाय बरकरार रखने के, उन हकों को, राइट्स को खत्म करने की कोशिश की है। यही वजह है कि आज फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल को यहां लाने की जरूरत पड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इससे पहले बराबर सरकार की यह साजिश रही है कि कैसे इस माइनोरिटी के सामने नये नये प्राब्लम्स क्रियेट किये जाएं, नयी नयी समस्याएं पैदा की जायें। बजाय इसके कि उसकी समस्याओं को दूर किया जाता, समस्याएं उसके लिए पैदा की गयी। यह माइनोरिटी कम्युनिटी की बदकिस्मती रही है कि न केवल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला बल्कि उर्दू का मसला भी जिसका कि ताल्लुक मुस्लिम माइनोरिटी से है, उसके सामने बनाये रखा गया है। इसी तरीके से सर्विसिज के बारे में मी माइनोरिटी कम्युनिटी फील करती है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया। यह डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता ही रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है। आये दिन राएट्स हुआ करते हैं। इन सब का असर सीधे सीधे माइनोरिटीज पर पड़ता है। बजाय इसके कि माइनोरिटीज की समस्याओं को दूर किया जाता, उनके लिए समस्याएं पैदा की गयीं और वे इसलिए पैदा की गयीं जिससे कि यह कम्युनिटी मजबूत न बन पाये और यह कम्युनिटी कहीं उर्दू के मामले में, कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में, कहीं हिन्दु-मुस्लिम राएट्स के मामले में फंसी रहे और उसकी जो इकोनोमिक कंडीशन है, आर्थिक दशा है उसकी तरफ वह न सोच पाये। जब वह कमजोर रहेगी तो वह अपनी तरक्की नहीं कर सकेगी। एक शरीर जो बीमार है, उसके लिए यह कहा जाए कि हम तुम को दवा दे रहे हैं और यही कहते हुए उसे थोड़ी थोड़ी देर बाद ढाढ़स बंधाया जाए और इसी ढ़ाढ़स के नाम पर उसके वोट लेने की कोशिश की जाए तो वह शरीर कैसे ठीक हो सकता है। मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि जो काम तीस साल में कांग्रेस सरकार ने किया वह यह किया कि इस कम्युनिटी को कमजोर करने की कोशिश की। मैं चाहूंगा कि अब उन चीजों को दूर किया जाए। मैं यह भी चाहूंगा कि जो 1972 का एक्ट है उसको खत्म करके इस यूनिवर्सिटी को ओरिजिनल स्टेट्स देने की कोशिश की जाए। अगर माईनोरिटी करेक्टर का ओरिजनल स्टेट्स इस कम्युनिटी को दे दिया गया तो इससे न केवल मुस्लिम कम्युनिटी में बल्कि सारी की सारी माइनोरिटी कम्युनिटीज में यह एहसास पैदा होगा कि सरकार ने सचमुच में वह किया है जो उसने वायदा किया था। यह बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, यह बात हमारे मेनिफेस्टो में भी कही गयी है जिसके द्वारा हमने इलेक्शन में वायदे किये हैं। उसमें यह कहा गया है कि हम इस

यूनिवर्सिटी का माइनोरिटी करेक्टर मेन्टेन करेंगे । फिर मैं नहीं समझता कि क्या वजह है जो ऐसा नहीं किया जा रहा है ? अगर माइनुटली इसी बिल को और जो दूसरा बिल हैं उन दोनों को देखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं है । मैं पढ़ता हूं जो कि बिल में है—

"विश्वविद्यालय का अर्थ वह शैक्षिक संस्था है, जो मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल कालेज अलीगढ़ के रूप में भारतीय मुस्लिमों द्वारा आरंभ की और इस अधिनियम द्वारा 1920 में संविधान में निहित की गई ।"

जैसा चाहा जाता है, उसकी यह लेंगुएज है :

"विश्वविद्यालय का अर्थ स्वयं के अनुरूप उस शैक्षिक-संस्था से हैं, जो भारतीय मुस्लिमों द्वारा स्थापित की गई, मोहम्मडन एग्लो ओरियंटल कालेज अलीगढ़ के रूप में आरंभ हुई और तत्पश्चात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में बदल गई ।"

मैंने इस सिलसिले में अपने आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर से बात की है । उन्होंने भी कहा है कि इन दोनों में कोई फर्क खास नहीं है । मेरी प्रार्थना है कि जब कोई खास फर्क नहीं है तो माइनोरिटी कम्युनिटी के दिलो दिमाग में जो शक है उसको दूर करने में उनको कोई एतराज नहीं होना चाहिए और उसको दूर कर दिया जाना चाहिए । सारी की सारी बात तो आपने कर दी है लेकिन एक यह थोड़ी सी बात जो रह गई है, इसको भी आप खत्म कर दें ।

आपने एक माइनोरिटी कमिशन भी बनाया है । उस माइनोरिटी कमिशन का भी एक मकसद है जिसको सामने रख कर उसको बनाया गया है । बिना मक्सद वह नहीं बनाया गया है । उस कमीशन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक अपनी रिपोर्ट भी आपको दी है । मेरी आपसे गुजारिश है कि उस कमिशन की रिपोर्ट के मुताबिक और उसकी सिफारिशों को अमली जामा पहनाने के लिए उसकी जो सिफारिशें हैं उनको आप इस मौजूदा बिल में इनकारपोरेट करें । अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक बात जरूर दिलोदिमाग में पैदा हुए बगैर नहीं रहेगी कि इस कमिशन का क्या मतलब है ? दूसरे इशूज पर भी अगर यह कमिशन अपनी रिपोर्ट देगा तो हो सकता है कि उसकी रिपोर्ट के बमुजिब सरकार असल न करे । इस वास्ते मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब कमिशन हमने मुकर्रर किया है और हमारी यह मंशा थी कि कमिशन जो रिपोर्ट देगा उसके मुताबिक हम काम करेंगे तो माइनोरिटी कम्युनिटी के दिलोदिमाग में यह भावना पैदा करने के लिए कि कमिशन की रिपोर्ट पर अमल किया जाएगा, उसकी शुरुआत आप यहीं से करें और माइनोरिटी कम्युनिटी के दिलोदिमाग में किसी किस्म का शक पैदा हो, इसका आप मौका उसको न दें ।

यह जो कहा गया है कि यह माइनोरिटी की इंस्टीट्यूशन नहीं है बल्कि यह एक एक्ट की पैदावार है, उसके बारे में मैं अर्ज करूंगा कि हिन्दुस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास, बनारस, अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज हैं और इस तरह से और भी बहुत सी हैं । मैं बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि कलकत्ता, मद्रास वगैरह जितनी यूनिवर्सिटीज हैं और अलीगढ़ और बनारस यूनिवर्सिटीज हैं, इन दोनों के कारेक्टर में, इन दोनों की नेचर में फर्क है ।

यह नहीं कहा जा सकता है कि सब को एक सा दर्जा दिया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी की बुनियाद पंडित मदन मोहन मालवीय ने डाली थी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सर सैयद अहमद ने डाली थी। यही बाद में चल कर यूनिवर्सिटी बनी है। इस सिलसिले में मैं कुछ डाकुमेंटरी प्रूफ आपके सामने पेश करूंगा जिससे साबित हो जाएगा कि सचमुच में इस यूनिवर्सिटी में माइनोरिटी कम्युनिटी ने सरमाया लगाया, पैसा उसने लगाया। यह बात जरूर है कि पैसा देने वालों में मुल्क के बहुत से लोग शामिल थे। 1911 में एक—कमेटी बनी जिसका मकसद यह था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाए। उस कमेटी ने बहुत से लोगों से कारेसपोंडेंस की। यह पत्र दस जून 1911 का है जोकि एच ई दी वाइसराय ने सैक्रेटरी आफ स्टेट को लिखा था। इस में उन्होंने कहा था :

"अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन, हम इस विषय पर अध्यक्ष महोदय को सम्बन्धित करना चाहते हैं। आगा खान और दूसरे चोटी के मुस्लिमों ने इस आंदोलन का बहुत सफलता से संचालन किया और हम समझते हैं कि पच्चिस लाख रुपए की राशि का वचन दिया गया है और बहुत अधिक धनराशि मिलने की संभावना, है," 25 लाख रुपए इसमें देने की बात कही गई थी, अब जो जनाब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का 18 जुलाई, 1911 को आया उसमें उन्होंने यह लिखा था :

"अलीगढ़ में विश्वविद्यालय। आपका 10 जुन का टेलीग्राम। मैं सैद्धांतिक रूप से अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति देता हूं··· ।"

कमेटी ने एप्रोच किया और कहा कि 25 लाख देंगे, इनके अलावा और भी रकम दी जाएगी।

खाली यही नहीं, इसके बाद एक और लैटर है। मैं यह साबित करूंगा कि इसमें जो सरमाया लगा, यहां की इमारत में और ऐक्विपमेंटस में, उस वक्त की सरकार का बराये नाम हाथ था, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ उस कमेटी ने ही किया था। यह लेटर है 2 नवम्बर, 1911 का जो कि सेक्रेटरी आफ स्टेट ने लिखा था।

"जहां तक वित्त का प्रश्न है ऐसा स्वीकार किया जाता है कि एक विश्व विद्यालय जिसमें 1,000 छात्र हैं (उस विद्यालय के साथ जो पहले से है), किसी भी स्थिति में 5 लाख रुपये से कम की आवश्यकता नहीं होगी। इस दस्तावेज के साथ संलग्न वित्तीय वक्तव्य में, यह देखा जा सकता है कि महाविद्यालय की वर्त्तमान आय (विद्यालय को मिलाकर) 2,19,000 रुपये के लगभग है।" और उस वक्त या ऐंग्लो मोहमडन ओरियंटल कालेज।

"हम विश्वविद्यालय को चलाने की एक शर्त्त रखना चाहते हैं जिसके अनुसार 30 लाख रुपये की राशि पूंजी व्यय के रूप में भवन इत्यादि, पर इस कोष में से या अलग से चंदा करके लगायी जाये। इसके साथ शुल्क की अनुमानित वृद्धि इत्यादि के साथ, विश्वविद्यालय के कोष के लिए लगभग 3,80,000 रुपये की राशि उपलब्ध हो जायेगी। हम एक लाख रुपये की वार्षिक

धनराशि देकर इस अभियान से सम्बन्धित होना चाहते हैं। इस प्रकार वार्षिक आय की शेष राशि केवल 20,000 रुपये ही है जो कि 5½ लाख से अधिक के निवेश को दर्शाती है। यह देखते हुये कि सर सैयद अहमद खां की मृत्यु के पश्चात् से महाविद्यालय की आय 70,000 रुपये से 2,00,000 रुपये से भी अधिक हो गयी, इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्याप्त निधि हमेशा उपलब्ध होती रहेगी। इसलिए हम यह सिफारिश करते हैं कि विश्वविद्यालय को इस शर्त पर स्थिति पर मंजूरी दी जाये कि वह तीस लाख रुपये का निवेश करेगा।" तो इस तरह से साबित होता है कि जो कुछ भी सरमाया लगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वह ऐंग्लो मोहमडन ओरियंटल कालेज का था जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। तो यह कहना कि 1920 के ऐक्ट से यह यूनिवर्सिटी बनी, ऐसा नहीं है। बल्कि यह ऐकट इसलिये बना ताकि उसकी फंक्शनिंग को रेगूलेट किया जायू, जो डिग्री यूनिवर्सिटी दे उसको कनफर्म करने के लिये इजाजत दी जाय। यह मतलब नहीं है कि सरकार ने उसको कायम किया। दरअस्ल उसको माइनारिटी कम्युनिटी ने कायम किया था।

एक बात और कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि यह बहस का तीसरा दिन है और हाउस में ज्यादातर मेम्बरान ने इस बिल को सपोर्ट किया है। मैं समझता हूं किसी बिल को हाउस में लाने का मंशा यही होता है कि यह देखा जाय कि हाउस की क्या ओपीनियन है। और उसकी ओपीनियन का आनर करना चाहिये। और जैसा हमने देखा मेजारिटी मेम्बरान ने इसको सपोर्ट किया, और इसके माइनारिटी कैरेक्टर के लिये सब ने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनारिटी कैरेक्टर मेन्टेन होना चाहिये। इसलिये हाउस के मेम्बरान के जो ख्यालात हैं और जज्जबात हैं उनका एहतराम करते हुए, जैसी कि गेमाइनारिटी कमीशन की रिपोर्ट भी आयी है उसके मुताबिक माइनारिटी कैरेक्टर मेन्टेन करने के लिये अमेंडमेंट खुद सरकार की तरफ से आना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल रेड्डी।

श्री चित्त बसु : मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : छोटे दलों का समय समाप्त हो गया।

श्री चित्त बसु : कल सभापति ने मेरा नाम लेते हुए कहा था कि मुझे बोलने दिया जएगा।।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मावलंकर और आप दोनों एक ही श्रेणी में थे।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष जी, में बाअदब तरीके से अर्ज करना चाहता हूं माननीय लियाकत हुसैन साहब से जो इस हाउस के नये मेम्बर हैं उनका यह कहना कि 30 साल से लगातार मुसलमानों के साथ और अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के ऊपर हमला किया जा रहा है कांग्रेस हुकूमत की तरफ से, यह सही नहीं है। और अगर पंडित नेहरू को भी यह कहते हैं कि वह भी मुसलमानों के हुकूक पर हमला कर रहे हैं. मेरे ख्याल में इससे

ज्यादा और कोई गलत बात नहीं होगी। पार्टीशन के पहले से भी और उसके बाद भी पंडित नेहरू ने जो खिदमत इस देश के हर सेक्शन की, जिसमें मुसलमान, हिन्दू, पारसी, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं, इन सब की उन्होंने खिदमत की है। अभी आप बच्चे हैं, आपके पिताजी या आपके दादा जी अगर हैं तो उनसे पूछिये।

श्री सोम नाथ चटर्जी : कौन बच्चे हैं ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अभी नौजवान हैं, अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। यह कहना कि शुरू से लेकर आखिर तक, 30 साल के ऊपर जो हमलाकर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। अब उर्दू, इस्लाम इन सब का अलीगढ़ के साथ सम्बन्ध है, तो उर्दू तो मैं भी बोलने वाला हूं और आपसे अच्छा उर्दू लिखने वाला हूं, अगर कभी मौका मिले तो मैं भी तैयार हूं। इस वास्ते यह कहना कि उर्दू मुसलमानों की जबान है और सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही इसका सम्बन्ध है, वही उर्दू को जिन्दा रख सकता है, यह बात बिल्कुल गलत है।

एक माननीय सदस्य : यह कौन कह रहा है ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : उर्दू का सिर्फ मुसलमानों के साथ ही सम्बन्ध नहीं है, उर्दू जानने वाले बहुत से अभी हैं, उर्दू पढ़ने वाले हिन्दू लोग ज्यादा हैं मुसलमानों की बनिस्बत। आपका यह कहना कि माइनोरिटी कैरक्टर होना चाहिये, अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों की है तो उसकी हिफाजत करेंगे तो यह जिम्मेदारी हर फर्द की है। यह आपकी ही नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। सब की है। जितने लोग इस मुल्क में रहते हैं, उन सब की जिम्मेदारी है। अगर एक माइनोरिटी इंस्टीट्यूशन है तो उसकी देखभाल होनी चाहिये, उसको इज्जत मिलनी चाहिये, उसको तरजीह मिलनी चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में हमारा पैसा लगा हुआ है। मैं हैदाराबाद का आदमी हूं और इनमें निजाम का पैसा लगा हुआ है। दोनों को निजाम बराबर पैसा देते थे। आप पुराने खाते खोलकर देखिये, इनमें हैदराबाद का पैसा लगा हुआ हैं। वह पैसा मेरा है इस वास्ते यह कहना चाहिये कि हिन्दू मुसलमान सब लोगों ने उसकी तरक्की के लिये काम किया है।

अपने देश में बहुत से लोग हैं, हर आदमो को हर तरीके से मजहबी होना चाहिये। अगर इसमें कोई फर्द कमजोर हो जाता है, तो उस हद तक मुल्क कमजोर हो जाता है। अगर मुसलमान पिछड़े हुए और बैकवर्ड रहें तो उस हद तक भारत देश, यह मुल्क, हिन्दुस्तान पिछड़ा हुआ रहता है। इस वास्ते हर आदमी की अगर तरक्की हो जाये तो उसका मतलब है कि मुल्क की तरक्की होती है।

मैं अपने एजूकेशन मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूं। इस बिल से यह हुआ है कि मुसलमानों के जजबात को जो जरब पहुंचा था, ठेस लगी थी, वह जरब और ठेस दिलों से वह निकाल रहे हैं। यह बहुत बड़ा काम है। आपको कितना फायदा होता है, यह बड़ी बात नहीं

है, दिल में से बदगुमानी जो थी, उसको निकालना बड़ा काम है। इसे हमारे मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट जो निकाल रही है, वह बहुत बड़ी खिदमत है। इस वास्ते मैं मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो कदम उठाया है वह बहुत मुबारक कदम है।

श्री रामजीलाल सुमन : आप निजाम के पुत्र हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य : हैदराबाद के आदमी हैं, हिन्दू हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं अच्छा खासा हिन्दू हूं, 100 फीसदी हिन्दू हूं।

श्री रामजी लाल सुमन : आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, उससे लगा कि आप निजाम के पुत्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं देखता हूं यह एकदम विषय से हट कर है। उन्हें पुरा करने दीजिए। बहुत कम समय शेष है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मैं एक अच्छा मजहबी आदमी हूं। कोई भी मजहब हो, दूसरे मजहब की मैं इज्जत करता हूं और अच्छा मजहबी होना मैं मुनासिब समझता हूं क्योंकि जो अच्छा मजहबी है, वह अच्छा देशभक्त हो सकता है।

इस वास्ते लियाकत हुसैन साहब ने जो कहा है कि हर तरफ से बिल की ताइद हो रही है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इज हन्डरेड परसेंट कैरक्ट।

मैं अपने मिनिस्टर को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूं कि वह एक अच्छा बिल लाये हैं और इस बिल के पास होने के बाद हमारे मुल्क में एक अच्छी फिजा पैदा होगी जिससे हम एक होकर और अच्छे-अच्छे काम कर सकते हैं। यह एक अच्छा कदम है, मुबारक कदम है, इसलिये मैं मिनिस्टर साहब को दिली मुबारकबाद देता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुझे बहुत कम समय दिया गया है।

मेरे विचार से सदन को इस विधेयक से सम्बन्धित दो महत्वपूर्ण विषयों को देखना है।

(1) क्या विधेयक ये दायित्व उठाता है, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वह अल्पसंख्यक विशिष्टता जो अधिनियम 30 (1) में निहित है, को पर्याप्त रूप से प्रदान किया जायेगा।

(2) क्या वह प्रजातांत्रीकरण, जो सरकार लागू करना चाहती है विश्वविद्यालय की शैक्षिक स्वतंत्रता और स्वाधीनता को बनाये रखने के लिए प्रर्याप्त होगा।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं विशेष मुद्दों की ही चर्चा करूंगा। माननीय मंत्री ने सौभाग्यवश इस विधेयक के दो पहलुओं का जिक्र किया। इस विधेयक के लिए तथ्यों को जांचते हुए मैं उन्हें उद्धृत करूंगा :

"मैं 1951 के संशोधन में जो स्थिति थी उसे वापिस लाने का प्रयत्न कर रहा हूं,"

मेरा प्रश्न है : क्या 1951 की स्थिति, अल्पसंख्यकों की, विशेष रूप से हमारे देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं को उपयुक्त रूप से पूरा करती है ? मेरा उत्तर है : नहीं, जो कि इस बहस में भाग लेने वाले वाले बहुत से माननीय सदस्यों के भाषणों से प्रमाणित होता है ।

मैं फिर कहता हूं कि वह 1951 की स्थिति को वापिस लाना चाहते हैं । वह लगभग 3 दशाब्दी पीछे जा रहे हैं । स्थिति में बहुत सीमा तक सुधार हुआ है और, इसलिए, मेरे विचार में विधेयक सदन के लिए उपयुक्त नहीं है । उन्होंने अपने अवलोकन में फिर कहते हैं :

"हम मुस्लिम वर्ग को 1951 के पश्चात् की वह स्थिति देना चाहते हैं जिसका उन्होंने उपभोग किया, और अल्पसंख्यक विशिष्टता" हमारा तात्पर्य यही है ।

यह स्वीकार किया जाता है कि माननीय मंत्री स्वयं मानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को यह अहरनीय अधिकार है कि वह अपनी अल्पसंख्यक विशिष्टता का उपभोग करे। फिर भेद क्या हुआ ? भेद यह है कि वास्तव में अल्पसंख्यक विशिष्टता से क्या तात्पर्य है— क्या यह अधिनियम 30 (1) के अंतर्गत है या उनके द्वारा दी गयी व्याख्या में है। वह फिर कहते है :

"अल्पसंख्यक विशिष्टता की परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी गई । इसकी परिभाषा किसी भी संविधि में नहीं दी गई हैं ।"

मुझे खेद हैं कि माननीय मंत्री की यह व्याख्या उनकी मानसिक स्थिति को प्रकट करती है या उनके सोचने की अस्पष्टता को प्रकट करती है । एक बार वह मानते हैं कि अल्पसंख्यक विशिष्टता विश्वविद्यालय की विशिष्टता है ; परन्तु वे यह भी स्वीकार करते हैं कि वे इसे मान्यता नहीं देते क्योंकि यह हमारे संविधान में परिभाषित नहीं है ; न ही यह किसी अधिनियम में परिभाषित है । मुझे इसके विस्तार में नहीं जाना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप के पास विस्तार में जाने के लिए समय ही नहीं है ।

श्री चित्त बसु : वह फिर अपनी बात बदल देते हैं और कहते हैं कि विश्वविद्यालय का बहुत से अधिकारों में, स्वतंत्रता का लक्ष्य होना चाहिए, विशेष रूप से, भारतीय मुस्लिमों को शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रोत्साहन देने के लिए । लेकिन इसे संस्था को अल्पसंख्यक विशिष्टता के अर्थ में नहीं लिया जा सकता ।

इसलिए, मेरे विचार से वह अभी भी उलझन की स्थिति में हैं । मैं आशा करता हूं कि उत्तर देते समय वे इस मुद्दे को स्पष्ट करेंगे कि विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक विशिष्टता से उनका क्या आशय है ।

महोदय, कुछ सुझाव दिये गये हैं कि यदि अधिनियम 30 (1) के अंतर्गत अल्पसंख्यक विशिष्टता का दायित्व उठाया उठाया जाता है तो संसद इस विश्वविद्यालय के लिए किसी प्रकार का अधिनियम या विनिमय बनाने के योग्य नहीं रहेगी। महोदय, मेरे पास समय नहीं है। परन्तु, बहुत से माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आधार पर संसद को व्यवस्थापकीय नियम बनाने से रोका नहीं जा सकता तथा विशेषकर उस स्थिति में, जबकि विश्वविद्यालय के कार्यकरण में अव्यवस्था व्याप्त हो। ऐसा फिर से महसूस किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकता और धर्म निरपेक्षता—दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। मैं इससे सहमत नही हूं कि अल्पसंख्यक विशिष्टता की पुष्टि करने से देश की धर्म निरपेक्ष शक्तियां और मजबूत नहीं होंगी। अनेक शंकायें व्यक्त की गई हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय का प्रजातन्त्रीकरण साथ-साथ नहीं चल सकता। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह भी गलत है। यह बुरा भी है।

विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यकता और स्वायत्तता से सम्बन्धित, विधेयक में कुछ त्रुटियां हैं, जैसा कि इस सभा के कई सदस्यों ने पहले ही कहा। मैं, इसलिए, माननीय मंत्री से, इस सम्बन्ध में भी तत्परता से आग्रह करूंगा कि वे श्री बनतवाला के विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार करें ताकि हम समुचित रूप से सावधानीपूर्ण विचार कर सकें और उसमें सुधार कर सके, तथा अल्पसंख्यक वर्ग के मस्तिष्क में व्याप्त उन संदेहों को दूर कर सके, जिनका उल्लेख अभी अभी अनेक सदस्यों द्वारा किया गया हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विधान का स्वागत किया है क्योंकि हमने उन गलत कामों को सुधारने की कोशिश की है जो कि अधिनियम 1965 तथा 1972 के अन्तर्गत इस महान विश्वविद्यालय के प्रति किए गए थे।

उद्देश्यों तथा कारणो के विवरण में, मैंने स्पष्ट रूप से बताया है कि हम विश्वविद्यालय की उस स्थिति को बहाल करना चाहेगे जो कि 1951 के अधिनियम बाद थी। उस अधिनियम को इस देश के शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने पुरःस्थापित किया था तथा पारित किया गया था

बहुत से सदस्यों ने बताया है कि इस विधेयक में बहुत स्वागतयोग्य बातें हैं। मेरे माननीय मित्र श्री बनातवाला ने भी विधेयक का स्वागत किया है परन्तु साथ में कुछ संशोधनों का सुझाव भी दिया है। आरम्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों जैसे श्री वयालार रवि श्रीमती मोहसीना किदवई तथा आज हमारे युवक मित्र श्री लियाकत हुसैन का यह कहना सही नहीं है कि हमने इस विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करने के लिये हमारे चुनाव घोषणा पत्र में कोई वायदा किया था। मैंने उसका पता लगाने की कोशिश की थी जो चुनाव घोषणा-पत्र में अन्तर्विष्ट तथा उनमें से बहुत से लोगों के लिए यह आश्चर्य जनक जानकारी होगी कि इस पुस्तक में जो अब मेरे सामने है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। मैंने यह पता लगाने की कोशिश की थी कि क्या उत्तर-प्रदेस के

घोषणा-पत्र में अलग से कोई उल्लेख किया गया था। परन्तु मुझे विश्वसनीय सत्र से पता लगा है कि उसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। फिर भी हम इंकार नहीं करते हैं कि हमारे दिमाग में यह बात निश्चय ही रही है कि इस विश्वविद्यालय के बारे में जो कुछ गलत किया गया था उसे समाप्त करके 1951 के अधिनियम से पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाये।

महोदय, मैंने अपने प्रस्तावना-भाषण में कहा है कि मैंने स्वयं अल्पसंख्यक समुदाय के अपने मित्रों की मांग का समर्थन करने के लिए शीघ्र 1972 के बाद प्रस्ताव का समर्थन किया था।

अब एक-एक प्रश्न उठाया गया है। कि हम इस प्रस्ताव को बड़ी देर में क्यों लाए हैं। महोदय, इस विश्वविद्यालय से संबंधित अनेक प्रतिवेदन थे। इस विश्वविद्यालय के बारे में बेग समिति का प्रतिवेदन था जिनमें कई सुझाव दिये गये हैं। खुसरो ससिति का भी प्रतिवेदन है जो अधिनयम के अनेक उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत कानून के बारे में है। हमें इन प्रतिवेदनों पर बड़े ध्यान पूर्वक विचार करना था। जब से हमने कार्य सम्भला तबसे बहुत आभ्यावेदन आ रहे थे और दो दर्जन से अधिक मुझे शिष्टमंडल मिल चुके हैं। डा० खूसरो वर्तमान उप-कुलपति तथा खुसरो समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत महत्वपूर्ण सदस्यों के साथ मुझे से मिले थे तथा समय-समय पर हमने इन सब मामले पर विचार विमर्श किया तथा हमने कोई सामान्य विचार बनाने का प्रयास किया जिसको प्रस्तावित विधेयक में शामिल किया जा सके। इसलिए इसमें कुछ समय लग गया। तब बेग समिति ने भी अनुरोध किया कि परिभाषा को बदल दिया जाना चाहिए तथा हमें ऐसा करने में कुछ कठिनाई अनुभव हुई। अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ 15 पर यह उल्लेख है और में उसे उद्युत करता हूं :—

"फिर भी किसी न्यायालय या न्यायधिकरण के किसी निर्णय डिग्री अथवा आदेश के विपरीत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपनी रुचि की शैक्षिक संस्था के रूप में भारत के मूस्लिम अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित समझी जाएगी।"

यह एक विचार है जिसका बेग समिति के प्रतिवेदन में उल्लेख है। खुसरो समिति उससे सहमत नहीं थी, खुसरो समिति ने धारा 2 (प) में प्रत्यक्ष रूप से परिभाषा को सुलझाया तथा कहा :

"विश्वविद्यालय का अर्थ भारत के मुस्लिमों द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है।" इसके बाद में फिर अल्पसंख्यक आयोग ने भी अपनी परिभाषा की। इन सबने कुछ भ्रम उत्पन्न कर दिये और हमने यह जानना चाहा कि उपयुक्त परिभाषा क्या हो सकेगी। प्रो० खुसरो तथा अल्प संख्यक समुदाय के बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों के साथ हुई बहस के फलस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परिभाषा सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिम्बित करेगी जो मैंने इस विधेयक में सुझाई है। परिभाषा पर मेरे माननीय मित्र डा०रामजी सिंह द्वारा टिप्पणी की गई है। श्री लियाकत हुसैन सही नहीं है जब वह यह कहता है कि मैंने उन्हें बताया कि मैंने जो परिभाषा विधेयक में दी है तथा जो श्री बनातवाला द्वारा परिभाषा दी गई है उनमें कोई अन्तर नहीं है। मैं इस मुस्लिम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक मूल बताता हूं। इसका जन्म मोहम्मडन एंग्लो ओरियन्टल कालेज के रूप मे हुआ था तथा बाद में यह इस संस्था के रूप में परि-

णत कर दी गई। श्री बनतवाला के विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह विश्वविद्यालय स्वयं ही शैक्षिक संस्था है जो भारत के मुस्लिमों द्वारा बनाई गई थी। तथा अधिनियम 1920 के द्वारा इसे शामिल किया गया था। अब श्री बनातवाला की बात से उच्चतम न्यायालय सहमत नहीं है मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में व्यापक रूप से नहीं करना चाहता हूँ। दुर्भाग्य वश मेरे मित्रों के लिए (जो यह कह रहे हैं कि यह संस्था अल्पसंख्यक संस्था है जोकि संविधान के अनुच्छेद 30, उप-खण्ड (1) के अन्तर्गत बनाई गई है। तथ्य यह है कि जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय में इसका उल्लेख गया है। हमने अधिनियम 1951 की स्थिति बहाल करने का प्रयत्न किया है/रहे हैं। यदि अधिनियम 1920 अथवा अधिनियम 1951 में इस संस्था ने कुछ अल्पसंख्यक स्वरूप रखा था—वह अल्पसंख्यक स्वरूप जो भी हो—हम उसे अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में मैं अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन का भाग पढ़ना चाहूंगा जो पृष्ठ आठ पर दिया गया है, में इस प्रकार है।

"इस प्रकार अधिनियम 1020 ने विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को मान्यता दी। दूसरे शब्दों में सरकार तथा विधान मंडल ने विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को मान्यता दी।"

इसके बाद फिर पृष्ठ 9 पर स्वीकृति के साथ चटर्जी समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए अल्प संख्यक आयोग ने कहा है

"इस धारा के अनुसार न्यायालय के सदस्य होने के लिए गैर-मुस्लिमों पर पुराने अधिनियम द्वारा थोपी गई अनर्हताएं को हटा दिया गया था। अधिनियम को सशोधित करने के बारे में नोट करने योग्य मुद्दा यह है कि संविधान की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिनियम के उपबंधों को लाते समय इसने मुस्लिमों के शैक्षिक विकास के लिए मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में अपने मौलिक स्वरूप को नहीं बदला।"

इसलिए अधिनियम 1920 तथा अधिनियम 1951 के अन्तर्गत इस विश्वविद्यालय को जो अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान किया गया है, प्रस्तुत विधेयक के माध्यन से केवल उसे बहाल किया जा रहा है अतः मुझे समझ नहीं आता कि विवाद कहां है? जिसके लिए वास्तव में विवाद उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुआ है और इस निर्णय को श्री बनातवाला सहित कुछ माननीय सदस्यों द्वारा चुनौती दी गई है। यह कहा गया है कि वि० सीखाई द्वारा न्यायालय के इस निर्णय की आलोचना की गई थी अब यहां उच्चतम न्यायलय का सर्वसम्मत निर्णय है। कांउसल की राय चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बड़ी नहीं हो सकती अब यह निर्णय केवल उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णय बदला जा सकता है। अल्पसंख्यक आयोग ने उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों का उल्लेख किया है जो उनके अनुसार अजीज बाशा के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदल देगा। और जैसा कि श्री नथवानी ने सही रूप से बताया है कि ये निर्णय विशेष मामलों में लागू नहीं होते हैं। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का यह मामला एक संस्था से संबंधित है जो विधान मंडल के अधिनियम द्वारा बनाई

गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है जबकि अन्य मामलों में वे समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत कुछ नियमों तथा अधिनियमों के अधीन कुछ समिति अथवा निकाय के अन्तर्गत स्थापित की गई संस्थायें हैं। तथा ऐसे ही और हैं। वे संविधिक निकाय नहीं हैं। इसलिए वे निर्णय इस विशेष प्रकार की संस्था पर लागू नहीं होते हैं जो अब हमारे सामने है। मेरे मित्र श्री जेठमलानी ने अजीज बाश के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। मैं अपने बुद्धिमान मित्र को यह कहते सुनकर आश्चर्य चकित रह गया कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय कुछ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत झूठे शपथ पत्रों के आधार पर दिया गया था। इतने याचिका दायर करने वालों तथा इतने आवेदकों को उच्चन्यायालय के समक्ष अपने दावे को स्थापित करने के लिए अपने प्रत्या-शपथ पत्रो दायर करने से किसी ने रोका था क्या ? उच्च-न्यायालय ने सही रूप से तथ्यों को स्वीकार किया जो इन व्यक्तियों द्वारा दायर किए गए शपथ पत्रों में बताये गए हैं तथा इस लिए यह कहना श्री जेठमिलानी की ओर से सही नहीं है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय झूठे शपथ-पत्रों पर आधारित था उच्चतम न्यायालय ने उन तथ्यों पर निर्णय दिया जिनकी उच्च न्यायालय ने पहचान की थी इसलिए यह स्थिति है। और मैं नहीं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय कैसे गलत समझा जा सकता है। कोई कहे हम उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदल सकते हैं। संसद के पास उच्चन्यायालय के निर्णय को बदलने के बड़े अधिकार हैं-जैसा कि अन्य मामलों में किया जा चुका है। संसद के पास ऐसा करने का निश्चित रूप से अधिकार है। परन्तु वर्तमान में यह मौलिक अधिकारों का प्रश्न है— अल्पसंख्यकों के एक भाग अथवा सारे अल्प संख्यकों के अधिकार तथा जैसा जाप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को संसद के अधिनियम द्वारा घोषित या बनाया नहीं जा सकता है। मेरे निवेदन में संविधान के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा केवल यह घोशित किया जा सकता है। इसलिए श्री नथवानी ने बताया कि यदि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कोई शरारत निहित है तो उच्चतम न्यायालय को या तो अपना निर्णय बदलना चाहिए या संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। यह संविधान का मामला होगा न कि साधारण विधान का जिसके द्वारा ये विशेष अधिकार इस विश्वविद्यालय को दिए जाने चाहिए।

श्री जी० एम बनतवाला (पोन्नानी) : क्या आप संविधान को संशोधित करने के लिए तैयार हैं?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : चाहे मैं तैयार हूं अथवा नहीं, यह तो कोई बात नहीं। यह निर्णय लेना तो सदन का काम है। आप संविधान संशोधन विधेयक ला सकते हो यदि आप ऐसा करने के इच्छुक हो। आप वैसा कर सकते हैं यदि आप संसद के दोनों सदनों को मनवा सकते हो। वह निश्चित रूप से किया जा सकता है। परन्तु जहां तक सदन निर्धारित नहीं करता है तो हम इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है जो श्री बनतवाला तथा उसके समर्थकों द्वारा पेश की जा चुकी है। अब मैं अल्पसंख्यक स्वरूप के अन्य पहलुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं कुछ अन्य मुद्दों का जिक्र करना चाहूंगा जो महत्वपूर्ण हैं परन्तु जो इस अल्पसंख्यक स्वरूप से संबंधित नहीं है। यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि हम इस संस्था को वापस लोकतांत्रिक स्वतंत्रता वापस लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका उल्लेख अधिकांश

माननीय सदस्यों के द्वारा किया गया है। परन्तु माननीय सदस्य श्री सौगतराय के कुछ संदेह थे तथा शायद मूल विधेयक में कुछ सीमायें हैं। मैं इससे सहमत हूं परन्तु उसके बाद जब यह अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए। हमने इनमें से बहुत से सुझाव स्वीकार किए हैं उसके अतिरिक्त पहले सप्ताह इस सदन के तथा दूसरे सदन के भी कुछ सदस्य मुझसे मिले थे तथा उन्होंने अध्यक्ष तथा अन्य के बारे में मुझे कुछ सुझाव दिये थे तथा मैंने यथा संभव तथा एक विशलेषण के आधार पर, इस संस्था के प्रबंध को अधिक लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए अनेक सुझाव सहीरूप से स्वीकार किए हैं तथा हमने सरकारी प्रबंध पर ध्यान देने के बाद मैंने संशोधन को सभापटल पर रख दिया है। यदि सदन इन संशोधनों को स्वीकार करता है तब न्यायालय में 23 पदेन सदस्य होंगे, 20 सदस्य ऐसे होंगे. जो वरिष्ठता के अनुसार क्रम से होंगे, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 72 होगी, नाम निर्देशित सदस्य केवल 10 होंगे तथा कुल सदस्य संख्या 125 होगी। कार्यकारी परिषद में 5 पदेन सदस्य होंगे, वरिष्ठता के अनुसार क्रम से होंगे तथा इसके लिए 6 सदस्यों की व्यवस्था की जायेगी, 8 निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान होगा तथा चार नाम निर्देशित सदस्य होंगे। अर्थात 23 सदस्यों की संस्था में से 4 सदस्यों का नामांकन किया गया है। अब कार्यकारी परिषद की कार्यकारिणी में पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष तथा अन्य जो वरिष्ठता के अनुसार क्रम से होंगे, साफ तौर से इस विश्वविद्यालय के रोजमर्रा के प्रशासन से समबद्ध होंगे। इसलिए उन्हें अपेक्षित महत्व दिया गया है तथा लोकतंत्र के विचार के विरुद्ध नहीं है इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करता है कि न्ययालय जो अब फिर सर्वोच्चतम कार्यकारिणी बना रहा है, इस कार्यकारिणी में लोकतांत्रिक तत्व को आज प्रतिबिंबित करने के लिए निर्वाचित सदस्यों को रखना पड़ेगा। अब माननीय सदस्य बनातवाला ने मेरी आलोचना की कि एक ओर तो मैं सर्वोत्तम कार्यकारिणी को न्यायालय का दर्जा देना चाहता हूं तथा दूसरी ओर मैं अधिकारों को बनाने के कानून को समाप्त कर रहा था क्योंकि कानून को विजिटर की पहली स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए तथा इस संबंध में वह मेरे से बहुत क्रुद्ध थे अब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मेंने इसमें कोई जैसा कि बात गलत की है मैंने पहले कहा है, हम उस स्थिति को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं जो 1951 के अधिनियम बाद थी। मेरे समक्ष अधिनियम 1951 है तथा यहां धारा 28 में जो कानूनों के बारे में है, हम वही उपबन्ध पाते हैं जो मैं वर्तमान विधेयक में पुरःस्थापित कर रहा हूं। हम धारा 28 की उपधारा 6 में यह उपबंध पाते हैं :

"प्रत्येक नये कानून या जोड़ना या कानूनों या कोई संशोधन या कानून के निरसन को विजिटर की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी जो और विचार करने के लिए स्वीकृत करे अनुमति न दे या दे।"

इसलिए यह देखा जाएगा कि अधिनियम 1951 में विजिटर की पूर्व अनुमति का उल्लेख किया गया है तथा यह अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उपबन्धों के पालन करने में भी किया गया है। विचार यह है कि कोई कानून निश्चित रूप से नहीं लाया जा सकता है जबकि समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा हो तथा विशेष रूप से जिसमें वित्त शामिल हो क्योंकि ये सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय को कुल मिलाकर केन्द्रीय सरकार द्वारा खजाने से धन

दिया जाता है । वे जिनकी निधि बनाने की कोई जिम्मेवारी नहीं है, खर्चों तथा विभिन्न मामलों को सरकार पर न डाले । इस प्रकार हमने बातो को पुनः लागू करने की कोशिश की है जो अधिनियम 1951 में थी । इसलिए माननीय श्री बनतवाला का यह कहना सही नहीं है कि मैंने कोई गलत काम किया है । यदि कोई गलत किया गया था तो यह तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था वह जैसा मैंने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विचार के प्रयोजकों में से एक थे । 1910 तथा 1920 के बीच वह उन मुख्य सदस्यों में से एक थे जिन्होंने मांग की थी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए । यदि उसने कुछ किया है, तो मैं समझता हूं कि यह संस्था के हित में था, तथा इसलिए हमें उस स्थिति को बहाल किया जाना चाहिए ।

कुछ अन्य छोटे मामले हैं जिनका उल्लेख किया गया है । उदाहरणार्थ अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ का प्रश्न । अल्पसंख्यक आयोग हमारे द्वारा गठित किया गया था तथा हम इसके लिए महान सम्मान रखते हैं । परन्तु उसका अर्थ यह नहीं है कि कोई विधेयक जो तैयार किया जाएगा, उसकी अल्पसंख्यक आयोग से या उस मामले के लिए किसी अन्य आयोग से जांच करानी पड़ेगी परन्तु हम पर्याप्त समय में परामर्श लेगें । वास्तव में जो हुआ वह यह था कि संसद के समक्ष विधेयक को प्रस्तुत करने के कारण लोगों ने सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे मित्र ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वायदे से मुकर रही है । आज भी वे उसे कह रहे हैं । परन्तु वह सही नही है । अब भी सरकार इस विधेयक को लाने के लिए उत्सुक है । मैंने अल्पसंख्यक समुदाय के सभी महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया था । बाद में अल्पसंख्यक आयोग से भी मिला । जब विधेयक उनके परामर्श से तैयार किया गया था प्रायः पिछले वर्ष के बजट सत्र अर्थात 12 मई, 1978 को मैने संसद के समक्ष यह विधेयक पुरःस्थापित किया था । उससे पूर्व मैंने अल्पसंख्यक आयोग को कहा था कि वह अपने विचार दे सकता है और विचारों पर विचार-विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय होगा और विधेयक में संशोधन किया जा सकता है यदि कहीं आवश्यक हुआ । तथा यह वह है जो हमने किया है । कैसे भी अध्यक्ष ने महसूस किया कि यह उसका अपमान था । मुझे खेद है कि उन्होंने ऐसा रुख अपनाया परन्तु उसी समय मैं खुश हुआ कि अल्पसंख्यक आयोग के अन्य सदस्यों ने इस प्रस्ताव में कोई महसूस नहीं किया है । यह कहना सही नहीं होगा कि हमने अल्पसंख्यक आयोग से परामर्श नहीं किया और संसद के समक्ष विधेयक को प्रस्तुत करने में कोई गलती नहीं है । यह स्थिति है । में बहुत से संशोधन पेश करने जा रहा हूं तथा इनमें बहुत सो पर अल्पसंख्यक आयोग के अपने विचार व्यक्त करने बाद विचार किया जा चुका है । हम इन विचारों का स्वागत करते हैं । परन्तु हम उस विचार उन कारणों से स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय की परिभाषा के संबध में व्यक्त किया गया है जिन्हें मैं पहले बता चुका हूं क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाता है तथा इसमें मौलिक अधिकारों का नारा अन्तर्गस्त है । मेरी राय में साधारण विधान से यह संभव नहीं है और वर्तमान परिस्थितियों में यह वांछनीय भी नही है । अब अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत मांग की जा रही है कि अल्पसंख्यक स्वरूप की वास्तविक प्रकृति क्या

है ? कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि इस घोषणा के बाद भी इस बड़े सदन को उन मामलों पर कार्यवाही करने के अधिकार होंगे जिनका संबंध पाठ्यक्रम, शिक्षा के स्तर तथा कु-प्रशासन पर नियंत्रण करने आदि से है। यदि इस संसद को वह अधिकार है। वह क्या अधिकार है जो यह विशेष अनुच्छेद अल्पसंख्यक को प्रदत्त करेगा। यह केवल प्रशासन का मामला है। यह कुछ नहीं है बल्कि संसद में अविश्वास व्यक्त करना है जब वह यह कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को इस सदन की संयुक्त सुबुद्धि में विश्वास नहीं है जो राष्ट्र की बुद्धिमत्ता प्रतिबिंबित करती है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि साधारण रूप से यह घोषित किया जाए कि यह संस्था अल्पसंख्यक स्वरूप की है। इससे समस्या का समाधान होने वाला है। किसी भी दशा में तर्क-के लिए माना कि यह घोषित कर दिया गया है तो अल्पसंख्यक समुदाय का कौन सा भाग विश्व विद्यालय को चलायेगा ? क्या कार्यकारिणी के चुनाव के लिए मुस्लिम समुदाय के आठ व नौ करोड़ हमारे मित्रों के बीच जनमत होगा ? जो संभव नहीं है। एक बार आप कहते हैं कि यह अनुच्छेद 30(1) के अन्तर्गत अल्पसंख्यक संस्था है तब इस संसद को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा अर्थात प्रशासनिक मामले तथा न्यायालय तथा कार्यकारी परिषद के बारे यह सभी मामले शक्ति वाह्य समझे जायेंगे। वास्तव में उच्चन्यायालय के समक्ष याचिक कर्त्ताओं की यही मांग थी। इसलिए वह प्रयास जो हम कर रहे हैं सफल नहीं होगा। तब फिर 1972 का अधिनियम जहां तक इसका अधिनियम के प्रशासन तथा संरचना से है तो 1965 तथा 1951 के भी समान होगा क्योंकि उस मामले में, यह एक बार संविधान के अनूच्छेद 30 (1) के अधीन सुरक्षित अल्प-संख्यक संस्था है। इसको उस तारीख पूर्व व्यक्त प्रभाव रखना होगा। जब से संविधान लागू हुआ था तब कौन सी कार्यकारिणी होगी जो इस संस्था को चलायेगी ? क्या हमें संविधान से पूर्व के दिनों के ओर वापस आना चाहिए तथा हम अधिनियम 1920 द्वारा शासित होना चाहिए ? जो फिर बहस का मामला है —क्या पुराना अधिनियम भी अल्पसंख्यक अधिकारों के विरुद्ध जा सकता है। ये कुछ गंभीर समस्यायें हैं जिनका समना करना होगा।

इसलिए हमें इस मामले में महान्यायवादी से परामर्श करना पड़ा, और हमने यह विचार दिया कि यह वास्तव में इस विश्वविद्यालय को बड़े भ्रम में डाल देगा। तथा इस अल्पसंख्यक समुदाय तथा बहुसंख्यक समुदाय के अनेक मुकदमों का भी सामना करना पड़ेगा। यदि हम इस मुद्दे पर विचार करते हैं। यदि संविधान में सशोधन किया जाता है शायद उस समय निश्चित रूप से नई संरचना संवैधानिक संशोधन के रूप में सोची जा सकती थी और कोई समस्या न लेते। यदि उच्चतम न्यायालय स्वयं अपना निर्णय बदलता है तो मार्गदर्शी सिद्धांत बता सकता है कि कैसे संस्था चलनी चाहिए। परन्तु जैसे यह है ऐसे सुझावों को स्वीकार करना मेरे लिए संभव नहीं है जो कि हमारे कुछ बुद्धिमान मित्रों द्वारा मुझें दिए गए हैं।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। अन्त में, मैं यह बताना चाहूंगा कि इस विधेयक का उपकुलपति श्री खुसरो द्वारा स्वागत किया गया है जब मैं उसके साथ विचार-विमर्श कर रहा था उन्होंने महसूस किया कि जो भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं वह इस संस्था को अल्पसंख्यक स्वरूप देने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने 2 मई 1978 इस प्रकार लिखा हैः—

जो कुछ लिखा है मै उसे उदधृत कर रहा हूं।

"अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करने के संबंध में न्यायपूर्ण तथा निष्पक्ष निर्णय के लिए मेरे साथियों तथा मेरी ओर से जनता पार्टी के नेताओं तथा आपको धन्यवाद है जो पहली सरकार द्वारा 1965 तथा 1972 में इस विषय को गलत ढंग से सुलझाने के कारण मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के आक्रोश का कारण बन गया।"

मैंने 12 मई, 1978 को इस विधेयक को पुरःस्थापित किया था तब 24 जुलाई 1978 को डा० खुसरो ने मुझे फिर लिखा जब बजट सत्र के बाद अगला सत्र चालू था। उसने इस प्रकार लिखा :

"जैसा कि मैंने आपको पहले लिखा था, संसद के दोनों सदनों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय (संशोधन) 1978 को प्रस्तुत किये जाने ने विश्वविद्यालय तथा देश में साधारण रूप से एक बहुत अनुकूल वातावरण पैदा किया है तथा सरकार में पार्टी में अपने साथियों को राजी करने के आपके प्रयासों के लिए आपके प्रति कृत्यघ्नता की समान भावना है। आपके इस आश्वासन ने कि इस चालू समय में विधेयक पारित हो जायेगा। यहां सभी को सन्तुष्ट कर दिया है और हम सभी जुलाई और अगस्त में संसद द्वारा इस विधेयक की स्वीकृति का इन्तजार कर रहे हैं।

परन्तु दुर्भाग्य वश हम इस विधेयक को पहले नहीं ला सकें क्योंकि संवैधानिक संशोधन थे तथा अन्य मामलों को प्राथमिकता दी जानी थी। मेरे बार-बार के प्रयासों के बावजूद भी मैं ऐसा नहीं हो सकता था। मैं कहूंगा कि मैं श्री बनतवाला के सुझावों से सहमत नहीं हो सकता हूं कि इस विधेयक को चयन समिति को भेजा जाना चाहिए तथा मैं विश्वास करता हूं कि यह सदन इस विधेयक का निपटान करने में सक्षम है। मैं विनम्रता से निवेदन करूंगा इस सदन के सभी वर्ग संशोधन समेत इस विधेयक का समर्थन करेंगे कि मैं पेश करूंगा' ताकि विश्वविद्यालय को एक नये व्यवहार दिया जा सकता है जहां वास्तविक लोकतंत्र बहाल होगा और विश्वविद्यालय निश्चित रूप से उस अल्पसंख्यक स्वरूप अर्थात अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रशिक्षण उस योगदान में जो मुस्लिम समुदाय ने न केवल हमारे देश को बल्कि विश्व संस्कृति के लिए दिया है अध्ययन तथा अनुसंधानों को प्रभावित करेगा।

आपको धन्यवाद

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनतवाला आप अपने संशोधन पर दबाव डालना चाहते हैं।

श्री जी० एम० बनतवाला : जी हां श्रीमान।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में श्री बनतवाला का संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं। श्री बनतवाला का संशोधन सभा के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक खण्ड 12 पर विचार किया जायेगा । खण्ड 2 के लिए कोई संशोधन नहीं है । मैं इसको सदन के मतदान के लिए रखूंगा । प्रश्न है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ ।

खण्ड 2A को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 3

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

1. पृष्ठ, 2—

लाईन 2 से 5 तक के लिए इस प्रकार जोड़ा जाए :—

"(1)" विश्वविद्यालय" का अर्थ है भारत के मुस्लिमों द्वारा स्थापित उनकी रुचि की शैक्षिक संस्था तथा जिसको इस अधिनियम द्वारा 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया था तथा पद नाम दिया गया था" ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, क्या आप अपने सशोधन को पेश कर रहे हैं ।

श्री जी० एम० रेड्डी : जी नहीं, श्रीमान ।

उपाध्यक्ष महोदय : मि० अनन्त दवे यहां पर नहीं हैं ।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : यह अत्याधिक महत्वपूर्ण संशोधन है । जिसको मैं इस सदन के गंभीर चिन्तन के लिए प्रस्तुत करता हूं । शब्द 'विश्व विद्यालय' की परिभाषा जैसे कि मेरे द्वारा सुझाई गई है, अल्पसंख्यक आयोग की अपने प्रतिवेदन में विधेयक के बारे में पैराग्राफ 68 में सिफारिशों के अनुसार है । विश्वविद्यालय की इस प्रकार परिभाषा करने का उद्देश्य स्पष्ट है जिसके बारे में मैं विस्तृत रूप से बोल चुका हूं अर्थात् विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 (एक) के अधीन आवश्यक सुरक्षा तथा लाभ प्राप्त करती है ।

हम साम्प्रदायिक स्वरूप की मांग नहीं करते हैं, हम साम्प्रदायिक स्वरूप की मांग नहीं कर रहे हैं जो उससे बिल्कुल अलग है। हमने इस सदन से उस ढंग से विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को मान्यता के लिए सिफारिश की जिस तरह से विधान के अनुच्छेद 30, खण्ड (1) में सही अर्थों में उघृत किया जा सके। यह अल्प संख्यक है जिसने धर्म निरपेक्षता की विचारधारा को अर्थ दिया है। ये अल्प संख्यक संस्थायें हैं। जिन्होंने धर्म निरपेक्ष विचारधारा को जीवन प्रदान किया है जो हमारी मातृभूमि में है। इसलिए मैं कहता हूं कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थायें केवल धर्म निरपेक्ष भावना के अनुसार है परन्तु वे इससे आगे है तथा धर्म निरपेक्षता को अपना वास्तविक अर्थ देती है। मैं इस विधेयक के संबंध में अल्पसंख्यक आयोग के प्रतिवेदन के पैरा-ग्राफ 57 का यहां हवाला देता हूं। इससे इस प्रकार कहा गया है :—

"हम साधारण कारण के लिए ऐसी घोषणा में धर्मनिरपेक्ष मूल्य के समान यह कुछ नहीं देखते हैं कि संविधान द्वारा ही यह अधिकार प्राधिकारियों को प्रदत्त है तथा देश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सिवाय अनेक सैकड़ों अल्पसंख्यक संस्थायें हैं। जिनको यह अधिकार प्रदत्त है। अलीगढ मुस्लिम विश्व विद्यालय का इतिहास केवल यह नहीं बतलाता है कि यह भारत के मुस्लिमों द्वारा स्थापित की गई थी बल्कि ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की उनकी स्वीकृति के संकेत के रूप में थी, और मुस्लिमों तथा सरकार ने भी कुछ सहायता दी।"

अजीज बाश के मामले के लिए एक हवाला दिया गया है। मैंने मामले की जटिलता पर बड़े विस्तार उस समय पर कार्यवाही की है जब मैं अपना गैर-सरकारी विधेयक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के संशोधन के लिए पेश कर रहा था। अब मैं उन सब तर्कों को पुनरा-वृत्ति नहीं करना चाहता हूं। वे वहां रिकार्ड के विषय के रूप में है। मुझे बड़ा हर्ष है कि सभी सदस्यों ने बिना किसी उपवाद के इस मांग का समर्थन किया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल किया जाना चाहिए। अजीज बाश के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह 1920 के अधिनियम से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी न कि मुस्लिम जिन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की। जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय सम्पूर्ण संविधान के बड़े संकीर्ण तथा सीमित पहलू पर आधारित हैं। अत: इस प्रकार की अनेक तकनीकी कठिनाइयों को दूर किया गया है। मंत्री महोदय ने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया। मैं उच्चतम न्यायालय को सें० एक्सवीयर के कालेज बनाम गुजरात राज्य ए०आई०आर० 74 उप खण्ड 1380 पृष्ठ 1874 में उसके अपने निर्णय का हवाला देता हूं तथा दिखाऊं कि उच्चतम न्यायालय ने बाद में मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यक अधि-कारों के सम्बन्ध में क्या व्यापक रवैया अपनाया है।

"कथोत्थक विचारधारा संकीर्ण न्यायिक सलाह द्वारा गलत नहीं होनी चाहिए जिसका परिणाम अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित उपबंधों का प्रारूप तैयार करना होगा।"

वास्तव में एक स्थान पर उच्चतम न्यायालय बहुत संकीर्ण न्यायिक विचार का शिकार हो गया है। हम इस बड़े सदन में उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय को मिशाल के तौर पर रख

सकते हैं। जो संविधान पर एक धब्बा है। हमने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार विमर्श किया है। हमे अवश्य कहना चाहिए कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करने की मांग के लिए मुस्लिमों ने गिरफ्तारी दी तथा अपने जीवन की भी आहुतियां दी। समझता हूं कि सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बाध्य हैं। परन्तु हम इस सदन से उसके सर्वोच्च अधिकार से वह शरारत न करने की सिफारिश कर रहे हैं जो पहले की जा चुकी है। इस सदन के पास सभी अधिकार हैं। इतने सदस्य जो प्राप उपस्थित है इस विशेष परिभाषा का समर्थन किया था जिसका मैंने सुझाव दिया है। जो यह परिभाषा अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अपने अपने प्रतिवेदन में दी गई है। वह परिभाषा वही है जिनका सुझाव वेग समिति तथा खुसरों समिति द्वारा दिया गया था। सभी इस उद्देश्य के देखने के लिऐ थे कि अलीगढ़ मुस्लिम बिश्व-विद्यालय ने अनुच्छेद 30(1) के द्वारा यथा विचार किया गया अपना अल्पसंख्यक स्वरूप बहाल कर लिया था। मैं इस सदन तथा विशिष्ठ व्यक्तियों से, तथा माननीय मंत्री महोदय डा० चन्द्र से निवेदन करता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है जो मैंने पेश किया है जिसमें मुस्लिमों के गहरे भावों तथा धारणाओं तथा इस देश में धर्मनिरपेक्ष तत्वो को प्रतिबिम्बित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 30 (1) का जो आधार है इतने सदस्यों ने बिना किसी अपवाद के इस विशेष मांग का समर्थन किया है। अब मैं उन सभी सदस्यों से उपनी धारणा के पक्के रहने के लिए निवेदन करूंगा वे यह न सोचे कि क्या वह संशोधन सदन के समक्ष रखा जा रहा है वह मंत्री महोदय से आना वाला सरकारी संशोधन है। या गैर सरकारी संशोधन है। उन्हें अपनी धारणा के सच्चे रहने दो। उन्होंने अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करने की मांग का समर्थन किया है मैं सभी सदस्यों से पार्टी के सोच विचार से ऊपर उठने तथा इस विधेयक के साथ किए गए मजाक को दूर करने के लिए कहता हूं, तथा जो अजीज बाश के मामले में निर्णय द्वारा की गई है। इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन सदन के विचार विमर्श के लिए पेश करता हूं तथा आशा करता हूं कि यह स्वीकार कर लिया जायेगा। मुझ विश्वास है कि यह सदन मुसलमानों की भावनाओं ऐतिहासिक तथ्यों का आदर करेगा तथा धर्म निरपेक्ष स्वरूप का आदर करेगा तथा वह शरारत नहीं करेगा जो हो चुकी है। मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने भाषणों तथा टिप्पणियों में इस विशेष मांग का समर्थन किया है। परन्तु वह देखेंगे कि उनका मौखिक समर्थन भी इस विधेयक को वास्तविकता में बदल देगा जबकि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा।

डा०प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं अपने माननीय मित्र श्री बनतवाला द्वारा व्यक्त भावनाओं तथा भावों का आदर करता हूं तथा जब उसने भावनाओं द्वारा व्यक्त किया है तो बड़े वाकपटु है। मैं उनकी वाकपटुता की प्रशंसा करता हूं। परन्तु मैं बड़े साफ शब्दों में यह बता चुका हूं कि इस सुझाव को स्वीकार करना सरकार के लिए संभव नहीं है। यह संशोधन जो उन्होंने पेश किया है, उस परिभाषा की वही प्राप्ति है जो अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सुझाई गई है तथा हम स्पष्ट कर चुके हैं कि हम संशोधन को क्यों नहीं स्वीकार कर सके। मैं कहता हूं कि बेग समिति भी बड़ी वफादार थी। जब उसने सीधे समस्या पर प्रहार किया था।

फिर भी किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी निर्गुण डिग्री अथवा आदेश के विप-

रीत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित समझी जाएगी तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30 में व्यवस्था के अनुसार प्रशासन तथा प्रबंध किया जाएगा।"

यह एक सीधा प्रहार था। परन्तु अल्पसंख्यक आयोग की तो वह हिम्मत नहीं हुई। मुझे यह कहने में दुख है कि उन्होंने परिभाषा के इस तरीके द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उल्लंघन की कोशिश की है। परन्तु यह परिभाषा पूर्णरूपेण प्रभाव हीन है। जैसा मैंने कहा है वह परिभाषा जो हमने स्पष्ट रूप से सुझाई है ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकट करती है। एतिहासिक तत्थों के आधार पर जैसे कि उच्च-न्यायालय द्वारा पहचान की गई है हम इसको स्वीकार करते हैं न कि उद्देश्य प्राप्त करने के इस प्रभावहीन तरीके पर जिसके किए जाने का इरादा है।

इसकी प्रभाव हीनता तथा निष्क्रियता के कारण मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनतवाला के खण्ड 3 के संशोधन संख्या 2 के लिये सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है।

"पृष्ठ 2,

2 से 5 लाइनों के स्थान पर इस प्रकार लिखिये :—

(1) "विश्वविद्यालय" का अर्थ भारत के मुस्लिमों द्वारा स्थापित अपनी रुचि की शैक्षिक संस्था से है तथा जिसको इस अधिनियम द्वारा 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया था तथा पदनाम दिया गया था।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

विभाजन संख्या 25

पक्ष में

अहसान जाफरी, श्री
उन्नी कृष्णन, श्री के० पी०
कृष्णन, श्री जी० वाई०
कृष्णन, श्रीमती पार्वती
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोडियन, श्री पी० के०
गोमांगो, श्री गिरिधर

गोटखिंडे, श्री अण्णा साहिब
चन्द्रप्पन, श्री सी० के०
चेतरी, श्री के० बी०
चौधरी, श्रीमती रशीदा हक
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
टोम्बी सिंह, श्री
पाटिल, श्री विजय कुमार
पुल्लय्या, श्री दारूर
फैलीरो एडुआर्डो, श्री
बनतवाला, श्री जी० एम०
बरूआ, श्री देवकान्त
बरूआ, श्री वेदव्रत
भक्त, श्री मनोरंजन
मिर्धा, श्री नाथुराम
मिश्र, श्री जी० एस०
राचैया, श्री बी०
राजू, श्री पी० बी० जी०
राममूर्ति, श्री के०
राव, श्री जलगाम कोंडाला
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी श्री जी० एस०
लकप्पा, श्री के०
लक्ष्मीनारायण श्री एम० आर०
वेंकटरामन, श्री आर०
शिव शंकर, श्री पी०
श्रृंगारे, श्री टी० एस०
सूर्यनारायण, श्री के०
स्टीफन, श्री सी० एम०

विपक्ष में

अब्दुल लतीफ श्री
अयात, श्री डी०
आरिफ बेग, श्री
आहूजा, श्री सुभाष
ओंकार सिंह, श्री
कपूर, श्री लखन लाल

कृष्ण कान्त, श्री
किशोर लाल, श्री
किस्कू, श्री जदुनाथ
कुन्डू, श्री समरेन्द्र
कुरील, श्री ज्वाला प्रसाद
कुशवाहा, श्री रामनरेश
कोत्राशेट्टी, श्री ए० के०
खां, कुंवर महमूद अली
गंगा भक्त सिंह, श्री
गंगा सिंह, श्री
गट्टानी, श्री आर० डी०
गोदरा, चौ० हरी राम मक्कासर
गोरे, श्रीमती मृणाल
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष
घोषाल, श्री सुधीर
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चतुर्वेदी, श्री शंभूनाथ
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र, डा० प्रताप चन्द्र
चावड़ा, श्री के० एस०
चेतरी, श्री छत्र बहादुर
चौहान, श्री बेगाराम
चौहान, श्री नवाब सिंह
चौहान, श्री भारत सिंह
जसरोटिया, श्री बलदेव सिंह
जेठमलानी, श्री राम
जैन, श्री निर्मल चन्द
जोशी, डा० मुरली मनोहर
ठाकरे, श्री कुशाभाऊ
डान, श्री राज कृष्ण
तन सिंह, श्री
तिवारी श्री बृजभूषण
तेज प्रताप सिंह, श्री
त्यागी, श्री ओम प्रकाश

त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद
त्रिपाठी श्री राम प्रकाश
दंडवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अशोक कृष्ण
दिग्विजय नारायण सिंह श्री
देशमुख, श्री राम प्रसाद
देसाई, श्री मोरारजी
धारा, श्री सुशील कुमार
धारिया, श्री मोहन
नाथू सिंह, श्री
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी०
नायक, श्री लक्ष्मीनारायण
नेगी. श्री टी० एस०
पटेल, श्री एच० एम०
पटेल, कुमारी मणिबेन बल्लभभाई
परमार, श्री नटवरलाल
परस्ते, श्री दलपतसिंह
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पांडे, श्री अम्बिका प्रसाद
पाटिल, श्री एस० डी०
पासवान, श्री राम विलास
पिपिल, श्री मोहन लाल
प्रधान, श्री अमर राय
प्रधान, श्री पवित्र मोहन
बटेश्वर हेमराम, श्री
बड़कटगी, श्रीमती रेणुकादेवी
बर्मन श्री पलाश
बलदेव, प्रकाश डा०
बलबीर सिंह चौधरी
बालकराम, श्री
बोरोले, श्री यशवन्त
बृजराजसिंह, श्री
भगतराम, श्री
भट्टाचार्य, श्री दानेन
भदौरिया, श्री अर्जुनसिंह

भारत, भूषण श्री
मंगलदेव, श्री
मंडल, श्री धनिक लाल
मछण्ड, श्री रघुवीर सिंह
मयती, श्री मती आभा
मलिक, श्री मुख्तियार सिंह
मल्लिक, श्री रामचन्द्र
मल्होत्रा, श्री विजय कुमार
महाला, श्री के० एल०
महिषि, डा० सरोजिनी
मिर्जा श्री सैयद काजिम अली
मृत्युजय प्रसाद
मिश्र, श्री श्याम नन्दन
मुखर्जी श्री समर
मेहता, श्री अजीत कुमार
मेहता, श्री प्रसन्न भाई
यादव, श्री रामजी लाल
यादव, श्री रूपनाथ सिंह
यादव, श्री विनायक प्रसाद
यादवेन्द्रदत्त, श्री
युवराज, श्री
राववजी, श्री
राघवेन्द्र सिंह श्री
राजदा, श्री रत्नसिंह
राठौर, डा० भगवान दास
राम किंकर, श्री
रामकिशन, श्री
रामचन्द्रन, श्री पी०
रामजी सिंह, डा०
राय, श्री गौरी शंकर
राय, श्री नर्मदा प्रसाद
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
वर्मा, श्री रवीन्द्र

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
शर्मा, श्री जगन्नाथ
शाक्य, श्री दयाराम
शारदा, श्री एस० के०
शेजवलकर, श्री एन० के०
शेठ, श्री विनोदभाई बी०
श्री कृष्णसिंह, श्री
सरकार. श्री शक्ति कुमार
सारंगी, श्री आर० पी०
सान्याल, श्री शशांकसेखर
साय, श्री लारंग
साय, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव
साहा, श्री ए० के०
साहा, श्री गदाधर
सिंह, डा० बी० एन०
सिंघा, श्री सचिन्द्र लाल
सिन्हा श्री सत्येन्द्र नारायण
सुमन, श्री रामजी लाल
सूरजभान, श्री
सेन, श्री प्रफुल्ल चन्द्र
सोमानी, श्री एस० एस०
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हुकमराय, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में 35 : विपक्ष में 135

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 4 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये

खण्ड (9)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनंत देव यहां नहीं हैं

प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 10

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनन्त दवे अब भी यहां नहीं है :

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 11

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठि 3 पंक्ति 23 मुख्य अधिनियम के बाद यह अन्तः स्थापित किया जाए :

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने मत इस प्रकार दिए :

पक्ष में : श्री ए० पी० शर्मा

विपक्ष में : श्री जुलिफकार उल्लास, डा० वसंत कुमार पंडित, श्री रुद्र सेन चौधरी, डा० विजय मंडल, श्री रुडोलफ रोड्रिग्म तथा श्री मोहन सिंह तुर

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रति स्थापित की जाये-अर्थात :

"कुल पति की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों के नामों की तालिका में से जिसकी सिफारिश सभा (कोर्ट) द्वारा की गई हो, कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी अवधि के लिये तथा ऐसी-रीति से की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये । तथा (ii)

76 पृष्ठ 3 पंक्तियां 23 तथा 24

"उपधारा (2) (3) तथा (4) **के स्थान पर** निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, अर्थात :—

"**के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रति स्थापित किया जाये**—

"उपधारा (1) (2) (3) तथा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जायेंगी, अर्थात :—

"(1) कुलपति ऐसी रीति से और इतनी अवधि के लिये जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, सभा (कोर्ट) द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री० जी० एम० बनतवाला जी के संशोधन 2 तथा 76 को मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

'कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ 5 दिया गया

(श्री ए० के० शेजवाकर पीठासीन हुए)

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 12 को लेते हैं।

श्री सोम नाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन पेश करता हूं। 62 पृष्ट 3, 30 से 33 पंक्तियों **के स्थान/स्थान पर** निम्नलिखित **प्रति स्थापित किया जाये**—

एक (1) कोषाध्यक्ष विश्वविद्यालय का एक पूर्ण कालिक वेतनिक अधिकारी होगा और सभा द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिये निर्बाचित किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये

(2) किसी व्यक्ति को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किये जाने के पूर्व उस पद के लिये न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करना कुलाध्यक्ष के लिये विधिपूर्ण होगा।

(3) कोषाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं,

(4) इस अधिनियम तथा परिनियमों में "अवैतनिक कोषाध्यक्ष" शब्द जहां कहीं भी आये हो, उनके स्थान पर कोषाध्यक्ष शब्द प्रति स्थापित किया जायेगा

(5) जब कभी कोषाध्यक्ष का पद रिक्त हो,, वित्त अधिकारी उसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का पालन करेगा।

श्री मान जी, इस संशोधन में हम विश्वविद्यालय के लिये एक पूर्ण कालिक एवं वैतनिक कोषाध्यक्ष की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसा कि मूझे पता लगा है आय-व्ययक 7 करोड़ रुपये से अधिक का हैं। हमारे पास एक निश्चित सूचना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अगला अवैतनिक कोषाध्यक्ष, इस विधेयक के पारित होने के पश्चात, एक स्थानीय जमीदार होगा तथा कर्मचारियों तथा अध्यापकों और गैर अध्यापन कर्मचारियों के मन में एक गम्भीर आशंका है कि यह वहां शासकीय गुट में चला जायेगा। मेरे प्रिय मित्र चाहे जो कुछ भी कहें वहां एक शासकीय गुट है जो अलीगढ़ के निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रचुर धनराशि की देख भाल करने के लिये एक पूर्ण कालिक एवं वैतनिक कोषाध्यक्ष होना चाहिए जिसकी व्यवस्था मैंने इस संशोधन में की है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर कृपया विचार करें। इससे विश्वविद्यालय की स्वामत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोषाध्यक्ष सरकार के आधीन हो लेकिन वह विधिवत योग्य व्यक्ति होना चहिए जोकि विश्वविद्यालय के प्रति सीधे उत्तरदायी हो। वह विश्वविद्यालय का अधिकारी होना चाहिए। स्वायत्तता को प्रभावित करने का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से इस पर गम्भीरता से विचार करने की प्रार्थना करता हूं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं इस संशोधन को इस कारण स्वीकार नहीं कर सकता कि मूल खण्ड में यह व्यवस्था की गयी है कि अवैतनिक कोषाध्यक्ष का चनाव विश्वविद्यालय सभा (कोर्ट) द्वारा किया जायगा तथा विश्वविद्यालय कोर्ट निश्चित ही किसी उचित व्यक्ति को ही चुनेगीं। अंततः सारा मामला यूनिवर्सिटी कोर्ट के आधीन ही होगा। क्योंकि उसीके पास विश्वविद्यालय के मामले में सर्वोच्च अधिकार होते हैं।

इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वेतन योगी अधिकारी धनराशी का दुरुपयोग नहीं करेगा। हमने देखा है कि गबन प्रायः वेतन भोगी अधिकारियों द्वारा ही होता है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि हमने विधेयक में जो प्रस्ताबित किया है वह उचित है तथा संशोधन में जो सुझाव दिया गया है। वह उचित नहीं है।

सभापति महोदय : अब मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 62 को सदन में मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक की अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ट 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 (धारा 22 का संशोधन)

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

3 पृष्ठ 3

25 और 26 पंक्तियों का लोप किया जाये इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि वित्त समिति को भी विश्वविद्यालय अधिकारियों में नहीं माना जाये

डा० प्रताप चन्द्र चंद्र : यह मुझे स्वीकार्य नहीं है।

सभापति महोदय : मैं अब श्री बनतवाला जी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 3 को सदन में मतदान के लिये रखूंगा :

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 15 : (धारा 23 का संशोधन)

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 3 पंक्ति 29

"मुख्य अधिनियिम के पश्चात यह पन्तः स्थापित किया जाये :—

(i) उपधारा (1) में निम्न उपबंध अंन्तः स्थापित किया जाये : अर्थात् "परन्तु मुस्लिम समुदाय का प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए सभा इस तरह गठित की जायेगी ताकि उसके सदस्यों में मुसलमानों का कम से कम तीन चौथाई बहुमत रहे और (ii)"।

1920 के अधिनियम में विशेष रूप से यह व्यवस्था की गई थी कि विश्वविद्यालय कोर्ट में सम्पूर्ण सदस्य मुसलमान होंगे। बाद में 1951 के एक अधिनियम द्वारा इस शर्त को हटा दिया गया। आज तक भी यह तर्क दिया जा रहा है कि क्योंकि प्रशासन मुसलमानों में निहित नहीं

होता है अतः यह विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक समुदाय का विश्वविद्यालय नहीं है। इस संशोधन का सुझाव ऐसे तर्कों का उचित उत्तर देने के लिये तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को एक अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाये रखने के लिये दिया जा रहा है, जैसा कि अनुच्छेद 30 उपखण्ड (1) में उपबन्धित है; हालांकि अधिनियम में इसकी इतनी स्पष्ट रूप से कोई व्यवस्था नहीं है, परन्तु प्रस्तुतः प्रभावी रूप से यही स्थिति चल रही है। मैंने इस संशोधन को इस कारण प्रस्तुत किया है जिससे कि बोर्ड के सदस्यों में कम से कम तीन—चौथाई सदस्य मुस्लिम हों। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण तथा सदन इस संशोधन को स्वीकार करेगा।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को उन कारणों से जिन्हें कि मैं पहले ही बता चुका हूं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसके द्वारा फिर अप्रयत्यक्ष रूप से कुछ ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है जोकि इसमें नहीं होनी चाहिए। वास्तव में मौलाना अब्दुल कमाल आजद के समय में 1920 के मूल अधिनियम का संशोधन 1951 में प्रस्तुत किया गया था तथा इस सदन द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने इस विश्वविद्यालय को सभी धर्मों के लोगों के लियें खोला था जिससे यह विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय संस्थान बन सके। इसलिये मैं इस संशोधन को मानने के पक्ष में नहीं हूं।

सभापति महोदय : मैं अब श्री बनतवाला द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 4 को मतदान के लिये रखता हूं।

(संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 58 प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रश्न यह है :—

कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 16

सभापति महोदय : अब खन्ड 16 के संशोधन सं० 5 के बारे में विचार किया जाता है श्री बनतवाला।

श्री जी० एम० बनतवाला : श्रीमान जी, मै प्रस्ताव करता हूं।

5 पृष्ठ 4 पंक्ति 22 और 23

"वित्त समिति" शब्दों का लोप किया जाये। श्रीमान जी, उद्देश्य यह है कि यह आवश्यक नहीं होना चाहिए कि शक्तियाँ परिनियमों द्वारा निर्धारित की जायें। और परिनियम बनाना,

परिनियमों में संशोधन करना तथा इसी प्रकार की अन्य बातें, विजिटर की पूर्व अनुमति के अनुसार होते है तथा इसलिये उस विशेष संबंध में विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बाहर होते हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

5 पृष्ठ 4 पंक्तियां 22 तथा 23

"वित्त समिति और" का लोप किया जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : मैं अब खण्ड 16 को सदन में मतदान के लिये रखूंगा :

प्रश्न यह है :—

कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 17

सभापति महोदय : खण्ड 17 में फिर श्री बनतवाला के संशोधन संख्या 6 तथा 7 हैं तथा संशोधन 25 संख्या (3) है। अब श्री बनतवाला।

श्री बनतवाला : श्रीमान जी, मैंने संशोधन संख्या 6 पेश नहीं करता हूं। लेकिन मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 4

पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये।

(iii) खण्ड (ट) में "स्थापना तथा" शब्दों का लोप किया जाये। इस संशोधन का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। शब्द स्थापना का दोबारा इस्तेमाल किया गया है तथा इस शब्द से काफी अनिष्ट हुआ है तथा इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि इसे निकाल दिया जाये जिससे जहां कहीं भी शब्द स्थापना ने पहले ही अनिष्ट किया है वह यहां पुन: इस प्रकार न रहे कि उसके गम्भीर परिणाम हों।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : अधिनियम की प्रस्तावना में शब्द स्थापित करना समाविष्ट करना पहले ही से है। इस संदर्भ में शब्द स्थापना का प्रयोग किया गया है। इसे हटाने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिये मै इसका विरोध करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं।

25 पृष्ठ 4, पंक्ति 13

नियुक्ति या चुनाव के स्थान पर चुनाव या नियुक्ति प्रति स्थापित किया जायें। संशोधन मौखिक प्रवृति का है। "नियुक्ति या चुनाव" कहने की बजाय मैं इसे कार्यालयों के चुनाव पहलू पर प्रकाश डालने के लिये इसे "निर्वाचन या नियुक्ति" करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : दो विभिन्न संशोधन हैं। मैं अब श्री बनतवाला जी के संशोधन संख्या 7 को सदन में मतदान के लिये रखूंगा :

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 4

'(iii) खण्ड (ट) में "स्थापना तथा" शब्दों का लोप किया जाये।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : मैं अब सरकार की ओर से माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 25 को सदन में मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

25 पृष्ठ 4 पंक्ति 13

"नियुक्ति या चुनाव" के स्थान पर "चुनाव या नियुक्ति" प्रतिस्थापित किया जाये
प्र स्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

कि संशोधित खण्ड 17 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संशोधित खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18 (धारा 28 के लिये नयी धारा का स्थानापन्न करना

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं प्रस्ताव करता हूं।

8 पृस्ठ 5, पंक्तियां 21 तथा 22

"के लिये कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा होगी जो उसे मंजूर या नामंजूर कर सकेगा या उसे और विचार करने के लिये भेज सकेगा '**के स्थान पर**" की कुलाध्यक्ष को सूचना दी जायेगी जो उसे मंजूर कर सकेगा या उसे केवल एक बार और विचार करने के लिये भेज सकेगा"

प्रति स्थापित किया जाये

इस संशोधन का तात्पर्य बिल्कुल साफ है ।

खण्ड 18 मुख्य अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर लाया जा रहा है और इस धारा 28 में उपधारा 6 है जो इस प्रकार है :—

"प्रत्येक नये परिनियम या परिनियम के किसी भाग या परिनियम के किसी संशोधन या किसी परिनियम के निरस्त करने के लिये कुलाध्यक्ष (विजिटर) की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी जो कि उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है या उसे आगे विचार के लिये छोड़ सकता है ।"

यह उपबन्ध सभा (कोर्ट) को लगभग असमर्थ बना देता है और विशेष तौर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्वरूप तथा प्रकृति के सम्बंध में, इस प्रकार की शर्त नहीं होनी चाहिए । इसलिये मैंने मुख्य अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (6) को जिसके स्थान पर इस विधेयक का खण्ड 18 लाया जा रहा है, हटाने के लिये संशोधन पेश किया है । सभा (कोर्ट) की स्वायत्तता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए । यह बात विशेष तौर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्वरुप तथा प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है ।

मैं आशा करता हूं कि इस विशिष्ट संशोधन को हर प्रकार की सहानुभूति मिलेगी तथा इसे मंत्रिपीठ तथा सदन भी स्वीकृत कर देगा । मैं उन कठिनाइयों को समझ सकता हूं जिन्हें मंत्रीपीठ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरुप जैसे गम्भीर मामलों में आजकल पैदा कर रही है । लेकिन यहां हमारा सम्बंध सभा के लोकतांत्रिक स्वरुप तथा उसकी स्वायत्तता से है : मुझे आशा है कि सभा (कोर्ट) के कार्यचालन पर ये प्रतिबंध दूर कर दिये जायेंगे।

यह इस बात को देखते हुए विशेष तौर से आवश्यक है कि 1972 के काले अधिनियम के अन्तर्गत अनेक परिनियम पहले ही बनाये जा चुके है ; और वे लागू हैं ; और वर्तमान संशोधनकारी विधेयक के बावजूद भी चलते रहेंगे । इसलियें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लोकतंत्रात्मक स्वरूप तथा स्वायत्तता की दृष्टि से मैं माननीय मंत्री जी से इस विशिष्ट संशोधन को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं । मुझे विश्वास है कि वह कम से कम किसी समय तो अपने दिल की उदारता को दिखायेंगे ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : विधेयक के द्वितीय वाचन के समय अपने उत्तर में मैंने यह बतलाया था कि इस खण्ड को क्यों जोड़ा गया था । मैंने सदन को बताया था कि यह खण्ड ठीक उसी प्रकार जोड़ा गया है जिस तरह मौलाना आजाद ने 1951 में संशोधित अधिनियम की धारा 28 में खण्ड जोड़ा था । यदि उस समय लोकतंत्रात्मक स्वरुप था, तो आज भी लोकतंत्रात्मक स्वरूप होगा । यदि कोई काला परिनियम होगा और विश्वविद्यालय उसे सरकार को बतायेगा तो कुलाध्यक्ष निश्चय ही उस पर विचार करेगा तथा यह भी देखेगा कि काले परिनियम के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाये ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधी नगर) : वह हर समय मौलाना आजाद पर निर्भर नहीं रह सकते। वह हमें यह बतलायें कि वह इसे स्वीकार क्यों नहीं कर सकते।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय में जहां लगभग समस्त धनराशि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार करती हो, वहां परिनियमों की ठीक प्रकार से जांच होनी चाहिए क्योंकि यह विश्वविद्यालय के समस्त ढांचे को बिगाड़ सकता है। इसलिये पूर्व-स्वीकृति आवश्यक है। इस पकार की व्यवस्था अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी है इसलिये यह एक बहुत ही लाभदायक व्यवस्था है। आखिरकार यह शक्तियों का प्रत्यायोजन है। उचित नियंत्रण आन्तरिक लोकतंत्र के प्रतिकूल नहीं होता है। लेकिन जब विश्वविद्यालय का सामान्य प्रशासन प्रभावित होता हो तो कुलाध्यक्ष निश्चय ही इसकी जांच पड़ताल कर सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि कुलाध्यक्ष परिनियम बनाता। अंततः विश्वविद्यालय ही परिनियम बनायेगा। इसीलिये मैं मौलाना आजाद द्वारा किये गये उपबंध पर निर्भर कर रहा हू।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इसलिये क्या इसका मतलब यह है कि धनराशि के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिये कुलाध्यक्ष को कुछ अधिकार दिये जा रहे हैं। लेकिन अभी अभी मंत्री महोदय द्वारा दिये गये कथन से यह आश्वासन मिलता है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। कुलाध्यक्ष का अंततः अर्थ है सरकार। हमको यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि कुलाध्यक्ष अर्थात् मंत्री महोदय द्वारा विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं किया जायगा।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने पहले ही कह चुका हूं कि मैं विश्वविद्यालय की आन्तरिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं। इस सदन के सामने विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा भारतीय तकनीकी संस्थान के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न उठाये गये हैं तथा मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर लिया है कि हम उनके मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : श्री मावलंकर, जहां तक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का सम्बन्ध है, इसकी कोई चरम सीमा नहीं हो सकती।

मैं अब श्री जी० एम० बनतवाला जी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 8 को सदन के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

किये गये संशोधन :

"पृष्ठ 4, पंक्ति 21

26 "1978" के स्थान पर "1979" प्रति स्थापित किया जाये

पृष्ठ 4, पंक्ति 27

27 "1978" के स्थान पर "1979" प्रति स्थापित किया जाये

(डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि संशोधित रूप में खण्ड 18 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संशोधित रूप में खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 19

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं

"पृष्ठ 5, पंक्ति 15

28 "निम्म उपबंध" के स्थान पर "निम्न उपबंधों" प्रति स्थापित की जाये

"पृष्ठ 5,—

पंक्ति 20 के बाद यह अतः स्थापित किया जाये

29 "यह और कि अध्यापक एसोशिऐशन या अन्य कर्मचारी एसोशिएशनों के संविधान के बारे में कोई अध्यादेश निकलने से पहले सम्बन्धित निहित हित वाले पक्षों की सलाह ली जायेगी।"

यह अल्प संख्यक आयोग द्वारा दिये गये सुझाव पर आधारित है।

सभापति महोदय : श्री अनंत दवे—वह अनुपस्थित है।

प्रश्न यह है :—

28 'पृष्ठ 5, पंक्ति 15—

"निम्न उपबंध" के स्थान पर "निम्न उपबंधों" के प्रति स्थापित किया जाये।

"पृष्ठ 5—

पंक्ति 20 के पश्चात यह अंतः स्थापित किया जाये

"यह और कि अध्यापक एसोशिएशन तथा अन्य कर्मचारी एसोशिएशनों के संविधान के बारे में कोई अध्यादेश निकालने से पहले सम्बन्धित निहित हित वाले पक्षों की सलाह ली जायेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि संशोधित रूप में खण्ड 19, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संशोधित रूप में खण्ड 19, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 21

सभापति महोदय : एक संशोधन है जिसके बारे में श्री बनतवाला जी ने नोटिस दिया है । क्या वह प्रस्तुत कर रहे हैं ।

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : श्री अनंत दवे । वह यहां नहीं हैं । मैं खण्ड 21 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है : "कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 22

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं अपने सब संशोधनों को प्रस्तुत कर रहा हूं ।

मेरा सरकारी संशोधन में भी एक संशोधन है । क्या मैं मंत्री जी के अपने संशोधन को प्रस्तुत करने तक प्रतीक्षा करूं ।

सभापति महोदय : संशोधन में संशोधन को आप मंत्री जी द्वारा अपना संशोधन प्रस्तुत करने के बाद प्रस्तुत कर सकते हैं । मैं आपको बाद में अवसर दूंगा ।

श्री जी० एम० बनतवाला : श्री मान जी मैं प्रस्ताव करता हूं ।

10 पृष्ठ 8, पंक्ति 43

"आचार्यों" के पश्चात "उपाचार्यों तथा प्राध्यापकों जिन्होंने 10 वर्ष की निरन्तर स्थायी सेवा पूरी करली हो" अतः स्थापित किया जाये ।

11 पृष्ठ 9

पंक्तियां 1 से 5 का लोप कर दिया जाए ।

12　पृष्ठ 9, 10 तथा 11

क्रमशः पंक्ति 20 से 35, 1 से 37 तथा 1 से 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाए ।

(xi) परिनियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित परिनियम प्रति स्थापित किया जायेगा । अर्थात :—

14 (1) सभा में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे ।

पदेन सदस्य

(1) कुलाधिपति ;

(2) प्रति कुलाधिपति ;

(3) कुलपति;

(4) प्रति कुलपति ;

(5) अवैतनिक कोषाध्यक्ष ;

(6) समस्त भूतपूर्व कुलपति ;

(7) पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(8) तीन प्रोवोक्ट, वरिष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से ;

(9) कुलानुशासक ;

विभागों तथा महाविद्यालयों के प्रतिनिधि

(x) अध्ययन विभागों के विभागपति नीचे लिखे प्रत्येक संकाय में ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से :—

(1)	वाणिज्य संकाय	1
(2)	कला संकाय	2
(3)	विज्ञान संकाय	2
(4)	समाज विज्ञान संकाय	2
(5)	इंजीनियरिंग तथा टेकनालॉजी संकाय	2
(6)	औषध संकाय	2
(7)	विधि संकाय	1
(8)	धर्म दर्शन संकाय	1
	जोड़	13

(xi) महाविद्यालय के प्रधानाचार्य—5

ऐसे अध्यापकों के प्रतिनिधि जो विभागपति तथा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य नहीं हैं।

(xii) 10 अध्यापक, अध्यापकों में से चुने जायेंगे, जिनमें कम से कम एक आचार्य तथा दो उपाचार्य होंगे।

(xiii) दो उपअध्यापक, विश्वविद्यालयों द्वारा घोषित स्कूलों के, जो स्वयं उनमें से निर्वाचित किये जायेंगे।

भूतपूर्व छात्रों के प्रतिनिधि

(xiv) भूतपूर्व छात्रों के 25 प्रतिनिधि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संगठन द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे।

दाताओं के प्रतिनिधि

(xv) प्रत्येक मुसलमान जो एक लाख या उससे अधिक रुपयों का संदान करे या जिसने ऐसा किया है;

(xvi) उन दाताओं के 10 प्रतिनिधि जिन्होंने कम से कम 10 हजार रुपये की राशि का दान किया है या कम से कम 10 हजार रुपये की सम्पत्ति का अंतरण किया है। ऐसे प्रतिनिधि ऐसे दाताओं में से ही निर्वाचित किये जायेंगे।

विद्वत वृत्तियों, उद्योगों तथा वाणिज्य के प्रतिनिधि

(xvii) विद्वत वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये दस मुसलमान जो सभा द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे और जिनमें से कम से कम पांचवे व्यक्ति होंगे जो उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर निवास करते हों:

(xviii) उद्योग तथा वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच मुस्लिम जो सभा द्वारा निर्वाचित न किये जायेंगे।

अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन के प्रतिनिधि

(xix) अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन के पांच प्रतिनिधि

संसद तथा राज्य विधान मंडलों के प्रतिनिधि

(xx) राज्य विधान मंडलों के मुस्लिम सदस्यों द्वारा अपने में से 12 प्रतिनिधि चुने जायेंगे जो भारत के चार प्रदेशों में से प्रत्येक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिये तीन सदस्य निर्वाचित करेंगे।

(xxi) संसद के मुस्लिम सदस्यों द्वारा अपने में से पांच सदस्य निर्वाचित किये जायेंगे जिनमें से 3 सदस्य लोक सभा तथा 2 सदस्य राज्य सभा से होंगे।

मुस्लिम संस्कृति तथा ज्ञान के प्रतिनिधि

(xxii) सभा द्वारा मुस्लिम संस्कृति तथा ज्ञान के 10 प्रतिनिधि निर्वाचित किये जायेंगे।

मुस्लिम महाविद्यालयों तथा प्राच्य संस्थानों के प्रतिनिधि

(xxiii) मुस्लिम महाविद्यालयों तथा प्राच्य संस्थानों का, जो विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन नहीं हो, प्रतिनिधित्व करने वाले छह व्यक्ति निर्वाचित किये जायेंगे जिनमें से तीन से अधिक व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य के होंगें।

वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधि

(xxiv) सभा द्वारा मुस्लिम वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों/सभापतियों में से चार व्यक्ति निर्वाचित किये जायेंगे।

उर्दू भाषा तथा साहित्य के प्रतिनिधि

(xxv) सभा द्वारा उर्दू भाषा तथा साहित्य का प्रतिनिधित्व करनें वाले चार व्यक्ति निर्वाचित किये जायेंगे।

छात्रों के प्रतिनिधि

(xxiv) छात्रों द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के बनाये गये नियमों के अनुसार छात्रों के 10 छात्र प्रतिनिधि निर्वाचित किये जायेंगे जिनमें से तीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी होंगे।

गैर अध्यापक कर्मचारियों के प्रतिनिधि

(xxvii) गैर-अध्यापक कर्मचारियों के छह प्रतिनिधि निम्नलिलित रूप से निर्वाचित किए जायेंगे।

(क) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक तथा अनुसचिवयि कर्मचारियो द्वारा अपने में से दो प्रतिनिधि निर्वाचित किए जायेंगे।

(ख) विश्वविद्यालय के तकनीकी कर्मचारियों द्वारा अपने में से दो प्रतिनिधि निर्वाचित किए जायेंगे। तथा

(ग) विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा अपने में से दो प्रतिनिधि निर्वाचित किये जायेंगे।

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति

(xxviii) अधिक से अधिक तीन व्यक्ति जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(xxix) अधिक से अधिक एक व्यक्ति कुलसचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(xxx) अधिक से अधिक एक व्यक्ति कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

परन्तु मद (28) से 30 के अधीन नामनिर्देशन में देश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व पर विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय स्वरूप को देखते हुए पूरा ध्यान दिया जायेगा ;

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी मद (14) से (26) और (28) से (30) के अधीन सदस्य होने का पात्र नहीं होगा।

इस सभा के सभी सदस्य जो पदेन सदस्य या छात्र सदस्य नहीं है, तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे और पदेन सदस्य उस पद को जिसके आधार पर वह सभा का सदस्य हैं, रिक्त करते ही ऐसा सदस्य नहीं रहेगा और छात्र सदस्य एक वर्ष की अवधि के लिये या ऐसे समय तक के लिये जब तक वह छात्र रहें, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

पांच **के स्थान पर** आठ प्रति स्थापित किया जाये

13. पृष्ठ 11 पंक्ति 24

"के दो" **के स्थान पर का** "एक" **प्रति स्थापित किया जाये**

14. पृष्ठ 11

पंक्ति 29 का **लोप कर दिया जाये**

15. पृष्ठ 11 पंक्ति 30

"पांच" **के स्थान पर** "आठ" **प्रति स्थापित किया जाये**

16. पृष्ठ 11,—

पंक्ति 21 से 26 का **लोप कर दिया जाये**

17. पृष्ठ 11, पंक्ति 27,—

"यह और कि" का **लोप कर दिया जाये**

18. पृष्ठ 11,—

पंक्ति 30 के **पश्चात** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाये**

"(xiv) जो अनुसंधानकर्ता जो साधारण बहुमत से उनमें से निर्वाचित किए जाएंगे ;"

19. पृष्ठ 13, पंक्ति 23,—

"तीन" **के स्थान पर** "दो" **प्रति स्थापित किया जाये।**

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 33 से 41 **के स्थान पर** निम्मलिखित **प्रति स्थापित किया जाये**

"(1) कुलपति सभा द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार साधारण बहुमत से सभा द्वारा निर्वाचित किया जायेगा।"

पृष्ठ 7, पंक्ति 19 और 20,—

"अपनी कुल सदस्य संख्या को दो तिहाई के स्थान पर" बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के" प्रति स्थापित किया जाये"

ये सभी संशोधन कोर्ट की संरचना से संबंधित है, मैं उन सब बातों को, जो पहले कही जा चुकी हैं, पुनः दोहरा कर अब सभा का समय नही लूंगा। मेरे संशोधनों का उद्देश्य यही है कि कोर्ट के मनोनित सदस्यों की संख्या कम हो सके, कोर्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले आन्तरिक तत्वों की संख्या पर्याप्त मात्रा में घटाई जा सके तथा यह भी कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या में अभिवृद्धि हो। इसके अतिरिक्त इन सभी संशोधनों का प्रयोजन यह भी है कि कोर्ट को एक अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हो सके। हमने सदा यह माना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्व-विद्यालय का स्वरूप अखिल भारतीय है। यह एक ऐसा संस्थान हैं, जो केवल स्थानीय महत्व का नहीं बल्कि राष्ट्रीय महत्व का हो। इस बात को संविधान की सप्तम अनुसूचि की सूची II की मद सं० 63 के अन्तर्गत भी स्वीकार किया गया है। मेरे संशोधनों का उद्देश्य यह भी है कि कोर्ट के प्रतिनिधि समस्त भारत से आयें। उसमें न केवल संसद के प्रतिनिधि ही हों, बल्कि जैसा कि मेरे संशोधन मे व्यवस्था है, उसमें राज्य विधानमंडलों के प्रतिनिधि भी हों।

मुझे आशा है कि जिस उद्देश्य को लेकर मैंने इन संशोधनों का प्रस्ताव रखा है, अर्थात कोर्ट अधिकाधिक लोकतांत्रीक बन सके तथा उसकी संरचना में उसे एक अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया जा सके, उसकी सराहना की जायेगी।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

30. पृष्ठ 6, पंक्ति 9 से 11,—

"सभा द्वारा बनाये गए विनियमों के अनुसार साधारण बहुमत से के स्थान पर आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा" प्रतिस्थापित किया जाये।

31. पृष्ठ 6,

पंक्ति 20 और 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये

"आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा"

32. पृष्ठ 7, पंक्ति 24 और 25,—

"सभा द्वारा बनाये गयें विनियमों के अनुसार साधारण बहुमत से के स्थान पर आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा" प्रतिस्थापित किया जाये।

33. पृष्ठ 9,

पंक्ति 9 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये ।

ऐसे अध्यापकों के प्रतिनिधि जो विभागपति और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य नहीं हैं ।

(xii) पांच प्रोफेसर, जो विभागपति नहीं हैं, जो उन्हीं में से निर्वाचित होंगे ;

(xiii) पांच रीडर, जो उन्हीं में से निर्वाचित होंगे ;

गैर अध्यापक कर्मचारियों के प्रतिनिधि :

(xiv) पांच अध्यापक, जो उन्हीं में से निर्वाचित होंगे;

(xv) गैर अध्यापक कर्मचारियों के प्रतिनिधि, जो उन्हीं में से निर्वाचित होंगे ;

35. पृष्ठ 9, पंक्ति 18,—

"(xvi)" के स्थान पर "(xvi)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

36. पृष्ठ 9, पंक्ति 23,—

"(xvii)" के स्थान पर "(xviii)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

37. पृष्ठ 9, पंक्ति 26,—

"(xviii)" के स्थान पर "(xix)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

38. पृष्ठ 9, पंक्ति 29,—

"(xix)" के स्थान पर (xx)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

39. पृष्ठ 9, पंक्ति 32,—

"(xx)" के स्थान पर (xxi)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

40 पृष्ठ 9, पंक्ति 37,—

(xxi) के स्थान पर (xxii) प्रतिस्थापित किया जाये ।

41. पृष्ठ 9, पंक्ति 40,—

"(xxii)" के स्थान पर "(xxiii)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

42. पृष्ठ 10, पंक्ति 1,—

"(xxiii)" के स्थान पर "(xxiv)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

43. पृष्ठ 10, पंक्ति 3,—

"(xxiv)" के स्थान पर "(xxv)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

44. पृष्ठ 10, पंक्ति 5 और 6,—

"मद (xxii) से (xxiv) तक **के स्थान पर** मद (xxiii) से (xxv) तक" **प्रति स्थापित किया जाये।**

45. पृष्ठ 10,

पंक्ति 10 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रति स्थापित किया जाये।**

मद (xvi) से (xxv) तक के अन्तर्गत सदस्य बनाने के लिये ग्रस्य :

बशर्ते कि मद (xxii) से (xix) तक तथा मद (xxii) के अन्तर्गत चुनाव भी आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ही होंगे।

46. पृष्ठ 10, पंक्ति 38,—

"इसके द्वारा" **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाये।**

"आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा"

47. पृष्ठ 10, पंक्ति 43,—

"स्वयं उनमें से **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाये।**

आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा"

48. पृष्ठ 11,—

पंक्ति 14 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये।**

"स्वयं उनमें से ही आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा"

51. पृष्ठ 9,—

पंक्ति 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये।

"ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से 20 विभागपति ;"

52. पृष्ठ 9, पंक्ति 15,—

"(xv) इस "के स्थान पर" (xvi) पन्द्रह" प्रति स्थापित किया जाये।

(डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र (जारी) : इन संशोधनों का प्रयोजन अधिकांशतः यही है कि कोर्ट तथा अन्य निर्वाचित निकायों की संरचना अल्पसंख्यक आयोग द्वारा सुझाये गये रूप के अनुरूप हो सके। यदि यह सभा इन संशोधनों को स्वीकार कर लेती है, तो वह शंका, जो माननीय सदस्य श्री बनतवाला के मन में है, दूर हो जायेगी।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन संशोधनों को जोड़ने के पश्चात, कोर्ट में 23 पदेन सदस्य होंगे, 20 सदस्य ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से होंगे, 72 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा 10 मनोनीत सदस्य होंगे अर्थात् कुल 125 सदस्य होंगे। इसी प्रकार कार्यकारी परिषद में 23 सदस्यों में से 5 पदेन, 6 चक्रानुक्रम से, 6 निर्वाचित सदस्य तथा 4 मनोनित सदस्य होंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि वह शंका, जो श्री बनतवाला ने व्यक्त की है, दूर हो जायेगी।

अतएव मैं अपने संशोधनों का प्रस्ताव रखता हूं तथा उनके संशोधनों का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : श्री रसूद अहमद, क्या आप अपने संशोधनों को पेश कर रहे हैं ?

श्री रसूद अहमद : जी नहीं, मैं नहीं पेश कर रहा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जाटवपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

63. पृष्ठ 9,—

पंक्ति 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रति स्थापित किया जाए—

"(x) ज्येष्ठता के अनुसार एक तिहाई विभागपति ;"

64. पृष्ठ 9,—

पंक्ति 9 का लोप कर दिया जाए !

65 पृष्ठ, 9 पंक्ति 11,—

"महा विद्यालयों के प्रधानाचार्य और आचार्य" के स्थान पर "और महा विद्यालयों के प्रधानाचार्य" प्रतिस्थापित किया जाए ।

66. पृष्ठ 10,—

पंक्ति 12 और 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये

"(xiii) पन्द्रह व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा अपने में से आनुपातिक प्रतिनिधितव पद्धति के अनुसार एकल सँक्रमणीय मत द्वारा निर्बाचित किये जाऐंगे;

अध्यापनेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधि

(xiv) दस व्यक्ति; जो विश्वद्यिालय के अध्यापनेत्तर कर्मचारियों द्वारा अपने में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकुमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाऐंगे ।

छात्रों के प्रतिनिधि

(xv) दस छात्र, जो छात्रों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अधीन एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे ।"

67. पृष्ठ 10, पंक्ति 29,—

"(iv) तीन संकायाध्यक्ष चक्रान्द्रकम से" **के स्थान पर** (iv) कला, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, आयुर्विज्ञान और इंजीनियरी के संकायाध्यक्ष; और विधि, वाणिज्य और धर्म विद्या के संकायों के संकायाध्यक्षों में से एक संकायाध्यक्ष, ज्येष्ठता के अनुसार त्रक्रानुक्रम से;"

68. पृष्ठ 10'—

पंक्ति 34 और 35 का लोप कर दिया जाये,

69. पृष्ठ 10, पंक्ति 42,—

अंत में निम्नलिखित **जोड़ दिया जाय :**

"आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ;"

70. पृष्ठ 10,—

पंक्ति 42 **के पश्चात्** निम्नलिखित **ग्रन्थः स्थापित किया जाये,—**

"(xक) अध्यापनेत्तर कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि, जिसे कर्मचारी अपने में से नियुक्त करेंगे ;"

71. पृष्ठ 10,—

पंक्ति 45 का **लोप कर दिया जाये ।**

72. पृष्ठ 11. पंक्ति, 14 ;—

अंत में निम्नलिखित **जोड़ दिया जाये ।**

"आनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ।"

73. पृष्ठ 14,

पंक्ति 10 से 21 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

"33, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को चाहे वे अध्यापक हों या अन्य कर्मचारी, अपनी पसंद के संगम या यूनियन बनाने या उसमें शामिल होने का हक होगा और कोई विशिष्ट संगम या यूनियन में शामिल होने से प्रकरित रहने की बाध्यता अधिरोपित करना विश्वविद्यालय के लिये विधिमान्य नहीं होगा ।"

जहां तक इन संसोधानों का संबंध है, इनसे कोर्ट में विभागों के अध्यक्षों का अपेक्षाकर्त्ता अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और प्रोफेसरों के अलावा अन्य अध्यापको को केवल 5 ही स्थान प्राप्त होते हैं और उनको ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से रखा जायेगा । इसकी अल्प-

संख्यक आयोग ने आलोचना की थी जिसमें यह सिफारिश की है, कि लोकतान्त्रिक प्रतिमानों को सुनीश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि कोर्ट में प्रोफेसरों के अतिरिक्त अन्य संकायों को कम से कम प्रोफेसरों की संख्या के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये हमारी राय में अध्यापकेतर कर्मचारियों तथा छात्रों के प्रतिनिधित्व को हटाया जाना सर्वाधिक आपत्तिजनक है तथा एक प्रतिगामी कदम है। विद्यमान कानून उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह बात वर्तमान कानून से स्पष्ट हो जायेगी। अल्पसंख्यक आयोग ने सभा में अध्यापकेत्तर कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया है। आनुपाती प्रतिनिक द्वारा चुनाव पद्धति का वर्तमान कानून में प्रावधान है तथा अन्य संख्यक आयोग द्वारा भी उसकी सिफारिश की गई है हमारी राय है कि आनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति ही अपनायी जानी चाहिये।

जहां तक 67 से 71 तक के संशोधनों का संबंध है मैं उन्हें पेश कर रहा हूं। हम देखते हैं कि कार्यकारी परिषद में उपकुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य अब इस रूप में ज्यादा से ज्यादा प्रभावी होती जा रहे हैं कि प्रोक्टर तथा प्रोवोस्ट कार्यकारी परिषद के सदस्य होंगे जो दोनों ही उपकुलपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे अथक उपकुलपति द्वारा मनोनीत व्यक्तियों द्वारा उनका मनोकदम किया जायेगा कार्यकारी परिषद में डीनों की संख्या जो कि अब 5 हैं, घटा कर 3 की जा रही है। वहां के शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि डीन शैक्षणिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है; अतः कार्यकारी परिषद में भी अध्यापकेत्तर कर्मचारियों का कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य होना चाहिये। जहां तक अध्यापकों के प्रतिनिधित्व के चुनाव का संबंध हैं उनकी मांग है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होनी चाहियें जैसी कि प्रस्तुत कानून में व्यवस्था की गई हैं तथा जिसकी अल्पसंख्यक आयोग द्वारा भी काफी प्रबल रूप से सिफारिश की गई है।

जहां तक संशोधन 22 का सवाल है यह भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये है। इसके संबंध में हम मंत्री महोदय से अनुरोध कर रहे हैं कि वे अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों की ओर ध्यान दें तथा हमारा विचार है कि इस प्रवृति को, जो कि विधेयक में आनुपतिक प्रतिनिधित्व पद्धति के स्थान पर साधारण बहुमत पद्धति को रखकर अपनायी भी जा रही हैं, मंसूख करके उसी पुरानी आनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति को अपनाया जाना चाहिये।

जहां तक सशोधन सं० 73 का प्रश्न हैं, हम इस पर अत्याधिक बल दे रहे हैं। इसका कारण यह है जो कि आप पृष्ठ 14 पर देखेंगे। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इसपर विचार के लिये एक मिनट का समय निकाले। इसके अनूसार विश्वविद्यालय में एक अध्यापक संघ होगा और अध्यापक संघ का विधान ऐसा होगा। जैसा कि अध्यादेश द्वारा निहित किया जायेगा अब आप सोचिये कि अध्यापकों द्वारा एक संघ बनाना, अध्यापकों का एक मूलमूत अधिकार है। अध्यापकों संघ का विधान तथा उसकी संख्यका कैसी होनी चाहिये रह बात स्वयं अध्यापओं पर छोड़ दी जानी चाहिये। इसी प्रकार कर्मचारी संघों के संबंध में अधिनियम में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के निम्नलिखित वर्ग के लिये कर्मचारी संघ होंगे, यथा प्रश्न सनिक तथा अनुरूचिनीय; तकनीकी; चतुर्थ श्रेणी तथा विद्यालय अध्यापक तथा इन संघों का जिनका कि खंड (1) में हवाला दिया गया है; गठन तथा विधान ऐसा होगा।

जैसा कि अध्यादेश द्वारा विहिता किया जाये । अर्थात् वहां कितने कर्मचारी संघ होंगे तथा उनमें कितने कर्मचारी होंगे तथा उनका क्या संविधान होगा यह अध्यादेश द्वारा विहित होगा। यह निश्चय ही नौकरशाही का एक ऐसा प्रयास है । जिसके द्वारा कर्मचरियों के बीच विभाजन किया जायेगा हम इसका प्रबल विरोध करते हैं । इसे कर्मचारी संघ ने सर्व-सम्मति से अस्वीकार किया है तथा अध्यापकों ने भी इसे अस्वीकार कर दिया है । उन्होंने इस सब का विरोध किया है। इसके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आता कि आप अपने कार्यतन्त्र के द्वारा यह कैसे कर सकते हैं । किसी संघ के गठन की विधि मूलमूत्र अधिकार के संबंध में एक अधिनियम द्वारा कैसे निर्णय लिया जा मकता है ? हम इसका प्रबल विरोध करते हैं । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे मेरे संशोवन सं० 73 की स्वीकार कर लें जो कि सब दोषों के बावजूद इसे एक सत्य कानून का रूप प्रदान कर सकेगा । मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस विधेयक द्वारा कर्मचारी संघ तथा अध्यापकेत्तर कर्मचारी संघ को तीन या चार वर्गों में विभाजित करने का अधिक बिश्वविद्यालय को देश अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उस वर्तमान संघ, वर्तमान कर्मचारी संघ को कमजोर बनाने के एक प्रयास के अलावा कुछ नहीं हो जिसे कि, इस बात को चाहे मंत्री महोदय पसंद करें अथवा नहीं, सी० आ० सी० भू का समर्थन प्राप्त है। यह वह वास्तविक उद्देश्य है जिसके लिये इस खंड में यह प्रतिगामी तवा विकृत व्यवस्था की गई है । न केवल छात्र संघ और सी० आई० टी० यू० ने बल्कि अल्पसंख्यक आयोग ने भी निम्नलिखित बात कही हैं :

> "विधेयक का दूसरा अलोकतन्त्रिक नमूना इसकी धारा 33 तथा 34 हैं, ये अध्यापक संघ तथा कर्मचारी संघों से संबंधित हैं । अध्यापक संघ का संविधान तथा उसकी की संख्यका अध्यादेशों द्वारा विहित क्यों की जाये, वह स्वयं अध्यापकों द्वारा क्यों न किया जाये । जब तक वे इसके लिये सहमत न हो तब तक अध्यापनेत्तर कर्मचारियों को; अध्यादेशों के द्वारा, चार पृथक कर्मचारी संघों में विभाजित क्यों किया जाये । हम इन विषयों का उल्लेख इसलिये कर रहे है कि इनसे पता चलता है कि स्वायत्तण की प्रस्तावित पद्धति के अंतर्गत किस प्रकार शक्ति संघठित की जा रही हैं तथा किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है ।"

यह अल्पसंख्यक आयोग द्वारा की गई सिफारिश है। क्या मंत्री महोदय स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे कि वह विश्वविद्यालय की कार्यपद्धति में परिवर्तन का श्री बनतवाला द्वारा प्रस्तावित संशोधन क्यों नहीं स्वीकार कर सकते ? क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय की वजह से ? उच्चतम न्यायालय ने कहीं भी ऐसा कुछ नही कहा है जो अल्पसंख्यक आयोग द्वारा की गई शिफारिश के प्रतिकूल हो । संशोधन के केवल कुछ अंश वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण स्वीकार नहीं कर सकतें । यहां यह अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिश मात्र ही नहीं हैं बल्कि छात्र एवं अध्यापक संघों तथा अध्यापकेत्तर कर्मचारी संघों ने भी अधिनियम द्वारा संघ को गठित करने की पद्धति को अस्वीकार किया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे नौकरशाही तरीके से न चल कर मेरे द्वारा प्रस्तावित अति न्यायोचित यह संशोधन स्वीकार कर लें ।

सभापति महोदय : श्री बनतवाला, क्या आप संशोधन संख्या 79 के विषय में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री जी० एम० बनतवाला : कुछ नहीं ।

सभापति महोदय : ठीक है, अब मंत्री महोदय कहें ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : महोदय, इससे पहले कि मैं श्री चटर्जी द्वारा उठाये गये मुद्दों के विषय में कुछ कहूं, मैं प्रस्तावित संशोधन में शुद्धी करना चाहूंगा। असल में, मैं अपना संशोधन संख्या 34 पेश नहीं कर रहा क्योंकि इसमें कही गई बात संशोधन में 52 में पहले ही निहित है। किंतु पृष्ठ पर वहां भूल से एक मुद्रण-कला संबंधी अशुद्धी हो गई है। मैं नहीं जानता कि आप इसे किस प्रकार शुद्ध करेंगे ? किंतु उसे शुद्ध किया जाना है ।

मेरा विचार है कि ',शैल टेक" शब्द फालतू हैं। इनका लोप किया जाना चाहिए। यह मुद्रण-कला सम्बन्धी अशुद्धि है जिसे शुद्ध किया जा सकता है यदि सभा इसकी अनुमति दें।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि सभा की अनुमति से इस संशोधन को भी पेश किया गया समझा जाये ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें यह लिखित में देना चाहिये था ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने अभी उसे लिखित में प्रस्तुत किया है—

संशोधन किया गया

80 पृष्ठ 7, पंक्ति 13,—

"वह करेगा" का **लोप किया जाये** ।

मेरी राय है कि श्री चटर्जी ने छात्रों और अध्यापकों के हितों की वकालत की है। मैं उनकी दुविधा में उनका सहभागी हूं क्योंकि उनसे उन लोगों ने मुलाकात की है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझसे उन लोगों ने नहीं, सब लोगों ने मुलाकात की है ।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मुझसे प्रोफेसर खुसरो, उपकुलपति तथा अन्य प्रतिनिधियों, अध्यापकों आदि ने भी मुलाकात की थी। तथा अन्ततः यह खंड विधेयक में प्रस्तावित किया गया है। परन्तु हम इस खंड की आलोचना पर विचार करते हैं जोकि अल्पसंख्यक आयोग द्वारा पृष्ठ 17 पर की गई है। इसलिये मेरा संशोधन यह है कि इन सब मामलों में प्राधिकारियों को संबंधित लोगों से पूर्व-परामर्श कर लेना चाहिए । किंतु ये प्राधिकारी आखिर कौन है? श्री सोमनाथ चटर्जी का यह कहना सही नहीं है कि वे लोग नौकरशाह हैं। वस्तुतः वे लोग वे निर्वाचित सदस्य हैं, जो इन निकायों का गठन करते हैं और वे ही अध्यादेश बनायेंगे और वे निश्चय ही इन निकायों से परामर्श के बाद उन्हें बनायेंगें जिससे कि वे इन सभी संबंधित वर्गों की इच्छाओं का

ध्यान रख सकें। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह संशोधन जो मैंने पेश किया है श्री सोमनाथ चटर्जी के मन की शंका को दूर कर सकेगा। अतः मैं उनका संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

सभापति महोदय : पहले मैं संशोधन सं० 79 को निपटाऊंगा जोकि एक संशोधन का संशोवन है।

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं अपना संशोधन 79. पेश नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : उससे काम आसान हो गया ? अब मैं सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपने संशोधन 73 को पृथक् से रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय : ठीक है, अब मैं श्री बनतवाला के संशोधन सं० 10 से 19, 77 तथा 78 तथा संशोधन सं० 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 तथा 72 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए]

सभापति महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन सं० 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51 तथा 52 सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

30. पृष्ठ 6, पंक्ति 9 से 11, —

"सभा द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार साधारण बहुमत से "**के स्थान पर**" अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकत्र संक्रमणीय मत द्वारा" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

31. पृष्ठ 6,

पंक्ति 20 और 21 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये।**

"आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा"

32. पृष्ठ **7,** पंक्ति 24 और 25,

"कोर्ट द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार साधारण बहुमत से "**के स्थान पर**" आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा" **प्रतिस्थापित किया जाये।**

33. पृष्ठ 9,

पंक्ति 9 से 13 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** :

"ऐसे अध्यापकों के प्रतिनिधि जो विभागपति और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य नहीं हैं।

(xii) पांच प्रोफेसर, जो विभागपति नहीं है, जो स्वयं उनमें से निर्वाचित होंगे।

(xiii) पांच रीडर, जो स्वयं उनमें से निर्वाचित होंगे ।

(xiv) पांच अध्यापक, जो उन्हीं में से निर्वाचित होंगें ।

गैर-अध्यापक कर्मचारियों के प्रतिनिधि

(xv) गैर -अध्यापक कर्मचारियों के प्रतिनिधि जो स्वयं उनमें से निर्वाचित होंगे,"

35. पृष्ठ 9, पंक्ति 18,—

"(xvi)" **के स्थान पर** "(xvi)" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

36. पृष्ठ 9, पंक्ति 23,—

"(xvii)" **के स्थान पर** "(xviii)" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

37. पृष्ठ 9, पंक्ति 26,—

"(xviii) **के स्थान पर** "(xix)" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

38. पृष्ठ 9, पंक्ति 29,—

(xix) **के स्थान पर** "(xx),' **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

39. पृष्ठ 9, पंक्ति 32,—

"(xx)" **के स्थान पर** "(xxi)" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

40. पृष्ठ 9, पंक्ति 37,—

"xxi)" **के स्थान पर** (xxii) **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

41. पृष्ठ 9, पंक्ति 40,—

"xxii)" **के स्थान पर** "xviii) **प्रतिस्थापित किया जाये।**

42. पृष्ठ 10, पंक्ति 1,—

"(xxiii)" **के स्थान पर** "(xxiv)" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

43. पृष्ठ 10, पंक्ति 3,—

"(xxiv)" **के स्थान पर** "(xxv)" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

44. पृष्ठ 10, पंक्ति 5 और 6,—

"मद (xxii) से (xxiv) तक" **के स्थान पर**" मद (xxiii) से (xxv) तक" **प्रतिस्थापित किया जाये ।**

45. पृष्ठ 10,

पंक्ति 10 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थपित किया जाये ।**

मद (xvi) से (xxv) तक के अन्तर्गत सदस्य बनने के लिये ग्राह्य :

बशर्ते कि मद (xii) से (xix) तक तथा मद (xxii) के अन्तर्गत चुनाव भी अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ही होंगे ।"

46. पृष्ठ 10, पंक्ति 38,—

"इसके द्वारा" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये

"आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा"

47. पृष्ठ 10, पंक्ति 43,—

"स्वयं उनमे से" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये

"आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल सक्रमणीय मत द्वारा" 48 पंक्ति 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये ।

"स्वयं उनमें से ही आनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा".

51. पृष्ठ 9,

पंक्ति 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये ।

"ज्येष्ठता के अनुसार चक्रान्द्रकम से 20 विभागपति"

52 पृष्ठ 9, पंक्ति 15,—

"(xv) इस" के स्थान पर "(xvi) पम्प है" प्रतिस्थापित किया जाये ।

प्रस्तावित स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब मैं श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा पेश किये गए संशोधन संख्या 73 को मत-विभाजन के लिए रखता हूं

(संशोधन 73) प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 14,—

पंक्ति 10 से 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"33, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को चाहे वे अध्यापक हों या अन्य कर्मचारी, अपनी पसन्द के संगम या यूनियन बनाने या उनमें शामिल होने का हक होगा और कोई विशिष्ट संगम या यूनियन में शामिल होने या शामिल होने से प्रविरत रहने की बाध्यता अधिरोपित करना विश्वविद्यालय के लिए विधिमान्य नहीं होगा ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

विभाजन संख्या 26 16.45 बजे

पक्ष में

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
कृष्णन, श्रीमती पार्वती
किस्कू, श्री जदुनाथ
गोस्वामी, श्रीमती विमा घोस
चटेर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्रप्पन, श्री सी० के०
दामाणी, श्री एस० आर०
नारायण, श्री के० एस०
पटनायक, श्री शिवाजी
फैलीरो एजुआर्डो, श्री
बनतवाला, श्री जी० एम०
बसु, श्री धीरेन्द्र नाथ
भगतराम, श्री
भट्टाचार्य, श्री दीनेन
मावलंकर, प्रो० पी० जी०
मिर्धा, श्री नाथुराम
मिश्र, श्री जी० एस०
मुखर्जी, श्री समर
मेदुरी, श्री नागेश्वरराव
मैथ्यु, श्री जार्ज
राचैया, श्री बी०
राजू, श्री पी० वी० जी०
राव, श्री जलगाम कोडाला
रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल
रेड्डी, श्री जी० एस०
लक्ष्मीनारायण, श्री एम० आर०
शिव शंकर, श्री पी०
सान्याल, श्री शशांकसेखर
साहा, श्री ए० के०
साहा, श्री गदाधर
सूर्यनारायण, श्री के०

विपक्ष में

अब्दुल लतीफ, श्री
अमात, श्री डी०
अलहाज, श्री एम०ए० हनान
अहमद, श्री हलीमुद्दीन
आरिफ बेग, श्री
आदूजा, श्री सुभाष
ओंकार सिंह, श्री
कपूर, श्री लखन लाल
कृष्ण कान्त, श्री
किशोर लाल, श्री
कुन्डु, श्री समरेन्द्र
कुरील, श्री आर० एल०
कुरील, श्री ज्वाला प्रसाद
कुशवाहा, श्री रामनरेश
कोन्नाशेट्टी, श्री ए० के०
खां, कुंवर महमूद अली
खां, श्री गुलाम मोहम्मद
खां, श्री महमूद हसन
खां, श्री मोहम्मद शमसुल हसन
गंगा भक्त सिंह, श्री
गंगा सिंह, श्री
गट्टानी, श्री आर० डी०
गुप्त, श्री कंवर लाल
गोरे, श्रीमती मृणाल
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
घोषाल, श्री सुधीर
चतुर्भुज, श्री
चतुर्वेदी, श्री शंभुनाथ
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्रा, डा० प्रताप चन्द्र
चन्द्रावती, श्रीमती
चावड़ा, श्री के० एस०
चेतरी, श्री छत्र बहादुर
चौहान, श्री नवाब सिंह

चौहान, श्री भारत सिंह
जसरोटिया, श्री बलदेव सिंह
जुल्फिकार उल्ला, श्री
जैन, श्री निर्मल चन्द
जायस्वाल, श्री अनन्तराम
ठाकरे, श्री कुशाभाऊ
डान, श्री राज कृष्ण
ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह
तन सिंह, श्री
तिवारी, श्री मदन
तेज प्रताप सिंह, श्री
त्यागी, श्री ओम प्रकाश
त्रिपाठी, श्री माधव प्रसाद
दंडवते, प्रो० मधु
दत्त श्री अशोक कृष्ण
दास, श्री श्याम सुन्दर
दिग्विजय नारायण सिंह, श्री
दुर्गाचन्द कंवर, श्री
देशमुख, श्री राम प्रसाद
देसाई, श्री मोरारजी
धारा, श्री सुशील कुमार
धारिया, श्री मोहन
नाथू सिंह, श्री
नथवानी, श्री नरेन्द्र पी०
नथूनी राम, श्री
नायक, श्री लक्ष्मीनारायण
नेगी, श्री टी० एस०
पंडित, डा० वसन्तकुमार
पटेल, श्री एच० एम०
पटेल, कुमारी मणिबेन वल्लभभाई
परस्ते, श्री दलपतसिंह
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पांडे, श्री अम्बिका प्रसाद
पाटिल, श्री एस०डी०
पासवान, श्री राम विलास
पिपिल, श्री मोहन लाल

प्रधान, श्री पवित्र मोहन
बटेश्वर हेमराम, श्री
बड़ कटगी, श्रीमती रेणुकादेवी
बलदेव, प्रकाश डा०
बलवीर सिंह. चौधरी
बालकराम, श्री
बोरोले, श्री यशवन्त
बृजराज सिंह, श्री
भारत भूषण, श्री
मंगलदेव, श्री
मंडल, श्री धनिक लाल
मछण्ड, श्री रघुवीर सिंह
मलिक, श्री मुख्तियार सिंह
मल्होत्रा, श्री विजय कुकार
महिषि, डा० सरोजिनी
मिर्जा, श्री सैयद काजिम अली
मृत्युंजय प्रसाद
मिश्र, श्री श्यामनन्दन
मुरमू, फादर एन्थनी
महालगी, श्री आर० के०
मेहता, श्री अजीत कुमार
मोहम्मद हयात अली, श्री
यादव, श्री रामजी लाल
यादव, श्री विनायक प्रसाद
यादवेन्द्रदत्त, श्री
युवराज, श्री
रणजीत सिह, श्री
रशीद मसूद, श्री
राघवजी, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राठौर, डा० भगवान दास
राम किंकर, श्री
रामकिशन श्री
रामजी सिंह, डा०
राय, श्री गौरी शंकर
रेड्डिक्स, श्री रुड़ोलन

लियाकत हुसैन, श्री सैयद
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
शर्मा, श्री जगन्नाथ
शर्मा, श्री यज्ञदत्त
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
शाक्य, श्री दयाराम
शास्त्री, श्री भानु कुमार
शिव नारायण, श्री
शेठ, श्री विनोदभाई बी०
शेर सिंह, प्रो०
श्रीकृष्ण सिंह, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सरकार श्री शक्ति कुमार
आरण, श्री दौलतराम
साय, श्री लारंग
साय, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव
साहू, श्री एन्थू
सिंह, डा० बी० एन०
सिकन्दर बख्त, श्री
सिंधा, श्री सचिन्द्र लाल
सिन्हा, श्री पूर्ण नारायण
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण
सुमन, श्री रामजी लाल
सेन, श्री प्रफुल्ल चन्द्र
सैनी, श्री मनोहर लाल
सोमानी, श्री एस० एस०
स्वामी, डा० सुब्रह्मण्यम
हुकमराम, श्री

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार हैं : पक्ष में 31, विपक्ष में 137

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत दिया :

पक्ष में : श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर

विपक्ष में : सर्व श्री राम जेठमलानी, एम० पी० सिन्हा, डॉ० विजय मण्डल, श्री मती पी० चव्हाण और श्री रूप नाथ सिंह यादव ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब मैं संशोधित रूप में खण्ड 22 को सभा के मत विभाजन के लिए रखता हूं :

"कि संशोधित रूप में खण्ड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संशोधित रूप में खण्ड 22 को विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 23 को विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 24 को विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1 पंक्ति 4

"1978" के स्थान पर "1979" प्रतिस्थापित किए जाये (डॉ० प्रताप चन्द्र चंदर)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संशोधित रूप में खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संशोधित रूप में खण्ड 1 को विधेयक में जोड़ दिया गया

अधिनियम सूत्र

किया गया संशोधन :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"उन्तीसवां" के स्थान पर "तीसवां" प्रतिस्थापित किया जाए।

(डा० प्रताप चन्द्र चंदर)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि संशोधित रूप में अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संशोधित रूप में अधिनियमन सूत्र को विधेयक में जोड़ दिया गया

नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"कि संशोधित रूप में विधेयक पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया—

"कि संशोधित रूप में विधेयक पारित किया जाए।"

श्री जी० एम० बनातवाला : यद्यपि विधेयक में कुछ सुधार किया गया है फिर भी इस में गम्भीर कमियां है। सरकार ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान करने की मुख्य मांग के प्रति हठधर्मिता दिखाई है। दुर्भाग्यवश यह मांग अस्वीर कर दी गई है और भारत के करोड़ों मुसलमानों की आशाओं पर पानी फिर गया है। मैं इस मुख्य मांग के प्रति सरकार के रवैये का विरोध करता हूं और विरोध स्वरूप भारी दिल से सदन से "वाक आऊट' करता हूं।

तत्पश्चात माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।

डॉ० प्रताप चन्द्र चन्द्र : महोदय, इस विधेयक को पेश करते समय और अपने उत्तर में से भी मैं काफी विस्तार से यह स्पष्ट कर चुका हूं कि सरकार इस विश्वविद्यालय के मूल स्वरूप के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए काफी उत्सुक है मैंने बताया है कि 1951 की स्थिति पुनः कायम की गई है और जैसा कि अल्पसंख्यक आयोग ने पहले ही यह बता दिया है कि 1920 और 1951 के दोनों अधिनियम में, इसका जो सही अल्पसंख्यक स्वरूप है वह बना हुआ है अर्थात् मुसलमानों की संस्कृति की रक्षा की जाए, मुस्लिम साहित्य, भाषा और अन्य मामलों का विशेषकर इस समुदाय द्वारा भारतीय सभ्यता तथा विश्व सभ्यता में किए गए योगदान का गहराई से अध्ययन किया जाये और इसमें कोई बाधा नहीं माननी चाहिए। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय से शक्ति प्राप्त है और वह विधेयक के खण्ड 4 जिसे इस माननीय सदन ने पारित किया है, खास रूप से उल्लिखित "विशेष रूप से भारतीय मुसलमानों की शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रगति को प्रोत्साहित करने हेतु" कानून बना सकेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के किसी एक दल द्वारा इस संस्थान का प्रशासन मात्र सम्भाले जाने के बजाय वास्तव में इसका अल्पसंख्यक स्वरूप कायम रहेगा।

जैसा कि पहले बताया गया है, आरम्भ से ही यह संस्थान कभी भी किसी एक धार्मिक समुदाय के हाथ में नहीं रहा है। मुझे यह बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि जब श्री सैयद अहमद ने पिछली शताब्दी में इस संस्थान की स्थापना की थी तो उन्हें उस समय के हिन्दुओं में इतना विश्वास था कि जब उन्होंने देश छोड़ा तो वह अलीगढ़ विश्वविद्यालय सम्बन्धी कोर्सों का प्रभार

राजा जय कृष्ण दास के हाथों में सौंप गये थे। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला द्वारा 1971 में प्रकाशित इंडिया और कांटम्परेरी इस्लाम नामक पुस्तक से एक उद्धरण पढ़ रहा हूं। इस पुस्तक में कहा गया है कि :—

"प्रो० शेरवानी ने वर्तमान लेख के विशिष्ट संदर्भ में, कहा है कि सर सैयद ने कभी भी द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को पेश नहीं किया और गैर-राजनीतिक मुस्लिम राय कायम करने में उनकी भूमिका को गलत समझा गया और जहां तक सर सैयद का सम्बन्ध है, जब वह विदेश गये तो उन्होंने वह राजा जय कृष्ण दास को, जो उनके दायें हाथ थे, ललीगढ़ के कार्य का भार सौंप गए थे।"

इस प्रकार देखा जा सकता है कि आरम्भ से ही हिन्दू भी इससे सम्बद्ध थे और जैसा कि प्रो० शेरवानी ने बताया है एक अकेला हिन्दु अलीगढ़ विश्वविद्यालय का प्रभारी था।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : इस पुस्तक का लेखक कौन हैं ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : इस पुस्तक का सम्पादन श्री एस०टी लोखण्डवाला ने किया है। एक गोष्ठी हुई थी और उसके अनेक लेखकों ने अपने लेख पढ़े थे और इन लेखों के आधार पर चर्चा हुई थी। प्रो० शेरवानी ने भी एक लेख "सैयद अहमद की सामाजिक धार्मिक विचारधारा "भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि :

"वह देश के सभी विभागियों के लिए एक कौम एक राष्ट्र के सिद्धांत को मानते थे। उन्होंने सुचारु रूप से कहा था कि "यदि हम एक क्षण के लिए 'भगवान' की अपनी धारणा को भूल जाएं तो दैवंदिन जीवन के सभी मामलों में हिन्दू और मुसलमान वस्तुत: धरती की संतान के रूप में एक कौम, एक राष्ट्र हैं, दो नहीं और देश की प्रगति तभी हो सकती है जब हमारे दिल मिले हुए हों और पारस्परिक सहानभूति और प्रेम हो—"

"मुझे उन लोगों को देखकर दुःख होता है जो यह बुनियादी बात नहीं समझते हैं और ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं। जो अंततः भारतीयों के दो समुदायों की बीच दरार डालेंगे।"

वह दूरदर्शक थे और चूंकि उन्हें भारतीय मुसलमानों और भारतीय हिन्दुओं ने एक रास्ट्र के सिद्धान्त को नहीं माना गया अत: देश का विभाजन हुआ। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण था। अत: हमने इस विधेयक में जो व्यवस्था की है वह वस्तुत: सर सैयद अहमद के आदर्शों के अनुरूप है ताकि हम इन विचारों को कार्यरूप देने के लिए मिलकर काम कर सकें।

सभापति महोदय : अब मैं इसे मतदान के लिए रखता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : सभापति महोदय : मैं भी बोलना चाहता हूं। मैंने आप से रिक्वेस्ट की थी। आपने मौका नहीं दिया और मंत्री महोदय को बुला लिया। मैं तो बहुत रेग-रली बोलने के लिए खड़ा होता हूं।

सभापति महोदय : अब यह संभव नहीं है।

श्री नाथू राम मिर्धा : आपके लिए सब कुछ संभव है । मुझे दो मिनट दे दीजिए ।

सभापति महोदय : मुझे खेद है, अब ऐसा नहीं हो सकता है । मंत्री महोदय के उत्तर के बाद ऐसा नहीं हो सकता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापति महोदय, आप को अधिकार है । मुझे सिर्फ दो मिनट दे दीजिए ।

सभापति महोदय : आपको अपना नाम भेजना चाहिए था । मुझे खेद है; अब नहीं ।

प्रश्न यह है :

"कि संशोधित रूप में विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विशेष न्यायालय विधेयक राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार

सभापति महोदय : अब हम कार्य की अगली मद पर आते हैं । अभी 3-4 मिनट हैं । श्री एच० एम० पटेल ।

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि किसी विशेष वर्ग के अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के लिए विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :—

उद्देशिका

(1) पृष्ठ 2, पंक्ति 2 के **पश्चात** निम्नलिखित **अन्तः स्थापित** किया जाए, अर्थात्:—

"और सभी शक्तियां एक न्यास हैं एवं ऊंचे सार्वजनिक और राजनैतिक पदों के धारक अपनी शक्तियों के लिए ऐसे सभी मामलों में उत्तरदायी हैं, जिनमें जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त जांच आयोग अथवा सरकार द्वारा अपने अभिकरणों के माध्यम से कराए गए अन्वेषणो से प्रकट हुआ है कि ऐसे धारकों ने अपराध किए हैं,"

खण्ड 3

(2) पृष्ठ 2, पंक्ति 33-34 के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,— अर्थात्:—

"(2) विशेष उच्चन्यायालय के सेवारत न्यायाधीश से बनेगा जिसे उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के अन्दर विशेष न्यायालय स्थित है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से नाम-निर्दिष्ट करेगा ।

स्पष्टीकरण—किसी उच्च न्यायालय को या किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या किसी न्यायाधीश को, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की बाबता जहां न्यायिक आयुक्त का न्यायालय हो, किसी निदेश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह, यथा स्थिति, न्यायिक आयुक्त के उक्त न्यायालय को या न्यायिक आयुक्त को या किसी अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त को किया गया है।"

खण्ड 5

(3) पृष्ठ 3, पंक्ति 1 और 2,—

"उद्देशिका में उल्लिखित अवधि के दौरान" शब्दों का लोप कर दिया जाये।

खण्ड 11

(4) पृष्ठ 4,—

(i) पंक्ति 14 और 15 में, "निर्णय या आदेश से" शब्दों के स्थान पर "निणय, दण्डादेश या आदेश से, जो अन्तर्वर्ती आदेश नहीं है," प्रतिस्थापित किया जाये;

(ii) पंक्ति 17 में, "निर्णय या आदेश" शब्दों के स्थान पर "निर्णय, दण्डादेश" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(iii) उपखण्ड (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(3) इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक अपील विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अन्दर की जाएगी :
परन्तु उच्चतम न्यायालय उक्त तीस दिनों की अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा। यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिनों की अवधि के अन्दर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण थे।"

महोदय, विशेष न्यायालय विधेयक 1979 लोक सभा 9 मार्च 1979 को पारित किया गया था। राज्य सभा ने इस विधेयक की उद्देशिका तथा खण्ड संख्या 3,5 तथा 11 में संशोधन करके विधेयक को पारित किया है। इन संशोधनों को पढ़कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। संक्षेप में, उद्देशिका और खण्ड (5) में संशोधनों का अर्थ यह होगा कि विधेयक का क्षेत्राधिकार केवल आपातकाल के दौरान हुए अपराधों तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह विधेयक में उल्लिखित वर्गों द्वारा इस काल के अतिरिक्त किए गए अपराधों को भी शामिल किया जायेगा। खण्ड (3) के उप खण्ड (2) में परिवर्तन का अर्थ यह होगा कि विशेष न्यायालय की अध्यक्षता कर रहे उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश का नाम निर्देशन केन्द्रीय सरकार द्वारा न किया जा कर उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जिसके क्षेत्राधिकार में विशेष न्यायालय बनाया जायेगा।

राज्य सभा ने एक समय-सीमा निर्धारित करने के लिए खंड 11 में उपखंड 3 अंतःस्थापित किया है जिसके अंतर्गत यह उपबंध है कि 30 दिन के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। खंड 11 के उपखंड (1) में संशोधन करके यह उपबंध किया गया है कि वादकालीन आदेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य सभा द्वारा किसी विशेष वर्ग के अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने वाले विधेयक में किये गए संशोधनों पर विचार किया जाए।

श्री एच० वी० कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

प्रो० पी०जी० मावलंकर (गांधीनगर) : आपको ये उपबंध करने के लिए राज्य सभा की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी और इस उद्देश्य के लिए फिर से इस सदन के सम्मुख क्यों आना पड़ा। **(व्यवधान)**

श्री एच० वी० कामत : अनुच्छेद 143 और 108...

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से व्यवस्था का प्रश्न कल ही उठाया जा सकेगा।

नयी दिल्ली में 1 मई, 1979 को युवक कांग्रेस (आई) के जलूस के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसक घटनाओं पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब हम परसों घटी एक घटना के बारे में चर्चा आरम्भ करते हैं। कार्य मंत्रणा समिति के परामर्श से हमने यह प्रक्रिया अपनाई है कि सबसे पहले हम बैलट के अनुसार सदस्यों को बोलने के लिए पुकारेंगे अर्थात् ध्यानाकर्षण रचनाओं का बैलट करके चुने गये सदस्यों के नाम पुकारेंगे। इसके अतिरिक्त दो सदस्य ऐसे है जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उनके नाम पुकारे जायेंगे; और सी०सी०आई०, कांग्रेस (आई), कांग्रेस और जनता पार्टी के एक-एक सदस्य को बोलने का अवसर दिया जायेगा। यही प्रक्रिया अपनायी गई है।

अब श्री सौगत राय इस घटना के बारे में अपने विचार रखें। किसी भी सदस्य को 10 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है। सभा की बैठक 7 बजे तक चलेगी।

श्री सौगतराय (बैरकपुर) : दो दिन पूर्व राजधानी दिल्ली में एक घटना घटी थी। इस घटना का ब्यौरा देने से पूर्व मैं अपने मित्र और सहयोगी श्री रामलिंगम की खैर की दुआ करता हूं जो उस दिन लाठी के प्रहार से घायल हुए थे और जो अब अस्पताल में तेजी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 मई की घटना से जो कुछ भी हुआ हो किन्तु इतना तो है ही कि उसने भारतीय राजनीति के एक विवाद को हल कर दिया है। यह एक बड़ा प्रश्नचिन्ह है, एक बड़ी समस्या है जिसे किसी न किसी रूप में विवाद कहा जा सकता है। इससे मुझे कुछ ऐसे व्यक्तियों

की एक कहानी याद आती है जो किसी सज्जन को मिलने गये । उन सज्जन की नन्हीं लड़की मकान से बाहर थी । उन्होंने लड़की से कहा, क्या तुम्हारे पिताजी घर पर हैं ?" वह भीतर गयी और बाहर आकर कहने लगी कि "उसके पिता ने कहा है कि वह आपसे कहे कि वह घर पर नहीं हैं ।" इसी प्रकार का विवाद कुछ समय से भारतीय राजनीति में चल रहा है कि क्या राजनीति में श्री संजय गांधी की दखल हैं अथवा नहीं, उनकी माता ने कई बार कहा कि राजनीति में उनकी कोई दखल नहीं है : वह अपने मामलों में बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं और वह सामाजिक कार्य कर रहे हैं । किन्तु जब उन्हें 'किस्सा कुर्सी का' के मामले में दोषी ठहराया गया तो उनकी माता तिहाड़ जेल गईं और कहा : "यह एक राजनीतिक बदला है ।"

सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि हाल ही में, दिल्ली में ए आई.सी.सी. (आई) का अधिवेशन हुआ और उसमें श्री देवराज अर्स, जो कर्नाटक के मुख्य मंत्री भी हैं, उपस्थित थे तथा उन्होंने कहा, "यदि मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के विचार को सही जान सका हूं तो वह अपने पुत्र को राजनीति के क्षेत्र में आगे नहीं लायेंगी । केवल कुछ ही लोग उनका कृपापात्र बनने के लिए गुप्त रूप से उनके पुत्र को साधन बना रहे हैं ।" यह बातें श्री देवराज अर्स ने ए.आई.सी.सी. (आई) के अधिवेशन में कही थी । इससे भी आश्चर्यजनक बातें माननीय सदस्य एवं विपक्ष के नेता ने 30 अप्रैल, 1979 को त्रिवेन्द्रम में कही थीं प्रेस सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने एक वक्तव्य दिया जो 1 मई को मलयालम के एक पत्र में प्रकाशित हुआ था । उन्होंने कहा था :

> "भारतीय राजनीति तथा इस युग का सबसे बड़ा झूठ यह है कि राजनीति में संजय गांधी की दखल है ।"

वह न तो कांग्रेस (आई) में हैं और न ही युवक कांग्रेस में । यह सब कुछ श्री स्टीफन ने 30 अप्रैल को कहा था । यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति में संजय गांधी की दखल है । उन्होंने आपात स्थिति की घोषणा करवाने के लिए जी तोड़ कोशिश की, वे राजनीति में आये और भारत के भ्रष्ट लोगों को अपना ही एक राष्ट्रीय नेता मिल गया । (**व्यवधान**) । इस घटना की चर्चा करने से पूर्व मैं पुनः इस घटना के बारे में एक-दो टिप्पणियां करूंगा । इसका अर्थ यह हुआ कि श्री संजय गांधी जहां कहीं भी जाते हैं वहीं अव्यवस्था पैदा कर देते हैं—चाहे वह तीस हजारी न्यायालय हो, या शाह आयोग हो, या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के मामले की सुनवाई के लिए देहरादून हो और चाहे 1 मई के दिन जनपथ हो । हमने देखा है कि जहां संजय गांधी जाते हैं वहीं उपद्रव होता है । मैं नहीं जानता कि इस सबके लिए वह पूर्णतया जिम्मेदार हैं या नहीं, परन्तु जिन लोगों पर प्रशासन की जिम्मेदारी है वे इस बात पर ध्यान दें कि इस देश का और न्यायालयों का वातावरण उनकी उपस्थिति में नारेबाजी तथा न्यायाधीशों की खुली अवमानना करके दूषित कर दिया गया है । इसीलिए यह प्रश्न उठता है कि 1 मई को यह घटना कैसी घटी । 1 मई को युवक कांग्रेस एक प्रदर्शन का आयोजन करने वाली थी निस्सन्देह, इस बात से कुछ लोगों को आश्चर्य हो कि यह घटना उस दिन घटी जबकि विश्व के श्रमिकों ने संगठित होने की प्रतिज्ञा की थी । एक कार फैक्टरी के भूतपूर्व स्वामी ने जलूस निकालने का निश्चय किया; हो सकता था कि इससे भविष्य में संगठित होने के लिए श्रमिकों को अधिक

शक्ति मिलती। यह बात भली भांति मालूम थी कि वह जलूस निकालने जा रहे हैं, हिंसा भड़काने की उनकी प्रवृत्ति भी सर्वविदित थी। यह सब जानते हुए भी दिल्ली प्रशासन क्या करता रहा? जलुस मिन्टो ब्रिज से आरम्भ हुआ; वह कनाट सर्कस की व्यस्त सड़कों से होकर गुजरा। यदि जलूस संसद भवन तक जाना था तो वह संसद मार्ग होकर क्यों नहीं आया? इसके बदले जनपथ का व्यस्त दुकानों वाला क्षेत्र चुना गया। जलूस के जनपथ पर पहुंचते ही दंगा शुरू हो गया और दुकानदारों को जबरन दुकानें बंद करने के लिए कहा गया और उसके बाद पथराव किया गया। मेरी शिकायत यह है कि दिल्ली पुलिस को इसके बारे में पहले से कोई खबर नहीं थी; उन्होंने कोई निवारक उपाय नहीं किये। जिस समय जलूस निकाला जा रहा था, उसके साथ पर्याप्त संख्या में पुलिसमैन नहीं थे। इसके अलावा, जब जलूस हिंसा पर उतर आया तो पुलिस ने बर्बरता के साथ लाठियां चलानी आरम्भ कर दी थी। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नही है कि इस घटना में इस प्रकार लाठीचार्ज करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं श्री कुडनथाई रामलिंगम को देखने अस्पताल गया; वह बुरी तरह से घायल हुए है। हम सरकार से यह प्रश्न करना चाहते हैं कि क्या इस घटना को टाला नहीं जा सकता था। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि राजनीतिक व्यक्तियों और हमारे संसद के सहयोगियों के अतिरिक्त जलूस में ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो समाज विरोधी तत्वों के नाम से जाने जाते हैं तथा ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका आपात स्थिति लाने में हाथ रहा। मैं यहां पर उनका नाम नहीं लेना चाहता। वहां ऐसे लोग भी थे जो जाने-माने अपराधी हैं। फिर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं यहां पर फोटो पेश नहीं करना चाहता। मेरे पास एक ऐसी फोटो है जिसमें श्री संजय गांधी पर लाठी चार्ज किया जा रहा है और एक दूसरी फोटो में श्री संजय गांधी अपने आपको छुड़ाने के लिए उप-आयुक्त को जोर से पकड़े हुए हैं। मैं फोटो की इस राजनीति में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो यही कहूंगा कि एक ओर से हिंसा भड़की तो दूसरी ओर से पुलिस ने बर्बता से लाठी चार्ज किया। इसीलिए ऐसी स्थिति का मुकाएला करने की दिल्ली पुलिस की क्षमता के बारे में प्रश्न उठता है। पुलिस दिल्ली में चोरियां तथा अन्य अपराध रोकने में असमर्थ है। उसने हिंसा को भड़कने से रोकने के लिए कोई निवारक उपाय नहीं किये और न ही जलूस को प्रमुख बाजार वाले क्षेत्र से गुजरने से रोका. पुलिस इससे बड़े जलूस को कैसे संभाल पायेगी?

मुझे पता लगा है कि संजय गांधी का जलूस विशेष न्यायालय विधेयक के विरोध में था। यह भी इस घटना का एक नया पहलू है। विशेष न्यायालय विवेयक को चाहे कोई पसंद करे या नहीं लेकिन उसे संसद के दोनों सदनों ने पारित कर लिया है और अब वह राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों सहित लोक सभा के विचाराधीन है। क्या हम इस देश में इस प्रकार की राजनीति को अनुमति दे रहे हैं कि जो मामले विधायिका द्वारा निपटाये जाने हों उन्हें सड़कों पर निपटाया जाये। सड़क की इन राजनीति को कौन प्रोत्साहन दे रहा है? क्या सरकार वास्तव में समर्थ है। क्या सरकार इस चुनौती का सामना करने के लिए कृतसंकल्प है तथा क्या उसमें सामर्थ्य है और क्या वह मानसिक रूप से इसके लिए तैयार है? यह वे प्रश्न हैं जो सरकार के सामने उठाये जा रहे हैं। इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है कि क्या विशेष न्यायालय विधेयक अच्छा है या

बुरा किन्तु मैं उस व्यक्ति से पूर्णतः असहमत हूं जो कहता है कि हम कानून की अवज्ञा करेंगे और मामले को सड़क पर निपटायेंगे । यह कोई तरीका नहीं हैं कि लोकतंत्र में मामले इस तरह निपटाये जायें; इस तरीके से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा ।

संजय गांधी के इस जलूस में केवल 2000 व्यक्ति थे, आरम्भ में कांग्रेस (आई) पार्टी ने इस जलूस को कोई महत्व नहीं दिया गया और बाद में उसने एक वक्तव्य दिया जिसमें पुलिस द्वारा बर्बरता से लाठी चार्ज किये जाने की घटना की निंदा की गई । श्री स्टीफन ने भी बाद में कुछ कहा और जलूस का समर्थन किया । अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस उस जलूस को नियंत्रित करने के लिए समर्थ है जिसे कांग्रेस (आई) 16 तारीख को निकालने का विचार कर रही है और इससे जो काफी बड़ा जलूस होगा । जब पुलिस 2000 व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं रख पाई तो 50,000 या एक लाख की संख्या वाले जलूस पर किस प्रकार नियंत्रण रख पायेगी । सरकार के सामने यह प्रश्न रखा जा रहा है कि क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं । मुझे इस बात की सूचना मिली है कि न केवल इस राजधानी में अपितु देश की अन्य राजधानियों में भी भ्रष्ट लोग एक झण्डे के नीचे एकत्रित होने जा रहे हैं । हम जानते हैं कि बंगाल में इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई थी, कमल नाथ नाम के एक उद्योगपति ने दत्त आयोग की सुनवाई के दौरान ऐसी ही स्थिति पैदा कर दी थी और पुलिस कुछ नहीं कर पाई । इस तरह की घटनायें सारे देश में हो रही हैं, अतः सरकार को चाहिए कि वह इस ओर ध्यान दे ।

इसीलिए मैं कहता हूं कि पुलिस की समुचित कार्यवाही से 1 मई को हुई घटना टाली जा सकती थी । दुकानदारों को जो एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है, यह सरकार इसकी पूर्ति नहीं करेगी । यह सरकार उन घायल लोगों की, जिसमें दुकानदार भी शामिल है मदद नहीं करेगी जिनके फोटो मेरे पास हैं और न ही मेरे सहयोगियों की देख-रेख करेगी जो अस्पताल में है । 1 मई को जब यहां जलूस निकल रहा था तो उस दिन श्रीमती गांधी लखनऊ से एक प्रेस सम्मेलन में बोल रही थीं । यह एक बहुत रोचक प्रेस सम्मेलन था जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें विश्वास नहीं है कि श्री मुरारजी देसाई, श्री कांति देसाई को राजनीति में लाने के प्रयास कर रहे हैं और न ही उन्हें इस बात पर विश्वास है कि श्री कांति देसाई को गुजरात पर मुख्य मंत्री के रूप में थोपा जा रहा है, जैसा कि कुछ लोगों ने आरोप लगाया है । (**व्यवधान**) अन्त मैं यही कुछ पूछना चाहता हूं कि क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लखनऊ में दिये गये पहली मई के अपने वक्तव्य से श्री कांति देसाई को निर्दोष घोषित करके प्रत्युपकार किया है ? यह जानते हुए कि इस प्रकार की घटनायें हो सकती हैं, सरकार ने इस प्रत्युपकार के कारण कोई कार्यवाही नहीं की है ? यही प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं ।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत) : स्पीकर साहब, मुझे जिस वक्त इस बात का पता चला कि हमारे होम मिनिस्टर ने राज्य सभा में यह डिक्लेयर कर दिया कि इस वाकए की जूडिशियल इंक्वारी होगी तो मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ा :

दिल के फफोले जल उठे दिल के दाग से
इस घर को आग लग गई घर के चिराग से

इस किस्म की कमजोरी ने ही हमें चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हिन्दुस्तान की राजनीति, पालिटिक्स स्ट्रीट्स पर लड़ी जायेगी । मैं इस देश के होम मिनिस्टर से पूछना चाहता कि उन्होंने जुडिशियल इंक्वारी डिक्लेयर कर दी है क्या वह गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं है ? मैं होम मिनिस्टर पर बड़ा अफसोस करता हूं, कि क्या वे इसी तरह से वे राज कराना चाहते हैं ? संजय गांधी जिसकी पोलिटिकल डेथ हो गई थी उसको क्या आप इसी तरह से जिन्दा करना चाहते हैं ? मैं होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि यह कोइ मामूली मर्ज नहीं है, यह बहुत बड़ी बर्बता है, एक जबरदस्त साजिश है, दिल्ली में श्रीमती गांधी ने इसकी खुली छूट दे दी है— क्या इस गुण्डागर्दी को लाइसेंस देना चाहते हैं ? इन्दिरा गांधी तो यह चाहती हैं कि देश का सारा निजाम दरहम-बरहम कर दिया जाए । लीडर आफ दि अपोजीशन, स्टीफन साहब यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने ए आई सी सी (आई में बोलते हुए कहा था कि स्पेशल कोर्टस बिल के मातहत जिन जज ने असाइनमेंट मान लिया उन्हें बड़े भतरनाक नतायज का सामना करना पड़ेगा । क्या यही पालिटिक्स है ? मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं क्या आप इनको खुली छूट देना चाहते हैं ? यह तो गवर्नमेंट की कमजोरी है । हम 19 महीने जेल में रहे, चार महीने हमें घर वालों से मिलने नहीं दिया गया । अगर महीने में एक बार मिलने दिया गया तो सी आई डी के दो आदमी इधर बैठे और दो आदमी उधर बैठे । इन्दिरा गांधी खुली जेल के अन्दर जाती हैं, जेल के दरवाजे खोल दिये जाते हैं वहां सैकड़ों आदमी अन्दर जाकर उनको मिलते हैं, ऐसे हुकूमत करेंगे पटेल साहब ? हुकूमत करो, तो डंडे से करो लेकिन रूल आफ ला चलें । हुकूमत डंडे से करो, जोर से करो, ऐसे हुकूमत नहीं चलती है जैसे आप कर रहे हैं । मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे संजय गांधी के ऊपर इतना गुस्सा नहीं है जितना आपके ऊपर गुस्सा आता है । आप कर क्या रहे हो ? आप क्या इसे हुकूमत कहते हैं ? आप हमें खत्म करवाना चाहते हैं ऐसे गुण्डों के हाथों जो इस तरह से सड़कों के ऊपर चलते हैं । कहां से आए जीप भर का स्टोन्स । वहां पर 10, 12 आदमी रिवाल्वर टांगे हुए थे, लाठियां जीप के अन्दर रखी हुई थीं, पत्थर उसके अन्दर थे । दुकानों के अन्दर घुस कर मारा गया । (**व्यवधान**)...यहां इस देश के अन्दर कितने मुजाहिरे हुए हैं । ये सभी न किये हैं । यहां पर भूमिहीन किसानों ने किए, हरिजओं ने किए, किसानों ने किए, कम्युनिस्टों ने किए, जनसंघ वालों ने किए और हम जब अपोजीशन के अन्दर थे, तो हमने भी किए लेकिन आज तक बता तो दो कि किसी मुजाहिरे के अन्दर, जिसमें बीस, बीस और तीस तीस लाख आदमी आए थे, कोई भी वाक्या इस किस्म का हुआ हो यानी जिसमें किसी दुकान को लूटा गया हो या किसी ने अपनी जबान से कोई ऐसी बात कही हो लेकिन आपकी हुकूमत के अन्दर संजय गांधी को ऐसा लाइसेन्स दे दिया गया है जिससे ऐसे वाक्यात हो रहे हैं । क्या आप फिर वही वाक्यात दोहराना चाहते हो ?

मैं श्री सौगत राय की तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने साफ-साफ बात कही है लेकिन यह एक चेतावनी है हमारे लिए भी और कांग्रेस के लिए भी कि संजय गांधी की बजह से देश के अन्दर कांग्रेस का विभाजन हुआ और उसके दो टुकड़े हुए सिर्फ उसकी करतूतों की बजह से और जिस तरह से उसने गुन्डागर्दी की थी, वह आज मजरे आम पर आ रहा है और आज हमारे

लकप्पा साहब इन्दिरा मां के साहबजादे बनकर उसकी गोद में बैठ गये ...(**व्यवधान**)...यह बात मेरी समझ में नहीं आती । आज यह हमारे लिए नहीं, यह देश के लिए भी, लकप्पा साहब, बात समझ में नहीं आती है । एक मीर साहब थे : उनका एक शेर मुझे याद आता है । मीर साहब सादा ही रहे—लकप्पा सादा ही रहे—हुए जिसके बास बीमार । फिर इन्दिरा के लोडे से दवा ले आइये । मेरी समझ में यह बात नही आई यानी देश के अन्दर जिसने यह खोट करवाया, आप की कांग्रेस का विभाजन करवाया (**व्यवधान**)...जिसकी बजह से हम और होम मिनिस्टर साहब आप इस गद्दी पर आ गए, लेकिन राज करना नहीं आया । मुझे माफ करना होम मिनिस्टर साहब, आप बैठ गए इस कुर्सी के ऊपर लेकिन क्या इस तरह से राज चलेगा, इस तरह से पुलिस के अन्दर कान्फीडेन्स रिपोज कर सकते हो । अब पुलिस जो है, वहां जाकर संजय गांधी के पैरों में पड़ेगी और संजय गांधी की मिन्नत करेगी । (**व्यवधान**)

श्री बसंत साठे : क्या माननीय सदस्य के द्वारा प्रयुक्त शब्द संसदीय हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मै इस मामले की जांच करूंगा । (**व्यवधान**)

श्री मुख्तयार सिंह मलिक : रिपोर्ट के अन्दर क्या है । इन्होंने कहा कि संजय गांधी ने डिप्टी कमिश्नर की गर्दन पकड़ी और एस० एच० ओ० पर हमला किया, टाइटलर और संजय गांधी ने डिप्टी कमिश्नर, पुलिस के ऊपर, एस० एच० ओ० के ऊपर हमला किया । (**व्यवधान**)

मेरा इन्होंने इतना वक्त खराब किया और आपने घंटी बजा दी

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह तो दी है ।

श्री मुख्तयार सिंह मलिक : मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा वाक्या कभी देश के अन्दर हुआ है कि दुकानो के अन्दर जाकर लोगों को मारा। एक जगदीश भाटिया दुकानदार है उसके सिर पर 16 टांके आये हैं । (**व्यवधान**) मैं पटेल साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि बदमाशों को इतनी मार दी कि दर्द से कराह उठे । (**व्यवधान**) उन से ज्यादा अफसोस तो मुझे आपके ऊपर आता है । इन साठे साहब को क्या कहूं ! (**व्यवधान**) ये जो हमारे साठे साहब हैं, ये बच्चे थे जब आर० एस० एस० में जाया करते थे । (**व्यवधान**) अब यहां आकर उधर बैठ गये हैं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको इस तरह बोलते रहने की अनुमति नहीं है,

श्री मुख्तयार सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर मैं क्या सवाल पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

मुख्तयार सिंह मलिक :मुझे एक सवाल तो पूछ लेने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : कोई सवाल नहीं । कृपया आदेशों का पालन कीजिए ।

डा० मुरली मनोहर जोशी (अलमोड़ा) : अध्यक्ष महोदय,

हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते है तो चर्चा नहीं होता ।

आप जरा जिगर थाम कर बैठिये, अब हमारी बारी है । श्रीमन् आज जिस घटना पर यह सदन विचार करने के लिए एकत्रित है, वह सामान्य घटना नहीं है । इस में केवल यह छोटा सा सवाल निहित नहीं है कि किसी व्यक्ति को मारा गया या किसी की दुकान लूटी गयी या कुछ सम्पत्ति का वहां विनाश हुआ, अध्यक्ष महोदय, किसी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्म से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं लेकिन आज हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं, लेकिन आज हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के साथ-साथ विरोधी दल के नेता का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं । आज हमारे सामने सवाल यह है कि क्या देश में जनतांत्रिक परम्पराएं रहेंगी या राजनीति को चौराहे पर ले जा कर ईट-पत्थरों से लड़ा जाएगा ? यह देखिये, श्री जगदीश भाटिया का खून है । इस का आपको जवाब देना हैं, आपको और आपकी पार्टी को जवाब देना हैं । (**व्यवधान**)

श्री बसंत साठे : क्या वह इसे पुलिस की कस्टडी से लाये है ?

(**व्यवधान**)

श्रीमन्, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । जब आप लोग बोल रहे थे तो मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था । मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करता हूं । श्रीमन् इनको सुनना चाहिए । जिस पार्टी के वकील यहां साठे साहब बैठे हुए हैं यह उस पार्टी का कारनामा है । वैसे साठे साहब यहां बहुत हल्ला मचा रहे हैं लेकिन वे बहुत चतुर हैं डिमास्ट्रेशन के वक्त गायब थे । इसके बारे में मुझे कहावत याद आ जाती है कि छप्पर में आग लगाय जमालो दूर खड़ी । (**व्यवधान**) ये अबेटमेंट करने वालों से थे ।

श्रीमन् में आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से साजिस हो रही है । जुलाई 1978 में जब दिल्ली में श्रीमान् संजय गांधी ने प्रदर्शन किया तब भी मैंने इस सदन में चित्र रखा था । किस मामले में किया गया था वह प्रदर्शन ? किस्सा कुर्सी के मामले में । साठे साहब जरा ध्यान से सुनिये, जनतांत्रिक परम्पराओं का सम्मान करना सीखिये । यह जनपथ नहीं है, यह जन संसद है । यह डिमांस्ट्रेशन नहीं है । (**व्यवधान**) जरा ध्यान से सुनिये, गौर से सुनिये ।

श्रीमन् किस्सा कुर्सी के मामले में किस प्रकार से इनके चहेते नेता श्री संजय गांधी ने अदालत का अपमान किया था······

श्री राज नारायण : ये कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिसमें ये खुद फंसे ।

अध्यक्ष महोदय : हमें यहां फैसला नहीं करना चाहिए ।

डा० मुरली मनोहर जोशी : मुझे मालूम नहीं था कि आप राज नारायण जी का सम्मान करने लग गये । बहुत अच्छा है । श्रीमन् मैं कह रहा था कि किस्सा कुर्सी के मामले में श्री संजय

गांधी और उनके मित्रों ने अदालत में क्या दृश्य उपस्थित किया। रोशन उद्दोला कोर्ट लखनऊ में श्री संजय गांधी और उनके साथी गये। यहां विरोधी दल के नेता और मेरे मित्र बैठे हैं जो श्री राज नारायण के अंकुश से मतवाले हाथी की भांति उछल रहे थे।

श्री राज नारायण : मतवाले गदहे की तरह भी कुछ लोग नाचते हैं।

डा० मुरली मनोहर जोशी : आप एक अंकुश से ठीक हो गये। मैं उन दोनों वकीलों से कहना चाहता हूं कि कम से कम जनतंत्र के संरक्षण के लिए अब ऐसे मामलों की वकालत करना छोड़ दें। नेता विरोधी दल का मैं ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि वह कब तक ऐसे लोगों की वकालत करते रहेंगे जो न्यायपालिका का सम्मान नहीं करते हैं, बेटा न्यायपालिका का सम्मान नहीं करता है और मां संसद् का सम्मान नहीं करती है। यह एक खानदानी परम्परा है और जितनी भी जनतांत्रिक प्रणाली है उसको ये ध्वस्त करना चाहते हैं। यह एक गहरा सवाल है और मैं समझता हूं कि यह एक साजिश की जा रही है। जनता सरकार के आने के बाद जनतांत्रिक प्रणाली को कायम करने की कोशिश की गई है। उसके प्रति ये सारे देश में घृणा फैला कर, न्यायपालिका को बदनाम करा कर, उसको निष्प्रभावी बना कर, संसद् के कार्य में बाधा डाल कर जनता ने जो मैंडेट दिया है, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। (इंटरप्शंज) डेमंस्ट्रेशन करके जीत कर हम नहीं आए हैं। जनता ने जो हम को मंडेट दिया है उस मैंडेट का अपमान करने की कोशिशें की जा रही हैं। सारी जनतांत्रिक प्रणाली को ही जड़मूल से नष्ट करने की कोशिश की जा रही है।

श्रीमन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन तमाम डेमंस्ट्रेशंज के लिए पैसा कहां से आया है ? मोकेनिहान वाला पैसा क्या अभी तक भी चल रहा है ? यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कहां से यह पैसा आया है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि यूथ कांग्रेस आई के जितने भी बैंक एकाउंट्स हैं क्या सरकार उनको फ्रीज् करेगी ? क्या इस बात की जानकारी की जा रही है कि लाखों करोड़ों रुपया यूथ कांग्रेस के खातो में आज की जमा है ? मैं मांग करता हूं कि इनके इन तमाम बैंक खातों की जानकारी ली जाए और देखा जाए कि इनके पास पैसा कहां से आया है, प्रदर्शन करने के लिए कहां से इनके पास इतना पैसा आया है। इस प्रदर्शन में डी सी पुलिस को गर्दन से पकड़ कर घसीटा गया, उसके ऊपर आघात किया गया, दूकानें तोड़ी गई। यह कैसा प्रदर्शन था, किस प्रकार का प्रदर्शन था जो किया जा रहा था ? धमकियां दी जा रही हैं कि हम राजनीति को सड़कों पर ले जाएंगे। श्री संजय गांधी कहते हैं कि हम चौराहों पर इसको ले जाएंगे। श्रीमती गांधी भी यही कहती हैं। संजय गांधी कहते हैं कि हम इन तमाम कानूनों का खुला उल्लंघन करेंगे। मुझे अफसोस है कि स्टीफन साहब और साठे साहब उनकी इसके लिए वकालत करने के यहां पर मौजूद हैं। उनको इस सब का आज जवाब देना है। उनको बताना है कि वे जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखते हैं या नहीं, मतदान की प्रणाली को मानते हैं या नहीं, देश में जो परम्परायें हैं, संविधान की मर्यादायें हैं उनका पालन करेंगे या नहीं ? अगर नहीं करेंगे तो देश की जनता और संसद को इस ओर ध्यान देना होगा और फैसला करना होगा कि उनको इस देश की राजनीति में रहने का कोई अधिकार है या नहीं है। मैं समझता हूं कि नहीं है।

संजय गांधी कौन हैं ? उन्होंने कहा कि वह कार निर्माता है। मेरी जानकारी यह है कि किसी जमाने में यह कार चोर थे। इसी कनाट सर्कस से इन्होंने कार चुराई थी। यह भी कहा जा रहा है कि स्कूटर भी चुराया था। यह मेरे मित्र बता रहे हैं ! कनाट सर्कस में जिन लोगों से उनकी पुरानी दुश्मनी है— शायद उन्हीं में से किसी की कार चोरी करके तो ये नहीं ले गए थे ? यहीं पर दूकानें तोड़ी जाती हैं। किस तरह के लोग देश की राजनीति में आ कर घुस गए हैं, इसको आप देखें। मैं मलिक साहब से सहमत हूं कि सरकार को कड़ाई करनी चाहिये, दंड का प्रयोग करना चाहिये। काफी समय हो गया है और बहुत दिनों तक उनको छूट दी जा चुकी है। और छूट नहीं दी जानी जाहिये। मलिक साहब ने जैसे कहा है अगर वे लोग सड़कों पर निपटना चाहेंगे तो हमें डर नहीं है। लेकिन हम देश में जनतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना चाहते हैं, इस प्रणालीं के प्रति निष्ठा प्रकट करते हैं। जनता पार्टी ने इस देश में जनतंत्र, को, न्याय की व्यवस्था को ठीक— ढंग से लागू करने को चेष्टा की है, प्रयत्न किया है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि कड़ाई बरती जानी चाहिये। नेता विरोधी दल को इस बात का स्पष्ट एलान करना चाहिये और वास्तव में राष्ट्र से उनको क्षमायाचना करनी चाहिये कि उन्होंने ऐसे तत्वों की वकालत की है। गलत, दुरभिसन्धि करने वाले, षडयंत्रकारी, उच्छृंखा व्यक्ति की वकालत करने के लिए जब कुछ लोग सामने आते हैं तो सन्देह होने लग जाता है कभी कभी किसी आई०ए० के पैसे के बल पर तो कहीं संसद के सदस्य का इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और कहीं उस वजह से वे ऐसे गलत आदमी की वकालत तो नहीं कर रहे हैं ? उनको अपनी पोजिशन राष्ट्र के सामने साफ करनी होगी। ऐसे दूषित तत्वों को राष्ट्र के राजनीतिक जीवन से बिल्कुल दूर करने के लिए बड़े कदम उठाए जाने चाहियें। इस में सारा राष्ट्र आपके साथ है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप कड़ाई बरते और ऐसे तत्वों को देश से बाहर करें। ऐसा आपने किया तो देश आप के साथ खड़ा होगा।

श्री विनायक प्रसाद यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, जिस घटना पर हम लोग विचार कर रहे हैं उसके बारे श्री स्टीफन का ब्यान हमने देखा था और इन्होंने कहा कि जुलूस शांतिपूर्ण था लेकिन उसमें कुछ आर० एस० एस० के लोग घुस गए और इसीलिये वहां लूटपाट हुई। अध्यक्ष जी, मैं आपको "हिन्दुस्तान टाइम्स" का एक उद्धरण देना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि :

> "श्री संजय गांधीं के नेतृत्व में 1500 व्यक्तियों की हिंसात्मक भीड़ ने कनाट सर्कस तथा जनपथ में ऊधम मचाया है, पुलिस के ऊपर पत्थराव किया और दुकानदारों को दुकानें बंद करने के लिए बाध्य किया।"

और "नवभारत टाइम्स" लिखता है कि "दुकानदारों के दुकानें बन्द करने से इन्कार करते ही प्रदर्शनकारियों ने न केवल दुकानों पर पत्थर बरसाये, उन दुकानों के शीशे तोड़ दिये। बल्कि दुकानदारों के कथनानुसार कई दुकानों का माल भी लूट लिया गया और कई लोगों को घायल किया गया।" और यह है जुलूस का फोटो। आप इसको देखेंगे तो पायेंगे एक तरफ पुलिस के अधिकारी प्रदर्शनकारियों को और संजय गांधी को शांत कर रहे हैं और दूसरी तरफ श्री संजय

पुलिस को ठेलमठेल कर रहा है उस पर लाठियों बरसा रहा है। क्या यह संजय कोई आर० एस० एस० का आदमी हैं, यह मैं मी० स्टीफन से पूछना चाहता हूं।

हम लोग भी इस देश में 20, 25 साल तक विरोधी की राजनीति किये हैं और हमने भी सत्याग्रह और प्रदर्शन किये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डा० लोहिया काफी उग्र विरोध करने में थे। लेकिन जब हम लोग सत्याग्रह करते थे तो डा० लोहिया हमसे कहते थे कि तुम प्रदर्शन करो घेराव करो, सत्याग्रह करो लेकिन जब पुलिस आ करके तुम्हारी देह को छू दे तो तुम खड़े हो जाओ और पुलिस के हवाले हो जाओ। यह वह कहते थे जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की राजनीति चलाते थे। दूसरी विरोध राजनीति माननीय स्टीफन और संजय गांधी चला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, और आपके माध्यम से गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब यहीं पर श्रीमती गांधी को सजा दी गई थी, आप ही ने सजा दी थी, हाउस की तरफ से पढ़ा था, तो उसका भी विरोध किया था। और विरोध का क्या तरीका संजय गांधी ने अपनाया था? पटना से जो हवाई जहाज आ रहा था 175 आदमियों को ले कर उसका हाईजैकिंग कर दिया गया। आज इस प्रदर्शन को ले कर कई दिनों से अखबारों में निकल रहा था कि संजय गांधी जुलूस का नेतृत्व करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो ऐसा आदमी है जिसको बिल्कुल शांति पूर्ण प्रदर्शन में विश्वास नहीं है वह अगर प्रदर्शन निकालना चाहता है सरकार ने उससे निपटने के लिये, वह प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो, वह प्रदर्शन लूटपाट नहीं करे इसके लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया था?

मैं माननीय स्टीफन से पूछना चाहता हूं श्रीमती इन्दिरा गांधी कहती हैं कि हम बिल्कुल निर्दोष हैं, जनता पार्टी की सरकार हमको तंग करना चाहती है। अध्यक्ष जी, आप तो जज रह चुके हैं और आप जानते हैं कि जो साधारण प्रक्रिया है कोर्ट की उसके जरिये लिटिगेंट लोग प्लेंटिफ और डिफेन्डन्ट दूसरा पक्ष, यानी मुद्दई और मुद्दालय, दोनों तंग हो जाते हैं सालों कचहरी में दौड़ते दौड़ते। जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि हम रूल आफ ला ऐस्टेबलिश करेंगे। और श्रीमती इन्दरा गांधी ने इतना हीनियस क्राइम किया जो उनके पिता जी ने इस देश में डेमोक्रेसी की स्थापना की थी, उसका विकास किया था उस पर इन्दिरा जी ने कुठराघात किया। और समूचे देश को जेल बना डाला था। इन्दिरा गांधी को तब जेल जाना चाहिये, लेकिन जनता पार्टी की हकूमत कंपिटेंड है इस देश में रूल आफ-ला एस्टैब्लिश करने के लिये, और इसीलिये इन्दिरा गांधी को परेशानी न हो, ज्यादा दिन तक दौड़ना न पड़े, इसलिए सरकार ने स्पेशल कोर्ट बनाया, कि जल्दी उनकी सुनवाई कर के उनकी सारी बात सुनकर, तब जो वाजिब सजा होगी, जो कोर्ट फैसला करेगा, उसके मुताबिक किया जायेगा। आज इन्दिरा गांधी को क्या करना चाहिये था? इन्दिरा गांधी को सरकार के इस स्पेशल कोर्ट का स्वागत करना चाहिये था और यदि वह निर्दोष है तो हिम्मत के साथ स्पेशल कोर्ट के सामने जाना चाहिये था, लेकिन क्या कर रही हैं इन्दिरा गांधी? आज कांग्रेस में उनका कोई साथ देने वाला नहीं है।

यहां आपने देखा, आज राज्य-सभा का चुनाव है, वहां जो कल्पनाथ राय जी और दूसरे लोग हैं जिनका संजय से सम्बन्ध था, राज्य-सभा में कांग्रेस के एक मेम्बर ने कहा कि इलैक्शन में उन्हें किसी भी हालत में आने नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया राज्य सभा का उल्लेख न कीजिए।

श्री विनायक प्रसाद यादव : मैं कहना चाहता हूं कि आज कोई भी कांग्रेस के लोग इसमें साथ देने वाले नहीं है। अब एक तरफ इन्दिरा जी देश का दौरा कर रही हैं गुंडों को जुटाने के लिये और दूसरी तरफ संजय गांधी, जो दिल्ली में गुंडों का, अवारा लोगों का बदमाश लोगों का सरदार है, उसने उन्हें जुटाकर के जनपथ में, कनाटप्लेस में 1 तारीख को लूटपाट करवायी थी।

इसलिये मैं आपके जरिये सरकार से कहना चाहता हूं कि इस 1 तारीख के प्रदर्शन से निपटने के लिये सरकार कंपलीटली फेल हुई है और जो इन्दिरा गांधी तैयारी कर रही हैं, बड़ा जलूस लाने के लिये, सरकार को अभी से उसके लिये मुस्तैद रहना चाहिये।

आपने देखा कि इस देश में जिसका प्रजातंत्र चलाना है, चौधरी साहब के जन्म दिवस पर 50 लाख, 1 करोड़ आदमी आये थे, हमारे नेता श्री राजनारायण जी हैं, जिन्होंने उस जलूस का नेतृत्व किया था। एक करोड़ आदमी राजधानी में आया था, लेकिन पुलिस कहती थी कि ऐसा जुलूस, ऐसा प्रदर्शन और ऐसा डिसिप्लिन्ड जुलूस, कभी नहीं देखा था। कहीं कोई एक पत्थर नहीं चला।

मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता, मैं स्टीफन साहब से कहना चाहता हूं कि स्टीफन साहब, आर० एस० एस० की आड़ में आप कितने दिन तक उनके कुकर्मों को छिपाइयेगा? आप इस सदन के विरोधी दल के नेता हैं, आप जरा उन पर तम्बीह कीजिये। आपको उन्हीं के हुक्म पर चलना है, ऐसा हम नहीं मानते। आप विरोधी दल के नेता हैं, इस देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए आपका भी कोइ पार्ट है। इस लिए तम्बीह कीजिए, उनको नहीं तो यह देश नहीं बचेगा। प्रजातन्त्र नहीं बचेगा और आप भी विरोधी दल के नेता नहीं रहियेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी): अध्यक्ष महोदय, जब मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस समय मैं एक चेतावनी देना चाहता था और वही चेतावनी मैं अब भी देना चाहता हूं कि यह तो सिर्फ एक बानगी है, जो एक नमूना है कुछ जनपथ में हुआ है। इसमें सिर्फ खून का नाला बहा होगा, लेकिन 16 मई को इन्दिरा कांग्रेस यहां खून की नदियां बहाने की साजिश कर रही है। मैं गृह-मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उससे बचने के लिये उन्होंने कौन से उपाय किये हैं? क्या इस प्रकार दुकानदारों को फिर छोड़ दिया जायेगा कि वह गुंड़ों से निपटें, उनसे पिटें और अपनी दुकानों को लुटवायें अथवा सरकार उसके बारे में कुछ करेगी?

दूसरी चीज मुझे अभी बतायी गई कि राज्य-सभा में इस बात की घोषणा की गई है कि इस घटना की जुडिशियल इन्क्वायरी होगी। आज समाचार-पत्रों में एक चीज और आई है कि महरौली में नई बस्ती में कुछ डाकुओं ने उपद्रव किया और यदि आप देखें तो वहां भी कांच वही तोड़े गये हैं जो जनपथ में तोड़े गये थे। क्या मंत्री महोदय, उस घटना की भी जुडिशियल इन्क्वायरी करायेंगे जो महरौली के निकट हुई है?

मैं कहता हूं कि अपराधी-अपराधी में भेद नहीं होना चाहिये। जितनी गुंडागर्दी उन्होंने महरौली में की है, वही गुंडागर्दी जनपथ में हुई है। जो उनके साथ वहां होना चाहिये, वही जनपथ वालों के साथ होना चाहिये। इतनी नम्रता आप क्यों बरतते हैं ? क्या सिर्फ इसलिये कि प्रधानमंत्री जो रही हैं, उनका वह बेटा है ? एक प्रश्न और उठता है कि कल श्रीमती इन्दिरा गांधी जेल क्यों गई थी ? वह जेल के भीतर गई। अपने कई लोगों के साथ, साठे साहब के साथ—वह यहां नहीं हैं—वह जेल में गई और एक घंटे तक वहां रहीं। क्या वह अपने लड़के को दूध पिलाने गई थीं ? किस लिए गई थीं ? उनको भीतर क्यों जाने दिया गया ? (व्यवधान) यह कानून की अवहेलना क्यों की गई ? यह कानून है कि किसी को जेल के अन्दर नहीं जाने दिया जायेगा, लेकिन उन्हें जाने दिया गया।

एक और अजीब बात हुई है इस मामले में धारा 307—एटेंप्ट टु मर्डर—लागू हुई है, जिस में लाइफ इमप्रिजनमेंट की सजा है। लाइफ इमप्रिजनमेंट वाले केस में नीचे की अदालत से जमानत नहीं होती है, सेशन्ज कोर्ट से जमानत होती है, यदि होनी हो, तो लेकिन पब्लिक प्रासीक्यूट ने कहा कि उनको जमानत पर छोड़ दिया जाये। कानून को एक तरफ रख दिया गया।

एक सवाल और उठता है। विशेष न्यायालय गठित न हों, इस के लिए यह प्रदर्शन किया गया। मगर न्यायालय की कार्यवाही रात के 1-20 बजे तक चलती रही—वहां पर विशेष अदालत चलती रही और रात के 1-20 बजे उनकी जमानत दी गई। मेरा आरोप है इस प्रशासन पर कि इस प्रशासन के बहुत से लोग श्रीमती इन्दिता गांधी को, और उनका सुपुत्र होने के नाते संजय गांधी को, जरूरत से ज्यादा सहूलियतें देते हैं और इसी के कारण यह आतंक बढ़ रहा है और इसी के कारण यह परेशानी हो रही है। (व्यवधान)

प्रश्न यह भी है कि 1-5-79 को क्या हुआ था। क्या यह अपने आप में एक अकेली घटना है या किसी साजिशी घटनाक्रम का एक अंग है ? आपातकाल के समय से यह बात निश्चित रूप से परिलक्षित हो रही है कि कुछ तत्व अपने आप को कानून से ऊपर मान कर चलते हैं, और दूसरों पर आतंक जमा कर अपनी मनमानी करना चाहते हैं। जहां तक श्रीमान् संजय गांधी का सवाल है, उनके बारे में जुडिशल प्रोनाउंसमेंट है कि वह अपने आप को कानुन से ऊपर समझते हैं। किस्सा कुर्सी का केस में जिस समय गवाहों को तोड़ने की साजिश हो रही थी, और उनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया गया था कि उनकी जमानत रद्द की जाये, उस समय जस्टिस कृष्णा अय्यर ने जो कहा, मै उसको उद्धत करना चाहता हूं :—

> "इसलिए, कोई भी पक्ष जो शीघ्र लेकिन सही मुकदमे की प्रगति को रोकता है वह न्याय के मार्ग में बाधा पहुंचाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम किसी अभियुत विशेष को, जो विलम्बकारी जोड़-तोड़ का कथित रूप से उत्तरदायी है, अनजाने में नुकसान न पहूंचा दें, याचिकादाता द्वारा दिये गये ज्ञापन पर उसके लिए एक नोटिस दिया गया। एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र जारी किया गया है कि उसको इस न्यायालय का नोटिस देने के लिए किये गये समुचित प्रयत्नों के बावजूद भी उसने

बचने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से न्यायिक प्रक्रिया की केवल इसलिए अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उस पक्ष में कोर्ट हठी व्यक्ति है। अनेक बार इस न्यायालय ने यह तथ्योक्ति को दोहराया है। फरवरी, 1978 में पारित किए गए आदेश में इस बात पर बल दिया गया है—"आप कितने भी ऊंचे हो जायें, लेकिन कानून आप से ऊंचा रहेगा।" लेकिन यह एक ऐसा व्यक्ति है जो संभवतः यह दिखाने का प्रयास करता है कि वह कानून से बड़ा है। इस प्रकार का कोई सुझाव देने में हमें हिचक होती, लेकिन उसने इस न्यायालय के सम्मन भेजने के सभी प्रयासों तथा उचित सुनवायी के प्रयास के बावजूद सुनवायी के प्रति उदासीनता बरतकर सेवा में बाधा पहुंचा दी है।"

शाह कमीशन के सामने जा कर, "किस्सा कुर्सी का" केस में, देहरादून की अदालत में, विशेषाधिकार के भंग के मामले में, सब जगह उन्होंने यह बताने की चेष्टा की है कि वे व्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट कर सकते है और उसे नष्ट-भ्रष्ट करने का अधिकार उन हिटलर-पुत्रों को है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन हिटलर-पुत्रों के विरुद्ध वह क्या कार्यवाही करेगी।

यह कहा गया है कि कुछ आर०एस०एस० वाले थे, जिन्होंने वहां पर गड़बड़ी की। वहां पर एक आंतक का वातावरण फैलाया गया था। टाइम्स आफ इंडिया में, जिसका स्पेशल कारेसपोंडट वहां पर उपस्थित था, यह फोटो आया है, जिसमें बड़ा स्पष्ट हैं कि ये युवक कांग्रेस के गुंडे लाठी ले कर पुलिस पर अत्याचार कर रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं।

इसके बाद कहा गया कि पैनिक वहां फैला हुआ था, यह भी रिपोर्ट है और उस पैनिक के बावजूद भी कुछ लोगों ने इनको चुनौती देने की चेष्टा की तो कहा गया कि वह आर एस एस के लोग थे। यानी जो निर्भीक हो, जो आतंक से न डरे वह यदि आर एस एस का आदमी है, ऐसे शब्द सुमन यदि आर एस एस को पहुंचे तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि जिनके बारे में कहा गया कि आर एस एस के थे उनकी ही दूकानों के कांच टूटे। उनको लूटा गया। उन पर मारपीट हुई और उनके सिर टूटे। क्या वह अपने आप कर लेंगे। क्या आर एस एस के लोग आर एस एस के लोगों पर अत्याचार खुद कर लेंगे? उसके सबूत में संजय गांधी कहते हैं कि देखो मेरी पीठ, मुझको भी चोटें आई हैं। पीठ पर किसको चोट आती है? या तो जो युद्ध से भागता है उसको चोट आती है या फिर यह हो सकता है कि जो युवक कांग्रेस के लोग लाठी लिए हुए थे और वह मार रहे थे पुलिस को, उसमें से कुछ लाठी संजय गांधी को लग गई हो, अपने ही लोगों के हाथ से पिट गए हों। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह लाठी क्यों लिए थे? इनके साथ टेम्पो क्यों चल रहा था जिसमें ईंट के टुकड़े थे, पत्थर थे, सोडा वाटर की बोतलें थीं? यह वही टेम्पो है जो टेम्पो जिस समय इंदिरा गांधी विशेषाधिकार के मामले में यहां से निकाली गई थीं और उनको सजा हुई थी, तब जो प्रदर्शन हुआ था और पुलिस पर हमला करने के लिए जो टेम्पो उपयोग में लाया गया था, यह वही टेम्पो है जो कि यहां पर था। बहुत से लड़के जो उसमें शामिल थे उन उपद्रवकारियों में, यह वही लोग हैं जो पिछली बार भी पकड़े गए थे। उनसे जब नाम पते पूछे गए तो नाम और पते उन्होंने गलत

बताए। पब्लिक प्राजीक्यूटर ने कहा कि हमें समय चाहिए क्योंकि उन्होंने नाम और पते गलत बताए हैं।

स्पेशल कोर्ट का मामला सदन के सामने चल रहा था, हम लोग विचार करते, उनको जुलूस निकालना होता तो निकालते, लेकिन दुकानदारों को यह कहना कि तुम दुकानें बन्द करो ताकि यह दिख सके कि तुम हमारे साथ हो यह कहना एक अत्याचार की बात थी, गलत बात थी। उन दुकानदारों से कहा गया कि तुम रोजी रोटी मत कमाओ आज की, अपने लड़कों को भूखा मरने दो और यह किन्होंने कहा ? ये सब वह प्रदर्शनकारी थे जो रोजाना की दर पर प्रदर्शन करने के लिए संजय गांधी अपने साथ लाए थे। यानि भाड़े पर लाए थे। यानी अपना पेट वह भरना चाहते थे और दूसरे का पेट मारना चाहते थे। इस प्रकार से साजिश की गई।

बरार के साथ क्या हुआ ? बरार साहब को संजय गांधी ने पीठ से पकड़ कर मारा और बरार साहब का खुद का स्टेटमेंट है कि संजय गांधी देन आस्क्ड हिज सपोर्टर्स टु बीट हिम अप। हिन्दी में कहा कि मारो। आज वह कहते हैं कि हम यह कुछ नहीं करना चाहते थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। बरार के ऊपर हमला करवा कर कहते हैं कि मारो इनको और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करते हैं ? मैं फिर से यह चेतावनी दे देना चाहता हूं कि यह सिर्फ एक बानगी है उस बड़े साजिस की जो की जा रही है और जो 16 तारीख को सामने आने वाली है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि स्पेशल कोर्ट के खिलाफ जो भी कदम होगा वह हम उठायेंगे। यह बानगी प्रस्तुत की है, पटेल साहब जरा इसके आगे का नमूना देखने की चेष्टा करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, मजदूर वर्ग के हितों को बढ़ावा देने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने सही दिन—पहली मई—चुना। इससे मुझे उन बातों की याद आती है जो तीसरे दशक के आरम्भ में हिटलर किया करता था और किस तरह वह सत्ता में आया। लेकिन इस बारे में हम श्रीमती गांधी को आश्वस्त कर सकते हैं कि यहां इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है।

मैं श्री स्टीफन से यह प्रश्न करना चाहता हूं : क्या वह इस समूचे मामले की न्यायिक जांच का समर्थन करेंगे ? यदि उनमें कोई अपराध भावना नहीं है, तो उन्हें इस न्याययिक जांच का समर्थन करना चाहिए। पूरे मामले की न्यायिक जांच होने देनी चाहिए और सचाई सभा के सामने आने देनी चाहिए तथा इस पर उन्हें फैसला देना चाहिए। मुझे मालूम है कि श्रीमती गांधी और उनका उत्तराधिकारी विशेष न्यायालय विधेयक से क्यों डर रहे हैं। विशेष न्यायालय विधेयक का उद्देश्य यथासंभव शीघ्र न्याय प्रदान करना है। यदि उनमें कोई अपराधभावना नहीं है, यदि वे सब निर्दोष हैं, यदि वे अपनी निर्दोषता को सही रूप में अनुभव करते हैं, तो वे विशेष न्यायालय विधेयक से इतने चिन्तित क्यों हैं ? मैं उनके विचारों को खूब समझता हूं। वे यह सोचते हैं कि यदि न्यायालय की कार्यवाही सामान्य तरीके से चलने दी गयी, तो यह मुकदमा दो दशकों तक चलता रहेगा और इसी बीच यह सब गुंडागर्दी फिर सफल हो जायेगी।

हत्या, आतंक, गुंडागर्दी और दमन की इस राजनीति से हम और पश्चिम बंगाल के हमारे लोग अपरिचित नहीं हैं। 1970 से 1977 के बीच हमारे 1300 कार्यकर्त्ता समाप्त कर दिए गए। नक्सलवादियों के दमन के नाम पर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में अधिक नहीं तो उतनी ही संख्या में दूसरे लोग समाप्त कर दिए गए। जनता के पूर्ण समर्थन के बाद जब हम पश्चिम बंगाल में सत्ता में आए, तो कांग्रेस (आई) के गुंडों, किराये पर लिए गए असामाजिक तत्वों ने पश्चिम बंगाल सरकार पर आक्रमण किया और फर्नीचर तथा खिड़की के शीशों को तोड़ा। वे इसी प्रकार के लोकतंत्र और अहिंसा में विश्वास करते हैं। बंगाल की भूमि पर बहुत खून व्यर्थ में बहाया जा चुका है। सत्ता में बने रहने के दौरान उन्होंने अभूतपूर्व दमन का सहारा लिया और शक्ति प्रयोग ही उनका मुख्य सहारा था। तुर्कमान गेट, मुजफ्फरनगर, जामा मस्जिद और दूसरे बहुत से स्थानों पर अभूतपूर्व बर्बरता, पशुता और अंधाधुंध रूप से नर संहार की घटनाएं देखी गयीं। अब वह मुसलमानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। फिर से सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह पूरे देश में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में अव्यवस्था पैदा कर देना चाहती हैं। जमशेदपुर में जो कुछ हुआ, वह हम जानते हैं। पहली मई को दिल्ली में जो कुछ हुआ है, वह तो एक प्रयोग है तथा पूरे देश में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पैदा करने की दिशा से एक परीक्षण है। वह समूचे देश में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती हैं अन्यथा निर्मला देशपांडे को विनोबा भावे के पास गौवध के विरुद्ध अनशन करने के लिए दबाव डालने हेतु भेजने का क्या मतलब है।

इसका एक मात्र उद्देश्य देश में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पैदा करना तथा विशेष न्यायालय की कानूनी प्रक्रिया के मामले से सरकार तथा जनता का ध्यान हटाना था। उसका एक मात्र उद्देश्य उस दंड से बचना है जो विशेष न्यायालयों के स्थापित होने के बाद कानूनी प्रक्रिया द्वारा उन्हें मिल सकता है! वह हताश होकर देश में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती हैं। वह अब बहुत बातें कर रही हैं। लेकिन अपने शासन के दौरान उन्होंने क्या किया? अपने शासन के दौरान उन्होंने गौ-वध पर प्रतिबन्ध के लिए कदम उठाने की बात कभी नहीं की।

अब मोरारजी की सरकार तथा केरल और पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकारो के लिए कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पैदा करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं है। मोयनिल ने जो भेद खोला है, वह तो उनके पास पूरे धन का छोटा सा अंश है। जिस किसी ने भी उन्हें पैसा दिया उन्होंने उससे ले लिया और बड़े व्यापारिक घरानों से गत चुनावों से पूर्व 113 करोड़ रुपये लेने की जो बात आप कर रहे हैं, वह भी उनके पास उपलब्ध धन का एक अंश है। इसलिए धन तथा असामाजिक तत्वों का उनमें शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व है। 1977 से वह जो कुछ कर रही हैं, उसका लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। किराये पर लिए गए असामाजिक तत्व और भाड़े के टट्टुओं का प्रयोग किया जा रहा है और इस बारे में मैं आपको कुछ ब्यौरा भी दे सकता हूं। बाहर ही नहीं भीतर भी उनका प्रयोग किया गया है।

श्रीमती गांधी के दर्शन की श्री स्टीफन ने जो आलोचना की थी और उसका जो विवरण दिया था, उसकी याद मेरे मन में ताजा है। उन्होंने अपना पक्ष और विचार क्यों बदला है, यह समझना कठिन नहीं है। श्रमती गांधी कानूनी प्रक्रिया तथा न्यायपालिका में आस्था की बहुत बात करती हैं। लेकिन तीस हजारी में जिस समय "किस्सा कुर्सी का" मामला चलाया जा रहा था, उस समय क्या किया गया ? वे सब किराये के टट्टू और असामाजिक तत्व वहां इकट्ठे कर दिए गए। उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के एक मामले के फलस्वरुप सभा से उन्होंने निष्कासित करने के बाद क्या हुआ ? बाहर पैदा होने वाली संभावितः कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में सभा में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन बाहर एक तिनका भी नहीं हिला। हमें सभा में आंतकित किया गया कि हरेक आदमी अन्दर घुस गया। मैं सभी द्वारों पर गया, लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं था। वह क्या है ? बोइंग 737 विमान का अपहरण किया गया। पश्चिम बंगाल में बरकट गानी ने बिजली काटने की धमकी दी। उन्होंने क्या किया ? हाल ही में 8 मार्च, 1979 को सभा में एक प्रश्न पुछा गया।

प्रश्न यह था :

"क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।"

(क) क्या यह सही हैं कि कांग्रेस (आई) की अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी के जेल भेजे जाने के विरुद्ध चलाये गए अभियान के फलस्वरूप तोड़ फोड़ की घटनायें भी हुई ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप मंत्रालय को कितना नुकसान हुआ और तोड़-फोड़ की घटनायें किन स्थानों पर हुई ?"

उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया :

"(क) हाँ

(ख) ब्यौरे एकत्रित किये जा रहे हैं और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा।"

यह 8 मार्च की बात हैं। मंत्री महोदय स्वीकृति प्रकट कर रहे हैं। उन्हें अब जानकारी देनी है। 4 या 5 दिन पहले इस शरारती युवक ने देहरादून में भी यही किया। वह एक निर्लज्ज व्यक्ति हैं तथा यथा मां तथा पुत्र की कहावत को चरितार्थ करता है।

· 16 मई, के लिए मैं गृह मंत्री महोदय को यह कहते हुए सचेत करता हूं कि उन्होंने बहुत धन इक्ट्ठा कर लिया है और उनकी बहुत से असामाजिक तत्वों को लाने की योजना हैं। मंत्री महोदय यदि कड़े और ठोस उपाय नहीं करेंगे तो ये लोग दिल्ली की सड़कों तथा दूसरे स्थानों पर खून बहाने का प्रयास करेंगे।

विशेष न्यायालय विधेयक तुरंत पारित किया जाना चाहिए और विशेष न्यायालयों का तत्काल गठन किया जाना चाहिए। हम साम्यवादी वैयक्ति आंतक में विश्वास नहीं करते।

किन्तु जब असामाजिक तत्वों की मदद से कभी भी इस तरह का आतंक पैदा किया जायें, तो उससे कठोरता से निपटा जाना चाहिए।

पटेल जी, यदि आप उनसे निपटने के लिए सही प्रबन्ध नहीं कर सकते और 16 मई को यदि हमें यह लगा कि उनका पलड़ा भारी रहा हैं, तो हम यह बर्दाशत नहीं करेंगे। एक फोटो प्रकाशित किया गया है जिसमें इस युवक को एक पुलिस अधिकारी का गला दबाते हुए दिखाया गया है। वह कैसा राजनीतिक तत्व है; और उसे कैसे-पाला-पोसा गया है?

अत्यधिक उदारता बरतने के लिए मैं इस सरकार की निन्दा करता हूं। मैं विशेष रूप से उन लोगों की निन्दा करता हूँ जो सदैव इन अपराधियों के प्रति 'क्षमादान' का रवैया अपनाते रहे हैं। हम सोचते हैं कि सरकार कार्य कर रही है, लेकिन पैदल चलने वालों, दुकानदारों, वाहन-चालकों और पुलिस वालों को निर्दयता से पीटा जाता है। वास्तविकता तो यह है कि हत्या का प्रयास किया गया है। मेरा अनुरोध है कि गृह-मंत्री स्पष्ट उत्तर दें तथा सभा में आश्वासन दें।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : जनता पार्टी की लोकतंत्र में आस्था की पैरवी करने के लिए जनता पार्टी द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों में मेरे मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु सबसे नये व्यक्ति हैं। श्री ज्योतिर्मय बसु का आधार क्या है? उनकी आस्था श्री ज्योति बसु और श्री नम्बूदरीपाद में है जिन्होंने कहा था कि वे वर्तमान संविधान को हर तरीके से समाप्त करके इससे छुटकारा पायेंगे। इन लोगों ने न केवल देश, बल्कि हमारे लोगों ने बिरुद्ध षडयंत्र रचा।

मेरा निवेदन यह है कि मेरा स्थगन प्रस्ताव इस विषय पर नहीं था, जिसके द्वारा इन लोगों ने इस मंच का उपयोग एक राजनीतिक दल की आलोचना और बदनामी के लिए किया है। मैं एक राजनीतिक दल द्वारा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस की ज्यादतियों पर चर्चा के लिए कह रहा हूं। ऐसा एक या दो बार नहीं हुआ है। पिछले दो वर्षों में वर्तमान सरकार ने इन गुंडों द्वारा की गयी हिंसा और उनकी बर्बरता को बढ़ावा दिया है और उन्हें उत्साहित किया है। अब वे खुलकर बातें कर रहे हैं। यहां एक प्रकार का अर्ध सैनिक संगठन है और पूरे देश में तथा सरकार में उसके लोगों की भर्ती की जा रही। ये वे ही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी और ये वे ही एजेंट हैं जो लोकतंत्र के उत्थान के विरुद्ध हैं। श्री राजनारायण से बात करके देखिये, वह आप को बतायेंगे कि किस प्रकार ऐसे लोगों की घुस-पैठ की गयी है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को घुसपैठ से जनता पार्टी में क्या एकता और विघटन पैदा हुआ है। हर राजनीतिक पार्टी को प्रदर्शन करने का अधिकार है। परसों की घटना किस प्रकार घटी? प्रदर्शन शान्तिपूर्ण था।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

वे विशेष न्यायालय विधेयक पर चर्चा के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। लोग उसके विरुद्ध प्रदर्शन करना चाहते थे। हम उस विधेयक के विरुद्ध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह विधेयक

शीघ्र न्याय के लिए नहीं है, अपितु राजनीतिक बदले की भावना से लाया गया है। आप संविधान को विकृत और नष्ट कर रहे हैं ? और आपके एजेंट इसका समर्थन कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि श्री मोरारजी देसाई राष्ट्र विरोधी एजेंटों और गुंडों के हाथों में कठपुतली क्यों बने हुए हैं। देश की वर्तमान स्थिति को देखिये। आज चीन से खतरा है और उनके एजेंट यहां कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई आस्था नहीं है। उन्होंने वियतनाम पर हमला किया मैं जानता हूं कि उन्हें बचा हुआ माल मिलेगा। **(व्यवधान)** मैं किसी उकसा नहीं रहा हूं। मैं विपक्ष के सदस्य की भूमिका अदा कर रहा हूं। वहां पर क्या हुआ ? एक दुकानदार ने, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक के साथ सम्बद्ध है, पहले पत्थर फेंका। समाचार पत्रों में भी उसी व्यक्ति की सूचना दी गयी। श्री बालकृष्ण को श्री वाजपेयी के साथ घूमते हुए देखा गया। मैसर्स एम० एम० जोशी, संसद सदस्य, ठाकरे, संसद सदस्य और भंडारे, संसद-सदस्य उसी स्थान पर घुम रहे थे।

दुकानदान जगदीश भाटिया और सतपाल भाटिया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मशहूर गुंडे हैं। मैसर्स एम० एम० जोशी संसद सदस्य, ठाकरे संसद सदस्य और भंडारे संसद सदस्य भाटिया के स्थान पर गये और उसे बधाई दी और उन्होंने उससे बातचीत की या षडयंत्र रचा, जो भी आप कहना ठीक समझें।

उपाध्यक्ष महोदय : षडयंत्र और बातचीत दो अलग-अलग बातें हैं।

श्री के० लक्कप्पा : शांतिपुर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था; यह एक लोकतांत्रिक अधिकार है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गुंडे आज सब जगह घुसपैठ कर रहे हैं और साम्प्रदायिक हिंसा भड़का रहे है। जमशेदपुर में यही हुआ ; वहां हिंसा हुई। यह कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में किया गया ; अब आपने उन्हें हटा दिया हैं। देश आज खंडित हो रहा है। श्री मोरारजी देसाई देश अखंडता को बनाये रखना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात हैं कि श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में राजनीतिक दलों के बेमेल गटजोड़ में देश सुरक्षित नहीं है। जनता पार्टी को गलत योजना के कारण देश में अव्यवस्था की स्थिति है। यह वास्तविकता है कि वे श्रीमती इंदिरा गांधो की लोकप्रियता का लाभ उठा रहे हैं। हाल ही में जब दिल्ली में विभाजन के पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ तो उसमैं चार लाख लोग इक्ट्ठे हुए। गत चुनाव में कांग्रेस का कोई झंडा नहीं था, लेकिन प्रदर्शन में जो चार लाख लोग इक्ट्ठे हुए उन्होंने उन पर फूलो की वर्षा की। लोग कांग्रेस तथा उनसे देश की रक्षा करने के लिए कह रहे थे। वे कह रहे थे कि जनता पार्टी ने जो स्थिति पैदा कर दी है, कांग्रेस हमें उससे बचाओ।

प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक चल रहे थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के गुंडों ने शांति प्रिय प्रदर्शनकारियों को घायल कर दिया। यह काम गुंडों तथा पुलिस की मिली-भगत से किया गया। पुलिस ने उन्हें पीटा। इस बात के प्रमाण हैं।

कांग्रेस के लोग घायल पड़े हैं और उनका इलाज नहीं किया जा रहा है। यह मैंने नहीं बताया, बल्कि अणद्रमुक के सदस्य, श्री के० मायातेवर ने बताया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अपनी बात समाप्त कीजिए

श्री के० लकप्पा : हम लोग दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है । यहां न केवल आगजनी और लूटपाट की घटनायें भी हो रही हैं, बल्कि जंजीर खींचने और डकैती की घटनाये भी हो रही हैं। यह अब गुंडों, उपद्रवकारियों द्वारा किया जा रहा है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग उनकी मदद कर रहे हैं। वे हिंसा को बढ़ा रहे हैं। वे राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करने और यहां तक कि लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचार व्यक्त करने से रोक रहे हैं। ऐसे तत्व जनता पार्टी में घुस रहे है। पता नहीं जनता पार्टी के शासन में कोई कैसे सुरक्षित रह सकता है। आज यहां कोई सरकार नहीं है। हर रोज समाचारपत्रों में हम पढ़ते हैं कि फलां जनता पार्टी शासित राज्य थे मुख्य मंत्री को जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस दिया है वे शीघ्र बिखर रहे, हैं टूट रहे हैं और उनमें अलगाव पैदा हो रहा है। अव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है।

कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षा तथा लोकतंत्र में आस्था है। धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के बारे में श्री बनतवाला ने एक संशोधन प्रस्तुत किया जनता सरकार ने उनका समर्थन नहीं किया। इसीसे स्पष्ट होता हैं कि वर्तमान सरकार कितनी धर्म निरपेक्ष है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अध्यक्ष पीठ

उपाध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा, आपको संबोधित करना है न कि श्री ज्योतिर्मय बसु को। और अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी।

श्री के० लकप्पा : मैं यह कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि मेरे मित्र यह पूछ रहे थे कि क्या गृह मंत्री जांच करेंगे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : न्यायिक।

श्री के० लकप्पा : आप क्यों पूछ रहे हैं ?

असामाजिक तत्वों के नियंत्रण में चलने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ये गुंडे वहां थे ओर वे गुंडागर्दी तथा अव्यवस्था की स्थिति पैदा करने और सभी प्रकार के उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी थे। सादा लिबास में पुलिस उनकी मदद कर रही थी। कांग्रेस पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए नयी पुलिस भर्ती की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके अपनी बात समाप्त कीजिए। श्री स्टीफन

श्री के० लकप्पा : अतः, हम अपनी पूरी शक्ति के साथ लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। हम धर्म-निरपेक्षता की रक्षा करना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते है कि देश में अहिंसा का वातावरण बने।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री स्टीफन को बोलने का अवसर दिया, आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री सी० एफ० स्टीफन (इदक्की) : मै इस घटना की न्यायक जांच की मांग करता हूं। यह न्यायिक जांच आवश्यक इसलिये है कि मेरे विचार में कुछ आचार संहिता, लोकतांत्रिक व्यवहार तथा गतिविधि का कोई तरीका अर्थात् विरोध करने का अधिकार प्रदर्शन का अधिकार होता है, जिस पर कि अब प्रहार किया जा रहा है। जलूस पर पुलिस अथवा उकसाने वाले कुछ एजेन्टों द्वारा हमला किया जा सकता है। अधिनायक की विधि सर्व विदित है। जर्मनी का नाजीकांड सबको मालूम है जिसमें किस प्रकार लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था कि वे सार्वजनिक सभाओं में जायें, जलूसों तथा प्रदर्शनों में घुसपैठ करें। पुलिस द्वारा जलूसों प्रदर्शनों को भंग करने तथा उन्हें बदनाम करने का तरीका काफी-बिसा पिटा है। यही हमारा आरोप है जिसे गलत कहा जाये अथवा सही और यही इस मामले में भी हुआ यह एक ऐसा प्रयोग है जो राष्ट्रीय स्वयं सवेक संघ द्वारा निरंतर किया जाता रहा है। इन आरोप के आधार पर ही मैं न्याग्रयिक जांच की मांग करता हूं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लोकतंत्र की बात करता है जो सुनने में काफी अच्छी लगती हैं किंतु उनके मूंह से यह सुनना काफी हास्यास्पद लगता है। वे लोग जिन्हें इस बात का अर्थ-सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उसे सड़कों पर लाठियों और घातक हथियारों के साथ चलते हैं और जिन्हें यह भी बताया जाता है। कि वे किस प्रकार सभाओं तथा प्रदर्शकों को भंग करें तथा उन्हें बदनाम करें, उन्हीं के मुंह से लोकतन्त्र के विषय में भाषण सुनना एक अनस्वीकारिक बात है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। इस पर भी मेरे यह एक निश्चित आरोप है कि जो प्रशिक्षण दिया जा रहा था यह इसी का एक प्रयोग किया जा रहा है। यह एक बहुत खतरनाक बात ही इसके संबंध में तथ्यों को जान लिया जाये। तव-वितर्क कितना भी इस सभा में किया जाये उससे इस मामले का हल निकलने वाला नहीं है। मेरे कुछ मित्रों के अनुसार, यह जलूस हिसंक हो, यह पहले से ही पूर्ण-नियोजित था तथा जलूस ने अंत में हिंसा का सहारा ले ही लिया। आपके पक्ष का यह विचार है किंतु इस विषय में मेरा तर्क यह है कि जलूस शान्तिपूर्ण ढंग से करने का पूर्ण नियोजन था किंतु लोगों ने आकर इसमें घुसपैठ की, कुछ लोग जो राष्ट्रीय स्वयं संघ में शामिल हैं, यह कार्य उन्होंने किया है। मेरा आरोप यह है जिसके कारण मैं इसकी न्यायिक जांच की मांग कर रहा हूं। मैं इस बात की भी याद दिला दूं कि इस घटना के तुरन्त बाद मेरी पार्टी के महा सचिव ने न्यायिक जांच की मांग करते हुए एक वक्तव्य दिया था (**व्यवधान**) कम से कम इस संसद में अपने दांव पेंच मत चलाइये, मेरो बात तो सुन लीजियें। इसलिये में कहना चाहता हूं कि क्योंकि हमारा मन साफ था कि हमारे विरुद्ध यह पाप किया गया था तथा हमारे जलूस मे बाधा पहूंचाई गई थी और इस साफ मन तथा इस स्पष्ट धारणा के कारण हम आरम्भ से ही न्यायिक जांच की मांग करते आये हैं और उसी अपनी मांग को मैं यहां इस सभा में दोहराता हूं।

इस सकल के संबंध में कि क्या यह प्रदर्शन एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थी मैं उन एक दो पहलूओं की चर्चा करना चाहूंगा जिन्हें आप कृपया अपने ध्यान में रखें। मेरे मित्र यहां टाइम्स आफ इंडिया दिखा रहे थे··· मेरे ख्याल में वे केवल टाइम्स आफ इंडिया पर ही निर्भर करते हैं। मैं भी उस पर निर्भर करता हूं मगर यहां मेरे पास स्ट्टेसमैन भी है और उसको भी मैं यहां पढ़ना चाहूंगा।

उनका क्या कहना है ? उनका कहना है कि प्रदर्शन शांत और अहिंसक ढंग से शुरु हुआ था जैसा ही यह कनाटप्लेस में दाखिल हुआ कुछ लोगों ने आकर उसके प्रमुख हिस्से को भंग कर दिया तथा वे दूसरी ओर दुकानों की तरफ तेजी से बढ़ गये इसी प्रकार की घटना सिन्धी हाउस के पास हुई। इन लोगों के जोश को दिल्ली युवक कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष श्री जगदीश टिटलर तथा अन्य नेताओं द्वारा दबा दिया गया। इसके जो पहलू हैं। एक लम्बा जलूस अपने रूट के बड़े हिस्से तक सही ढंग से चला आ रहा है किंतु जनपथ के पास एक विशेष स्थान पर आकर कुछ लोग दूसरी ओर तेजी से लपकते हैं और बाकी जलूस चलता रहता है और उसी समय जब यह घटना होती हैं जलूस के कुछ नेतागण आकर हस्तक्षेप करते हैं और कशमकश को दबाने तथा नियंत्रण करने का प्रयास करते है। उसके संबंध में यह स्थिति है, यह कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है **(व्यवधान)** मैं उस रिपोर्ट को पढ़ता हूं, स्टेटसमैन ने यही बात बताई कि :—

> "जबकि जलूस का प्रमुख हिस्सा सड़क के बीच में शांतिपूर्वक चलता आ रहा था······कुछ नारे लगाते हुए युवकों के बड़े समुहों ने हमला करना शुरू कर दिया। दिल्ली युवक कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष, जगदोश टिटलर तथा कांग्रेस (आई) के अन्य कार्यकर्त्ताओं ने उन घुसपैठियों को रोकने का प्रयास किया। श्री टिटलर ने बाद में कहा कि उनमें से कोई भी उनके दल से संबंधित नहीं था।"

(हँसी) ?

हंसी से कुछ होने वाला नहीं है। अब मुद्दा यह है कि एक जलूस है जो शांतिपूर्वक जा रहा है, कुछ लोग दंगा करते हैं फिर भी जलूस शांतिपूर्वक चलता रहता है। जलूस का नेतृत्व करने वाले नेता गण आकर इस कार्यवाही को रोकने का प्रयत्न करते हैं। फिर क्या आप कह सकते हैं कि जलूस के नेता यह बलवा करना चाहते थे ? प्रश्न यह है कि वे लोग कौन थे जिन्होंने उत्पात किया ? मेरा आरोप है कि वे लोग जिन्होंने यह उत्पात किया वे उकसाने वाले एजेन्ट लोग थे जिनको आपने तैनात किया था। आप यह कहते हैं कि वे लोग हमसे संबंधित थे, यही वह पहलू हैं जिसकी जांच होनी चाहिये। यदि भड़काने वाले कुछ एजेन्टों को इस कार्य पर लगाया गया था तो यह लोकतान्त्रिक विरोध करने तथा प्रदर्शक करने के लोकतांत्रिक अधिकारों पर यह एक सरासर आक्रमण है।

यह चित्र आपके सामने है श्री बरार का एक जिक्र किया गया था और यह कि उन पर हमला किया गया। यह श्री बरार का ही वक्तव्य है, किसी और ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा हो मगर तस्वीर यह है, इसमें केवल चार ही आदमी हैं जो सड़क पर पड़े हुए हैं, यह आप देख सकते हैं श्री बरार यहां खड़े हैं, वे श्री संजय गांधी की ओर इशारा कर रहे हैं और वे पास में खड़े पुलिस के आदमी से जो लाठी मार रहा है, कुछ कह रहे हैं, यह तस्वीर इतनो साफ है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी अनुमति है ? यहां कोई बड़ा जनसमूह नहीं हैं केवल चार या पांच आदमी हैं जो कि लेटे हुए पांच पुलिस के आदमी उनको घेरे हुए हैं, श्री बरार उनकी ओर संकेत कर रहे हैं, क्या इसकी अनुमति दी गई हैं ? यह लाठी चार्ज है अन्यथा कि एक मनमाना

आक्रमण ? इसलिये तस्वीर से यह साफ जाहिर है कि पुलिस ही इस मामले में उत्पाती है, इस समय तक पुलिस का दस्ता उस स्थान पर पहुंच गया था और श्री बरार ने उस जनसमूह को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन कौन सा जनसमूह गैर-कानूनी था ? जलूस शान्ति-पूर्वक चला जा रहा है, कुछ लोग, कुछ मुठीभर लोग आकर उत्पात मचाते हैं, तीन दुकानों पर हमला होता है, कोई बड़े स्तर पर हमला नहीं होता, तब तक वहां श्री बरार उपस्थित होते हैं और वे जनसमूह को गैर-कानूनी घोषित कर देते हैं।

क्या यह एक छोटी सी बात नहीं है ? क्या वह उनके नियंत्रण से परे थी। जब उन्होंने उस जनसमूह को गैर-कानूनी घोषित कर दिया, उस जलूस को गैर-कानूनी घोषित कर दिया तो क्या आप यह आशा करते हैं कि वह जलूस उस घोषणा को स्वीकार कर लेगा ? इसलिये गड़बड़ी तब पैदा हुई जब कि उसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। उन्होंने कहा "हम बोट क्लब तक जाने के लिये दृढ़-प्रतज्ञ हैं" इसलिये गिरफतारियां हुई, विरोध किया गया और सारा मामला इस प्रकार सामने आया।

जलूस जनपथ तक आ जाता है, टालस्टाय मार्गतक जाता है, शहर का व्यस्त हिस्सा समाप्त हो जाता हैं जबकि वहां कोई गड़बड़ी नहीं होती; किसी दुकान पर हमला नहीं होता कुछ भी नहीं होता जब तक कि जलूस एक विशेष स्थान तक नहीं पहुंचता। इसलिये हमारा आरोप यही है कि पत्थर एक विशेष दुकान से आये थे और वह दुकानें कोई नाम मैं यहां उल्लेखित नहीं करना चाहता, न्यायिक जांच जब होगी तो नाम स्वयं सामने आ जायेंगे किंतु वह दुकान उस आदमी की हैं जो अपने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ संबंधों के लिये सुपरिचित है उसकी तस्वीर अखबारों में आ रही हैं और वह राष्ट्रीय स्वयं संघ से संबद्ध है।

तब एक रोचक घटना होती हैं। तुरन्त उस दृश्य पर विदेश मंत्री दिखाई देते हैं श्री मुरली मनोहर जोशी आते हैं, उसी समय श्री भंडारी का प्रवेश होता है, उस दृश्य में प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक की पृष्ट भूमि रखता है, ऐसा कोई भी नहीं जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संबंधित न हों, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने लोगों को नियत किया था फिर कमांडर—इन-चीफ महोदय प्रवेश करते हैं, दृश्य का सर्वेक्षण करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं और एक तैयार वक्तव्य पेश करते हैं। जिसमें जलूस की आलोचना की गई है, इस संयोग की संगाते का स्पष्टीकरण आप कैसे करेंगे मैं यही पूछना चाहता हूं।

इससे यह पता चल जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने ही सारी घटना का नियोजन किया था। किंतु क्यों ? यह बात भी बदकिस्मती से सामने आ गई है। मेरे मित्रों के लिये यह भी एक हव्वा बन गया है कि 16 तारीख को एक रैली होने जा रही है अब उस रैली का भी सामना किया जायेगा, उस रैली को भी निष्फल किया जायेगा इसलिये पर्याप्त पुलिस बल का वहां होना आवश्यक हो मांग है कि "पुलिसबल लाईये, आप सेना भी बुला सकते हैं।" जिससे कि रैली को दबाया जा सके। उसके पूर्व ही आपने उसका यहां एक प्रयोग किया है और आपके अनुसार यह प्रयोग सफलता रहा।

आप कहना चाहते हैं कि यह एक पूर्व-चेतावनी हैं, हां यह पूर्वचेतावनी है। किंतु यह इसकी नहीं कि प्रदर्शन हिंसापूर्ण होगा, यह पूर्वचेतावनी इस बात की है कि आपके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग भारी तदाद में आ रहे है जिससे कि रैली में बाधा पहुंचायी जा सके, रैली को बदनाम किया जा सके। इसलिये आप मांग कर रहे हैं "पुलिस बल लाईये।" मगर किसलिये ? उन गुडों की रक्षा करने के लिये, जिन्हें कि रैली में उत्पात कार्य के लिये लगाया जायेगा। यह विरोध करने के लोकतन्त्र के मूल भूत अधिकार को एक चुनौती है, जिससे कि लोकतात्रिक ढंग से विरोध करने के अधिकार को समाप्त किया जा सके।

आप भली-भांति जानते हैं कि सरकार ऐसे ढंग से चलाई जा रही है कि सारे देश में असन्तोष और क्षोभ का वातावरण व्याप्त है। आपको विदित्त है कि श्रमिक वर्ग बेचैन है, किसान असन्तुष्ट हैं, कीमतों बढ़ती जा रही हैं, सब चीजें नियंत्रण के बाहर होती जा रही हैं, आप लोगों की नाराजगी के इस विस्फोट को काबू करना चाहते हैं। इसलिये आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रूपी उस तंत्र को इस कार्य पर नियत कर रहे हैं, जो लोगों के आन्दोलन को जहां भी वह दिखाई पड़े दबा दें। आप उन लोगों से भयभीत हैं जो कि सामने आना चाहते हैं और इसे आप पीछे से किये गये हमले का नाम देते हैं, यही वह प्रयोग है जो इस घटना के अर्न्तगत किया गया था।

चलिये आप यह मानते हैं कि वहां केवल 2000 प्रर्दशनकारी थे। ठीक है, यदि वहां केवल दो हजार प्रदर्शनकारी थे तो क्या आप चाहते हैं कि उन पर गोलियां बरसाई गई लाठियां चलाई जायें, लोगों को पीटा जायें और दो संसद सदस्यों की दुर्गति की जाये। क्या संसद-सदस्यों को जलूस में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं हैं ? या आप यह तर्क देना चाहिते हैं कि उन दो संसद सदस्यों ने हिंसा फैलाने का प्रयास किया था। उनकी सूरत से ही पता चल जाता है कि वे हिंसा के किसी कार्य को करने में सक्षम ही नहीं है। फिर भी उन पर हमला किया गया तथा उन्हें हिरासत में रखा गया है किंतु यह एक खतरनाक तरीका है मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

उन्होंने विशेष न्यायालय का भी जिक्र किया है। उस पर काफी चर्चा हुई है। हम अपनी स्थिति को समझते हैं तथा हमने अपनी स्थिति को अनेक बार स्पष्ट भी किया है, कि हम उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, हम इस संबंध में काफी स्पष्ट हैं, उसका विरोध जारी रहेगा, इसके बारे में कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिये। हम मन से विशेष न्यायालय के फैसले को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। साधारण अदालत का फैसला हम स्वीकार करेंगे। किंतु विशेष अदालत का निर्णय आखीर कैसा होगा ? एक मुठ्ठी भर न्यायाधीशों के समक्षः एक मुठ्ठी भर मुजरिमों के लिये, एक मुठ्ठी भर आरोप के लियें—इस प्रकार का पूर्व-नियोजित न्याय, हम स्वीकार्र नहीं करेंगे। हम इसका विरोध करेंगे। इसलिये इसे स्पष्ट रूप से समझ लिया जाये। इस संबंध में मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं।

यही सब मैं कहना चाहता था। जनपथ में क्या हुआ यह सब राष्ट्रीय स्वयं सेवक के दाव-पेचों का एक नमूना, गड़बड़ी करने की विधि का प्रयोग षडयंत्र फैलाने तथा उकसाने वाले

एन्जेंटों का एक प्रयोग था इसमें आप कुछ हद तक सफल रहे हैं। लोग अवश्य इस बात को ध्यान में रखेंगे : किंतु यह समझ लिया जाये कि लोगों को इन तरीकों से रोका नहीं जा सकता । न ही उस तरकीब से हम भयभीत हो सकेंगे । प्रदर्शन होंगे, जत्थे निकाले जायेंगे, रैलियां आयोजित की जायेंग, विरोध किये जायेंगे, किंतु विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि कुश्मशन रहेगा तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा करनी ही होगी ।

पुनः मैं आरोपों की न्यायिक जांच की मांग करता हूं।

श्री सिकन्दर बख्त : जो न्यायाधीश विशेष-न्यायालय का कार्य-भार संभालेंगे, उनको क्षमा नहीं करने के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री वसन्त साठे (अकोला) : आप भी दिल्ली के रहने वाले है, वाजपेयी जी वहां गये, आप क्यों नहीं गये ?

(व्यवधान)

श्री सिकन्दर बख्त : आपने भारतीय कांग्रेस समिति में यह वक्तव्य दिया था कि उन न्यायधीशों को, जो विशेष न्यायालय में कार्यभार संभालेंगे, माफ नहीं किया जायेगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन : श्रीमान मुझसे एक प्रश्न पूछा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि उसका उत्तर देने के लिए आपको समय दिया जाये ।

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय मै केवल एक मिनट का समय चाहता हूं, जिससे मैं उसका उत्तर दे सकूं जो मुझसे पूछा गया है ।

न्यायाधीश सिंघल ने कहा है कि कोई भी स्वाभिमानी न्यायाधीश निम्न पद को स्वीकार नही करेगा, यदि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय अथवा उच्चत्तम न्यायालय के वक्तव्य के बावजूद भी नीचले न्यायालय की स्थिति को स्वीकार करता है तो संभवतः उसकी एक भिन्न ही अनुप्रेरणा है, वह अपने आपको राजनैतिक षडयंत्र के एक अंग के रूप में समर्पित कर देता है और जहाँ तक हमारा संबंध है, उस न्यायाधीश पर जो राजनीतिक षडयंत्रकारियों के हाथो में कठपुतली हो, हमारा विश्वास नहीं हो सकता । उस समय जबकि लोग हमें अपना मत देंगे, हम लोगों को कहेंगे कि उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी जिसने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया और हम यह घोषणा करते हैं कि हम लोगों को यह कहेंगे कि वे हमें अपना वह आदेश दे, जिससे कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।

(व्यवधान)

श्री के० मायातेवर (डिडिगल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी दल की ओर से, इन सब घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग करता हूं । जहां तक उन परिस्थितियों का संबंध है, जोकि

देश में इस समय हैं, मेरा विचार है कि हमें भविष्य में प्रधानमंत्रियों का चुनाव करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री मुझे इस कथन के लिए क्षमा करें। भविष्य में ऐसे प्रधानमंत्रियों का निर्वाचन करना उचित होगा जिनकी कि कोई सन्तान अथवा बेटे अथवा बेटियां न हों। क्योंकि बेटे ही इस देश को खराब कर रहे हैं। यह कुछ लोगों की राय है।

उस घटना के संबंध में, जिस पर विवाद चल रहा है, मुझे बताया गया है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति न केवल राजधानी दिल्ली में बल्कि इसके अलावा भी सारे देश में इस सरकार के पूरी तरह काबू के बाहर हो गई है। तब, श्रीमान, मुझे यह बताया गया हैं कि जलूस को पुलिस द्वारा आगे बढ़ने दिया गया था। यह स्वाभाविक हैं कि कानूनी रूप में उन्होंने पुलिस को सूचित किया होगा। यह पुलिस का कर्तव्य है कि वह जलूस के शुरू होने से लेकर उसके समाप्त तक कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिए पर्याप्त बन्दोबस्त करें। इसलिए पुलिस कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में पुलिस असफल रही।

श्रीमान, आज सुबह मैं विलिंगडन अस्पताल गया था और वहां अपने मित्र रामलिंगम से भेंट की। उन्हें दायें हाथ पर, सिर पर तथा पीठ पर चोटें आई हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन पर हमला किसने किया था तथा शरीर के उन अंगों पर किसने वे चोटें पहुंचाई क्योंकि मैंने उस घटना को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से नहीं देखा। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा पुलिस ने किया अथवा कुछ शरारती तत्वों ने। मगर किसी न किसी ने इस सभा के उस निर्दोष संसद सदस्य को चोट जरूर पहुंवाई होगी। उन्हें दो काफी गंभीर हृदय रोगियों के पलंगों के बीच उस समय दाखिल किया गया जब वे अचेत अवस्था में थे। दुर्भाग्यवश (एमरजेंसी वार्ड) तथा (इन्टेंसिव केयर वार्ड) दोनों ही पुरे भरे हुए। मगर वे हृदय-रोगीं नहीं हैं तब उन्हें आपने वहाँ क्यों दाखिल किया? कुछ पुलिस के आदमी वहां तैनात किए गए थे क्योंकि वे उनकी हिरासत में थे। इसलिए वेवहां अपनी बन्दूकों आदि के साथ मौजूद थे। इससें अन्य रोगियों के मन में भय उत्पन्न होगा, और आशा की जाये कि वे हृदयरोगी इस भय से अपने प्राण न त्याग दें। इसलिए कम से कम उन हृदयरोगियों के हितों को ध्यान में रख कर कृपया श्री रामलिंगम को किसी दूसरे कमरे में दाखिल करें।

मुझे बताया गया है कि कमरा नं० 1 खाली है तथा उसे एक मंत्री की अभी चिकित्सा के लिए आरक्षित रखा गया है मुझे नहीं मालूम कि उन मंत्री महोदय का क्या नाम है, जिनको वहां दाखिल किया जाना है। मुझे नहीं मालूम कि वह विशेष मंत्री महोदय कौन हैं तथा वे किस रोग से पीड़ित हैं, कुछ भी ज्ञात नहीं है। केवल भगवान ही जानता है, यहां तक हस्पताल के अधिकारियों को भी यह ज्ञात नहीं है। यह मुझे कुछ विश्वस्त सूत्रों, अस्पताल के अधिकारियों से ज्ञात हुआ है।

कानूनी स्थिति की दृष्टि में, इन दो संसद सदस्यों पर हमला किया गया तथा उन्हें चोटें आई। दुर्भाग्यवश उनको इस मामले में अपराधी माना गया है। वस्तुतः उनको सरकारी गवाह समझा जाना चाहिए था। इस मामले में तो शिकायत कर्ताओं को ही अपराधी मान लिया गया है। कांग्रेस दल के संसद सदस्यों से राजनीतिक बदला लेने की भावना से इस सरकार ने उन

पक्षों को ही हिरासत में ले लिया है जिनपर पुलिस तथा अन्य दंगाई तत्वों ने हमला किया था। मैं गृहमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे जहां तक इन दो संसद सदस्यों का संबंध है वे सब कार्यवाही स्थगित कर दें। मुझें व्यक्तिगत रूप से इस सभा के अनेक माननीय सदस्यों से भी ज्ञात है कि वे अत्यन्त भले, कानून का पालन करने वाले, तथा शान्त स्वभाव के व्यक्ति हैं। इसलिए वे किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं कर सकते इसलिए मैं पुनः सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन दो संसद सदस्यों के विरुद्ध सब मामलों को वापिस ले लें।

नियमों के अधीन इस सम्मानित सभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संबंधित अधिकारियों को इन दो संसद-सदस्यों को पेश करने के लिए समन जारी करे। कल यह मामला सभा में अनेक संसद सदस्यों द्वारा उठाया गया था किंतु उपाध्यक्ष महोदय ने उनकी मांग पर कोई विचार नहीं किया। यह उनके मूलभूत अधिकरों का हनन है तथा संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन इस सभा की कार्यवाहियों में हिस्सा लेने, मत देने, तथा भाषण देने के उनके मूलभूत अधिकारों की अवहेलना है। इसलिए उनके मूलभूत अधिकारों के हनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जमानत, अथवा उनके विरूद्ध अभियोगों, भारतीय आचार संहिता अथवा देश के किसी अन्य कानून के अधीन किसी अभियोग आदि का विचार न करते हुए उपाध्यक्ष महोदय अविलम्ब जेल अधीक्षक तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को समन जारी करने चाहिए जिससे कि उनके मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की जा सके।

उन्हें निवारक नजरबन्दी अधिनियम गिरफ्तार नहीं किया गया था, न हीं उन पर हत्या करने का आरोप था। उन पर लूटपाट अथवा अन्य किसी बात के गम्भीर अपराध करने का कोई आरोप नहीं है। गैर-कानूनी जनसमूह संबंधी केवल धारा 147 तथा 148 ही इस विषय में लागू होती। यह कोई बड़ा अपराध नहीं है जिससे कि इन संसद-सदस्यों को हिरासत में रखा जाए, तथा उनके इस सभा में हिस्सा लेने के मूलभूत अधिकार का हनन किया जाए। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस कानूनी और संवैधानिक पहलू पर विचार करें, जिससे इस सभा के उन माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

विशेष न्यायालयों की नियुक्ति के बारे में श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा कुछ उल्लेख किया गया था। मैं तथाकथित विशेष न्यायालयों, धोखाधड़ीपूर्ण विशेष न्यायालयों का पूर्ण विरोध कर रहा हूं। वे 'विशेष न्यायालय' नहीं हैं. बल्कि 'विशेष' धोखाधड़ी है, जो भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ की जा रही है। अगर आपका भारत के उच्चतम न्यायालय में विश्वास है, अगर आपका भारत के उच्च न्यायालयो या सत्र न्यायालयों या मजिस्ट्रेट न्यायालयों या किसी अन्य न्यायालय या भारतीय संघ के अंतर्गत किसी न्याधीकरण में विश्वास है, तो फिर आप इन विशेष न्यायालयों को क्यों नियुक्त कर रहे हैं? विशेष न्यायालय विधेयक के माध्यम से विशेष न्यायालयों की नियुक्ति से केवल यह पता चलता है या जाहिर होता है या आशय प्रकट होता है कि न्यायालयों के वर्तमान तन्त्र में आपका विश्वास नहीं है। इन विशेष न्यायालयों के माध्यम से आप भारत की भूतपूर्व प्रधान मंत्री पर दोषसिद्ध करने और उन्हें जेल में भेजने की योजना बना

रहे हैं, इस प्रकार उन्हें राजनीति और सार्वजनिक जीवन के लिए अक्षम और अयोग्य बना रहे हैं, जिसका भारत के लोगों द्वारा स्वागत नहीं किया जाएगा। भारत की सम्पूर्ण जनता भारत की भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालयों की नियुक्ति के पूर्णतः विरुद्ध है।

इन तर्कों के साथ, मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि दो संसद सदस्यों, श्री रामलिंगम और श्री अरूणाचलम के विरुद्ध मामले वापस ले लिये जायें और अन्य लोगों के बारे में अन्य घटनाओं में न्यायिक जांच कराने का आदेश दें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रप्पन

श्री राजनारायण : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज जो प्रस्ताव है जिसपर यह चर्चा चल रही है, यह एजोनमेंट मोशन सरकार के विरुद्ध है या सरकार के पक्ष में है। मैं इतनी देर से बैठा हूं, पर इसको समझ नहीं पाया, तो अपने पंडित जी के पास आया।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें क्या प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री राजनारायण : जरा सुनिए, यह प्वाइंट आफ आर्डर है और प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन भी है। आखिर मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि हम किस विषय पर यह डिस्कशन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अल्पकालीन चर्चा है।

श्री राजनारायण : किस विषय पर है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन घटनाओं पर। सदन के अनुरोध पर इसे अल्पकालिक चर्चा के रूप में स्वीकृत किया गया था।

श्री राजनारायण : मैं उस समय उपस्थित था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उपस्थित नहीं थे। आप हर वक्त सदन में उपस्थित नहीं रह सकते। और आप जब सदन में उपस्थित नहीं होते, तब भी अनेक बाते होती हैं।

श्री राजनारायण : यह चर्चा नियम विरुद्ध हो रही है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अव्यवस्था न करें।

श्री राजनारायण : यह बहस बिल्कुल उल्टी जा रही है। मैं एक सवाल ही पूछ रहा हूं। श्री मोरारजी भाई इस समय यहां नहीं हैं। वे याद करें शिशुपाल और जरासंध को। मैं जानना चाहता हूं कि इधर का पक्ष शिशुपाल या जरासंध है या उधर का पक्ष शिशुपाल है या जरासंध है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर और आप सुन लीजिए ।

श्री राजनारायण : आप इजाज़त दे देंगे, तो मैं बोलूंगा । क्या हमारे कुछ आदर्श हैं ? क्या हमारे कुछ विचार हैं ? क्या हम गांधीवाद के समर्थक हैं ? अथवा हम बर्बरता की स्थापना करने जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके विचार हैं और सभी कुछ हैं । कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । हमें कुछ व्यवस्था रखनी चाहिए ।

श्री चन्द्रप्पन ।

श्री राजनारायण : मैं जब्त किये बैठा हूं । हमको बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, तो मैं चला जाऊंगा । आप कह दें, तो मैं चलूं ।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्‌जी···

श्री मनीराम बागड़ी (मथुरा) : जो पूछा है, उसका जवाब दें । यह गांधीवाद पर बहस है या डंडेवाद पर बहस है । डंडा इधर का चले या उधर का चले, दोनों तरफ का डंडा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री चन्द्रप्पन ।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : हम उस घटना की चर्चा कर रहे हैं, जो दिल्ली में पहली मई को घटी । संजय गान्धी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस (आई) का जलूस निकला था और और जब यह जुलुस जनपथ पहुंचा, तो वे घटनाएं घटीं, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ।

अब जो प्रश्न हम सदन की जानकारी में ला रहे हैं, वह यह है । हमने देश में और विदेशों में नवयुवकों के अनेक प्रदर्शनों को देखा हैं । वे लोगों की समस्याओं पर नवयुवकों के सामने जो समस्याएं हैं उन पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं । आज भारत में अगर नौजवान बेरोजगारी के विरुद्ध, लोकतान्त्रिक अधिकारों के लिए, मतदान की आयु को कम करके 18 वर्ष करने आदि के लिए प्रदर्शन करते हैं, तो बात किसी के समझ में आ सकती है । ऐसी अनेक मांगें हैं । परन्तु यहां तो नवयुवकों का वह ऐसा वर्ग है, जो यह कहने का प्रयास कर रहे थे कि उस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नवयुवक की मां को दण्ड नहीं दिया जा सकता और कोई विशेष न्यायालय नहीं होना चाहिए । यह मुख्य मांग थी···

श्री वसन्त साठे : काले कानून के खिलाफ ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : वे इस तरह प्रदर्शन कर रहे थे । मैंने विपक्षी नेता, श्री स्टीफन को बिना तर्क के बोलते नहीं देखा । मैं श्री स्टीफन के भाषण से उद्धरण देना चाहूंगा । वह त्रिवेन्द्रम में एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे और वह व्यापक प्रसार संख्या वाले एक दैनिक समाचारपत्र "मलयाला मनोरमा" में प्रकाशित हुआ था ।

श्री स्टीफन ने यह कहा है :

"इस युग का सबसे सफेद झूठ यह है कि श्री संजय गांधी राजनीति में वापस आ रहे हैं :" "वह कांग्रेस में नहीं हैं" श्री स्टीफन ने यह कहा और यह भी कहा कि "वह युवक कांग्रेस में भी नहीं हैं।" ··

प्रो० पी०जी० मावलंकर : उन्होंने यह कब कहा ?

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : जनपथ में जब ये घटनायें हुईं, उसके बाद श्री स्टीफन ने जो कुछ कहा उसका यह सही-सही अनुवाद है। उस वक्तव्य में जिसका श्री स्टीफन ने उल्लेख किया और जिसे इन्दिरा कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री बूटा सिंह ने जारी किया गया था, यह कहा गया है :

"इस लाठी चार्ज में श्री संजय गांधी के साथ दो संसद सदस्यों सहित युवा कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता घायल हुए।"

श्री बूटा सिंह का कहना हैं कि वह (श्री संजय गांधी) युवा कांग्रेस के सदस्य हैं। उसी दिन, उसकी मां, श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने एक संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए—उसी दिन नहीं, बल्कि अगले दिन अर्थात् 2 तारीख को—लखनऊ में कहा था, "मेरा बेटा, संजय केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता है।" अब, यह संजय गांधी है क्या ? मुझे नहीं मालूम। आप स्वयं अपने निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। श्री स्टीफन के अनुसार वह न तो कांग्रेस का सदस्य है और न ही वह युवक कांग्रेस का सदस्य है। श्री बूटा सिंह के अनुसार वह युवा कांग्रेस का सदस्य है···

श्री वसन्त साठे : वह ऐसा नहीं कहते।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : उनका ऐसा कहना है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के अनुसार, मां के अनुसार, संजय गांधी केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता है।··· **(व्यवधान)** आप भी कह रहे हैं कि वह युवा कांग्रेस का सदस्य नहीं है ? बहुत अच्छी बात है। आपके वक्तव्य की भी श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा चुनौती दी जायेंगी···

श्री वसन्त साठे : मैं इस सदन में यह कहना चाहता हूं कि संजय गांधी युवा कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं। मैं अपनी इस बात को रिकार्ड में शामिल कराना चाहता हूं।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : आप अपने "हैड" की भी हिफाजत करिये।

मुद्दा यह है कि श्री स्टीफन यह कहने का प्रयास कर रहे थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ आदमियों ने इस प्रदर्शन में घुसपैठ की होगी, जिन्होंने झगड़ा शुरू किया। मेरे विचार में अपने सभी अपराधों से छुटकारा पाने के लिए आप आर०एस०एस० का बहाना ढूंढ़ रहे हैं। ऐसा मत करो। मेरे पास यह फोटोग्राफ है। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूं अथवा अन्यथा मैं इसे आपके पास, मन्त्री महोदय के पास और श्री साठे के पास भी भेज सकता हूं। इस फोटो में यह दिखाया गया है कि श्री संजय गांधी पुलिस अधिकारी श्री बरार को पकड़े हुए हैं और उन्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वही समाज सेवा

है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि संजय गांधी आर०एस०एस० के आदमी हैं ? **(व्यवधान)** श्रीमान्, श्री स्टीफन के तर्क के अनुसार, इस घटना में न्यायिक जांच हो जाने के बाद, अगर यह तथ्य साबित हो जाता है, तो श्री संजय गांधी आर०एस०एस० के आदमी हो जायेंगे और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी उनके साथ होंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो।

श्री कंवर लाल गुप्त : आर०एस०एस० का अपमान मत करो।

श्री राजनारायण : हम दोनों के खिलाफ हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : अब, प्रश्न यह है। भारतीय राजनीति में एक प्रयास चल रहा है और आज कुछ खोटे सिक्के चल रहे हैं। केवल संजय गांधी ही उल्लेखनीय नहीं हैं, बल्कि आपात स्थिति का युवा नेता, वह आदमी जो आपात स्थिति के दौरान संविधान-बाह्य शक्ति का केन्द्र बन गया था, वह आदमी जिसे पिछले प्रधान मंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा था और उसका राजनीति में पुनः उद्भव हो रहा है और साठे जी, वह आपकी पार्टी में भी परेशानी पैदा कर रहा है। **(व्यवधान)** हमने यह देखा है। आप इसके बारे में चिन्तित नहीं हैं, परन्तु, आपकी पार्टी इसके बारे में बहुत अधिक चिन्तित है।

श्रीमान्, अगर यह होता है, तो यह क्या है—क्या संजय गान्धी राजनैतिक व्यक्ति नहीं है ? वह तो सामाजिक कार्यकर्ता है !

श्री बसन्त साठे : परन्तु आपने तो उसे भूत बना दिया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आप कह रहे हैं कि वह एक भूत है। जी हां, साठे के अनुसार वह एक भूत है। **(व्यवधान)** यह आर० एस० एस० का दूसरा पक्ष है। यह आर० एस० एस० का है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : आर० एस० एस० उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आप एक अन्य खोटे सिक्के को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो प्रचलन में है। उनके नेता के अनुसार यह एक सांस्कृतिक संगठन है—नागपुर में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था कि यह एक राजनैतिक पार्टी है।

खोटेपन का एक अन्य पक्ष—राजनैतिक पहलू यह है। ये दोनों ही बातें—चाहे वह संजय गान्धी वाला पहलू हो या आर० एस० एस० वाला पहलू हो—जनता विरोधी हैं और जनता के हितों के विरुद्ध हैं। और वे अपनी मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जनता की जो वास्तविक समस्यायें हैं, उन पर इन संगठनों द्वारा कभी भी विचार नहीं किया जाता है।

श्रीमान्, मैं श्री स्टीफन की बात का समर्थन करता हूं : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु की बात का समर्थन करता हूं कि जनपथ पर जिन लोगों ने अपराध किये हैं, उनकी जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए सारी घटना की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। अब, श्रीमान् जी, संजय गान्धी के

नेतृत्व में इस जुलूस ने और इस जुलूस द्वारा किये गये अपराध हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की परम्परा के ही विरुद्ध है।

श्रीमान् जी, इस देश में कांग्रेस पार्टी ने, जब उन दिनों श्री जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गान्धी—संजय गान्धी नहीं—के नेतृत्व में स्वाधीनता आन्दोलन चला रखा था, उस समय यह परम्परा थी कि विदेशी वस्तुओं, कपड़ों और ऐसी अन्य वस्तुओं के विरुद्ध संघर्ष किया जाय। वे दुकानों के आगे धरना देते थे। लेकिन कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई कि किसी दुकान को लूटा गया हो। उन दिनों कांग्रेस की यह परम्परा थी।

श्री वसन्त साठे : इस अवसर पर तो संजय गान्धी ने दुकानों की रक्षा की।

(**व्यवधान**)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह कैसा पाखंड है ?

श्री वसन्त साठे : यदि आप न्यायिक जांच करें, तो यही निष्कर्ष निकलेगा।

(अध्यक्ष महोदय—**पीठासीन हुए**)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : आप मुझे संरक्षण प्रदान करें। यह पाखंड का नमूना है।

श्री बसन्त साठे : पाखंड तो यह है कि उसके बीस-सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया

(**व्यवधान**)

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : श्रीमान्, मैंने यह कहा कि यह पाखंड का नमूना है, क्योंकि जब मैंने अपना भाषण शुरू किया, तभी इन्होंने संजय गान्धी की निन्दा की और उसे एक ऐसा आदमी बताया जिसका कांग्रेस से कोई सम्बन्ध नहीं है। और जबकि मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं, यह भद्र पुरुष खड़े होकर कह रहे हैं कि संजय गांधी हिंसा के विरुद्ध थे (**व्यवधान**) यह आडम्बर या पाखंड का एक नमूना है—(**व्यवधान**)

श्री बसंत साठे : संजय गांधी भारत का एक नागरिक होने नाते मैं उनके पक्ष में बोल रहा हू। और मुझे ऐसा करने का अधिकार है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्रीमान अब संजय को एक नयी संज्ञा दी जा रही है। उनको तीन संज्ञाएं तो पहले दी जा चुकी हैं। श्री स्टीफन ने कहा है कि संजय कांग्रेस तथा युवा कांग्रेस का आदमी नहीं है। श्री बूटा सिंह ने कहा कि वह युवा कांग्रेस के हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है कि वह केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अब श्री साठे कहते हैं कि वह भारत के एक ईमानदार नागरिक हैं।

श्री बसंत साठे : वह युवा कांग्रेस का आदमी नहीं है। वह भारत के नागरिक हैं और उसी रूप में मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूं— (**व्यवधान**)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : उन्होंने मेरे दल पर बड़ी चतुराई से आरोप लगाया है कि हमने 25 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया। हमने ऐसा कभी नहीं किया। यह फिर वही बेईमानी वाली बात हुई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं।

श्री कृष्ण कांत : श्रीमान इसमें एक तथ्य परक गलती है। यह 20 सूत्री कार्यक्रम नही था बल्कि यह चार सौ बीसी थी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : श्रीमान्, मैं केवल एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। हमारे पास एक ऐसी दुर्लभ चीज है जो श्री साठे और उनकी पार्टी के पास कभी नहीं हो सकती और वह है 'ईमानदारी'। ईमानदारी से हम देश के समक्ष और लोगों, के समक्ष यह, स्वीकार करते हैं कि आपात-स्थिति और बीस सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करके हमने गलती की थी। श्री साठे साहस बटोर कर यह कहें कि उन्होंने गलती की थी। **(व्यवधान)**

मेरे पास यह फोटो है जिसमें संजय गांधी पुलिस अधिकारी श्री बरार को जनपथ पर जमीन पर गीराने का प्रयास कर रहे हैं और यह एक दूसरा फोटों है जिसमें युवा कांग्रेस का एक अन्य युवक झण्डे का लाठी के रूप में उपयोग कर रहा है और पुलिस की पिटाई कर रहा है। यह एक अन्य फोटो है, जिसमें दुकानदार का खून बहते हुए दिखाया गया है। **(व्यवधान)**

अगर आप अनुमति दें, तो मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में नियम हैं।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस स्थिति से निपटने में और हिंसा को दबाने में असफल रही है। उस घटना के बाद भी समाचार पत्रों में इस बारे में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। आपको पता है तिहाड़ जेल में क्या हो रहा है ? आज के समाचारपत्रों में इस बारे में समाचार प्रकाशित हुआ है। अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मुझे आपके साथ तो नही, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय के साथ तिहाड़ जेल में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। परन्तु हमें कभी भी जेल में ऐसा वी० वी० आई० पी० व्यवहार नहीं मिला। समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि "संजय गांधी ने वार्ड का निरीक्षण किया।" यह समाचार आज 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ है। इसमें यह कहा गया है कि "स्वयं को और अपने समर्थको को जेल में अन्दर जाने देने से पहले श्री संजय गांधी ने वार्ड का निरीक्षण किया।" ये सज्जन कौन हैं ? आखिरकार वह भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के पुत्र है— वह एक ऐसा आदमी है जिसने सारे देश को शर्मनाक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, एक ऐसा आदमी जो अपने आपको युवा नेता कहता है, जिसने इस देश के नवयुवकों को शर्मनाक स्थिति में खड़ा कर दिया था।

श्री वसंत साठे : आप किस बारे में बात कर रहे हैं ? आप मुझे शर्म की क्या बात बताते हैं ? उसने क्या शर्म की बात की है—आप मुझे बतायें। आप किसी को बलि का बकरा क्यों बनाते है ?

श्री जी० के चन्द्रप्पन : साठे जी, मै कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह शर्म को समझता ही नहीं। उसमें शर्म की भावना है ही नहीं और इस लिए वह शर्म को नहीं समझता। हिंसा का दमन करने के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश दिया जाय और दिल्ली प्रशासन को बता दिया जाय कि जेल में बन्दियों के साथ दो प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता आपको कुछ व्यक्तियों के साथ अति विशिष्टि व्यक्तियों जैसा व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है। सम्पूर्ण मामले में पूरी न्यायिक जांच की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

ज्योतिर्मय बसु : अभी भी एक सरकारी बंगला श्रीमती इन्दिरा गांधी के कब्जे में क्यों है ?

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं हो ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया जाय। **(व्यवधान)**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : ये सभी मामले न्यायिक जांच के समक्ष प्रस्तुत किए जाय। संजय गांधी की क्या भूमिका है ? दिल्ली पुलिस हिंसा को रोकने में क्यों असफल रही ? दिल्ली प्रशासन संजय गांधी के साथ क्यों विशिष्ट व्यवहार कर रहा है ? इन सभी मामलों की जांच की जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद

अध्यक्ष महोदय : आपने उसका उल्लेख किया है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं इन प्रश्नों को उठाना चाहता था। इन प्रश्नों की भली भांति जांच की जाय। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। आपने जो मुझे ममय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवरलाल गुप्त। श्री कंवरलाल गुप्त खड़े हुए

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, जरा मेरी बात सुनें। मुझ कोई समय नहीं चाहिए मैं आपको एक श्लोक बता कर जा रहा हूं :

भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दण्डिश्यति।

जब हमारे मित्र श्री चन्द्रप्पन ने यह कहा... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिए। उसका उल्लेख नहीं करें और आगे कुछ नहीं। कृपया कार्यवाही वृतांत में दर्ज न करें **(व्यवधान)****

**कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने लीडर आफ दि आपोजीशन, श्री स्टीफन, का भाषण ध्यान से सुना। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि जुलूस शान्तिपूर्ण था और शान्ति से जाना चाहता था, लेकिन आर० एस० एस० के कुछ इनफिल्ट्रेटर्ज ने··· (**व्यवधान**)

श्री के० लकप्पा : आप उनके पक्ष से कितने सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहे हैं ? आपने दूसरे वक्ता को भी उनके पक्ष से बोलने के लिए कहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमसे बोलने के लिए क्यों नहीं कहा जाता···

अध्यक्ष महोदय : मैं सूची के अनुसार नाम पुकारता हूं (**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में शामिल मत करो। (**व्यवधान**)**

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरे दोस्त, श्री स्टीफन, ने कहा है कि जुलूस शान्ति पूर्वक जाना चाहता था, लेकिन आर० एस० एस० के कुछ सैबेटर्ज और इनफिल्ट्यर्स ने गड़बड़ की और जुलूस में जाकर आक्रमण किया, जिसकी वजह से वायलेंस हुई, और इस बारे में जुडिशल एनक्वायरी होनी चाहिए। मैं उनसे पूर्णता सहमत हूं और सरकार से यह मांग करता हूं कि इन घटनओं की जुडिशल एनक्वायरी होनी चाहिए इन टर्म्ज आफ रेफरेंस के साथ कि क्या आर० एस० एस० के लोग उस जुलूस में एज इनफिल्ट्रेटर्ज थे, क्या आर० एस० एस० के लोगों ने वायलेंस की और क्या आर० एस० एस० के लोगों ने गड़बड़ करने की कोशिश की। अगर इस एनक्वारी का नतीजा यह हो कि आर० एस० एस० ने यह गड़बड़ की है, तो मैं आफर करता हूं कि मैं सदन से त्यागपत्र दे दूंगा, नही तो स्टीफन साहब त्यागपत्र दे दें (**व्यवधान**) मैं इस पर कायम हूं। मैं इन निर्देश पदों के साथ विपक्षी नेता को चुनौती देता हूं। आप न्यायिक जांच करवा लें। क्या आर० एस० एस० के स्वयं सेवकों ने गड़बड़ी की या घुसपैठ की और क्या उन्होंने यह शरारत की ? अगर यह साबित हो जाय, तो मैं अपनी इस सदन की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा। अन्यथा, विपक्ष के नेता को त्यागपत्र दे देना चाहिए। (**व्यवधान**)

दूसरी बात मेरे दोस्त, श्री लकप्पा, ने कही कि इन्दिरा जी दिल्ली में बहुत ज्यादा पापुलर हैं, और जब जुलूस निकला, तो दिल्ली के हर एक मकान पर झण्डे लगे हुए थे। मैंने भी उस जुलूस को देखा। मैं इन्दिरा जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जोइन्सिडेंट्स जनपथ पर हुए, उनके बारे में जनपथ के लोगों का एक रेफ्रेंडम होना चाहिए—इन तीन इस्यूज पर : संजय गांधी ने जो किया, क्या वह ठीक था ? पुलिश ने जो कार्यवाही की, क्या वह ठीक थी ? क्या पुलिस ने पूरी कार्यवाही की ? अगर इन तीन इस्यूज पर रिफ्रेंडम कराया जाये, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 90 प्रति परसेंट लोग कहेंगे कि पुलिस को जितनी सख्ती करनी चाहिए थी, उसने वह सख्ती नहीं की और इसमें पुलिस फेल हुई। आप सारी दिल्ली में रिफ्रेंडम करवा लीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूं। (**व्यवधान**)

**कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया

श्री वसंत साठे : बस दिल्ली में जनमत संग्रह कराना चाहते हैं। दिल्ली में जनमत संग्रह जाने दीजिए। मैं उससे सहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : न वह और न ही आप इस बारे में आदेश दे सकते हैं। सरकार ने इस बारे में निर्णय करना है।

श्री कंवरलाल गुप्त : श्रीमान जी मैं उन्हें चुनौती देता हूं इस संजय मामले पर दिल्ली भर में जनमत संग्रह होने दीजिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली के 90 प्रतिशत लोग उनके विरुद्ध मतदान करेंगे। मैं संजय गांधी का राजनीति में प्रवेश करने के विरुद्ध नहीं हूं उनका राजनीति में प्रवेश करने के बारे में मैं इस बात का स्वागत करता हूं। उन्हें राजनीति में प्रवेश करने दीजिए। कुछ भी नहीं कहना है। मेरी राय में वह भारत के नागरिक के रूप में राजनीति में प्रवेश करने के अधिकारी हैं। किन्तु यह आप की समस्या होगी। यह मेरी समस्या नहीं है। उनके राजनीति में प्रवेश करने से हमें लाभ होगा।

जहां तक स्पेशल कोर्ट्स बनाने का सवाल है, उसके खिलाफ प्रोसेशन निकालने, प्रोटेस्ट करने, पब्लिक मीटिंग करने और पब्लिक ओपीनियन को माबिलाइज करने का उनका हक है। लेकिन उनको यह हक नहीं है कि वे दुकानों पर आक्रमण करें, दुकानों को लूटें और पुलिस वालों को पिटवायें।

यह लड़ाई केवल सरकार और आपोजीशन की नहीं है। यह लड़ाई जनता पार्टी और कांग्री की भी नहीं है। आज सब डेमोक्रेटिक फोर्सिज एक तरफ हैं और कांग्री में जो तानाशाही शक्तियां हैं, वे दूसरी तरफ हैं। यह लड़ाई उन दोनों की है। अगर इस देश को इन तानाशाही शक्तियों से बचाना है, तो सब डेमोक्रेटिक फोर्सिज को एक हो कर उनका मुकाबला करना चाहिए। मैं देखता हूं कि कांग्री की बेंचिज खाली पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि वह संजय गांधी को साथ रखना नहीं चाहते। वह संजय को समझाते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आज देश के सामने जो चैलेंज है उस के लिए केवल जनता पार्टी का सवाल नहीं है, सारी डेमोक्रेटिक पार्टीज जितनी देश में हैं वह सारी की सारी इस चैलेंज को समझें और इस चैलेंज को समझ कर इस का मुकाबिला करें। यह जो पहली तारीख को हुआ यह एक रिहर्सल था, जो 16 तारीख को ये करने वाले हैं उस का यह एक रिहर्सल था। यहां की पुलिस को जागरूक होना चाहिए, यहां की होम मिनिस्ट्री को जागरूक होना चाहिए और मैं यह मांग करूंगा कि दिल्ली के लोग आज यह कह रहे हैं कि उन की लाइफ और प्रापर्टी की सेक्योरिटी के लिए सरकार क्या एश्योरेंस देना चाहती है? मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि दिल्ली के लोगों को वह एश्योर कराएं कि 16 तारीख को उन की प्रापर्टी और उन की लाइफ सुरक्षित रहेगी। मैं नहीं चाहता सरकार जुल्म करे किसी के ऊपर, सरकार रूल आफ ला से चले। लेकिन रूल आफ ला का मतलब कमजोरी नहीं होना चाहिए। आप दुर्भाग्य से यह इम्प्रेशन देते चले जा रहे हैं कि यह सरकार कमजोर है, जो कल्प्रिट्स हैं, जो एंटी सोशल एलीमेंट्स हैं उन के खिलाफ आप कार्यवाही नहीं करते। मेरे पास नाम है, मैं नाम पढ़ना चाहता हूं, जो शाह कमीशन में भी पकड़े गए, तीस हजारी में भी पकड़े गए, वही

एक टोली है जो संजय गांधी जहां जाते है उन के साथ जाती है और पकड़ी जाती है, वही-वही लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की पुलिस उन के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही ? एक मोठी के संजय सिंह हैं। अर्जुन दास, सज्जन कुमार, संजय सिंह और प्रहलाद सिंह ये चार लोग ऐसे हैं जो हरएक जगह आप को मिलेंगे ओर संजय तो हैं ही। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो हैबिचुअल आफेंडर्स हैं उन के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करें। संजय गांधी का अपना रोल भी क्या है ? संजय ने जो देहरादून में किया, यहां पर जब किस्सा कुर्सी का केस चला उस समय जो कुछ किया, जो लखनऊ में किया वह क्या रोल रहा है ? मेरा कहना यह है कि संजय गांधी अगर कांस्टीच्यूशनल तरीके से पीसफुल तरीके से पालिटिक्स में जांय उस में किसी को एतराज नहीं हो सकता है। आप को हो सकता है, मुझे नहीं है। लेकिन अगर वह इस तरह से टेररा‌इज करके, कोर्ट को डरा धमका कर के, लोगों पर आंतक जमा कर के, दूकानों को बन्द करवा कर के, इस तरह की कोशिश करेंगे जिस तरह से वह कर रहे हैं तो में कहना चाहूंगा कि वह हैबिचुअल आफेंडर हैं, वह कोई सोशल वर्कर नहीं हैं।

इसलिए जहां सरकार को कड़ी कार्यवाही करने की बात मैं कहना चाहता हूं वहां मैं जनता से भी यह कहना चाहता हूं कि जनता एक पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करे। चाहे जनता पार्टी सरकार में हो या नहीं हो, पार्टीज आती हैं, जाती हैं, आज यह है, कल वह है, यह बदलती रहती है, बदलनी भी चाहिए प्रजातंत्र में लेकिन अगर इस देश में प्रजातंत्र रहना है, इस देश में रूल आफ ला रहना है तो जो जनपथ में हुआ उस को सब मिल करके रोकें। उस के लिए सारी जनता का एक मनोबल तैयार करना चाहिए। उन में हिम्मत लानी चाहिए और उन को जगाना चाहिए। उस के लिए भी कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

अखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज जनपथ के ट्रेडर्स ने प्रस्ताव पास किया कि हमारी जान व माल सुरक्षित नहीं है, उन के उस प्रस्ताव पर सरकार क्या कर रही है ?, आप की जूडिशियल एन्क्वायरी का टर्म आफ रेफरेंस क्या होगा ? अगर आप पुलिस को डिमारेलाइज करने के लिए जुडिशियल एन्क्वायरी करना चाहते हैं तो मैं उसके हक में नहीं हूं। लेकिन मैं इस के हक में हूं कि यह मालूम किया जाना चाहिए कि आर० एस० एस० के लोग उस में शामिल थे या नहीं और या ये वही गुंडे थे जो हमेशा रहते हैं ? अगर यह टर्म आफ रेफरेंस होगा तो मैं उस के साथ हूं। मैं यह नहीं चाहता कि दिल्ली की पुलिस को डिमारेलाइज करें। आप कहते हैं कि ट्रक कम क्यों थे ? पुलिस कम क्यों थी ? मैं जानता हूं, वह इसलिए कि जो टाइटलर साहब थे उन्होंने पुलिस को यह एश्योरेंस दिया था कि सारा जुलूस शांति से जाएगा। लेकिन वह शांति से नहीं गया। इसमें पुलिस की गल्ती मैं मानता हूं। पुलिस की कमजोरी मानता हूं कि उन्होंने टाइटलर पर विश्वास किया। उन्होंने पूरा इन्तजाम नहीं किया। वहां ट्रक्स नहीं थे ले जाने के लिए। ट्रक्स होने चाहिए थे।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वे जुडीशियल इंक्वायरी कराते हैं तो इस तरह की इंक्वायरी कराई जाए जिसका पुलिस पर किसी तरह का डिमारलाइजिंग असर न हो।

दसरे आप इस बात को भी देखें कि सात दफायें लगाई गई जिसमें दफा 307 भी है — अटेम्ट टु मर्डर। इसमें पर्सनल बाण्ड और दो हजार की जमानत मजिस्ट्रेट मांगता है— क्या कभी इस तरह का केस हुआ है ? मैं समझता हूं इसमें कोर्टस को डिमारलाइज की कोशिश है। तो इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। साथ जब इस तरह की बात हो तो देश में रूल आफ ला स्थापित होना चाहिए और जो भी गड़बड़ करनाचाह ते हैं उनको सख्ती से दबाया जाना चाहिए।

गृह मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् मैंने बड़े ध्यान से इस सदन में हुई बहस को सुना है। अनेक बातें कही गई हैं— कुछ बातें बड़े जोरदार तरीके से कही गई और कुछ बातें बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से कही गई हैं, जिनसे, निश्चित रूप से, कुछ वास्तविक तथ्य सामने आये हैं। मैं, सबसे पहले, तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत करना चाहूंगा, जैसी कि मैं देखता हूं, क्योंकि वह रिकार्ड में शामिल होनी चाहिए। और इसलिए, मैं वह अंश आपके सामने देना चाहूंगा, जिसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि "वस्तुतः यह हुआ था।"

दिल्ली प्रदेश युवक कांग्रेस (आई) ने पहले मई को एक जुलूस निकाला था... **(व्यवधान)**

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोडी) : पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार।

श्री एच० एम० पटेल : मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र क्या सोचते हैं। वह सोचते हैं कि संविधान के अनुसार गठित सरकार उनके पास जायेगी या श्री साठे के पास। यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के पास होगी। इस बात को उन्हें समझ लेना चाहिए। मेरे माननीय मित्र, आपको यह समझ लेना चाहिए।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जाइए और सुनिए। **(व्यवधान)** मैं आश्चर्य चकित हूं कि उन जैसा विशिष्ट वकील इस प्रकार का प्रश्न पूछने का प्रयास करता है। **(व्यवधान)** यह गृहमन्त्रालय के गृह मन्त्री का प्रतिवेदन है, जिसमें वास्तविक तथ्यात्मक स्थिति बताई गई है। और मेरे विचार में, अगर आप स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं हैं, आप इसके लिए भी तैयार नही हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सहमत न हों। वह एक अलग बात है।

श्री बसन्त साठे : उन्हें कहने का अधिकार है···

(व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल : अध्यक्ष महोदय, मुझे उनका विनिर्णय नहीं चाहिए। यह श्री साठे कौन हैं ?

(व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : वह नाराज क्यों हैं ? **(व्यवधान)**

श्री एच० एम० पटेल : मैं नाराज नहीं हूं (**व्यवधान**) किसी के बारे में नाराज होने की बात करना श्री साठे के लिए वस्तुतः बहुत अजीब बात है अब मैं अपनी बात पर आता हूं।

लगभग 1500 व्यक्ति का एक जुलूस लगभग 1 बजकर 10 मिनट पर मिन्टो ब्रिज पर पहुंचा। जब यह कनाट प्लेस के बाहरी सर्किल क्षेत्र में पहुंचा, तो कनाट सर्कस के म्यूनिसिपल मार्केट में जुलूस में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों ने कुछ दुकानों को जबर्दस्ती बन्द करना चाहा। धक्कामुक्की में एक दुकान को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप किया और जुलूस जनपथ की ओर चल दिया। जनपथ पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने पुनः कुछ दुकानों को बन्द कराना चाहा और जिन लोगों ने दुकानें बन्द कराने से इनकर किया, उनके विरुद्ध हिंसात्मक घटनायें कीं। कुछ दुकानों को नुकसान पहुंचा और कुछ दुकानदारों की लाठियों से पिटाई की गई। यह देखने पर कि जुलूस दंगा करने पर उतारू है, पुलिस के उपायुक्त ने जन समूह को गैर कानूनी घोषित कर दिया और उपस्थित लोगों को वहां से हट जाने का आदेश दिया (**व्यवधान**)

जलूस का नेतृत्व करने वाले श्री संजय गांधी तथा उनके सहयोगियों का दृष्टिकोण अवज्ञा-पूर्ण था जिसके कारण न तो लोग तितर बितर ही हुए और न हिंसात्मक कार्य ही कम हुए। अतः पुलिस को अश्रुगैस छोड़नी पड़ी और लाठी चार्ज करना पड़ा। इसी समय श्री संजय गांधी ने पुलिस उपायुक्त को पकड़ कर नीचे गिरा दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि वे पुलिस उपायुक्त को लाठियों और मुक्कों से पीटें। (**व्यवधान**) पुलिस उपायुक्त को अन्य पुलिस कर्मचारियों ने बचाया जो उनके साथ थे। अवैध रूप से एकत्र हुयी इस भीड़ को तितरबितर करने के लिए पुलिस को फिर से अश्रुगैस छोड़ना पड़ा और लाठी चार्ज करना पड़ा। इसके पश्चात श्री संजय गांधी तथा उनके अन्य सहयोगी गिरफ्तार किए गए।

श्री वसंत साठे : पुलिस आयुक्त को कितनी चोट आयीं ?

श्री एच०एम० पटेल : आप धैर्य रखें। मेरी बात सुनें। कृपया बैठ जाइये और धैर्य रखिये। जब विपक्ष के नेता ने भाषण दिया मैं एक शब्द भी नहीं बोला। क्या आप मेरी बात शान्तिपूर्वक नहीं सुन सकते। जब मैं समाप्त कर चुकूं तब आप जो चाहें कहें। जब भी आप खड़े होकर पूछने लगेंगे मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह घटना मध्याह्न पश्चात 1.30 से दो बजे के बीच की है। आधा घंटा बाद वे लोग जो इधर उधर गलियों में चले गये थे फिरसे जमा होने लगे। उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया।

एफ.आई.आर. संख्या 479 के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/186/332/353/307/427 के अधीन कुल 36 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिनमें 18 महिलायें भी शामिल हैं। इन्हें रात्रि 9.30 बजे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया जिसने उन्हें 14.5.79 तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। उन्होंने यह आदेश भी दिया कि अपराधियों को 2000 रुपए की राशि के व्यक्तिगत बांड तथा इतनी राशि की एक जमानत पर छोड़ा जा सकता है। इस घटना के बारे में जांच चल रही है।

उक्त घटना में चौदह पुलिस कर्मचारियों को चोट आयी। कुछ दुकानदारों को तथा जनता

के कुछ आदमियों को भी चोट लगीं। उनमें से श्री जगदीश भाटिया के सिर में चोट है। प्रदर्शनकारियों में से 25 व्यक्तियों को चोट आयीं जिनमें श्री संजय गांधी तथा संसद सदस्य श्री रामलिंगम भी शामिल हैं। संजय गांधी सहित 23 व्यक्तियों को मामूली चोट लगी है। रामलिंगम सहित दो के बारे में अन्तिम जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। जहां तक मुझे पता है यही वास्तविक स्थिति है।

इन तथ्यों के बारे में प्रश्न उठाए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस पर्याप्त रूप में सख्ती नहीं दिखाई। इस ओर बैठे मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि तथ्य गलत हैं। यह तो श्री संजय गांधी का विनोद था। कुछ भी हो तथ्य यही है।

अब मैं यह बताना चाहूंगा कि शान्तिपूर्वक रहने के आश्वासन पर यदि जुलूस निकालने की अनुमति दी जाती है तो आप पुलिस को दोषी ठहराते हैं जैसा कि एक माननीय सदस्य ने ठहराया है। पुलिस ने आश्वासन देखकर उसे स्वीकार कर लिया। आप कह सकते हैं कि उन्होंने बुद्धिमता से कार्य नहीं किया, कुछ भी हो, परन्तु तथ्य यही है। इसलिए उन्होंने जो व्यवस्था की थी, यदि उन्होंने अपना आश्वासन निभाया होता तो वह पर्याप्त थी परन्तु वहां जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई उसके लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी, मैं इस समय 6 मई की घटना के बारे में बता रहा हूं। मेरे माननीय 16 तारीख को क्या होगा इसके बारे में जानना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि आगे के लोग ऐसा सोचते हैं···**(व्यवधान)**

श्री कंवरलाल गुप्त : आपने उनके आश्वासन पर विश्वास क्यों किया ?

श्री बिजयकुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : दो वर्ष से संजय गांधी गुण्डागर्दी कर रहा है उसे क्यों नहीं रोका जा रहा है ?

श्री एच०एम० पटेल : मैंने कहा है कि मैं वास्तविक स्थिति बताता हूं। ऐसी बात नहीं है कि मेरी स्वीकृति से कोई चीज हुई। मैं आपको यह बता रहा हूं कि उनके लिए ऐसा करना कोई गैर-न्यायोचित बात नहीं थी। आपका दृष्टिकोण दूसरा हो सकता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पुलिस की ऐसी आलोचना करना ठीक नहीं है। जब मामले की जांच चल रही हो तब तक आप लोग आलोचना न करें। इस बात को भी मैं स्पष्ट करना चाहता था। कांग्रेस (आई) न्यायिक जांच की मांग कर रही है, उसके नेता न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। राज्य सभा में उन्होंने इसकी मांग नही की और न ही वहां इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा था कि कुछ भी ठीक नहीं है परन्तु उन्होंने न्यायिक जांच कराने के लिए नहीं कहा। मुझे न्यायिक जांच मे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने ऐसा पुलिस का मनोबल तोड़ने के लिए नहीं कहा अपितु मुझे विश्वास है कि इस मामले में पुलिस ने सही कार्य किया है।

श्री वसंत साठे : जांच आरम्भ होने से पहले ही आप पुलिस को प्रमाणपत्र दे रहे हैं।

श्री एच०एम० पटेल : यदि आप मेरी बात सुनने का प्रयास करेंगे तो इसे समझ सकेंगे। जांच एक भिन्न चीज है। जब न्यायिक जांच होती है तब मैं चाहे जो कुछ भी कहूं अथवा मेरा

मूल्यांकन कुछ भी हो न्यायाधीश उसपर कोई ध्यान नहीं देगा । न्यायाधीश साक्ष्य के आधार पर समस्त मामले पर विचार करेगा । न्यायाधीश प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय करेगा ।

श्री वसंत साठे : यदि आप निश्पक्ष रहना चाहते हैं तो तब तक आप अपने विचारों को अपने तक ही क्यों नहीं रखते ?

श्री एच०एम० पटेल : श्री साठे दया के पात्र हैं । वह एक वकील हैं परन्तु अपने वर्तमान साथियों के साथ रहते हुए उनकी विवेक बुद्धि समाप्त हो गई प्रतीत होती है । मैं इस सदन को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि जहां तक गृहमंत्रालय का सम्बन्ध है, जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे सदैव एक प्रशासक की प्रतीष्ठा प्राप्त रही है । मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लोग जानते हैं जो कानून के सीमा में कठोर कार्यवाही दृढ़ता के साथ कर सकता है तथा जो पूर्ण जांच के पश्चात बड़ी सावधानी से कार्य करता है । यदि 16 मई के आने में कुछ दिन शेष हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि अभी तक कोई कार्यवाही की ही नहीं गई है । इस बारे में अनुदेश भेजे जा चुके हैं कि कोई संगठन कुछ कर गुजरना चाहता है ।

श्री के० लकप्पा : क्या आप नहीं चाहते कि राजनैतिक दल शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करे ? अन्यथा लोग विद्रोह करेंगे ·· **(व्यवधान)**

श्री एच०एम० पटेल : यदि आप इस सदन में भी शांत नहीं रह सकते और उचित प्रकार से आचरण नहीं कर सकते तब मैं यह बात किस प्रकार मान सकता हूं कि आपका प्रदर्शन शांति बनाये रखेगा । यह बात मानी जाने योग्य नहीं है ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : आपने देखा वह नाराज हो गये ।

अध्यक्ष महोदय : नाराजगी, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री बी० शंकरानन्द : यहां एक ऐसे गृहमंत्री हैं जो पुलिसमैन की भांति प्रत्येक बात को मानकर चलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री बी० शंकरानन्द : वह गृहमंत्री हैं । उन्हें गृहमंत्री की भांति ही कार्य करना चाहिए । परन्तु वह पुलिसमैन की तरह बात करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री विजयकुमार मल्होत्रा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो मामला इस समय कोर्ट के अन्दर अटेम्पट मर्डर का है संजय गांधी के खिलाफ उसके…

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप एक भाषण देना चाहते हैं और यह कहकर कि मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाये। (व्यवधान)*

श्री लकप्पा इस प्रकार आप अपनी कमजोरी प्रकट करते हैं।

श्री एच०एम० पटेल : संभवतया उस ओर के सभी माननीय सदस्य को यह पता चल गया है कि 44वां संशोधन आज प्रभावी हो गया है। अतः अब वे जान गये हैं कि जो कुछ सदन के पटल पर होगा वह सभी प्रेस में प्रकाशित होगा। इसीलिए वे बहुत वाचाल हो रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा आप यह सब कुछ नहीं कर सकते। मैं बार बार व्यवधान की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री एच०एम० पटेल : जो कुछ श्री साठे और श्री लकप्पा कहेंगे उसे प्रकाशित करने के लिए प्रेस स्वतंत्र हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह स्वतंत्रता है। बाईस महीने की अवधि में आपने हमें इससे वंचित रखा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : किसी भी व्यवधान को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाये।

श्री एच०एम० पटेल : यह बड़ी रुचिपूर्ण बात है। मेरे माननीय मित्र जो वकील हैं, कहते हैं कि मैं पुलिस की तरह बोलता हूं। मैं इसे कोई गिला नहीं मानता। पुलिस विभाग भी गृह मंत्री के अधीन होता है। यह देखना गृहमंत्री का कार्य है कि देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखी जाये, यद्यपि संवैधानिक रूप से यह कार्य राज्य सरकार का है। कुछ लोग कुछ कारणों से सभी स्थानों पर कठिनाइयां पैदा करने में रुचि रखते हैं, अतः गृह मंत्रालय के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह सदैव सतर्क रहे और मैं सदन को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि गृहमंत्रालय सदैव सतर्क रहता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जितना भी संभव हो सकता है गृह मंत्रालय उतना ही सतर्क रहता है। गृहमंत्रालय, क्योंकि, मानवी एजेन्सियों के माध्यम से कार्य करता है अतः गलतियां होना भी संभव है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सदैव गलतियां ही करते रहेंगे। । यदि आप इस प्रकार सोचते हैं और उस विचारधारा पर ही आगे बढ़ते हैं तो आपको शीघ्र ही पता चल जायेगा कि आपको कहां पहुंचना है। गृह मंत्रालय बहुत ही प्रभावी रूप में कार्य करेगा। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि देश में किसी को भी ऐसी आशंका करने की आवश्यकता नहीं है कि कानून और व्यवस्था बनायी रखी जा सकेगी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अथवा नहीं। जब जानबूझकर दंगे फिसाद करने के प्रयास किए जाते हैं तब कठिनाई होना निश्चित ही है। तब कुछ समय तक के लिए तो अव्यवस्था रहनी है। मैं उनको भी आश्वस्त कराना और चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि वे ऐसा करेंगे तो इसे दृढ़ता और कठोरता के साथ निपटा जायेगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

श्री बी० शंकरा नन्द : गृह मंत्री इस प्रकार से धमकी नहीं दे सकता ?

अध्यक्ष महोदय : आपको सम्बोधित नहीं किया गया है। जब तक आप कानून नहीं तोड़ते तब तक यह आपके बारे में नहीं है। यह कानून तोड़ने वाले के लिये कहा गया है।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र अंग्रेजी भाषा भूले न होंगे। मैंने उन्हें सम्बोधित नहीं किया है (**व्यवधान**)। जब मैं यह कहता हूं कि उनसे दृढ़ता और कठोरता से निपटा जायेगा तब उनसे का अर्थ सब से नहीं है। इसका तात्पर्य उन्हीं लोगों से है जो जान बूझ कर इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। हम इसे सहन नही करेंगे।

श्री वसंत साठे : तब आपको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

श्री एच० एम० पटेल : न्यायिक जाँच का निर्णय लेने में जिन बातों ने मुझे प्रभावित किया है उनमें से एक यह भी है कि मैं यह बात सदैव के लिये समाप्त करना चाहता हूं कि इस मामले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ है कि नहीं। विपक्ष नेता के पास कोई और तर्क और प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रयी स्वयं सेवक संघ वालों ने घुसपैठ की है। अत: में यह चाहता हूं कि न्यायिक जांच से यह बात स्पष्ट हो जाये कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने घुसपैठ की है अथवा नहीं। यदि घुसपैठ नहीं की है तो ठीक है। यदि की है तो निश्चित रूप से रास्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री बंसत साठे : मुझे आशा है कि यह स्वतंत्र न्यायिक जांच होगी और आप उसके लिये किसी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य को नियुक्त नहीं करेंगे।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे आशा है कि श्री साठे को यह विदित हैं कि वह आपातकालिन स्थिति के समय में नहीं रह रहे हैं जबकि कोई न्यायिक जांच हुई ही न हो और यदि हुई भी तो स्वतंत्र रूप से कभी नहीं हुई। आज हम स्वतंत्र न्यायिक जांच की ही बात सोचते हैं। वे चिल्लाते रहे और जो चाहें करते रहें परन्तु गृह मंत्रालय प्रभावी और कुशल रूप में कार्य करेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल ग्यारह बजे तक के लिय स्थगित होती है।

मध्याह्न पश्चात 7.35 बजे

इसके पश्चात लोकसभा, शुक्रवार 4 मई, 1979/14 वैशाख 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई है।